हडको गृह पत्रिका (अर्द्धवार्षिक)

आठवाँ अंक (2025-26)

# आवास ध्वनि

## (विशेषांक)

## हिन्दी पत्रकारिता के दो सौ वर्ष

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति द्वारा 19 जनवरी, 2026 को लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय, हडको का राजभाषायी निरीक्षण किया गया। जिसमें माननीय समिति अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों सहित हडको मुख्यालय के प्रतिनिधि के रूप में श्री संजय कुलश्रेष्ठ, सीएमडी, हडको, डॉ. रेखा चंदोला, राजभाषा अधिकारी, हडको, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से श्री गोपाल प्रसाद, आर्थिक सलाहकार एवं संयुक्त सचिव, श्रीमती संतोष सिल्पोकर, निदेशक (राजभाषा), लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय से श्री नरेश कुमार, क्षेत्रीय प्रमुख एवं हिंदी नोडल अधिकारी उपस्थित थे। इस राजभाषायी निरीक्षण में माननीय संसदीय समिति द्वारा हडको को 'उत्कृष्ट' प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।

## विषय सूची


| क्र.सं. | विषय सूची | लेखक | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | संदेश | | 04-06 |
| 2 | हिन्दी पत्रकारिता के दो सौ वर्ष और पचास साल का आंखों देखा हाल | हरेन्द्र प्रताप सिंह | 07-09 |
| 3 | शहरी विकास में विकास पत्रकारिता की भूमिका | मंजरी कुमारी | 10-12 |
| 4 | पत्रकारिता और जनसंचार : अंत: सूत्रों की तलाश | प्रो. हरीश कुमार सेठी | 13-17 |
| 5 | पत्रकारिता में राजभाषा पत्र - पत्रिकाओं का योगदान | सुनील कुमार सिंह | 18-20 |
| 6 | हिन्दी पत्रकारिता के अग्रदूत भारतेन्दु हरिश्चंद्र | डॉ. रवि शर्मा | 21-26 |
| 7 | हिन्दी में विज्ञान लेखन | डॉ. अंकिता मिश्रा | 27-28 |
| 8 | हिन्दी पत्रकारिता से देवनागरी लिपि का विकास | के. शुभम मिश्रा | 29-31 |
| 9 | राजभाषा का विकास:आवश्यकता, चुनौतियाँ और संभावनाएँ | डॉ. हेमंत कुमार जोशी | 32-34 |
| 10 | पत्रकारिता एवं हिन्दी कार्यशाला | संतोष कुमार शर्मा | 35-37 |
| 11 | हिन्दी भाषा और गुजरात | अनुराग शर्मा | 38-41 |
| 12 | हिन्दी पत्रिकाओं की भूमिका और महत्व | सुमित कुमार गुप्ता | 42-43 |
| 13 | तिरुवनंतपुरम क्षे.का. में राजभाषा का प्रयोग एवं प्रसार | हरिकृष्णन आरएस | 44-46 |
| 14 | .एपीके फाइल का खतरा | संदीप सूद | 47-48 |
| 15 | राजभाषा सम्मेलनों का महत्व | संतोष कुमार | 49-50 |
| 16 | विकसित भारत 2047 | रंजनीश कुमार यादव | 51-58 |
| 17 | **तस्वीरें बोलती हैं** | **डॉ वेदांत देवगिरिकर / रुचिका जैन** | 59-60 |
| 18 | यूनिकोड : सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नई क्रान्ति | भूपेन्द्र पाण्डेय | 61-66 |
| 19 | आत्मनिर्भर भारत का मार्ग | डॉ. दीपक कुमार | 67-73 |
| 20 | सुख का रहस्य | पूर्णिमा कोहलीवाल | 74-75 |
| 21 | अन्तरराष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 | राहुल शर्मा | 76-81 |
| 22 | सहकार से स्वावलंबन | अव्यानंद शर्मा | 82-84 |
| 23 | भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल | अरविन्द कुमार नारंग | 85-86 |
| 24 | स्वीकृति | डॉ. प्रकाश जैन | 87-89 |
| 25 | हडको द्वारा रणथंभौर टिप | सुनीता | 90-92 |
| 26 | ईआरपी ऋण प्रबंधन प्रणाली | संजीव कुमार सैनी | 93-95 |
| 27 | युवाओं का स्वास्थ्य और राष्ट्र का भविष्य | अजय कुमार शर्मा | 96-98 |
| 28 | राजभाषायी निरीक्षण | डॉ. रेखा चंदोला | 99-100 |
| 29 | हडको का सफरनामा | ऋषभ चौधरी | 101-103 |
| 30 | उत्तर-पूर्वी भारत में कृषि और बागवानी | पूजा | 104-108 |
| 31 | कम्प्यूटर का इतिहास | अमन गेरा | 109-112 |
| 32 | हिन्दी भाषा : हमारी सांस्कृतिक पहचान | आशुतोष | 113-114 |
| 33 | पुरातन से अद्यतन - भारतीय डाक | कृष्ण कुमार | 115-116 |
| 34 | हडको एवं राजभाषा गतिविधियाँ | राजभाषा अनुभाग, हडको | 117-118 |
| 35 | कविता | शरद रंजन शरद | 119 |


## संपादकीय

हडको की अर्द्धवार्षिक गृह पत्रिका
वर्ष 2025-26 (आठवाँ अंक), विशेषांक

**संरक्षक**
श्री संजय कुलश्रेष्ठ
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

**उप संरक्षक**
श्री एम. नागराज
निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग)

श्री दलजीत सिंह खतरी
निदेशक (वित्त)

**संपादक**
श्री शैलेश प्रकाश त्रिपाठी
वरि.कार्यकारी निदेशक (राजभाषा)

**उप-संपादक**
डॉ. रेखा चंदोला
वरि. प्रबंधक (राजभाषा)

**अतिथि संपादक**
श्री हरेन्द्र प्रताप सिंह

**विशेष सहयोग**
श्रीमती पूर्णिमा कोहलीवाल
सहा. महाप्रबंधक (सचि.-रा.भा.)

श्री सुरेश नेगी
वरि. प्रबंधक (प्रशासन)

श्रीमती सुनीता
वरि. प्रबंधक (आई.टी)

कवर डिजाइन
मंजरी कुमारी

श्री नन्दन रावत
ग्राफिक डिजाइनर

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं की मौलिकता एवं आंकड़ों के लिए लेखक स्वयं जिम्मेदार हैं।
हडको भवन, कोर 7ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

# लक्ष्य

"जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए सुदृढ़ पर्यावास विकास को बढ़ावा देना"

# उद्देश्य

"जनमानस के आजीविका बदलाव के लिए सुदृढ़ पर्यावास विकास को बढ़ावा देते हुए अग्रणी तकनीकी-वित्तीय संगठनों में स्थान बनाना"

# संदेश

अंशुली आर्या, आईएएस
सचिव
ANSHULI ARYA, IAS
Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

दिनांक : 15 जनवरी, 2026

यह हर्ष का विषय है कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको) की अर्धवार्षिक गृह पत्रिका 'आवास-ध्वनि' के आठवें अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। हिन्दी हमारे संविधान और सांस्कृतिक अस्मिता की ध्वजवाहक है। यह भाषा न केवल हमारी पहचान है बल्कि राष्ट्रीय एकता और प्रशासनिक सुगमता का आधार भी है। हिन्दी अब केवल कार्यालय तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह जनसंचार, तकनीक और डिजिटल माध्यमों में सशक्त रूप में उभरकर सामने आ रही है।

हडको अपने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्टता के साथ-साथ राजभाषा हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग एवं बेहतर कार्यान्वयन की दिशा में भी निरंतर प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। 'आवास-ध्वनि' के आठवें अंक में हडको की उपलब्धियों, नवाचारों एवं श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों पर आधारित रोचक और ज्ञानवर्धक सामग्री के साथ-साथ राजभाषा हिन्दी के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित लेखों एवं गतिविधियों का भी समुचित एवं सार्थक समावेश एक रोचक प्रयास है।

मैं 'आवास-ध्वनि' पत्रिका के प्रकाशन से जुड़े सभी रचनाकारों एवं संपादक मंडल को हार्दिक बधाई देती हूँ और पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ।

शुभकामनाओं सहित,

अंशुली आर्या

# संदेश

प्रिय साथियों,

सर्वप्रथम मैं श्रीमती अंशुली आर्या, सचिव महोदया, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने हडको की अर्द्धवार्षिक गृह पत्रिका **"आवास ध्वनि"** के आठवें अंक के **विशेषांक** के रूप में प्रकाशन हेतु अपने संदेश के माध्यम से शुभकामनाएं व्यक्त की हैं । चूंकि हडको अनवरत रूप से गृह पत्रिकाओं का प्रकाशन करता रहा है। अत: एक विशिष्ट पहल के रूप में हडको, आवास ध्वनि पत्रिका को विशेषांक के रूप प्रकाशित कर रहा है जिसमें राजभाषा से जुड़े लेखों के साथ-साथ **हिन्दी पत्रकारिता के 200 वर्ष** पूरे होने के महत्व को भी उजागर किया गया है। हडको गृह पत्रिका का प्रत्येक अंक एक विशिष्ट पहल के रूप में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत होता है।

साथ ही, शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए वित्तपोषण करना हो या किफ़ायती आवास को सक्षम बनाना हो, हडको का महत्वपूर्ण लक्ष्य है - 'सामुदायिक सशक्तिकरण'। इस परिप्रेक्ष्य में हडको, हिन्दी को भी वैश्विक स्तर तक ख्याति प्रदान करवाने में प्रयासरत है। इसी क्रम में राजभाषा हिन्दी के संवर्धन एवं प्रसार में 'आवास ध्वनि' की भूमिका अत्यंत प्रशंसनीय है। यह विशेषांक न केवल हमारे कार्य-व्यवहार में हिन्दी की सशक्त उपस्थिति को सुनिश्चित करता है, अपितु कार्मिकों की साहित्यिक एवं सृजनात्मक अभिव्यक्ति को भी प्रोत्साहित करता है। सरलता एवं स्वीकार्यता के गुणों से संपन्न **आवास ध्वनि** पत्रिका हमारे भाषायी संस्कारों को समृद्ध करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

अंत में, पत्रकारिता से जुड़े सभी रचनाकारों को 200 वर्ष पूरे होने तथा 'आवास ध्वनि' के संपादकीय मंडल एवं सभी रचनाकारों को उनके समर्पण, परिश्रम एवं उत्कृष्ट सृजन के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ।

शुभकामनाओं सहित,

**संजय कुलश्रेष्ठ**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

# संदेश

प्रिय साथियों,

यह अत्यंत गर्व का विषय है कि हडको मुख्यालय द्वारा अपनी हिंदी गृह-पत्रिका 'आवास- ध्वनि' के आठवें अंक को विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। यह पत्रिका न केवल संगठन की गतिविधियों, उपलब्धियों और योजनाओं को साझा करने का एक प्रभावी आधार है, बल्कि यह कार्मिकों की रचनात्मक अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम भी है। आज के युग में पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है जो ज्ञान के आदान-प्रदान को सरल और प्रभावी बनाती है। यह पत्रिका उन प्रयासों को व्यापक स्तर पर प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिंदी में इस प्रकार के विशेषांक का प्रकाशन विशेष रूप से सराहनीय है।

मुझे विश्वास है कि यह विशेषांक सभी पाठकों के लिए उपयोगी, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा। साथ ही, यह हडको के कार्मिकों के बीच संवाद, नवाचार और सहभागिता को भी सुदृढ़ करेगा। एक बार पुनः इस उत्कृष्ट प्रकाशन के लिए मैं 'आवास- ध्वनि' की संपादकीय टीम, सभी लेखकों, रचनाकारों और सहयोगियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि यह पत्रिका निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित करेगी।

शुभकामनाओं सहित,

**एम. नागराज**
निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग)

# हिन्दी पत्रकारिता के दो सौ वर्ष और पचास साल का आंखों देखा हाल

भारत में हिन्दी पत्रकारिता का आरंभ 30 मई, 1826 से माना जाता है। उस दिन हिन्दी के प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र "उदन्त मार्तण्ड" का प्रकाशन आरंभ हुआ था। भारत की तत्कालीन राजधानी कलकत्ता (वर्तमान कोलकाता) से प्रत्येक मंगलवार को प्रकाशित इस हिन्दी समाचार पत्र के स्वामी और संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे जो मूलतः कानपुर के थे और पेशे से मुख्तार थे। यह अखबार अपनी बेबाक राय और समाचार के कारण जल्दी ही लोकप्रिय हो गया लेकिन अंग्रेजों की चाल से आर्थिक तंगी का जल्दी ही शिकार भी हो गया और सिर्फ 79 अंक तक ही टिक सका। लेकिन तब तक यह तत्कालीन पराधीन भारत में अपना काम कर चुका था और हिन्दी पत्रकारिता का ठोस आधार तैयार करने में सफल रहा। अनेक ऐतिहासिक साक्ष्य और तथ्य ऐसे हैं जिनसे पता चलता है कि भारत को अंग्रेजी हुकूमत से मुक्त कराने में हिन्दी और भाषाई पत्रकारिता ने केन्द्रीय भूमिका निभाई। हिन्दी पत्रकारिता के इस योगदान को भारत का वर्तमान और भविष्य कभी नहीं भूल सकता है।

अभी वर्ष 2026 का मार्च चल रहा है। हिन्दी पत्रकारिता मई, 2026 में दो सौ वर्ष पूरे कर रही है। इस 2026 में और भी सुखद संयोग पैदा हो रहे हैं। भारत के प्रथम सरकारी रोजगार साप्ताहिककर "रोजगार समाचार" पत्र के पचास साल पूरे हो रहे हैं। इसके प्रथम अंक का प्रकाशन तीन अप्रैल, 1976 को हुआ था। वर्ष 1976 व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है। उसी वर्ष मैंने स्वतंत्र लेखन आरंभ किया। "प्राणी सभ्य वाणी असभ्य" मेरी पहली मौलिक रचना 1976 में तैयार हुई और उसी वर्ष मेरी पहली कविता "गंगा" अस्तित्व में आई। "प्राणी सभ्य वाणी असभ्य" रचना मूल रूप से एक रिपोर्ताज थी जो बाद में एक वार्ता के रूप में आकाशवाणी भागलपुर से इसी शीर्षक से प्रसारित की गयी और उसके बाद पटना से प्रकाशित पहुंच" मासिक में "अपशब्द, इनके प्रयोग से बचिए" शीर्षक से प्रकाशित की गयी। उसी पत्रिका में मैं भागलपुर से विशेष संवाददाता बन गया। यह सब घटनाक्रम बड़ी तेजी से हुआ। सन् 1976 से 1979 तक मैं एक स्वतंत्र लेखक, पत्रकार और कवि बन चुका था और आकाशवाणी भागलपुर की ओर से आयोजित नाटक कलाकार की स्वर परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो चुका था। इस तरह 1979 में जनसंचार माध्यम में आधिकारिक रूप से मेरा प्रवेश हो गया। इसीलिए यह वर्ष 2026 मेरे लिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मुझे मेरे लेखन के पचास वर्ष और मेरी पत्रकारिता के लगभग पांच दशक पूरे होने का आभास करा रहा है। जाहिर है कि ऐसे समय में जहां सम्पूर्ण हिन्दी पत्रकारिता भाषाई पत्रकारिता के साथ अपने पिछले दो सौ साल के इतिहास का विश्लेषण कर रही है, वहीं मैं अपने पिछले पचास साल के जनसंचारीय कारनामों की पड़ताल कर रहा हूं। बीसवीं सदी के सत्तर के दशक में मेरे व्यक्तित्व में लेखक, कवि और पत्रकार के गुण का बीजारोपण हो चुका था जिसमें मुख्य रूप से बिहार के तीन शहर गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में मेरे स्कूली जीवन का बड़ा योगदान है। अल्पायु में मैंने पौराणिक शहर गया में रहते हुए 1971 का भारत - पाकिस्तान युद्ध का सायरन बजता हुआ काल देखा और भूतों की कहानियां सुनी तथा सिकंदर ए आजम जैसी अनेक सार्थक फिल्में देखीं। भागलपुर में जेपी आंदोलन या छात्र आंदोलन को मैंने न सिर्फ करीब से देखा बल्कि उसमें बाल आंदोलनकारी के रूप में दिलचस्प भागीदारी निभाई और पहली बार भागलपुर सेंट्रल जेल को अंदर से देखा तथा मुजफ्फरपुर में रिवाल्वर लेकर स्कूल जाने वाले छात्रों संग पढ़ाई की और आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री तथा डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी का दुर्लभ व्याख्यान सुना। मेरे अन्दर रचनाकार और पत्रकार का ठोस आधार तैयार होने के लिए इतना कुछ काफी था।

उदन्तमार्तण्ड

अस्सी के दशक में पन्द्रह साल से बीस साल की उम्र तक मैं एक पूर्ण पत्रकार बन चुका था और उस अवधि में दिनमान, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, आर्यावर्त और पाटलिपुत्र टाइम्स में छप कर मैं राष्ट्रीय पत्रकारिता की मुख्य धारा में प्रवेश कर चुका था। पीछे मुड़कर जब उस रॉकेट जैसी स्पीड वाली लेखनी और पत्रकारिता की अवधि को मैं याद करता हूं तो सब कुछ अविश्वसनीय और बॉलीवुड की किसी कथा जैसा प्रतीत होता है। लेकिन यही इतिहास है - मेरा, हिन्दी पत्रकारिता का और उस युग के छात्र जीवन का। बीसवीं सदी में अस्सी के दशक में बीस वर्ष की आयु में यानि वर्ष 1986 में मैं नवभारत टाइम्स के पटना संस्करण में अतिथि पत्रकार और भागलपुर के टी. एन. बी. कॉलेज में एम एससी (प्राणिशास्त्र - कीट विज्ञान) के अंतिम वर्ष का परीक्षार्थी बन चुका था और रिजल्ट निकलने से पहले 21 वर्ष की आयु में उसी नवभारत टाइम्स में मैं पूर्ण कालिक उप संपादक नियुक्त हो चुका था। लेकिन मेरी पत्रकारिता और विशेष कर खोजी पत्रकारिता तथा खेल पत्रकारिता की वास्तविक व्यावहारिक ट्रेनिंग पांच जगह पूरी हुई - 1979 से 1987 तक आकाशवाणी भागलपुर में, 1981 से 1983 तक मासिक " पहुंच" में, 1982 में एशियाड दिल्ली में, 1984 से 1986 तक भागलपुर के ही दैनिक 'नई बात' में और 1976 से 1982 तक एन. सी. सी. में। नवभारत टाइम्स में सन् 1986 से 1995 तक मैंने लंबा समय पटना संस्करण और अति अल्प अवधि के लिए जयपुर संस्करण और दिल्ली संस्करण में बिताया तथा खेल पत्रकारिता, फीचर पत्रकारिता, खोजी पत्रकारिता, विज्ञान पत्रकारिता, कृषि पत्रकारिता, विकास पत्रकारिता और सांस्कृतिक पत्रकारिता में व्यापक रूप में योगदान दिया। पटना के नवभारत टाइम्स की टीम ने बीसवीं सदी में अस्सी और नब्बे के दशक में खोजी पत्रकारिता और विकास पत्रकारिता में बहुमूल्य योगदान दिया। संयोगवश उस टीम को दिल्ली से राजेन्द्र माथुर, सुरेन्द्र प्रताप सिंह, विद्यानिवास मिश्र और अच्युतानंद मिश्र तथा पटना में दीनानाथ मिश्र, आलोक मेहता और अरुण रंजन नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। ये सभी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये सभी हिन्दी पत्रकारिता के अपने आप में अलग-अलग संस्थान रह चुके हैं जिन्होंने अपने- अपने समय में स्वतंत्र भारत में हिन्दी पत्रकारिता को नई धार प्रदान की। संयोगवश मुझे भी नवभारत टाइम्स में इन सभी से मार्गदर्शन लेने तथा राष्ट्रीय स्तर पर तब खेल पत्रकारिता और खोजी पत्रकारिता में विशिष्ट योगदान करने का दुर्लभ अवसर मिला। इनमें से अनेक संपादक अलग-अलग विचार धाराओं के थे। इसलिए नवभारत टाइम्स की तत्कालीन पत्रकारिता को भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में सर्वपक्षीय पत्रकारिता माना जाता है। वहां एक उप संपादक और संवाददाता को भी स्वतंत्र रूप से

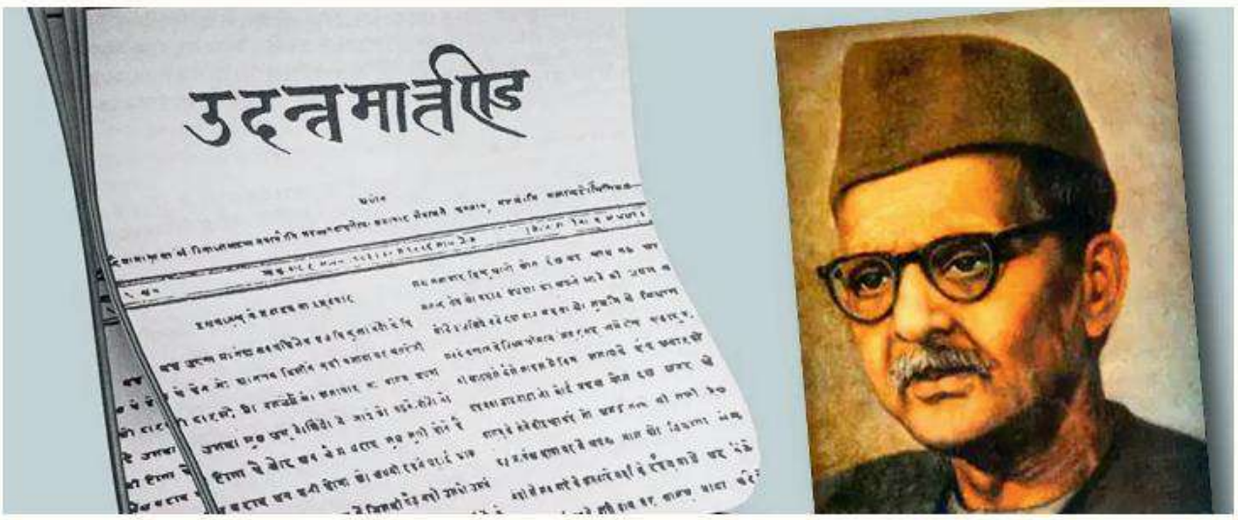

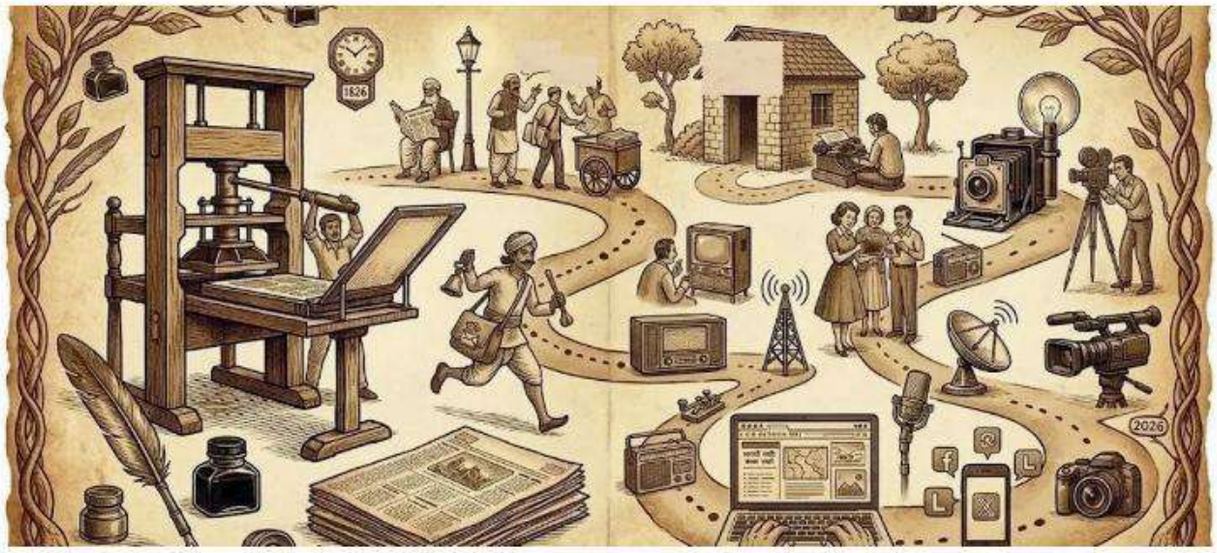


कार्य करने की छूट थी जो उस समाचार पत्र की विशिष्ट चारित्रिक विशेषता थी और जो आज की पत्रकारिता से लगभग गायब हो चुकी है। लेकिन हिन्दी पत्रकारिता का दुर्भाग्य है कि पराधीन भारत में उदन्त मार्तण्ड जैसे अनेक अखबार बहुत जल्दी बंद हो गये और स्वाधीन भारत में नवभारत टाइम्स के पटना समेत अन्य क्षेत्रीय संस्करण जल्दी - जल्दी बंद होते चले गए। अब वैसी पत्रकारिता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अब प्रिंट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक और यहां तक कि डिजिटल मीडिया में भी एजेंडा पत्रकारिता का बोलबाला है जिससे सर्वाधिक नुकसान निष्पक्ष या सर्वपक्षीय अथवा विकास पत्रकारिता को हो रहा है।

बहरहाल, मैं दूरदर्शन होते हुए भारत सरकार की एक मासिक पत्रिका 'लघु उद्योग समाचार' में मुख्य संपादक तथा दो अन्य सरकारी पत्रिका 'गगनांचल' और 'सुगन्धि' में अतिथि संपादक के रूप में विकास पत्रकारिता और साहित्यिक-सांस्कृतिक पत्रकारिता की वास्तविक मुख्य धारा में योगदान करने में सफल रहा। बीसवीं सदी ने जब करवट बदली और इक्कीसवीं सदी आ गई तो मैं विकास पत्रकारिता और सांस्कृतिक पत्रकारिता के लिए पूरी तरह से समर्पित हो चुका था। सन् 1857 के 150 साल पर आधारित भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् की पत्रिका गगनांचल के विशेषांक का वर्ष 2006 में प्रकाशन, वर्ष 2010 में भारत में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी पर लघु उद्योग समाचार पत्रिका के स्पोर्ट्स गुड्स विशेषांक का प्रकाशन तथा कोविड अवधि में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की पत्रिका सुगन्धि के विशेषांक का प्रकाशन मुझे आज भी अपने संपादन योगदान के लिए सुकून देते हैं। वर्ष 2025 तक मैं इनके साथ-साथ जीरो बजट में एम एस एम ई मंत्रालय के लिए लघु फिल्मों के निर्माण में भी सफल रहा। वर्ष 2025-2026 में मैं डिजिटल मीडिया में अतिथि संपादक और भारत सरकार की लगभग सभी प्रमुख पत्रिका और दैनिक हिंदुस्तान सहित विभिन्न समाचार-पत्र में स्वतंत्र लेखक के रूप में जुड़ गया। इसी दौरान मैंने फिर से स्तंभ लेखन भी आरंभ किया और जैसे बहुत कम उम्र में मुख्य धारा की पत्रकारिता करने का रिकॉर्ड तैयार किया था, उसी तरह से आज साठ वर्ष की आयु में मैं पांच दशकों की पत्रकारिता का विविध अनुभव हासिल कर फिर से नया रिकॉर्ड तैयार करने में सफल हो चुका हूं। हिन्दी पत्रकारिता के पिछले दो सौ साल में राजभाषा हिन्दी का भी चतुर्दिक विकास हुआ तथा राजभाषा हिन्दी को भारत में जनभाषा बनाने में इसने अमूल्य योगदान दिया है जो आज भी बदस्तूर जारी है।

**हरेन्द्र प्रताप सिंह**
नवभारत टाइम्स के पूर्व वरिष्ठ पत्रकार

# शहरी विकास में विकास पत्रकारिता की भूमिका

शहरी विकास में हिन्दी पत्रकारिता और भाषाई पत्रकारिता ने पराधीन भारत और स्वतंत्र भारत दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पराधीन भारत में तत्कालीन बाम्बे विकास मॉडल और स्वाधीन भारत में भारत मंडपम और कर्तव्य भवनों का निर्माण तथा स्मार्ट सिटी का मॉडल देश में शहरी विकास और उसमें विकास पत्रकारिता की भूमिका का परिणाम है। बीसवीं सदी में नब्बे के दशक में पटना में संग्रहालय के सामने गगनचुंबी इमारत का निर्माण और उसका रखरखाव तब वहीं के एक अखबार नवभारत टाइम्स में सुर्खियां बना था। बीसवीं सदी के अंतिम दशक में दिल्ली में सांध्य टाइम्स ने मुनिरका गांव में अंधाधुंध तरीके से बन रहे अपार्टमेंट के खिलाफ खोजी पत्रकारिता की थी और अवैध निर्माण तोड़ना पड़ा था। आधुनिक युग में रेरा युग का आगमन दरअसल विकास पत्रकारिता का ही परिणाम है। भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान अंग्रेजों ने शहरी विकास और आधारभूत संरचनाओं का विकास अपने फायदे के लिए तेजी से किया । इसी तरह अब भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भी शहरीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है।

एक आंकड़े के अनुसार भारत में छोटे कस्बे पहले की अपेक्षा कहीं तेजी से नगर बन रहे हैं और नगर तेजी से महानगरों में परिवर्तित हो रहे हैं और महानगर वैश्विक शहरों की दिशा में बढ़ रहे हैं। इस परिवर्तन के साथ अनेक संभावनाएँ और चुनौतियाँ जुड़ी हुई हैं– बुनियादी ढांचे का विस्तार, आवास, परिवहन, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समानता जैसे मुद्दे शहरी विकास के केंद्र में हैं। इसी में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना और निर्माण प्रक्रिया को पारदर्शी रखना तथा गुणवत्ता मानकों पर विशेष ध्यान रखना बहुत बड़ी चुनौती हैं। ऐसे जटिल और बहुआयामी परिदृश्य में विकास पत्रकारिता की भूमिका देश में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है तथा हिन्दी पत्रकारिता के दो सौ साल पर विशेष चिंतन की मांग करती है।

विकास पत्रकारिता केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करती बल्कि समाज के विकास से जुड़े मुद्दों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है। यह पत्रकारिता का वह रूप है जो सरकार की योजनाओं, नीतियों और उनके प्रभावों का मूल्यांकन करती है ! साथ ही यह आम नागरिकों की आवाज़ को भी सामने लाती है। जब हम शहरी विकास की बात करते हैं, तो विकास पत्रकारिता एक सेतु के रूप में कार्य करती है–नीति-निर्माताओं और जनता के बीच संवाद स्थापित करती है।

भारत में शहरीकरण कोई नई घटना नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में इसकी गति अत्यधिक बढ़ी है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर जीवन-स्तर की तलाश में लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इससे शहरों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है और संसाधनों की मांग भी लगातार बढ़ रही है।

शहरी विकास की इस प्रक्रिया में स्मार्ट सिटी, मेट्रो रेल, डिजिटल सेवाएँ और आधुनिक आवासीय परियोजनाएँ शामिल हैं। लेकिन इसके साथ ही झुग्गी-बस्तियों का विस्तार, ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और असमानता जैसी समस्याएँ भी सामने आती हैं।

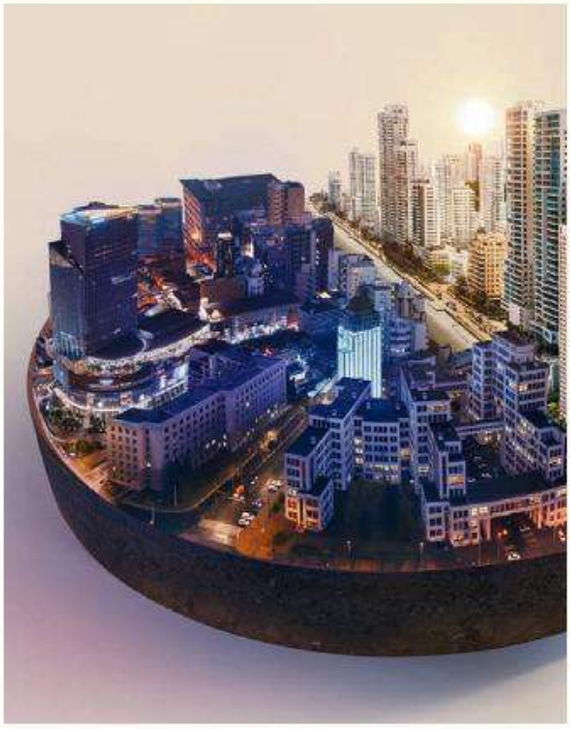

यहीं पर विकास पत्रकारिता की भूमिका शुरू होती है। यह केवल विकास के चमकदार पक्ष को नहीं दिखाती बल्कि उन चुनौतियों को भी उजागर करती है जो अक्सर अनदेखी रह जाती हैं।

विकास पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य है—समाज के समग्र विकास को समझना और उसे सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना। यह पत्रकारिता का एक जिम्मेदार और संवेदनशील रूप है, जो तथ्यों, आंकड़ों और मानवीय अनुभवों के आधार पर रिपोर्टिंग करता है।

शहरी विकास के संदर्भ में विकास पत्रकारिता उल्लेखनीय कार्य करती है। इसमें सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं का विश्लेषण भी किया जाता है तथा लगातार सुधार की ओर दृष्टि केन्द्रित रहती है। इनमें विकास के लाभ और हानि का भी आकलन किया जाता है तथा नागरिकों की समस्याओं और अपेक्षाओं को सामने लाया जाता है। इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही को भी सुनिश्चित किया जाता है।

शहरी विकास के साथ कई गंभीर चुनौतियाँ जुड़ी हुई हैं। इनमें सबसे प्रमुख है—असमानता। शहरों में एक ओर आधुनिक सुविधाओं से युक्त कॉलोनियाँ हैं, वहीं दूसरी ओर बुनियादी सुविधाओं से वंचित झुग्गी-बस्तियाँ भी हैं। विकास पत्रकारिता इन असमानताओं को उजागर करती है और नीति-निर्माताओं का ध्यान इस ओर आकर्षित करती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी शहर में मेट्रो परियोजना बन रही है, तो पत्रकारिता यह भी देखती है कि इससे किन लोगों को लाभ होगा और किन लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ेगा। पर्यावरणीय मुद्दा भी शहरी विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बढ़ते प्रदूषण, हरित क्षेत्रों की कमी और जल संकट जैसे मुद्दों को विकास पत्रकारिता प्रमुखता से उठाती है। क्योंकि ये मुद्दे यदि विकास पत्रकारिता समय - समय पर नहीं उठाये तो समस्या विकराल हो सकती है। राजस्थान में गगनचुंबी इमारतों का बढ़ता जाल भविष्य में जल संकट से लेकर अन्य समस्याओं की चुनौती पेश करने वाला है। रेरा से सबसे अधिक लाभ आम उपभोक्ताओं को हुआ है जो शहरी विकास पर आधारित विकास पत्रकारिता का परिणाम है।

विकास पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पहलू है—नागरिकों की सहभागिता। यह पत्रकारिता केवल ऊपर से नीचे की दिशा में नहीं होती, बल्कि नीचे से ऊपर की आवाज़ को भी महत्व देती है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अब आम नागरिक भी अपनी समस्याओं और अनुभवों को साझा कर सकते हैं। पत्रकार इन सूचनाओं को संकलित कर उन्हें व्यापक मंच प्रदान करते हैं। राजस्थान में नीमराना से लेकर झुंझुनूं और जैसलमेर से लेकर बूंदी तक विकास पत्रकारिता का प्रभाव देखा जा सकता है। नीमराना में रेजीडेण्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन एकजुट होकर निजी बिल्डर्स और मेंटेनेंस कंपनी के मनमानेपन का मुकाबला कर रही है। लेकिन इन सभी पहलुओं में हिन्दी पत्रकारिता में रेडियो पत्रकारिता और विशेष कर कम्युनिटी रेडियो का राजस्थान और अन्य राज्यों में विशेष योगदान है। कम्युनिटी रेडियो हर स्तर पर शहरी और ग्रामीण नागरिकों को जागरूक बना रही है। वास्तव में शहरी विकास में कम्युनिटी रेडियो सकारात्मक भूमिका निभा रही है।

इस प्रकार विकास पत्रकारिता लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है।
सरकारी योजनाओं का अनुपालन और उनकी समीक्षा विकास पत्रकारिता के माध्यम से बखूबी होता है।

भारत में शहरी विकास के लिए कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जैसे—स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना, स्वच्छ भारत अभियान आदि। इन योजनाओं का उद्देश्य शहरों को अधिक आधुनिक, स्वच्छ और रहने योग्य बनाना है।
विकास पत्रकारिता इन योजनाओं की प्रगति, प्रभाव और चुनौतियों का विश्लेषण करती है। वह यह देखती है कि योजनाएँ कागजों पर ही सीमित हैं या वास्तव में ज़मीन पर भी लागू हो रही हैं। इस तरह पत्रकारिता एक निगरानी तंत्र के रूप में कार्य करती है, जो सरकार को जवाबदेह बनाती है तथा समय-समय पर सजग करती है। तकनीक और विकास पत्रकारिता इसलिए भी किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए महत्वपूर्ण है।

डिजिटल युग में विकास पत्रकारिता के स्वरूप में भी परिवर्तन आया है। डेटा जर्नलिज़्म, इन्फोग्राफिक्स और मल्टीमीडिया रिपोर्टिंग के माध्यम से जटिल मुद्दों को सरल और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। शहरी विकास से जुड़े आंकड़ों—जैसे जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण स्तर और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता —को डेटा के रूप में प्रस्तुत करना पाठकों को बेहतर समझ प्रदान करता है।
इसके अलावा, ड्रोन और सैटेलाइट इमेजिंग जैसी तकनीकों का उपयोग भी शहरी विकास की निगरानी में किया जा रहा है।

विकास पत्रकारिता में नैतिकता का विशेष महत्व है। पत्रकारों को निष्पक्ष, सटीक और संवेदनशील रिपोर्टिंग करनी चाहिए। शहरी विकास से जुड़े मुद्दे अक्सर संवेदनशील होते हैं, जैसे—विस्थापन, गरीबी और पर्यावरणीय नुकसान। इन विषयों पर रिपोर्टिंग करते समय पत्रकारों को मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इस दृष्टि से भविष्य की दिशा तय करना भी महत्वपूर्ण है। भविष्य में शहरी विकास और भी तेज़ी से होगा। ऐसे में विकास पत्रकारिता की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। पत्रकारों को चाहिए कि वे केवल घटनाओं की रिपोर्टिंग तक सीमित न रहें बल्कि समाधान-आधारित पत्रकारिता को भी अपनाएं। यह दृष्टिकोण समस्याओं के साथ-साथ उनके संभावित समाधान भी प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, स्थानीय स्तर पर रिपोर्टिंग को बढ़ावा देना आवश्यक है ताकि छोटे शहरों और कस्बों की समस्याएँ भी सामने आ सकें। इसमें संबंधित मंत्रालय और विभागों को गुणवत्तापूर्ण विकास पत्रकारिता के लिए समय-समय पर पत्रकारों को प्रशिक्षण भी देना चाहिए। शहरी विकास और विकास पत्रकारिता एक-दूसरे के पूरक हैं। जहां शहरी विकास समाज के भौतिक और आर्थिक ढांचे को मजबूत करता है, वहीं विकास पत्रकारिता इस प्रक्रिया को पारदर्शी, जवाबदेह और समावेशी बनाती है। आधुनिक युग में आवश्यकता है कि विकास पत्रकारिता को और अधिक सशक्त बनाया जाए ताकि वह शहरी विकास की जटिलताओं को समझते हुए एक संतुलित और व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सके। यदि पत्रकारिता अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ करती है, तो वह न केवल शहरी विकास को दिशा दे सकती है, बल्कि एक बेहतर और न्यायसंगत समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस स्थिति में वर्ष

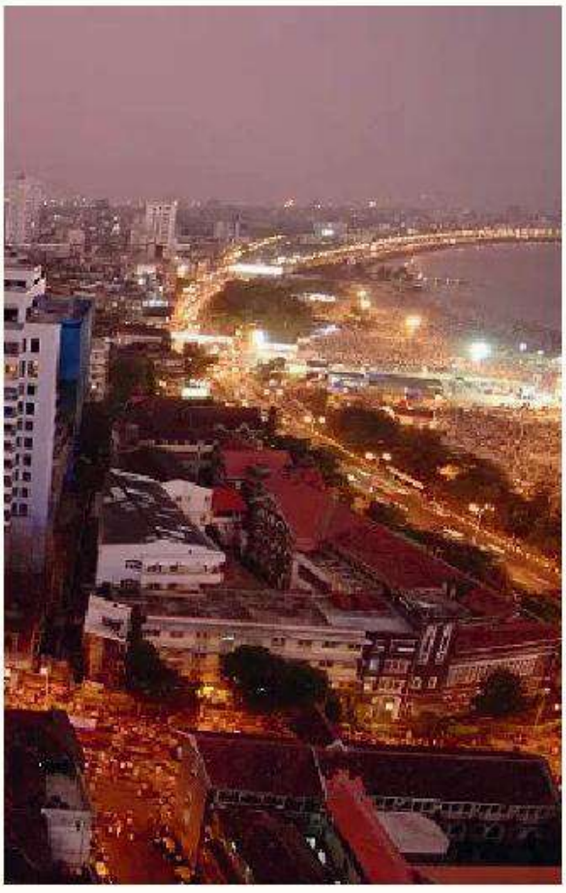

2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने में विकास पत्रकारिता शहरी विकास में सहायक हो सकती है।

-लेखिका मंजरी कुमारी राजस्थान स्थित एक कम्युनिटी रेडियो में निदेशक और आर जे हैं तथा विभिन्न सरकारी पत्रिकाओं के लिए लेखन करती हैं।

**मंजरी कुमारी**
रेडियो जेजेटी झुंझुनू, राजस्थान

# पत्रकारिता और जनसंचार : अंतःसूत्रों की तलाश

आज का युग, सूचना और संचार क्रांति का युग है। सूचनाओं के रूप में तीव्र गति से हो रही क्रांति का यह प्रवाह संचार के माध्यम से ही संभव हो पा रहा है। इसलिए पहले की तुलना में आज संचार माध्यम मानव जीवन में विशेष भूमिका निभा रहे हैं। मानव जीवन की प्रत्येक गतिविधि संचार से प्रेरित भी है और प्रभावित भी है। संचार के बिना मानव समाज का अस्तित्व ही संभव नहीं है क्योंकि मानव जीवन चलाएमान है, जीवंतता उसकी पहचान है - चरैवेति, चरैवेति। जीवन की गतिशीलता में जब प्रतिक्रियाएँ शारीरिक हाव-भाव के जरिए व्यक्त होती हैं तो वह 'अव्यक्त संचार' का रूप लिए हुए हो जाती हैं और जब इनकी अभिव्यक्ति में भाव को माध्यम बनाया जाता है तो 'व्यक्त संचार' हो जाता है। व्यक्त और अव्यक्त रूप में यही संचार ही मनुष्य के सामाजिक संबंधों का आधार है; इनसे ही संबंध बनते और विकसित होते हैं। संचार के जरिए परस्पर आदान-प्रदान होने वाले संदेशों-सूचनाओं और व्यावहारिक अनुभवों से ही मानव-समाज में सामाजिक समझ का विकास होता है। सिर्फ सामाजिक संदर्भों में ही नहीं, राष्ट्र के स्तर पर भी देखें तो प्रभावी संचार व्यवस्था किसी भी देश की प्रगति और विकास का आधार सिद्ध होती है। कतिपय विद्वानों ने 'जनसंचार' के अर्थ में 'पत्रकारिता' शब्द का एक-दूसरे के पर्याय के रूप में खूब प्रयोग किया जाता है। और कुछ विद्वानों ने तो 'जनसंचार' को केवल 'पत्रकारिता' विषयक एक नया परिष्कृत शब्द माना है। लेकिन इस संबंध में किए गए अध्ययन चिंतन इसे भ्रांत धारणा सिद्ध करते हैं। इसलिए इसपर विचार करते हुए अंतःसूत्रों की तलाश करना अपेक्षित है। लेकिन, उससे पूर्व, पत्रकारिता और जनसंचार के अर्थ एवं स्वरूप को विवेचन का अलग-अलग का विषय बनाना उपयुक्त होगा।

## पत्रकारिता : अर्थ और स्वरूप

सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सशक्त माध्यम 'पत्रकारिता' का समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान और महत्व है। पत्रकारिता, आधुनिकता की एक विशिष्ट उपलब्धि है। आज के आधुनिक सभ्य समाज और विशेष तौर पर किसी भी लोकतांत्रिक समाज में पत्रकारिता को जन-चेतना का सर्जक और वाहक तथा जन-हित का संरक्षक स्वीकार किया जाता है। पत्रकारिता का सामान्य अर्थ है - पत्रकार का काम या व्यवसाय। इस अर्थ के आधार पर विचार करें तो यह पता चलता है कि पत्रकारिता :-

(1) पत्रकार होने की अवस्था या भाव;
(2) पत्रकार का काम; और
(3) पत्रकारों के कार्यों और कर्तव्यों आदि का विवेचन करने वाली विद्या का द्योतक शब्द है।

'पत्रकारिता' का अर्थ स्पष्ट करके उसे परिभाषित करते हुए डॉ. बद्रीनाथ कपूर ने 'वैज्ञानिक परिभाषिक कोश' में लिखा है कि 'पत्रकारिता पत्र-पत्रिकाओं के लिए समाचार, लेख आदि एकत्रित तथा संपादित करने, प्रकाशन-आदेश आदि देने का कार्य है।' वहीं, डॉ. अर्जुन तिवारी का विचार है कि 'समय और समाज के संदर्भ में सजग रहकर नागरिकों में दायित्व बोध कराने की कला को पत्रकारिता कहते हैं जिसमें गुणों को परखना तथा मंगलकारी तत्वों को प्रकाश में लाना सम्मिलित है।' और पत्रकार समाचार-लेखों आदि का लेखन, संकलन, संपादन और पत्र-पत्रिकाओं की अन्य सामग्रियों को प्रकाशन के लिए तैयार करने संबंधी काम करता है।

पत्रकारिता के अर्थ-संदर्भ का विस्तार होने के बारे में डॉ. हरिमोहन ने अपनी 'रेडियो और दूरदर्शन पत्रकारिता' पुस्तक में लिखा है – 'पत्रकारिता शब्द का प्रयोग करते ही हमारी मानस पटल पर मुद्रित अक्षरों से भरे समाचार-पत्र आ जाते हैं। इसका कारण यह है कि अब तक समाचार-पत्र और पत्रिकाओं को ही पत्रकारिता का प्रतीक या प्रतिफल माना जाता था। लेकिन आज स्थिति अलग है। जैसे-जैसे संचार के साधन बढ़े हैं वैसे-वैसे पत्रकारिता का स्वरूप बदला है,

उसके क्षेत्र का विस्तार हुआ है। सूचनाओं का दायरा बढ़ा है। अब मुद्रित समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं, पिरियोडिकल से लेकर रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट इत्यादि नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार-माध्यम भी पत्रकारिता में सम्मिलित है।' (पृ.9) स्पष्ट है कि डॉ. हरिमोहन पत्रकारिता को व्यापक आयाम प्रदान करते हैं। इसी संदर्भ में 'मानविकी पारिभाषिक कोश' का भी उल्लेख किया जा सकता है। इस कोश में पत्रकारिता को परिभाषित करते हुए डॉ. नगेंद्र ने लिखा है कि 'पत्रकारिता का अभिप्राय है - समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन आदि द्वारा प्रसारित करने के लिए समाचारों का संग्रह अथवा प्रेषण अथवा उनका लेखन, संपादन या नियोजन।'

हिंदी के 'पत्रकारिता' शब्द के लिए अंग्रेजी जर्नलिज्म शब्द प्रयुक्त किया जाता है। 'जर्नलिज्म' शब्द फ्रांसीसी भाषा से बने 'जर्नलिज्म' शब्द की व्युत्पत्ति 'जर्नल' से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है - दैनिक। जिसमें नित्यप्रति की गतिविधियों, कार्यों और सरकारी बैठकों आदि का विवरण प्रकाशित होता हो, उसे 'जर्नल' कहा जाता था। कालांतर में अर्थ के स्तर पर परिवर्तित होकर 'जर्नल' शब्द को विज्ञान और विज्ञानेतर शोध और अनुसंधान, गंभीर समालोचनाओं एवं अन्य विद्वानों द्वारा लिखित रचनाओं को प्रकाशित करने वाली पत्रिका के अर्थ में इस्तेमाल किया जाने जाने लगा।

वहीं, 'जर्नल' शब्द के आधार पर 'जर्नलिज्म' शब्द बना और पत्रकार-व्यवसाय या काम का द्योतक बन गया। पत्रकार का कार्य समाचारों आदि का लेखन, संकलन, संपादन और पत्र-पत्रिकाओं की अन्य सामग्रियों को प्रकाशन के लिए तैयार करने का काम करता है। 'जर्नल' के इसी 'दैनिक' अर्थ को ध्यान में रखते हुए देखें तो पत्रकारिता भी दैनिक जीवन की घटनाओं और उनके आधार पर प्रकाशित पत्रों के अर्थ का संवहन किए हुए है, जिसके अंतर्गत समाचारपत्रों और अ/नियतकालिक पत्रिकाओं के लिए समाचार, लेख आदि सामग्री का संकलन, उसे एकत्रित तथा संपादित करने, प्रकाशन-आदेश आदि देने का कार्य किया जाता है।

चैंबर्स डिक्शनरी के अनुसार, 'प्रकाशन, संपादन, लेखन एवं प्रसारण युक्त समाचार का व्यवसाय ही पत्रकारिता है।' पत्रकारिता को परिभाषित करते हुए डेविड बेनराइट ने स्पष्ट किया है कि 'पत्रकारिता एक जनसंचार है। यह रोजमर्रा की घटनाओं को कुछ शब्दों, ध्वनियों या तस्वीरों को जनसंचार के तंत्र द्वारा पेश करती है, जिससे जानने के लिए मानव सदा उत्सुक रहता है कि नया क्या है।' जनसंचार के तंत्र में नएपन की यह प्रस्तुति ही पत्रकारिता का प्राण-तत्व है।

इस प्रकार, देखा जाए तो पत्रकारिता में घटनाओं, तथ्यों, व्यवस्थापरकता के साथ-साथ आर्थिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक संदर्भों आदि की प्रस्तुति होती है। पत्रकारिता, इस तरह की सूचनाएँ, पत्रकार द्वारा चारों दिशाओं से एकत्रित कर जन-साधारण तक पहुँचाने का माध्यम है और पत्रकार अपने मेधा-शक्ति के बल पर सरस बनाकर कलात्मक प्रस्तुत करता है। लेकिन, यह कलात्मक प्रस्तुति साहित्यिक रचनाकर्म की तुलना में कम कलात्मक कल्पनाप्रवण होती है। कारण, साहित्य में कल्पनात्मकता प्रमुख रूप से विद्यमान रहती है जबकि पत्रकारिता में यथार्थ का बोध कराने वाली स्थितियाँ प्रमुख होती है; और कलात्मकता को शैली का अंग बनाया जाता है। इस तरह यथार्थ और कल्पना के भिन्न आधार-फलक पर टिकी पत्रकारिता और साहित्य सर्जन अंतर के बिंदुओं की ओर संकेत करते हैं।

'पत्रकारिता' पर विचार करने के बाद, जनसंचार के अर्थ और स्वरूप के संदर्भ में भी कुछ चिंतन अपेक्षित है।

**जनसंचार : अर्थ और स्वरूप**

'जनसंचार' शब्द को अंग्रेजी के  के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। संप्रेषण के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले 'Communication' शब्द किसी बात को आगे बढ़ाना, चलाना अथवा फैलाना के भाव को व्यक्त करता है। वहीं, 'Mass' शब्द के साथ जुड़कर यह 'Mass Communication' शब्द जनसाधारण तक संदेश को पहुँचाने के भाव का व्यंजक बन जाता है। जब हम किसी भाव, अनुभव, संदेश अथवा विचार आदि को जन-जन तक पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं तो संचरण की यह प्रक्रिया 'मास कम्यूनिकेशन' है।

'जनसंचार' शब्द पर विचार करने पर हम पाते हैं कि यह 'जन+संचार' शब्दों से मिलकर बना एक सामासिक पद है। इनमें से 'जन' शब्द पर विचार करें तो यह भीड़, सैलाब या अनियंत्रित समूह और सामाजिक समूह के अर्थ का व्यंजक शब्द है। इनमें से 'सामाजिक समूह' सकारात्मक अर्थ का द्योतक है तो अन्य सभी अर्थ नकारात्मकता लिए हुए हैं। इस प्रकार, 'जन' सकारात्मक एवं नकारात्मक, दो अर्थों में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। वैसे, सामूहिक इच्छा, शांति और लक्ष्य प्राप्ति के उद्देश्य से 'जन' शब्द सकारात्मक भाव को व्यक्त करता है। इसमें व्यष्टि का लोप होकर केवल समष्टि ही बन जाना लक्ष्य है। और जहाँ तक 'संचार' शब्द का संबंध है, इसके अर्थ के बारे में हमें यह स्पष्ट है कि यह व्यक्तियों (अर्थात प्रेषक और प्राप्तकर्ता) के बीच विचार, तथ्य, अनुभव आदि के आदान-प्रदान की सम्मिलित क्रिया है। जब यही 'संचार' शब्द अपने अर्थ का व्यापक आधार प्राप्त करते हुए बहुवचन रूप धारण कर लेता है तो वह 'जनसंचार' का व्यंजक एवं समूहवाची अर्थ को व्यक्त करने वाला बन जाता है। यदि इस सामासिक पद का विग्रह किया जाए तो इसका अर्थ होता है - 'वह जो सामान्य जन अथवा जन-जन में संचरण करे' या फिर 'वह जिसका सामान्य जन अथवा जन-जन में संचरण हो।'

'जनसंचार' के संबंध में मीडिया जगत के पाश्चात्य विद्वान बार्कर का मानना है कि 'जनसंचार श्रोताओं के लिए अपेक्षाकृत कम खर्च में पुनरुत्पादन तथा वितरण के विभिन्न साधनों का इस्तेमाल करके किसी संदेश को व्यापक लोगों तक दूर-दूर तक फैले हुए श्रोता तक रेडियो, टी.वी., अखबार जैसे किसी चैनल द्वारा पहुँचाया जाता है।', वहीं, भारतीय मीडिया विशेषज्ञ प्रो. जवरीमल्ल पारख का कहना है कि जनसंचार का अर्थ है - जन के लिए संचार के साधन। इसमें जनता न तो निष्क्रिय भागीदार होती है और न ही प्रत्येक संप्रेषित संदेश को आसानी से स्वीकार कर लेती है बल्कि इन माध्यमों को प्रभावित भी करती है और प्रभावित भी होती है। वर्तमान में जनसंचार माध्यम से ग्रहण समूह-सदस्य के रूप में नहीं करते बल्कि अकेले या दो-चार लोगों के बीच करते हैं। आज के विकसित प्रौद्योगिकी के युग में व्यक्ति घर बैठे ही अकेले फिल्म दे सकता है और घर बैठे ही दुनिया से संपर्क कर सकता है।

जनसंचार, जन-जन अथवा अधिसंख्यक लोगों में संदेश आदि के संप्रेषण (अर्थात प्रेषण और ग्रहण) की स्थिति है। किसी न किसी माध्यम के जरिए कोई सूचना, जानकारी, संदेश, भाव अथवा विचारों का काफी अधिक लोगों, देशों-समाजों आदि तक यानी जनसाधारण से आदान-प्रदान करना 'जनसंचार' है। इस तरह, यह कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी संख्या में भौगोलिक रूप से बिखरे लोगों तक संचार के प्रभावी माध्यम के जरिए संदेश अथवा सूचना आदि को पहुँचाना 'जनसंचार' है। बड़े पैमाने पर संदेश या सूचना के आदान-प्रदान या संचार की प्रक्रिया है। यह बड़ी संख्या में लोगों से उल्लेखनीय है कि लोगों के इस व्यापक समूह की प्रकृति एकसमान न होकर, विषम होती है और उस तक तकनीकी के किसी न किसी साधन-उपकरण की सहायता से संदेश पहुँचाया जाता है। साथ ही यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि जनसंचार, प्रायः एकतरफा होता है। इसका लक्ष्य वर्ग कोई भी हो सकता है।

**'जनसंचार' और 'पत्रकारिता' में अंतर्संबंध**

जब 'जनसंचार' और 'पत्रकारिता' पर विचार किया जाता है तो अक्सर इन शब्दों को एक-दूसरे के पर्याय के रूप में व्यवहार में लाने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। वहीं, कतिपय विद्वान 'जनसंचार' को 'पत्रकारिता' विषयक एक नए परिष्कृत शब्द के रूप में व्यवहार में लाते हैं। हालाँकि अंतर्संबंध की दृष्टि से देखें तो इनमें एक-दूसरे पर निर्भरता (अन्योन्याश्रिता) दिखाई देती है, लेकिन इस संबंध में किए गए अध्ययन-चिंतन इस धारणा को गलत सिद्ध करते हैं कि 'जनसंचार', 'पत्रकारिता' विषयक एक नया परिष्कृत शब्द है। इसलिए इनके बीच के अंतर्संबंध पर समानता और असमानता के आलोक में विचार करना जरूरी हो जाता है। संचार के अंतर्गत मुख्य रूप से दो कार्य शामिल होते हैं - 'प्रेषण' और 'ग्रहण'। वहीं, 'संचार' का अर्थ स्वरूप हमें बताता है कि जनसंचार के द्वारा संदेश

के रूप में किसी भाव, विचार, सूचना आदि को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक विभिन्न माध्यमों के जरिए पहुँचाया या प्रसारित किया जाता है। ये माध्यम, मुद्रित, श्रव्य, दृश्य-श्रव्य और इलेक्ट्रॉनिक आदि का आधार प्राप्त होते हैं और इनके भी अनेक उप-प्रकार आदि विकसित हो चुके हैं। माध्यम भले ही किसी भी प्रकार का क्यों न हो, उनमें से किसी के भी जरिए प्रेषक का संदेश प्राप्तकर्ता तक यथावत पहुँचने में ही संचार प्रक्रिया की सफलता है। इसलिए प्रक्रिया यह स्वयं में एक विधा है, जिसमें इसकी कला और शिल्प को अध्ययन का विषय बनाया जाता है। हालाँकि पत्रकारिता में भी प्रेषक के संदेश को प्राप्तकर्ता तक यथावत पहुँचाने की संचार प्रक्रिया से जुड़ा हुई है। इसलिए, 'जनसंचार' के अर्थ में 'पत्रकारिता' शब्द को भी व्यवहार में लाया जाता है। किंतु यहाँ यह ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है कि पत्रकारिता और जनसंचार में असमानता के तत्व भी विद्यमान हैं।

पत्रकारिता, मूलतः पत्रकार संबंधी व्यवसाय या कार्य से जुड़ा हुआ है। एक विधा के रूप में संचार को किसी संदेश को प्रेषित करने और अन्य के द्वारा ग्रहण करने की प्रविधि से संबंधित है, तकनीक एवं प्राविधिकता, इसकी कला एवं शिल्प का अध्ययन किया जाता है। इसलिए पत्रकारिता की तुलना में संचार अधिक व्यापक है। इस संदर्भ में 'दृश्य-श्रव्य संप्रेषण और पत्रकारिता' शीर्षक पुस्तक में डॉ. जेम्स एस. मूर्ति के विचार विशेष तौर पर उल्लेख करने योग्य हैं - 'संचार विधा में किसी संदेश के विनिमय की प्रविधि, तकनीक एवं प्राविधिकता, इसकी कला एवं शिल्प का अध्ययन किया जाता है। साथ ही इसमें उस मनोवैज्ञानिक प्रभाव अध्ययन किया जाता है, जो इस प्रकार के आदान-प्रदान के फलस्वरूप व्यक्ति की मनोवृत्ति एवं उसके व्यवहार में आए संभावित परिवर्तन के रूप में परिलक्षित होता है। इसके विपरीत पत्रकारिता अधिक-से-अधिक संचार के वर्णक्रम का एक लघु अंश मात्र है। ऐसा इसीलिए भी, क्योंकि सही अर्थ में पत्रकारिता का उल्लेख संचार के मुद्रण-माध्यमों, जैसे - समाचारपत्रों, पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं के संबंध में ही किया जाता है। इसका स्वरूप व्यापक तभी होता है, जब प्रसारण पत्रकारिता तथा फिल्म पत्रकारिता के रूप में इसका प्रयोग हो, जिसमें सिनेमा, रेडियो एवं टेलीविजन जैसे माध्यम भी शामिल हों।'

डॉ. मूर्ति के विचार स्पष्ट रूप से बताते हैं कि 'जनसंचार' को 'पत्रकारिता' विषयक एक नए परिष्कृत शब्द के रूप में स्वीकार करने का विचार उपयुक्त नहीं है क्योंकि पत्रकारिता की तुलना में यह एक विस्तृत प्रक्रिया है। जनसंचार की अवधारणा में पत्रकारिता की अपेक्षा अनेक साधन नजर आते हैं। ज्ञान की शाखा के रूप में भी यदि इन दोनों विचार किया जाए तो यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जनसंचार की तुलना में पत्रकारिता सीमित ज्ञान शाखा है। 'संचार' अध्ययन में किसी संदेश को प्रेषित करने और ग्रहण करने की तकनीक का अध्ययन के साथ-साथ उसकी कला एवं शिल्प का, संचार के फलस्वरूप व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभाव आदि का भी अध्ययन शामिल है, जबकि पत्रकारिता के अंतर्गत आम तौर पर संदेश ग्रहण करने वालों पर संदेश के प्रभाव को अध्ययन का विषय नहीं बनाया जाता है। आधुनिक युग में मोबाइल और इंटरनेट द्वारा संवाद और पत्रकारिता संचार के ही हिस्से हैं। पत्रकारिता के अंतर्गत संचार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग अवश्य किया जाता है।

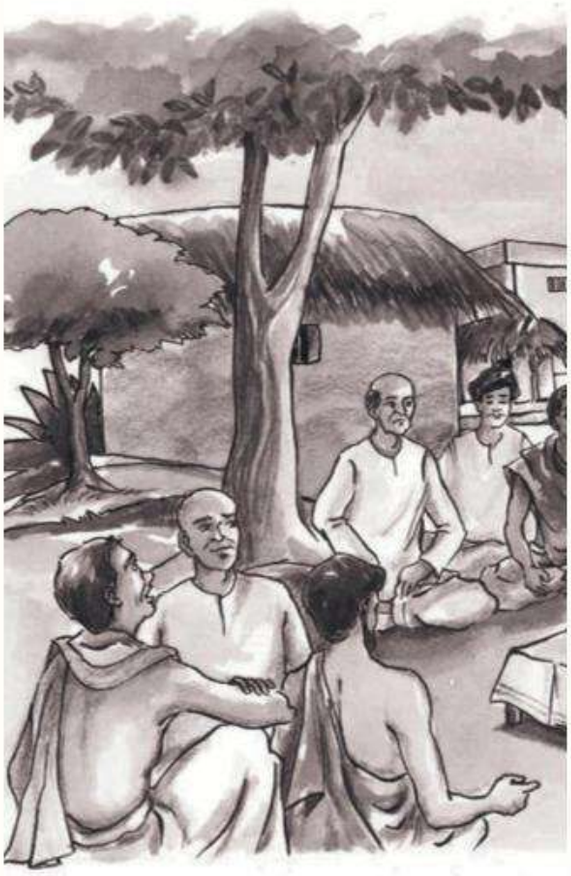

पत्रकारिता में स्रोत और संदेश प्राप्तकर्ता के बीच संदेश/सूचना/जानकारी भेजने की एकतरफा क्रिया ही होती है अर्थात संप्रेषण होता है। संदेश/सूचना/जानकारी ग्रहणकर्ता सूचना या संदेश मात्र को ग्रहण करता है। अपनी ओर से स्रोत के लिए कई संदेश/सूचना/जानकारी लौटाता नहीं। अर्थात 'संवाद' की प्रक्रिया घटित ही नहीं होती, उसे एकतरफा 'संवाद' कहा जा सकता है। बहुत सामान्य से उदाहरण से समझें तो हम रेडियो, टेलीफोन और टेलीविजन या समाचार पत्र का उदाहरण ले सकते हैं। टेलीफोन संचार का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। यहाँ स्रोत और प्राप्तकर्ता के बीच विधिवत संदेश/सूचना/जानकारी का आदान-प्रदान होता है; उनमें 'संवाद' होता है जबकि रेडियो, टेलीविजन या समाचार पत्र आदि के माध्यम से संदेश/सूचना/जानकारी संप्रेषित की जाती है। श्रोता, दर्शक या पाठक अपनी ओर से संदेश/सूचना/जानकारी स्रोत को लौटा नहीं सकता।

जनसंचार और पत्रकारिता के अंतर्संबंध को व्यंजित करने वाले अंतःसूत्रों संबंधी विमर्श यह स्पष्ट रूप से संकेत करता है कि पत्रकारिता की तुलना में एक विस्तृत प्रक्रिया के आधार पर जनसंचार की अवधारणा का संबंध सूचना आदि को समाज के सभी वर्गों के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाने से है। इसका मूल उद्देश्य यह होता है कि जनसामान्य को जानकारी या लाभ प्राप्त हो सके। इस संदेश-प्रसारण के लिए मुद्रण और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग किया जाता है। इन्हें समाज के सामान्य पढ़े-लिखे या अशिक्षित मजदूर से लेकर उच्च शिक्षित वर्ग तक के सभी लोगों द्वारा पढ़ा, देखा और सुना जाता है। संचार माध्यम के जरिए प्रेषक का संदेश प्राप्तकर्ता तक यथावत पहुँचने में ही जनसंचार प्रक्रिया की सफलता निहित है। हालाँकि यह एकतरफ संचार प्रक्रिया होती है. लेकिन तकनीकी सुविधाओं के कारण संदेश प्राप्त करने वालों में से सीमित संख्या में भागीदारी की विशेष व्यवस्था भी संभव हो पाती है। एक अन्य पक्ष यह भी है कि इसमें प्रतिपुष्टि की संभावना बहुत कम होती है और अगर हो भी तो अप्रत्यक्ष रूप से और अपेक्षाकृत देरी से होगी। लेकिन इतना तो अवश्य ही है कि जनसंचार माध्यमों का स्तर किसी भी देश-समाज की प्रगति और विकास का मानक बन गया है। हकीकत यह है कि किसी भी सभ्य समाज में जनसंचार के अभाव में प्रगति संभव नहीं। जनसंचार के क्षेत्र में तीव्र गति से हो विकास के चलते समूचा विश्व एक 'विश्व गाँव' का रूप धारण करता जा रहा है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि संचार के मुद्रित माध्यमों तक ही सीमित नजर आने वाली पत्रकारिता अपने स्वरूप में तभी व्यापक अर्थ-संदर्भ प्राप्त कर पाएगी यदि उसमें रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा आदि अन्य माध्यमों का भी भली प्रकार से समावेश हो जाए। तभी पत्रकारिता सही अर्थों में जनसंचार का पर्याय बन पाएगी।

- प्रो. हरीश कुमार सेठी
प्रोफेसर एवं निदेशक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

# पत्रकारिता में राजभाषा पत्र-पत्रिकाओं का योगदान

हिन्दी पत्रकारिता के दो सौ साल के इतिहास में राजभाषा हिन्दी का विकास बहुत पहले आरंभ हो गया था। इसमें भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, बालमुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, आचार्य शिवपूजन सहाय और मुंशी प्रेमचंद जैसे महान लेखकों का विशेष योगदान है। इनकी सृजनशीलता ने हिन्दी के राष्ट्रीय स्वरूप का विकास किया जो अंततः आजादी हासिल होते ही हिन्दी और उसकी देवनागरी लिपि को राजभाषा बनाने का आधार तैयार किया। भारत जैसे बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश में भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक पहचान और प्रशासनिक सुगमता का आधार भी है। हिन्दी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद यह अपेक्षा की गई कि वह शासन, प्रशासन और जनसंपर्क के सभी स्तरों पर प्रभावी रूप से स्थापित होगी। इस दिशा में राजभाषा पत्र-पत्रिकाओं ने एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य किया है। उन्होंने न केवल हिन्दी के प्रचार-प्रसार को गति दी बल्कि प्रशासनिक कार्यों में उसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता को भी प्रमाणित किया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसका उद्देश्य था कि देश के विभिन्न हिस्सों में प्रशासनिक कार्यों के लिए एक ऐसी भाषा का प्रयोग हो जो व्यापक रूप से समझी जा सके और जो भारतीय जनमानस के निकट हो। हालांकि अंग्रेज़ी का प्रभाव और क्षेत्रीय भाषाओं की विविधता के कारण हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्थापित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। ऐसे में राजभाषा पत्र-पत्रिकाओं ने इस चुनौती को अवसर में बदलने का कार्य किया। उन्होंने हिन्दी को केवल एक भाषा नहीं बल्कि एक कार्यशील, व्यवहारिक और आधुनिक माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया

स्वतंत्रता के बाद विभिन्न सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और संस्थानों ने राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारम्भ किया। इन पत्र-पत्रिकाओं का मुख्य उद्देश्य था –हिन्दी में प्रशासनिक कार्यों को बढ़ावा देना, कर्मचारियों को हिन्दी के प्रयोग के लिए प्रेरित करना और भाषा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना तथा राष्ट्रीय - अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी में ऐसा साहित्य सामने लाना ताकि हिन्दी सहजता से सबके लिए उपलब्ध हो सके। इस मामले में देश में राजभाषा विभाग, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, प्रकाशन विभाग, नेशनल बुक्स ट्रस्ट और विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के राजभाषा अनुभागों तथा विभिन्न प्रदेशों में संबंधित कार्यालयों और वैश्विक स्तर पर विश्व हिन्दी सचिवालय ने अग्रणी भूमिका निभाई है। हडको यानि हाऊसिंग डेवलपमेंट कार्पोरेशन का मुख्यालय और देश भर में फैले उसके क्षेत्रीय कार्यालय भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में भाषा, राजभाषा भारती, गगनांचल, आजकल, योजना, कुरुक्षेत्र, आविष्कार, विज्ञान प्रगति, बाल भारती, सुगन्धि, ध्वनि सृजन इत्यादि शामिल हैं। ये पत्र-पत्रिकाएँ केवल औपचारिक दस्तावेज़ नहीं हैं बल्कि इनमें साहित्य, तकनीकी लेख, अनुवाद, प्रशासनिक दिशा-निर्देश और कर्मचारियों की रचनात्मक अभिव्यक्तियाँ भी शामिल होती हैं। इससे हिन्दी को एक जीवंत और समृद्ध भाषा के रूप में स्थापित करने में सहायता मिली। सरकारी क्षेत्र की पत्रिका होने के बावजूद इन पत्रिकाओं को भी हिन्दी साहित्य के लब्धप्रतिष्ठित

विद्वानों ने संपादन और लेखन में अविस्मरणीय मार्गदर्शन दिया है। उदाहरण के लिए गगनांचल पत्रिका में भाई महावीर, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर, कन्हैयालाल नंदन, हरेन्द्र प्रताप और प्रेम जनमेजय जैसे विद्वानों ने संपादन नेतृत्व प्रदान किया। स्वयं पत्रिका का गगनांचल नामकरण तत्कालीन विदेश मंत्री और बाद में भारत के माननीय प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। अटल जी और बाद में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने हिन्दी का मान संयुक्त राष्ट्र में भी बढ़ाया। राजभाषा पत्र-पत्रिकाओं ने हिन्दी को सरकारी दफ्तरों से निकालकर जन-जन तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन पत्रिकाओं के माध्यम से कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

विभिन्न विभागों द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं में हिन्दी में लेखन को बढ़ावा दिया गया, जिससे कर्मचारियों की भाषा दक्षता में सुधार हुआ। साथ ही, हिन्दी के प्रयोग को एक सम्मानजनक और आवश्यक कौशल के रूप में स्थापित किया गया। इन पत्र-पत्रिकाओं ने हिन्दी के प्रति झिझक को दूर किया और उसे एक सरल, सहज और उपयोगी भाषा के रूप में प्रस्तुत किया।

राजभाषा पत्र-पत्रिकाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान प्रशासनिक हिन्दी के विकास में रहा है। प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को स्पष्ट, सटीक और औपचारिक होना चाहिए। इन पत्रिकाओं ने प्रशासनिक शब्दावली, अनुवाद तकनीक और भाषा-शैली को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने जटिल अंग्रेज़ी शब्दों के हिन्दी रूप प्रस्तुत किये और उनके प्रयोग को लोकप्रिय बनाया। परिणामस्वरूप हिन्दी में प्रशासनिक लेखन की एक सुदृढ़ परंपरा विकसित हुई, जो आज भी सरकारी कार्यों का आधार है।

राजभाषा पत्र-पत्रिकाएँ केवल सूचना का माध्यम नहीं बल्कि प्रशिक्षण का भी एक प्रभावी साधन रही हैं। इनमें प्रकाशित लेख, नियम और दिशा-निर्देश कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इन पत्रिकाओं के माध्यम से हिन्दी कार्यशालाओं, प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी भी दी जाती है, जिससे कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ती है।

इसके अतिरिक्त, इनमें प्रकाशित सफल अनुभव और प्रेरणादायक कहानियाँ कर्मचारियों को हिन्दी के प्रयोग के लिए प्रेरित करती हैं।

राजभाषा पत्र-पत्रिकाओं ने कर्मचारियों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति को भी प्रोत्साहित किया है। इनमें कविता, कहानी, निबंध और संस्मरण जैसी विधाओं को स्थान दिया जाता है। इससे कर्मचारियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है और हिन्दी साहित्य को भी समृद्धि प्राप्त होती है। यह पहल हिन्दी को केवल एक औपचारिक भाषा न बनाकर एक जीवंत और भावनात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाती है।

आधुनिक युग में तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाना एक बड़ी चुनौती रही है।

राजभाषा पत्र–पत्रिकाओं ने इस दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य किया है।

इन पत्रिकाओं में तकनीकी लेख, वैज्ञानिक शोध और नवीनतम विकास से संबंधित सामग्री हिन्दी में प्रस्तुत की जाती है। इससे हिन्दी में ज्ञान-विज्ञान की सामग्री का विस्तार हुआ है और इसे एक आधुनिक भाषा के रूप में स्थापित करने में सहायता मिली है।

डिजिटल युग में राजभाषा पत्र–पत्रिकाओं ने भी अपने स्वरूप में परिवर्तन किया है। अब कई पत्रिकाएँ ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिससे उनकी पहुँच और बढ़ गई है। ई-पत्रिकाएँ, ब्लॉग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हिन्दी का प्रचार-प्रसार और भी तेज़ी से हो रहा है। यूनिकोड तकनीक के कारण हिन्दी में लेखन और प्रकाशन पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। डिजिटल माध्यमों में भाषा की शुद्धता बनाए रखना एक चुनौती है, जिसे राजभाषा पत्र–पत्रिकाओं को गंभीरता से लेना होगा। विशेष रूप से उन्हें रोमन के प्रकोप से हिन्दी को बचाना होगा और देवनागरी लिपि के हर संभव प्रयोग को सुनिश्चित करना होगा।

राजभाषा पत्र–पत्रिकाओं के सामने कई चुनौतियाँ हैं, जैसे—पाठकों की घटती रुचि, अंग्रेज़ी का बढ़ता प्रभाव और डिजिटल माध्यमों की प्रतिस्पर्धा। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक है कि इन पत्र–पत्रिकाओं को अधिक आकर्षक, उपयोगी और समसामयिक बनाया जाए। इंटरैक्टिव सामग्री, नई तकनीकों का उपयोग, और युवा पाठकों को ध्यान में रखकर सामग्री तैयार करना इस दिशा में सहायक हो सकता है।

राजभाषा पत्र–पत्रिकाओं ने हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्थापित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने न केवल हिन्दी के प्रचार-प्रसार को गति दी बल्कि उसे प्रशासनिक, तकनीकी और साहित्यिक सभी क्षेत्रों में सशक्त बनाया है। आइये, हम सब राजभाषा का प्रयोग अधिक से अधिक करें और राजभाषा पत्रिकाओं के विकास में सहयोग करें।

लेखक भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार में वरिष्ठ कार्यक्रम निदेशक हैं।

**सुनील कुमार सिंह**
भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, विदेश मंत्रालय

# हिंदी पत्रकारिता के अग्रदूत भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

भारतेन्दु विराट व्यक्तित्व के धनी थे। उनके व्यक्तित्व में रसिकता, सहृदयता, चारित्रिक दृढ़ता, स्पष्टता, निर्भीकता, उदारता, दानवीरता, सार्वजनिक कार्यशीलता, नेतृत्व क्षमता आदि अनेक गुणों का अद्भुत सामंजस्य विद्यमान था। वे एक साथ पत्रकार, प्रकाशक, संपादक, अभिनेता, कवि, उपन्यासकार, निबंधकार, नाटककार, ओजस्वी वक्ता, सिद्धहस्त आलोचक, अनुवादक, टीकाकार एवं व्यंग्यकार आदि थे। उनके द्वारा रचित विपुल साहित्य में से जो कुछ अभी तक संकलित हो पाया है, वह भारतेंदु ग्रंथावली के तीन खंडों में उपलब्ध है। मदन गोपाल ने "भारतेन्दु हरिश्चन्द्र" शीर्षक अपनी पुस्तक के परिशिष्ट में छह पृष्ठों में उनकी रचनाओं का उल्लेख किया है, जिनमें 20 नाटक (कुछ अपूर्ण एवं अप्रकाशित), 8 आख्यायिका तथा उपन्यास (इनमें 2 संदिग्ध हैं तथा 3 अपूर्ण हैं), 28 काव्य, 7 स्तोत्र, 8 अनुवाद या टीका, 18 परिहास (गद्य-पद्य), 7 धर्म संबंधी इतिहास तथा चिह्नादि वर्णन, 9 महात्म्य (अधिकतर गद्य), 27 ऐतिहासिक लेख एवं जीवन चरित्र, 13 राजभक्ति सूचक, सैंकड़ों छोटे-बड़े लेख (यात्रा वर्णन, रस-व्याख्यान, ज्योतिष, स्त्री शिक्षा जगत व्यवहार आदि पर), 75 गद्य-पद्य रचनाएँ जो भारतेंदु जी ने संपादित, संग्रहित या प्रोत्साहन कर लिखवाई।

भारतेन्दु को मानो यह पता था कि उनके पास समय कम है तथा काम अधिक। संभवत: इसीलिए उन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक पल का सदुपयोग किया। मातृभाषा की सेवा के लिए उन्होंने 18 वर्ष की अल्पायु में "कविवचनसुधा" नामक मासिक पत्र 1868 में प्रकाशित करना प्रारंभ किया। पहले इसमें केवल पद्य रचनाएँ छपती थीं। धीरे-धीरे यह मासिक से पाक्षिक तथा पाक्षिक से साप्ताहिक हो गयी और इसमें गद्य रचनाएँ भी छपने लगीं। "कविवचनसुधा" का सिद्धांत वाक्य निम्नलिखित था –

*"खलगनन सों सज्जन दुखी मति होहिं हरिपद मति रहे*
*उपधर्म्म छुटै सत्य निज भारत गहै कर दुख हैं।*
*बुध तजहिं मत्सर नारि नर सम होहिं जग आनंद लहै।*
*तजि ग्राम-कविता सुकविजन की अमृत बानी सब कहै।।"*

भारतेन्दु के पूर्वजों की ख्याति तथा उनके अंग्रेज़ों के साथ अच्छे संबंधों के कारण प्रारंभ में भारतेन्दु पर अंग्रेज़ों की कृपा दृष्टि बनी रहती थी जब भारतेंदु ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे, तब सरकार "कविवचनसुधा" पत्रिका की 500 प्रतियाँ खरीदती थी। बाद में सरकार ने केवल 100 प्रतियाँ लेनी शुरू कर दीं। "मर्सिया" शीर्षक एक "पंच" के प्रकाशित होने पर यह पत्र सरकार का कोप भाजन बना और सरकार ने इसे खरीदना ही बंद कर दिया। भारतेन्दु को इससे काफी हानि हुई। सरकार के इस मनमाने निर्णय का विरोध करते हुए उन्होंने लिखा, "डिसलायलटी हम क्या करें गवर्नमेंट की पालिसी यही है। "कविवचनसुधा, नामक पत्र में गवर्नमेंट के विरुद्ध कौन बात थी? फिर क्यों हम उसके पकड़ने को भेजे गए? हम लाचार हैं। "

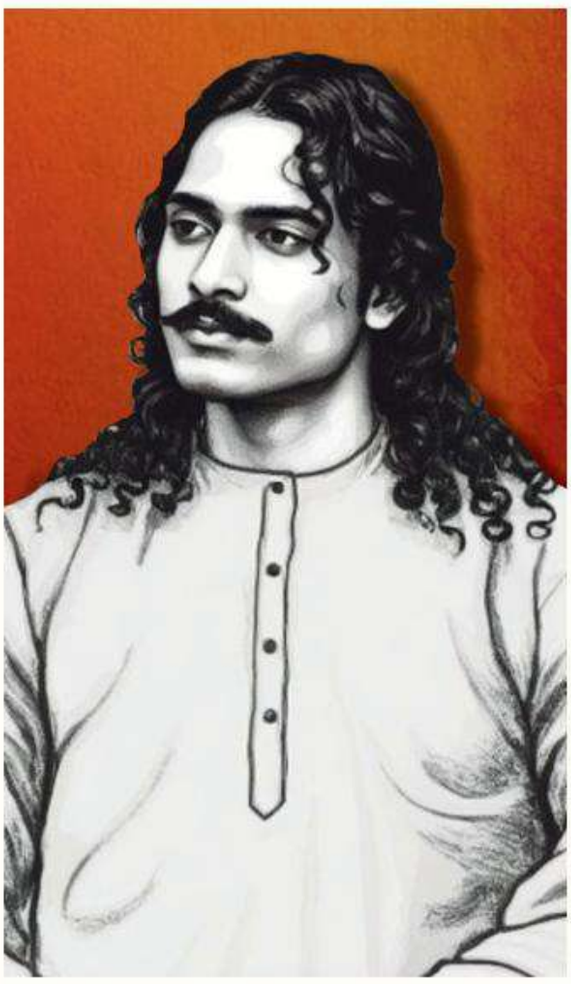

"कविवचनसुधा" का प्रकाशन भारतेन्दु समय पर नहीं कर पाते थे, इसलिए पंडित चिंतामणि धड़फल्ले के आग्रह पर भारतेन्दु ने यह पत्र उन्हें सौंप दिया। "कविवचनसुधा" से संतुष्ट न रहने पर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने 1873 के अक्तूबर महीने से "हरिश्चन्द्र मैगजीन" नामक मासिक पत्र निकाला। आठवीं संख्या के बाद से जून 1874 से यही पत्र "हरिश्चन्द्र चंद्रिका" के नाम से प्रकाशित होने लगा। 1880 ई. में भारतेंदु ने इसे पं. मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या को सौंप दिया, जिन्होंने इसे 1884 तक "हरिश्चंद्र चंद्रिका" और "मोहन- चंद्रिका" के नाम से प्रकाशित किया। 1884 में भारतेंदु ने उसे "नवोदिता हरिश्चंद्र चंद्रिका" के नाम से प्रकाशित किया किंतु दो महीने बाद ही भारतेंदु की मृत्यु के साथ ही इस पत्रिका का अस्तित्व भी लुप्त हो गया। सन् 1874 में भारतेंदु ने "बाल-बोधिनी" नामक स्त्रियोपयोगी मासिक पत्रिका प्रकाशित करनी शुरू की। चार वर्ष पश्चात् उसका प्रकाशन बंद हो गया। भारतेंदु ने इन पत्रिकाओं के अतिरिक्त "भगवद्भक्तितोषिणी" नामक पत्रिका भी कुछ मास तक निकाली। वे हास्य रस की "पंच" तथा उर्दू पत्रिका "कासिद" भी निकालना चाहते थे, किंतु ग्राहकों के न मिलने से वे ये दोनों पत्रिकाएँ नहीं निकाल सके।
कविवचनसुधा" में पुरानी तथा नई शैली की काव्य रचनाएँ और विचारोत्तेजक लेख प्रकाशित होते थे।

"कविवचनसुधा" वास्तव में एक पत्रिका मात्र नहीं है, अपितु भारतेंदु युग के एक दशक के भारतीय समाज का ऐतिहासिक दस्तावेज है, जिसमें उस समय के भारतीय समाज में व्याप्त आक्रोश, कुंठा, निराशा, कुरीतियों के साथ-साथ अंग्रेज़ी शासन द्वारा भारत में किए जा रहे अन्याय, भेदभाव, शोषण, अत्याचार का जीवंत तथा रोंगटे खड़े कर देने वाला चित्र खींचा गया है।

कविवचनसुधा" अपनी तरह की अलग ही पत्रिका थी। बालमुकुंद गुप्त के शब्दों में, "यद्यपि हिंदी भाषा के प्रेमी उस समय बहुत ही कम थे तो भी हरिश्चंद्र के ललित लेखों ने लोगों के जी में ऐसी जगह कर ली थी कि "कविवचनसुधा" के हर नंबर के लिए लोगों को टकटकी लगाए रहना पड़ता था।" इस पत्रिका में खड़ी बोली पद्य ( कविता ) के साथ गद्य के भी विकास पर ध्यान दिया गया। राजभक्ति के साथ-साथ देशभक्ति के पौधे भी अंकुरित, पल्लवित और पुष्पित होते गए। भारतेंदु पर राजभक्त, विलासप्रिय, फजूलखर्च जैसे आरोप लगाने वाले यदि उनकी पत्रिकाओं पर दृष्टिपात करें तो उन्हें भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के स्वाभिमानी, सजग, समाज सेवी, संवेदनशील, राष्ट्रप्रेमी, मातृभाषा प्रेमी विराट व्यक्तित्व का परिचय मिलेगा। यहाँ इसी उद्देश्य से संकेत रूप में उनकी पत्रिकाओं से कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। नवंबर 1870 में लार्ड मेयो के दरबार पर भारतेंदु ने अपना प्रसिद्ध व्यंग्य लेख "लेवी प्राणलेवी" लिखा। इस लेख से भारतेंदु ब्रिटिश अफसरों की नज़रों में खटकने लगे। उसी दौरान लिखे एक लेख - "भुतही इमली का कनकौआ" के कारण उनके गुरुतुल्य राजा शिवप्रसाद "सितार-ए-हिंद" से उनका मनमुटाव हो गया। यह मतभेद बढ़ता ही गया। चार साल बाद 1874 में "कविवचनसुधा" में एक मसिंया निकाला। इसने आग में घी का काम किया। अंग्रेज़ शासक क्रोध से आग बबूला हो उठे। "कविवचनसुधा" की सरकारी सहायता के रूप में जो 100 प्रतियाँ खरीदी जाती थीं, वे बंद कर दी जाएँगी, ऐसी धमकी भी भारतेंदु को दी गई।

भारतेंदु ने 20 अप्रैल 1874 की "कविवचनसुधा" के संपादकीय नोट में "शंका शोधन" शीर्षक से मसिंया के बारे में उठाए जा रहे प्रश्नों के उत्तर दिए- "मसिंया में हमारे अनेक ग्राहकों को शंका होगी कि वह राजा कौन था इससे अब हम उस राजा का अर्थ स्पष्ट करके सुनाते हैं वह राजा अंग्रेज़ी फैशन था जो इस अपूर्ण शिक्षित मंडली रूप अंधेर नगरी का राज करता था जब से बंबई और काशी इत्यादि कई स्थानों में अच्छे-अच्छे लोगों ने प्रतिज्ञा करके अंग्रेज़ी पहिरना छोड़ देने की सौगंद खाई तब से मानों वह मर गया।" इससे भी सरकार की नाराज़गी कम न हुई।

"कविवचनसुधा" को मिलने वाली सरकारी सहायता बंद कर दी गई। भारतेंदु ने इस पर 8 जून 1874 के "कविवचनसुधा" के अंक में "अप्रसन्नता" शीर्षक लेख में लिखा- "आजकल हमारे पत्र के अष्टम मंगल आये हैं बहुत से लोग हम लोगों से अप्रसन्न हो रहे हैं, श्रीयुत डायरेक्टर साहब ने पत्र के संपादक को लिख भेजा है कि "मसिंया" ऐसे बुरे आर्टिकल लिखने से तुम्हारे पत्र का गवर्नमेंट एड बन्द किया गया। "भारतेन्दु हरिश्चन्द्र निराश न हुए। उन्होंने सीधे अपने पाठकों से प्रार्थना की- "मेरे ग्राहकों अब तुम हमसे न रुष्ट हो क्योंकि अब हमें तुम्हारे बिना किसी का अवलंब नहीं।"

भारतेंदु सच्चे अर्थों में पत्रकार थे। उन्होंने पत्रकारों के

सम्मुख एक उच्च आदर्श प्रस्तुत किया। सत्य के पथ पर चलकर उन्होंने सरकारी कोप की भी परवाह नहीं की। 31 अगस्त, 1874 की "कविवचनसुधा" में "सच मत बोलो" नामक व्यंग्य में भारतेंदु सत्य के लिए लड़ने वाले पत्रकारों को चेतावनी देते हुए लिखते हैं- "देखो सच बोलने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी । अखबार वाले इतना भूँकते हैं कोई नहीं सुनता अंधेर नगरी है व्यर्थ न्याय और आज़ादी देने का दावा है सब स्वार्थ साधते ही कहोगे गवर्नमेंट के लोग तुमसे भला न मानेंगे सारांश यह कि सच्ची बात जिनसे कहोगे वे तुम्हें शत्रु जानेंगे।"

"कविवचनसुधा" के माध्यम से जहाँ एक ओर भारतेंदु ब्रिटिश सरकार की खबर लेते थे, वहीं जनहित के कामों के लिए जनता को प्रेरित भी करते थे। 1872 की वर्षा ऋतु में खानदेश में खूब वर्षा हुई, जिससे बाढ़ आ गई। भारतेंदु ने "कविवचनसुधा" में एक लेख लिखकर द्रव्य के लिए अपील की। विज्ञापन में यह भी लिखा कि जो पाठक द्रव्य भेजें वे "कविवचनसुधा" के संपादक को या "इंदुप्रकाश" बंबई के संपादक या दक्षिण भारत में किसी मित्र को ।" एक सप्ताह बाद 16 अक्तूबर, 1872 के अंक गुजरात के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए अपील छापी तथा चंदा देने वालों की सूची भी छापी, जिसमें 20 रुपए विक्टोरिया स्कूल, झाँसी के अध्यापकों ने भी भेजे थे। 1 नवंबर 1872 के अंक में पूना में 171। रुपए इकट्ठे किए जाने का समाचार छापा। अंग्रेज़ों की वास्तविकता को सबसे पहले पहचाना सजग-सुधि संपादक- पत्रकार भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने। 30 नवंबर, 1872 की "कविवचनसुधा" में एक अंग्रेज़ स्तोत्र छपा है, जिस पर यह टिप्पणी है, "जो लोग हाकिमों की बहुत खुशामद करते हैं, उनको यह स्तोत्र कंठ करना चाहिए।" इस स्तोत्र में अंग्रेज़ों की व्याजस्तुति की। भारतेन्दु हरिश्चन्द्री शैली देखिए "चुंगी और पुलिस तुम्हारी दोनों भुजा हैं, अमले तुम्हारे नख हैं, अंधेर तुम्हारा पृष्ठ है और आमदनी तुम्हारा हृदय है; अतएव हे अँगरेज हम तुमको प्रणाम करते हैं।3।। खजाना तुम्हारा पेट है, लालच तुम्हारी क्षुधा है, सैना तुम्हारा चरण है, खेताब तुम्हारा प्रसाद है अतएव हे विराट रूप अँगरेज। हम तुमको प्रणाम करते हैं "अंग्रेज़ों और अंग्रेज़ी राज पर इससे करारी चोट और भला क्या हो सकती थी ?

22 दिसंबर, 1872 की "कविवचनसुधा" में भारतेंदु ने साफ़-साफ़ शब्दों में भारतवासियों को बताया कि किस प्रकार अंग्रेज़ हमारा धन लूट रहे हैं। वे लिखते हैं- "चाहे कैसे भी द्रव्य एकत्र किया हो अन्त में सब जायेगा विलायत में क्योंकि हमारी शोभा की सब वस्तुएँ वहाँ से आयेंगी कपड़ा, झाड़ फानूस, खिलौने, काग़ज़ और पुस्तक इत्यादि सब वस्तु विलायत से आवेंगी उसके बदले यहाँ से द्रव्य जायेगा।"

अंग्रेजी शिक्षा की वास्तविकता की पोल खोलते हुए 30 दिसंबर, 1872 की "कविवचनसुधा" में भारतेंदु ने लिखा- "अँगरेज लोग केवल हम लोगों को उसी शिक्षा का उपदेश करते हैं जिसमें किसी प्रकार की शिल्पादिक कोई कला न हो। "24 जून, 1873 के अंक में काशी के कुप्रबंध की आलोचना छपी है।

1 सितंबर, 1873 से "कविवचनसुधा" साप्ताहिक हो गया था। अब भारतेंदु के लिए समसामयिक एवं जागृतिमूलक विषयों पर लिखने के लिए और भी अवसर था। "कविवचनसुधा" के 3 नवंबर 1873 के अंक में प्रकाशित "स्त्री शिक्षा" शीर्षक लेख में भारतेंदु कहते हैं। "यह बात तो सिद्ध है कि पश्चिमोत्तर देश की कदापि उन्नति नहीं होगी जब तक कि यहाँ की स्त्रियों की भी शिक्षा न होगी; क्योंकि यदि पुरुष विद्वान्औ र पण्डित होवेंगे और उनकी स्त्रियाँ मूर्खा होंगी तो उनमें आपस में कभी स्नेह न होगा और नित्य कलह होगी।" स्वभाषा के महत्त्व को भारतेंदु से अधिक हिंदी के किसी पत्रकार साहित्यकार ने नहीं समझा।
23 अगस्त, 1873 की "कविवचनसुधा" में भारतेंदु ने हिंदी की उन्नति" नामक निबंध में उन लोगों पर करारा व्यंग्य किया है, जिनका मानना था कि हिंदी में वैज्ञानिक पुस्तकें लिखना कठिन है। "बहुत से लोग बिना समझे बूझे दाढ़ी हिला हिलाकर कहा करते थे कि हिंदी में वैज्ञानिक ग्रंथ नहीं लिखे जा सकते और भाषा में इतने शब्द नहीं कि वैज्ञानिक भावना प्रकाश की जाये पर हम लोग यह जल्पने वाले लोगों को सचेत करते हैं कि वे इस निद्रा से जागें और टुक आँख खोलकर देखें कि अब हिंदी भाषा की उन्नति चाहने वाले लोग जो कहते थे सो कर दिखाते हैं। .....काशिस्थ राजकीय पाठशाला के गणित विद्या के मुख्य अध्यापक पंडित लक्ष्मीशंकर मिश्र एम. ए. ने सरल त्रिकोणमिति हिंदी भाषा में प्रस्तुत कर ली।"

29 सितंबर, 1873 की "कविवचनसुधा" में इस विषय की चर्चा करते हुए उन्होंने फिर लिखा था- "बहुत से लोग गाल बजाकर कहते हैं कि हिंदी हो जाने से विज्ञान के पढ़ने-पढ़ाने में विघ्न हो जायेगा क्योंकि हिंदी भाषा में इतने थोड़े शब्द हैं कि वैज्ञानी भावना

उसके द्वारा प्रकाश नहीं हो सकती है पर हम उसका यही उत्तर देते हैं कि कोई बात बिना युक्ति के प्रामाणिक नहीं हो सकती है हिंदी के शत्रु बरबस यह भी कह सकते हैं कि इस संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जिन्ह के चार सींग होते हैं पर इसको कोई बुद्धिमान न मानेगा क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है पर उनके इस कहने पर भी हिंदी में वैज्ञानिक शिक्षा नहीं हो सकती है कोई नहीं मानेगा जब तक कि अपने साध्य के लिए प्रबल प्रमाण" न देंगे यों तो अपनी कलम है और अपना कागज़।" विस्मय की बात यह है कि विगत डेढ़ सौ वर्षों में हिंदी की अत्यधिक प्रगति होने तथा सभी वैज्ञानिक- तकनीकी विषयों की शब्दावली एवं पाठ्य पुस्तकें तैयार होने के बावजूद आज भी अंग्रेज़ी भक्त इन्हीं पुरातन, थोथे तथा लचार तर्कों की सहायता से हिंदी माध्यम से शिक्षण के मार्ग में बाधाएँ खड़ी करते रहते हैं। वस्तुतः भारतेंदु वैज्ञानिक शिक्षा को मुट्ठीभर अंग्रेज़ी भक्तों की दासी नहीं बनने देना चाहते थे। "हिंदी की उन्नति" शीर्षक लेख में ही उन्होंने लिखा- हिंदी की शक्ति और महत्ता को समझने वाले भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के हिंदी विषयक योगदान पर डॉ.रामविलास शर्मा की सटीक टिप्पणी देखिए – " भारतेंदु का युगांतकारी महत्त्व इस बात में है कि उन्होंने हिंदी भाषा की सरसता पहचानी, अपने गद्य में उन्होंने अमल से दिखा दिया कि यह भाषा कितनी मीठी है, उनके हाथ में गद्य एक कला बन गया, वह सभी तरह के भावों और विचारों के लिए गद्य को भारतेंदु के समय पूरा भारत विशेषकर बंगाल अकाल की चपेट में था। बंगाल के अकाल को सरकार की अनीति का परिणाम बताते हुए भारतेंदु ने 16 फरवरी, 1874 की "कविवचनसुधा" में लिखा "बंगाल का दुर्भिक्ष क्या है केवल अनीति के बीज का फल है क्या कारण है कि दिन दिन महँगी बढ़ती जाती है जो अन्न गतवर्ष में 12 सेर का बिकता था सो इस वर्ष में 8 सेर बिकने लगा विचार करो कि बीस वर्ष पूर्व अन्न 40 सेर का बिकता था अब उसका पंचमांश क्यों हो गया ?"

भारत में रेलगाड़ी, तार, औद्योगीकरण से किसका लाभ हुआ, यह स्पष्ट करते हुए भारतेंदु 9 मार्च, 1874 की 'कविवचनसुधा" में "हिन्दुस्तान के द्ररिद्र होने के कारण" लेख में लिखते हैं- "सरकारी पक्ष का कहना है कि हिन्दुस्तान में पहले सब लोग लड़ते भिड़ते थे और आपस में गमनागमन न हो सकता था, यह सब सरकार की कृपा से हुआ। हिन्दुस्तानियों का कहना है कि उद्योग और व्यापार बाकी न रहा। रेल आदि से भी द्रव्य के बढ़ने की आशा नहीं है। कुल मिलाकर 26 करोड़ रुपया बाहर जाता है। कपड़ा बनाने वाले सूत निकालने वाले खेती करने वाले आदि सब भीख माँगते हैं।"

*"विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार।*
*सब देसन से लै करहु, भाषा माहि प्रचार।।"*

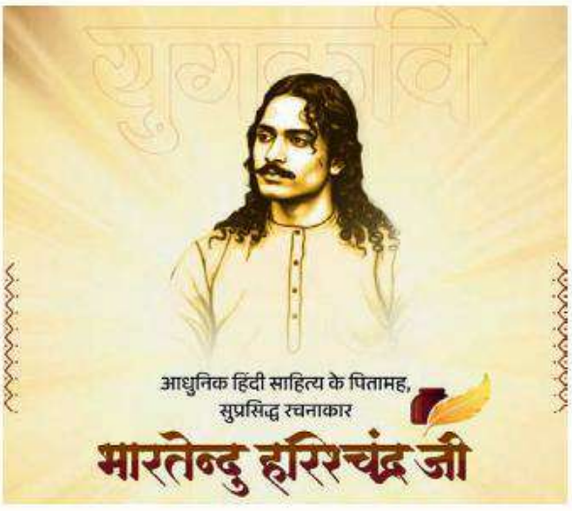


18 मई, 1874 की 'कविवचनसुधा" में अकाल के लिए सीधे अंग्रेज़ों को दोषी ठहराते हुए भारतेंदु लिखते हैं "अब तो प्रतिवर्ष में कहीं न कहीं दुष्काल पड़ा ही रहता है मुख्य करके अँगरेजी राज में इसका घर है। ....जब अँगरेज विलायत से आते हैं प्राय: कैसे दरिद्र होते हैं और जब हिन्दुस्तान से अपने विलायत को जाते हैं तब कुबेर बनकर जाते हैं इससे सिद्ध हुआ कि रोग और दुष्काल इन दोनों के मुख्य कारण अँगरेज ही हैं।" भारतेंदु ने केवल अंग्रेज़ी राज की आलोचना ही नहीं की, अपितु उसके शोषण का अंत करने के लिए स्वदेशी का मंत्र भी दिया। अपने लेखों में लगातार भारतेंदु ने व्यापारियों, शिक्षित लोगों और जनसाधारण (हिंदू- मुसलमान) सभी से स्वदेशी अपनाने का अनुरोध किया । 23 मार्च, 1874 की "कविवचनसुधा" में तो उन्होंने स्वदेशी के व्यवहार के लिए एक प्रतिज्ञा - पत्र भी प्रकाशित किया और पर लोगों से हस्ताक्षर करवाए। उस प्रतिज्ञा - पत्र का अंश इस प्रकार है - "हम लोग सर्वान्तर्यामी सब स्थल में वर्तमान सर्वद्रष्टा और नित्य सत्य परमेश्वर को साक्षी देकर यह नियम मानते हैं और लिखते हैं कि हम लोग आज के दिन से कोई विलायती कपड़ा न पहिनेंगे हिन्दुस्तान ही का बना कपड़ा पहिरेंगे। " गाँधी जी का स्वदेशी आंदोलन भारतेंदु के इसी आह्वान की नींव पर खड़ा आलीशान महल है।

स्वदेशी आंदोलन से लंदन के मैनचेस्टर में खलबली मचने का जिक्र करते हुए भारतेंदु ने 8 जून, 1874 की "कविवचनसुधा" में देशवासियों को ललकारा "भाइयो। अब तो सन्नद्ध हो जाओ और तालठोंक के इनके सामने खड़े तो हो जाओ देखो भारतवर्ष का धन जिस्मे जाने न पावे वह उपाय करो।" भारतेंदु समझ गए थे कि अंग्रेज़ उद्योगीकरण के कारण ही भारत को लूट रहे हैं। इसीलिए उन्होंने स्वदेशी को केवल विदेशी वस्त्रों या वस्तुओं के बहिष्कार तक ही सीमित नहीं किया, अपितु अपने ही देश में नए वैज्ञानिक यंत्रों, मशीनों आदि की सहायता से औद्योगिक उन्नति करने की सलाह भी दी। वे इस बात से बिलकुल भी भयभीत न थे कि भारत में मशीनों के आने से भारतीय संस्कृति पर कोई संकट आ जाएगा। उन्होंने 9 मार्च, 1874 की "कविवचनसुधा" में विलायत की मशीनों के बारे में लिखा – "वहाँ एक लक्ष बाइलर, भाफ के यन्त्र हैं और एक-एक की शक्ति 40 घोड़ों की है एक घोड़े की शक्ति आठ मनुष्यों के बराबर है तो इस हिसाब से चालीस लाख घोड़े अर्थात् तीन करोड़ बीस लाख मनुष्यों का काम इन यन्त्रों के द्वारा होता है मनुष्य तो काम करते करते थक जाते हैं पर ये यन्त्र कभी नहीं थकते और मनुष्यों के समान चार आना आठ आना रोज नहीं देना पड़ता केवल इनमें अग्नि प्रदीप्त करने से चलने लगते हैं ....इस वृत्तान्त से स्पष्ट हुआ कि परदेश के कला - कौशल्य ने इस देश पर चढ़ाई किया ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था।" इस नवीन आक्रमण का मुकाबला करने के लिए उन्होंने भारत के धनी लोगों को बाहर से भाप के यंत्र मँगाने तथा आत्मनिर्भर होने की सलाह दी - "इसलिए अब जो जो विद्वान् और विचारी मनुष्य हों उनको उचित है कि अपने द्रव्य के वृद्धि के निमित्त जितने भाफ के यन्त्र मँगा सके मँगावें और यहाँ भी धातु आदि खान कई है उनका शोध करें।" "कविवचनसुधा" से उद्धृत भारतेंदु के उपर्युक्त विचारों के आधार पर यह नितांत स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने 'कविवचनसुधा" पत्रिका के माध्यम से भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफल हो जाने के पश्चात् भारत की जनता को जगाने, उसे स्वदेशी अपनाने, आत्मनिर्भर होने तथा अंग्रेज़ों की कपटपूर्ण नीतियों तथा शोषण एवं दमनकारी चालों से सावधान रहने की चेतावनी दी। डॉ. रामविलास शर्मा ने भारतीय नवजागरण में "कविवचनसुधा" की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए स्पष्ट शब्दों में लिखा – "कविवचनसुधा" जनता के हितों के लिए लड़ने वाले निर्भय सैनिक की तरह थी। उसने अंग्रेज़ी राज्य में जनता के शोषण की सच्ची तस्वीर खींची। उसने अंग्रेज़ों के न्याय, जनतंत्र और उनकी सभ्यता का पर्दाफाश किया। उसने देश के उद्योगीकरण और शिल्प की शिक्षा के लिए संघर्ष किया। अपने प्रान्त में हिन्दी के चलन के लिए और राजकाज में उसके व्यवहार के लिए उसने शक्तिशाली

आन्दोलन किया। देश-विदेश के जीवन से उसने हिन्दी भाषियों को परिचित कराया। 'कविवचनसुधा" में साहित्यिक, ऐतिहासिक, भाषा संबंधी, यात्रा संबंधी, हास्य और व्यंग्य से सरस-सभी तरह के लेख छपे। 'कविवचनसुधा" की फाइलें भारतेंदु युग का दर्पण हैं, वे एक युग का सजीव नाम अमर कर लिया।

'कविवचनसुधा" का प्रकाशन आरंभ करके भारतेंदु ने वास्तव में एक नये युग का सूत्रपात किया। पत्र-पत्रिकाओं ने हमारे जातीय जीवन को पहले कभी इतना प्रभावित न किया था और कोई भी पत्रिका हिंदी के चोटी के लेखकों को प्रभावित करने का ऐसा निरपवाद श्रेय नहीं ले सकती जैसे "कविवचनसुधा"। यह पत्रिका जनता का पक्ष लेने वाली, जनता के हितों के लिए संघर्ष करने वाली, राजनीति के पीछे चलने वाली इकाई नहीं; वरन् उसे मशाल दिखाने वाली सच्चाई थी । भारतेंदु ने "कविवचनसुधा" के द्वारा हिंदी में निर्भीक देशभक्त पत्रकार कला का आदर्श लोगों के सामने रखा। उनसे पहले लोगों ने पत्र निकाले थे लेकिन उनमें से कोई भी इस लगन से एक निश्चित उद्देश्य के लिए जमकर न लड़ा था। भारतेंदु ने सत्य और न्याय का पक्ष लिया। चाटुकारों, राजभक्तों और रूढ़िवादियों की उन्होंने ज़रा भी पर्वाह न की। 'कविवचनसुधा" और "हरिश्चंद्र मैगजीन" हिंदी जनता का सशक्त स्वर बन गईं। सरकार का उन्हें कोपभाजन बनना पड़ा लेकिन देशसेवा का बीड़ा उठाकर उन्होंने इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के भीतर बैठा साहित्यकार, संपादक एवं पत्रकार कम-से-कम समय में अधिक-से-अधिक लोगों तक अपनी बात पहुँचाना चाहता था। शायद इसीलिए "कविवचनसुधा" को मासिक से पाक्षिक तथा पाक्षिक से साप्ताहिक करने के पश्चात् भारतेंदु ने 1873 में "हरिश्चंद्र मैगजीन" का प्रकाशन प्रारंभ किया ।

डॉ. रवि शर्मा
प्रोफेसर (हिंदी), दिल्ली विश्वविद्यालय

# हिन्दी में विज्ञान लेखन

विज्ञान संचार को बढ़ावा देने में हिन्दी भाषा ने भाषाई भूमिका से परे अपनी महत्ता को दर्शाया है। यह सिर्फ भाषा ही नहीं एकता का भी प्रतीक है। हिन्दी के आगमन से देश कहीं न कहीं एक सूत्र में बंधा है। इसके महत्त्व को नकारा नहीं जा सकता है। आजादी से पहले भी हिन्दी ने लोगों को भाषाई स्तर पर जोड़ने का कार्य किया है। जब देश में अंग्रेजी ने अपने पांव नहीं पसारे थे, तभी से हिन्दी विज्ञान लेखन फल-फूल रहा था। राजा शिव प्रसाद सितारेहिंद ने हिन्दी को व्यापकता प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका उस समय निभाई। उन्होंने अध्यापन के उद्देश्य से कक्षा 1-7 तक की पुस्तकें हिन्दी में तैयार कीं। लेकिन लेखकों में उत्साह की कमी के कारण उनका यह प्रयास बहुत आगे नहीं बढ़ सका। विज्ञान की सामाजिक भूमिका एवं इसके महत्त्व को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन लेफ्टीनेंट गवर्नर टॉमसन ने एक विज्ञप्ति निकाली और लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पुरस्कारों की घोषणा की। अंग्रेजी, संस्कृत और अन्य भाषाओं में मौजूद विज्ञान की पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद हो। इसको ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना तैयार की गई।

पुरस्कार की घोषणा का काफी असर हुआ। कई लेखक सामने आए और हिन्दी में बड़ी संख्या में विज्ञान पुस्तकें लिखीं गईं, लेकिन अनुवाद उतना अच्छा न हो पाने कारण भाषा किताबी हो गई। पुस्तकों में रोचकता का अभाव साफ नजर आ रहा था। फिर भी इस प्रकार जो भी विज्ञान साहित्य तैयार हुआ उसे व्यापकता प्रदान की गई। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश सहित देश के अन्य हिस्सों में खड़ी बोली में तैयार विज्ञान साहित्य स्कूलों तक पहुंचा। धीरे-धीरे लोगों में विज्ञान की लोकप्रियता बढ़ी।

उस समय देश में आजादी की अलख तेजी से बढ़ रही थी। लोगों में स्वतंत्रता प्राप्त करने की ललक को जागृत करने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में ऐसा साहित्य रचा जा रहा था जो देशप्रेम की भावना से ओत-प्रोत था। अशिक्षा और सीमित संसाधनों के कारण लोगों तक सही जानकारी नहीं पहुंच पाती थी। जनता तक अपनी बात को पहुंचाने के उद्देश्य से पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन बड़ी तेजी से किया जा रहा था। इसी समय विज्ञान साहित्य भी लोगों के बीच पत्रिकाओं और पुस्तकों के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। इसके पीछे की मंशा यह थी कि समाज में व्याप्त रूढ़ियां, अंधविश्वास और अवैज्ञानिक नजरिया खत्म हो। यथार्थ और तर्क के आधार पर अवलोकन करने की प्रवृत्ति उनके अंदर पैदा हो। यह भी उद्देश्य भी आजादी प्राप्त करने के साथ पूरा करने की कोशिश लेखकों द्वारा की जा रही थी। इसका प्रमाण हमें इस दौरान लिखी गईं पुस्तकों- 'विज्ञान के चमत्कार' व 'जीवन की कहानी' को पढ़ने पर मिलता है। रसायन, भौतिकी, ज्योतिष और गणित विषयों पर भी इस दौरान पुस्तकें लिखीं गईं जोकि विषयगत जानकारी को बढ़ाने वाली थीं। इस समय लिखा गया अधिकतर विज्ञान साहित्य लोगों की दैनिक आवश्यकताओं और उससे जुड़ी वैज्ञानिक जानकारियों पर अधिक आधारित था जैसे- वैज्ञानिक कृषि, मौसम से संबंधित जानकारी, पशु और उनकी नस्लें, फसलें, फलों की जानकारी एवं उनसे संबंधित खेती, वर्षा और वनस्पति, शरीर एवं उससे संबंधित जानकारी, शारीरिक क्रियाएं व प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित जानकारी इत्यादि। आजादी से पहले देश में हिन्दी भाषा में विज्ञान पर कुल कितनी पुस्तकें छपी इसकी ठीक-ठीक जानकारी मौजूद नहीं है। फिर भी कुछ विशेषज्ञों ने अपने अध्ययनों और स्रोतों के आधार पर जानकारी जुटाई है। जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि लगभग 700 वैज्ञानिक पुस्तकों का प्रकाशन इस दौरान हुआ।

इस तरह की जानकारियों से परिपूर्ण विज्ञान साहित्य का निर्माण आजादी से पहले हिन्दी एवं अन्य भाषाओं में किया जा रहा था। जो स्थिति हिन्दी की थी कमोबेश वैसी ही स्थिति अन्य भारतीय भाषाओं की थी। मराठी, बंग्ला, तमिल, तेलगू, कन्नड़ व मलयालम में जो भी विज्ञान साहित्य लिखा जा रहा था वह भी लेखकों की कमी की वजह से उतनी तेजी से फल-फूल नहीं पा रहा था, जितनी कि उम्मीद की जा रही थी।

**तमिल विज्ञान साहित्य–** दक्षिण में वैसे तो अनेक बोली और भाषाएं हैं। इसमें मलयालम, कन्नड़, तेलगू और तमिल भाषाएं मुख्य हैं, लेकिन सशक्त रूप से जिस भाषा में लोकप्रिय विज्ञान लेखन को लेकर काम किया गया हो, वह भाषा तमिल है।। 'तमिल में

वर्ष 1880 से भी पहले 21 पुस्तकें विज्ञान में छप चुकी थीं। 1900 तक तो इनकी संख्या 477 हो गई थी। लेकिन सही रूप में सिर्फ 40 पुस्तकें प्राप्त हो सकीं थीं, शेष नष्ट हो गईं थीं।' 1917 में 'तमिलार नेसन' नामक पत्रिका की शुरूआत विज्ञान लेखक अघुसामी ने की थी। हिन्दी की प्रथम विज्ञान पत्रिका 'विज्ञान' के दो वर्षों बाद ही यह पत्रिका तमिल भाषा में प्रकाशित होने लगी थी। इस पत्रिका ने 1500 लेखों का 1917-1932 के दौरान किया। साथ ही लेखक ने 16 पुस्तकें भी इसी समय में लिखीं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान पत्रिका 'थोजिर कल्वी' का प्रकाशन भी वर्ष 1926 से शुरू हुआ।

मद्रास स्कूल बुक सोसायटी ने भी लोकप्रिय विज्ञान को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 1870 में 'भाप इंजन' पर पुस्तक का प्रकाशन किया। वहीं 1876 में 'सेब नीचे क्यों गिरा', ' सागर क्यों खारी है' का प्रकाशन वर्ष 1877 में किया। बच्चों के लिए भी पुस्तकें इसी दौरान क्रिश्चियन लिटरेचर सोसायटी ने लिखीं। लेकिन वर्ष 1888 के बाद विज्ञान लेखन ने गति पकड़ी। तमिल भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर भी जोर दिया जाने लगा। तमिल भाषा में स्कूल में विज्ञान पुस्तकें उपलब्ध हों इसकी बीड़ा अन्नामलाई विश्वविद्यालय ने उठाया। 'सेन' तमिल पत्रिका ने भी लोकप्रिय विज्ञान लेखन महत्त्वपूर्ण भमिका निभाई है। वर्ष 1917 से इसका प्रकाशन शुरू हुआ। लेखक एम सिंगर वेलर ने भी 1932-33 में लोकप्रिय विज्ञान लेख लिखे।

**मराठी विज्ञान साहित्य–** यह बात अंग्रेजी हुकूमत को जल्दी ही समझ में आ गई थी कि लोगों की बोली-भाषा में जब तक ज्ञान का प्रचार-प्रसार नहीं किया जाएगा तब तक उन्हें अपनी बात को समझा पाना और उन्हें शिक्षित कर पाना मुश्किल है। यही वजह थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1818 में महाराष्ट्र पर अपना अधिकार जमाया तो मराठी भाषा को ज्ञान प्रदान करने का माध्यम बनाया। इसके लिए उन्होंने 'बॉम्बे नेटिव एजुकेशन सोसायटी' का निर्माण किया। जिसका काम था कि वह मराठी भाषा में शिक्षा की पुस्तकें उपलब्ध कराए। अनुवाद एवं लेखन के माध्यम से अनेक विज्ञान पुस्तकों का प्रकाशन इस दौरान किया गया। 1916-1928 के बीच 'मराठी विश्वकोश' भी तैयार हुआ जोकि अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी। दिग्दर्शन, ज्ञान प्रसारक, ज्ञान चंद्रिका मराठी भाषा की ऐसी पत्रिकाएं थीं, जिनमें विज्ञान से संबंधित जानकारी प्रकाशित की जाती थी। लेकिन विशुद्ध मराठी विज्ञान पत्रिका 'सृष्टिज्ञान' का प्रकाशन वर्ष 1928 में पुणे से शुरू हुआ। मराठी में विज्ञान लेख व जानकारियां तो अनेक पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती थीं, लेकिन मराठी भाषा में पहली विज्ञान कथा 'केरल कोकिल' के जून वर्ष 1900 के अंक में प्रकाशित हुई। इसके अलावा बी. आर. भागवत ने मराठी में अनेक मौलिक विज्ञान कथाएं वर्ष 1939-1946 के दौरान लिखीं। इसके बाद अनेक लेखक आए जिन्होंने मराठी में विज्ञान लोकप्रियकरण को आगे बढ़ाया।

**उड़िया विज्ञान साहित्य–** बंग्ला विज्ञान साहित्य- अंग्रेजों ने देश में अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित करने की मंशा से अपनी रणनीति तैयार की। इसके साथ ही शिक्षा के व्यापक प्रचार-प्रसार में भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। स्कूली शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उस समय अंग्रेजों ने पुस्तकें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1817 में स्कूल बुक सोसायटी की स्थापना की। इस दौरान विज्ञान की कई किताबें प्रकाशित की गईं। स्कूली बच्चों को विज्ञान की शिक्षा मिल सके इसके लिए राजा राममोहन राय ने गवर्नर जनरल लार्ड एम्हर्स्ट को इसके लिए पत्र भी लिखा। जिसको ध्यान में रखते हुए विज्ञान की अनेक पुस्तकें बंग्ला भाषा में छापी गईं। भौतिकी, रसायन, वनस्पति, जीव विज्ञान सहित अनेक विषयों पर पुस्तकें कोलकता बुक सोसायटी की ओर से पुस्तकों का प्रकाशन हुआ।

बंग्ला भाषा में सबसे पहली पत्रिका वर्ष 1818 में 'दिग्दर्शन' प्रकाशित हुई। इसके बाद वर्ष 1872 में 'बंग दर्शन' पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ जिसके संपादक बंकिम चंद्र चटर्जी थे जोकि स्वयं एक विज्ञान लेखक थे। उन्होंने पत्रिका में अनेक विज्ञान विषयों पर स्वयं लिखा। विज्ञान विषय को लेकर लेखकों में रुचि का अभाव होने के कारण विज्ञान लोकप्रियकरण उतनी तेजी से नहीं हो सका जितना कि होना चाहिए। यही स्थिति पहले भी थी, कमोबेश आज भी लगभग वैसे ही हालात बने हुए हैं।

**डॉ. अंकिता मिश्रा**
राजभाषा अधिकारी (प्रभारी) एनआरडीसी, नई दिल्ली

# हिन्दी पत्रकारिता से देवनागरी लिपि का विकास

***देवनागरी लिपि का विकास केवल उसके दृश्य रूप तक सीमित नहीं था, बल्कि भाषा-शैली और वर्तनी के स्तर पर भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। हिन्दी पत्रकारिता ने एक ऐसी भाषा को विकसित किया जो सरल, स्पष्ट और जनसामान्य के लिए सुलभ थी। समाचार-पत्रों ने वर्तनी के नियमों को स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाई। विभिन्न शब्दों की लिखावट, विराम-चिन्हों का प्रयोग और वाक्य संरचना को लेकर जो मानक बने, वे आज भी हिन्दी लेखन के आधार हैं। पत्रकारिता के माध्यम से यह मानकीकरण व्यापक स्तर पर लागू हुआ, जिससे देवनागरी लिपि में एकरूपता आई।***

हिन्दी पत्रकारिता से देवनागरी लिपि का किस तरह से विकास हुआ है, इसे जानने के लिए आप उदन्त मार्तण्ड समाचार पत्र से लेकर सरस्वती पत्रिका तक का अध्ययन कर सकते हैं। हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास भारतीय समाज, संस्कृति, भाषा और लिपि के समग्र विकास की कहानी है। विशेष रूप से देवनागरी लिपि के विकास, विस्तार और मानकीकरण में हिन्दी पत्रकारिता ने जो भूमिका निभाई है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दृष्टि से मूल्यवान है। आज जब हम हिन्दी पत्रकारिता के दो सौ वर्षों की यात्रा को देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि देवनागरी लिपि की मजबूती और व्यापक स्वीकृति के पीछे पत्रकारिता की सतत, सजग और सृजनात्मक भूमिका रही है।

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारत में भाषाई परिदृश्य अत्यंत जटिल था। प्रशासनिक कार्यों में फ़ारसी और बाद में उर्दू का वर्चस्व था जबकि अंग्रेज़ी का प्रभाव भी धीरे-धीरे बढ़ रहा था। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी भाषा तब तक जन-जीवन के व्यापक हिस्से तक नहीं पहुँच पाई थी। इसी समय हिन्दी पत्रकारिता का उदय हुआ और उसने देवनागरी को एक सशक्त अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में स्थापित करने की दिशा में काम शुरू किया।

प्रारम्भिक हिन्दी समाचार-पत्रों ने देवनागरी लिपि को अपनाकर एक साहसिक कदम उठाया। यह केवल भाषाई चयन नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक स्वाभिमान और पहचान का प्रतीक भी था। उस समय देवनागरी लिपि में मुद्रण की तकनीकी कठिनाइयाँ थीं—अक्षरों का मानकीकरण नहीं था, टाइप सेटिंग जटिल थी और संसाधन सीमित थे। इसके बावजूद पत्रकारों और मुद्रकों ने इस लिपि को अपनाया और उसे व्यवहार में लाकर उसके विकास की नींव रखी।

हिन्दी पत्रकारिता के विकास के साथ-साथ मुद्रण तकनीक में भी परिवर्तन आया। देवनागरी लिपि की जटिल संरचना—जैसे संयुक्ताक्षर, मात्रा-चिन्ह और विभिन्न ध्वनियों के लिए अलग-अलग प्रतीक—मुद्रण के लिए चुनौतीपूर्ण थे। लेकिन जैसे-जैसे समाचार-पत्रों की संख्या बढ़ी, वैसे-वैसे देवनागरी टाइपफेस में सुधार हुआ। हिन्दी पत्रकारिता ने इस प्रक्रिया को गति दी। संपादकों और प्रकाशकों ने लिपि को सरल बनाने, अनावश्यक जटिलताओं को कम करने और एकरूपता स्थापित करने के प्रयास किये। धीरे-धीरे अक्षरों के आकार, दूरी और संयोजन के नियम तय होने लगे। यह प्रक्रिया देवनागरी के मानकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी।
देवनागरी लिपि का विकास केवल उसके दृश्य रूप तक सीमित नहीं था, बल्कि भाषा-शैली और वर्तनी के स्तर पर भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। हिन्दी

पत्रकारिता ने एक ऐसी भाषा को विकसित किया जो सरल, स्पष्ट और जनसामान्य के लिए सुलभ थी। समाचार-पत्रों ने वर्तनी के नियमों को स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाई। विभिन्न शब्दों की लिखावट, विराम-चिन्हों का प्रयोग और वाक्य संरचना को लेकर जो मानक बने, वे आज भी हिन्दी लेखन के आधार हैं। पत्रकारिता के माध्यम से यह मानकीकरण व्यापक स्तर पर लागू हुआ, जिससे देवनागरी लिपि में एकरूपता आई।

बीसवीं शताब्दी में जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था, तब हिन्दी पत्रकारिता ने जन-जागरण का महत्वपूर्ण कार्य किया। समाचार-पत्र केवल सूचना का माध्यम नहीं थे, बल्कि वे विचारों के वाहक और परिवर्तन के प्रेरक भी थे। इस दौर में देवनागरी लिपि में प्रकाशित हिन्दी समाचार-पत्रों ने देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हिन्दी का प्रसार बढ़ा और देवनागरी लिपि जन-जन तक पहुँची। स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं और विचारकों ने भी हिन्दी और देवनागरी को राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में देखा।
पत्रकारिता के माध्यम से देवनागरी लिपि को एक राष्ट्रीय पहचान मिली। यह केवल भाषा का माध्यम नहीं रही, बल्कि एक सांस्कृतिक और राजनीतिक अभिव्यक्ति का उपकरण बन गई।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिन्दी और देवनागरी को सरकारी स्तर पर भी प्रोत्साहन मिला। शिक्षा, प्रशासन और मीडिया में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। इस प्रक्रिया में हिन्दी पत्रकारिता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई और देवनागरी लिपि का उपयोग व्यापक स्तर पर होने लगा। रेडियो और बाद में टेलीविजन ने भी हिन्दी को लोकप्रिय बनाया, जिससे देवनागरी की पहुँच और बढ़ी। सिनेमा ने इसे अहिन्दी क्षेत्रों के साथ - साथ विश्व पटल पर लोकप्रिय बनाया। पत्रकारिता ने न केवल समाचारों का प्रसार किया बल्कि भाषा और लिपि के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई। संपादकीय लेखों, स्तंभों और साहित्यिक सामग्री के माध्यम से देवनागरी के प्रति सम्मान और गर्व की भावना विकसित हुई।

इक्कीसवीं सदी में डिजिटल क्रांति ने हिन्दी पत्रकारिता और देवनागरी लिपि को एक नया आयाम दिया है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, ब्लॉग और ऑनलाइन समाचार-पोर्टलों ने सूचना के प्रसार को तेज और व्यापक बना दिया है। यूनिकोड तकनीक के आगमन से देवनागरी लिपि का उपयोग वैश्विक स्तर पर संभव हो गया है। अब हिन्दी में लिखना, पढ़ना और प्रकाशित करना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। हिन्दी पत्रकारिता ने इस तकनीकी परिवर्तन को तेजी से अपनाया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई।

हालांकि इस दौर में कुछ चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। रोमन लिपि में हिन्दी लिखने की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिससे देवनागरी के उपयोग पर असर पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर भाषा की शुद्धता और वर्तनी की अनदेखी भी एक चिंता का विषय है। स्वयं राजभाषा के अधिकारी और कर्मचारी व्हाट्सएप बातचीत में हिन्दी को रोमन में लिख कर प्रस्तुत करते हैं जो गलत है।

इन चुनौतियों के बीच हिन्दी पत्रकारिता की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उसे न केवल समाचारों का संप्रेषण करना है बल्कि भाषा और लिपि की शुद्धता, गरिमा और समृद्धि को भी बनाए रखना है। पत्रकारिता को चाहिए कि वह देवनागरी लिपि के सही प्रयोग को बढ़ावा दे, नई पीढ़ी को इसके महत्व से परिचित कराए और डिजिटल माध्यमों में भी इसकी शुद्धता बनाए रखे।

देवनागरी लिपि का भविष्य उज्ज्वल है, बशर्ते हम इसके प्रति सजग और प्रतिबद्ध रहें। हिन्दी पत्रकारिता इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। नई तकनीकों—जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वॉयस-टू-टेक्स्ट और मशीन अनुवाद—के माध्यम से देवनागरी का उपयोग और भी आसान और प्रभावी बनाया जा सकता है। पत्रकारिता इन तकनीकों को अपनाकर न केवल अपनी पहुंच बढ़ा सकती है बल्कि देवनागरी के विकास को भी नई गति दे सकती है।

हिन्दी पत्रकारिता और देवनागरी लिपि का संबंध अत्यंत गहरा और परस्पर पूरक है। पत्रकारिता ने देवनागरी को जन-जन तक पहुँचाया, उसे मानकीकृत किया और उसकी उपयोगिता को सिद्ध किया। वहीं देवनागरी ने पत्रकारिता को एक सशक्त

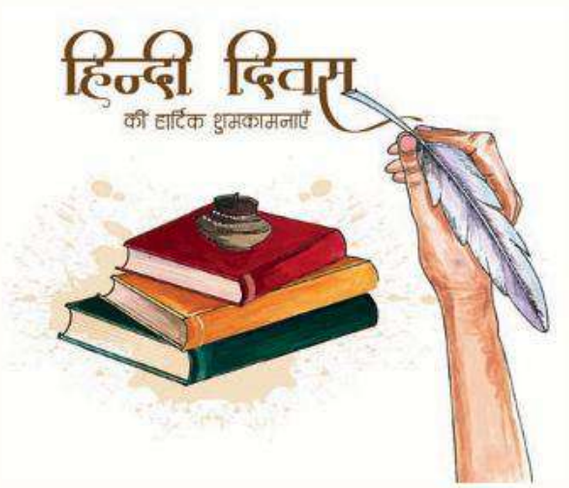


और प्रभावी अभिव्यक्ति का माध्यम प्रदान किया। आज जब हम हिन्दी पत्रकारिता के दो सौ वर्षों की यात्रा का उत्सव मना रहे हैं, तब यह आवश्यक है कि हम देवनागरी लिपि के इस योगदान को भी समझें और उसका सम्मान करें। भविष्य में भी हिन्दी पत्रकारिता यदि अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए देवनागरी के विकास में सक्रिय भूमिका निभाती है, तो न केवल भाषा का उत्थान होगा बल्कि भारतीय संस्कृति और पहचान भी और अधिक सुदृढ़ होगी। हां, हिन्दी वालों और विशेष कर राजभाषा वालों को सोशल मीडिया में हिन्दी को रोमन में लिखने के चलन को अविलंब रोकना होगा। इससे हम देवनागरी लिपि की रक्षा कर सकते हैं।

इस मामले में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया को भी सजग रहने की आवश्यकता है क्योंकि कभी - कभी पारंपरिक मीडिया भी रोमन प्रेम में देवनागरी लिपि को भूल जाते हैं जो गलत है और तत्काल सुधार की मांग करता है।

**शुभम मिश्रा**
पत्रकार

# राजभाषा का विकास : आवश्यकता, चुनौतियाँ और संभावनाएं

भारत एक विशाल, बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है, जहाँ सैकड़ों भाषाएँ और हजारों बोलियाँ प्रचलित हैं। इस विविधता के बीच राष्ट्रीय एकता और प्रशासनिक सुगमता के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता थी, जो देश के अधिकतम लोगों द्वारा समझी जा सके। इसी दृष्टि से हिन्दी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के रूप में स्थान प्राप्त है और राजभाषा हिन्दी की समृद्धि के लिए उपबन्ध किए गए हैं। हिन्दी न केवल सम्प्रेषण का माध्यम है, अपितु यह भारतीय संस्कृति, परम्परा और भावनाओं की अभिव्यक्ति का सशक्त साधन भी है तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति में हिन्दी भाषा का ही विशेष योगदान रहा है।

वर्तमान वैश्वीकरण और डिजिटल युग में हिन्दी का महत्त्व और अधिक बढ़ गया है। यह केवल भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि विश्व के अनेक देशों में अपनी पहचान बना चुकी है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश के साथ ही सबसे बड़ा जनसंख्या वाला भी देश है जिसमें अधिकतर भारतीय हिन्दी भाषा को समझने एवं बोलने वाले हैं। यहां तक कि पूरे विश्व के सभी देशों में फैले भारतीय उन-उन देशों में भी हिन्दी में संवाद करके हिन्दी को समृद्ध करने का कार्य कर रहे हैं और हिन्दी के प्रचार-प्रसार में लगे हैं, इसलिए आज हिन्दी दुनियां की सबसे अधिक बोले जाने वाली तीसरी भाषा के रूप में अपना स्थान बनाये हुए है। अतः हिन्दी के समग्र विकास के लिए सुनियोजित, व्यवस्थित और निरन्तर प्रयासों की आवश्यकता है।

## हिन्दी का महत्त्व और वर्तमान स्थिति

हिन्दी भारत में सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। यह देश के विभिन्न क्षेत्रों, वर्गों और संस्कृतियों को जोड़ने का कार्य करती है। प्रशासनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में हिन्दी का व्यापक उपयोग होता है। हिन्दी भारत की राजभाषा के साथ ही अधिकांश राज्यों की राजभाषा के रूप में भी प्रतिष्ठित है।

हालाँकि, यह भी सत्य है कि आज भी कई क्षेत्रों में अंग्रेजी एवम् अंग्रेजीयत का प्रभुत्व अधिक है। विशेषकर उच्च शिक्षा, चिकित्सा क्षेत्र, तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर। इसी कारण स्वतन्त्रता प्राप्ति के पिचहत्तर वर्ष पश्चात् भी हिन्दी को वह स्थान नहीं मिल पाया है, जिसकी वह वास्तविक रूप से हकदार है। इसलिए हिन्दी के विकास के लिए ठोस कदम उठाये जाने अति आवश्यक हैं।

## प्रशासनिक क्षेत्र में हिन्दी का विकास

यद्यपि केन्द्र में प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही वर्तमान सरकार के द्वारा हिन्दी भाषा विषयक प्रयास बहुतायत किए जा रहे हैं तथापि सरकारी कार्यालयों और विभागों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाना और अधिक आवश्यक है। राजभाषा नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन, नियमित निरीक्षण तथा अधिकारियों/कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जानी आवश्यकीय है।

विशेष रूप से केन्द्र सरकार के अधीन सरकारी कर्मचारियों के लिए हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे वे अपने कार्य हिन्दी में सहजता से कर सकें। केन्द्र सरकार के मन्त्रालयों द्वारा जो भी राज्य के मुख्य सचिवों को पत्र प्रेषित किए जाते हैं उनकी प्रथम भाषा हिन्दी ही होनी चाहिए अंग्रेजी में नीचे उसी का अनुवाद करके गैर हिन्दी भाषी राज्यों के साथ भी सामंजस्य अच्छा किया जा सकता है। प्रयास यह भी हो कि प्रचलित शब्दों का प्रयोग अधिक किया जाए और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत संस्कृतनिष्ठ हिन्दी शब्दों का प्रयोग भी बढ़ाया जाए क्योंकि जिस भाषा की व्याकरण एवं शब्द सम्पदा अच्छी होती है और शुद्ध होती है वह भाषा समाज में अच्छा स्थान एवं गौरव को प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त सरकारी पत्राचार, सूचना पत्र (रिपोर्ट), टिप्पणी और अन्य दस्तावेजों-प्रपत्रों में भी हिन्दी के प्रयोग को अनिवार्य या प्राथमिकता दी जानी चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं प्रत्येक कार्य एवं विज्ञापनादि प्रमुख रूप से हिन्दी में ही होना आरम्भ हो और भारतीय सेनाओं, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी-तकनीकी एवम् आयुर्विज्ञान संस्थानों, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा

परिषद् आदि राष्ट्रीय उच्च स्तरीय संस्थानों में कार्यालयीय कार्यों के लिए हिन्दी को विशेष बढ़ावा दिया जाना अपेक्षित है, इसी के साथ हिन्दी दिवस के दिन देश के सभी निजी एवं सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को हिन्दी भाषा में हस्ताक्षर करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हुए पुरस्कृत किया जाए तथा पूरे भारत वर्ष में कवि सम्मेलन, लेख, निबन्ध, वाद-विवाद, नाटकादि कार्यक्रमों को बृहत् स्तर पर कराते हुए यथोचित पुरस्कार आदि की व्यवस्था किया जाना हिन्दी भाषा की समृद्धि का द्योतक होगा।

### शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दी का सुदृढ़ीकरण

शिक्षा किसी भी भाषा के विकास का आधार होती है। यदि हिन्दी को मजबूत बनाना है, तो इसे शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर सुदृढ़ करना होगा। विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक हिन्दी माध्यम को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जब जर्मनी में जर्मन भाषा में, रूस में रसियन भाषा में, चीन में मंडारिन भाषा में जापान में जैपनीज भाषा में, फ्रांस में फ्रेंच भाषा में हर स्तर की शिक्षा दी जा सकती है, शोध किए जा सकते हैं जिसके माध्यम से उक्त देश विकसित श्रेणी के भी हैं तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? धीरे-धीरे हिन्दी भाषा का वातावरण बनाकर इस कार्य को किया जा सकता है।

विशेष रूप से विज्ञान, तकनीकी और व्यावसायिक विषयों की उच्च गुणवत्ता की हिन्दी पाठ्य सामग्री विकसित करना अत्यन्त आवश्यक है। शिक्षकों को आधुनिक तकनीकों और नवीन शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ताकि वे विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से हिन्दी में शिक्षित कर सकें।

### तकनीकी और डिजिटल युग में हिन्दी

आज का युग तकनीकी और डिजिटल क्रान्ति का युग है।अन्तर्जाल इण्टरनेट, सोशल मीडिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और मोबाइल एप्लीकेशन्स के माध्यम से हिन्दी का व्यापक प्रसार सम्भव है।

हिन्दी में सॉफ्टवेयर, एप्स, वेबसाइट्स और डिजिटल कंटेंट का निर्माण बढ़ाया जाना चाहिए। मशीन अनुवाद, वॉयस रिकग्निशन और अन्य तकनीकी साधनों में हिन्दी को शामिल करने से यह भाषा और अधिक सशक्त बन सकती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हिन्दी की बढ़ती लोकप्रियता इस बात का संकेत है कि यदि उचित अवसर मिले, तो हिन्दी वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बना सकती है।

### अनुवाद, प्रकाशन और शब्दावली का विकास

हिन्दी के विकास के लिए अनुवाद कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है। विभिन्न विषयों के महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों, कानूनों, नीतियों और तकनीकी सामग्री का उच्च गुणवत्ता में हिन्दी अनुवाद किया जाना आवश्यकीय प्रतीत होता है।

इसके साथ ही सरल और मानकीकृत शब्दावली का विकास भी आवश्यक है। कठिन और जटिल शब्दों के स्थान पर सरल एवं प्रचलित संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग बढ़ाया जाना, जिससे हिन्दी अधिक व्यवहारिक और जनसुलभ बन सके, धीरे-धीरे कार्यालयीय व्याकरण निष्ठ शुद्ध हिन्दी शब्दों का प्रयोग बढ़ाया जा सकता है।

हिन्दी साहित्य, शोध कार्य और प्रकाशनों को बढ़ावा देना भी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

### प्रोत्साहन, पुरस्कार और जन-जागरूकता

हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए जन-जागरूकता अत्यन्त आवश्यक है। हिन्दी दिवस, हिन्दी पखवाड़ा और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों में हिन्दी के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों द्वारा हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थानों को पुरस्कार और सम्मान प्रदान किए जाने चाहिए। इससे लोगों में हिन्दी के प्रति रुचि और प्रेरणा बढ़ेगी। भारत सरकार के द्वारा आरम्भ की जाने वाली सरकारी योजनाओं में हिन्दी के श्रेष्ठ कवियों के नाम से या उनकी विशेष कृतियों के नाम से योजनाओं का नामकरण किया जाना भी हिन्दी के व्यापक प्रचार-प्रसार को सबल प्रदान करेगा।

### प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार में हिन्दी का महत्व

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम के अभ्यर्थियों को समान अवसर मिलना चाहिए। इससे हिन्दी भाषी युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और भाषा के प्रति उनका विश्वास भी बढ़ेगा।

आज भी देश में अधिकतर जनसंख्या ग्राम्य पृष्ठभूमि एवं मातृभाषा या हिन्दी भाषा में समझ रखने वाली अधिक है। जब किसी भी स्तर का लोक सेवक अच्छी हिन्दी समझ रखने वाला होगा तो वह आम जनता के साथ अच्छा संवाद एवं कार्य-विचारों का आदान-प्रदान कर सकता है।

इसीलिए रोजगार के क्षेत्र में भी हिन्दी को विशेष महत्त्व दिया जाना चाहिए, ताकि यह केवल बोलचाल की भाषा न रहकर व्यावसायिक और प्रशासनिक भाषा के रूप में भी स्थापित हो सके। संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से विभिन्न अखिल भारतीय एवं केन्द्रीय सेवाओं, एनडीए, सीडीएस, रेलवे, बैंकिंग, आयकर आदि क्षेत्रों में सेवा प्राप्ति हेतु होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अनिवार्यतः 100 अंकों का अनिवार्य रूप से हिन्दी प्रश्न पत्र अनिवार्य होना चाहिए इससे बच्चे स्कूल स्तर से हिन्दी को अच्छी तरह पढ़ने एवं समझने का यत्न करेंगे।

## अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी का विस्तार

आज हिन्दी विश्व की प्रमुख भाषाओं में से एक बनती जा रही है। विदेशों में हिन्दी शिक्षण संस्थानों, सांस्कृतिक केन्द्रों और भारतीय दूतावासों के माध्यम से सतत हिन्दी का प्रचार-प्रसार किया जा सकता है।

विश्व हिन्दी सम्मेलन जैसे आयोजनों के माध्यम से हिन्दी को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जा रहा है और बेहतर किया जा सकता है, इससे हिन्दी को और अधिक अंतरराष्ट्रीय पहचान और सम्मान प्राप्त होगा।

## चुनौतियाँ और उनके समाधान

हिन्दी के विकास के मार्ग में कई चुनौतियाँ हैं, जैसे- अंग्रेजी का बढ़ता प्रभाव,तकनीकी शब्दावली की कमी, समाज में हिन्दी के प्रति हीन भावना उच्च शिक्षा में हिन्दी माध्यम की न्यूनतम सीमाएँ, उच्च स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में हिन्दी का अभाव इत्यादि। इन चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक हैं कि हिन्दी को आधुनिक, सरल और व्यवहारिक बनाया जाए। तकनीकी विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सकारात्मक मानसिकता के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, साथ ही नीति निर्माताओं की दृढ़ इच्छाशक्ति से सब कुछ सम्भव है। निष्कर्ष रूप से अन्ततः यह कहा जा सकता है कि हिन्दी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। इसका विकास केवल सरकारी नीतियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। यदि नीति निर्माता, प्रशासन, शिक्षा, तकनीक और समाज मिलकर समन्वित प्रयास करें, तो हिन्दी न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी एक सशक्त और प्रभावशाली भाषा के रूप में स्थापित हो सकती है। हिन्दी भारत की पहचान एवम् आत्मा है और इसके विकास में ही राष्ट्र की उन्नति निहित है।

***विशेष रूप से केन्द्र सरकार के अधीन सरकारी कर्मचारियों के लिए हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे वे अपने कार्य हिन्दी में सहजता से कर सकें। केन्द्र सरकार के मन्त्रालयों द्वारा जो भी राज्य के मुख्य सचिवों को पत्र प्रेषित किए जाते हैं उनकी प्रथम भाषा हिन्दी ही होनी चाहिए अंग्रेजी में नीचे उसी का अनुवाद करके गैर हिन्दी भाषी राज्यों के साथ भी सामंजस्य अच्छा किया जा सकता है। प्रयास यह भी हो कि प्रचलित शब्दों का प्रयोग अधिक किया जाए और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत संस्कृतनिष्ठ हिन्दी शब्दों का प्रयोग भी बढ़ाया जाए क्योंकि जिस भाषा की व्याकरण एवं शब्द सम्पदा अच्छी होती है और शुद्ध होती है वह भाषा समाज में अच्छा स्थान एवं गौरव को प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त सरकारी पत्राचार, सूचना पत्र (रिपोर्ट), टिप्पणी और अन्य दस्तावेजों- प्रपत्रों में भी हिन्दी के प्रयोग को अनिवार्य या प्राथमिकता दी जानी चाहिए।***

**डॉ. हेमन्त कुमार जोशी**
सदस्य हिन्दी सलाहकार समिति राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

# पत्रकारिता एवं हिंदी कार्यशाला

हिंदी पत्रकारिता और राजभाषा का रिश्ता बहुत गहरा और आपसी है। राजभाषा नीति के अनुसार हिंदी सहज और सरल होनी चाहिए, विभिन्न भाषाओं के प्रचलित शब्द जो कि बोलचाल में प्रयुक्त होते हैं, जिनका मतलब जनसाधारण भी समझता है उनका प्रयोग देवनागरी में किया जा सकता है। हिंदी पत्रकारिता भी राजभाषा की इसी नीति के का अनुपालन करती है। इस प्रकार दोनों एक-दूसरे को मजबूती प्रदान करते हैं। इसे तीन मुख्य बिंदुओं से समझते हैं :-

**1 राजभाषा ने हिंदी पत्रकारिता को विस्तार दिया* इसे इस प्रकार समझ सकते हैं :-**

- संवैधानिक दर्जा: 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनी।
- सरकारी विज्ञापन और सूचना: राजभाषा बनने के बाद सरकारी नीतियों, योजनाओं, टेंडर और विज्ञापनों का हिंदी में प्रकाशन अनिवार्य हुआ। इससे हिंदी अखबारों को कंटेंट और राजस्व दोनों मिले।
- प्रशासनिक शब्दावली: राजभाषा विभाग ने हिंदी के तकनीकी, प्रशासनिक और वैज्ञानिक शब्दों का विकास किया। इससे पत्रकारों को बजट, कानून, चिकित्सा जैसी जटिल खबरें हिंदी में लिखना आसान हुआ।

**2. हिंदी पत्रकारिता ने राजभाषा को जनभाषा बनाया**

- पहुँच बढ़ाई : समाचार पत्र उदन्त मार्तण्ड_ 1826 से शुरू होकर _आज, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला जैसे अखबारों ने हिंदी को गांव-कस्बों तक पहुँचाया। राजभाषा को फाइलों से निकालकर आम आदमी की जुबान बनाया।
- मानकीकरण: पत्रकारिता ने हिंदी के रूप को परिष्कृत किया। बोली-भाषाओं के बीच से एक साझी, समझ आने वाली "खड़ी बोली हिंदी" को अखबारों ने स्थापित किया।
- दबाव समूह: स्वतंत्रता आंदोलन में कर्मवीर, प्रताप, हंस जैसे पत्रों ने हिंदी के पक्ष में जनमत बनाया। आज भी हिंदी मीडिया राजभाषा के प्रयोग में ढिलाई पर सवाल उठाकर सरकार का ध्यान आकर्षित करता है।

**3 चुनौतियाँ और तालमेल**

**भाषा का स्तर**
राजभाषा की क्लिष्ट शब्दावली बनाम पत्रकारिता की सरल-सहज हिंदी। अखबार अक्सर "विश्वविद्यालय" की जगह "यूनिवर्सिटी" लिखते हैं ताकि पाठक सहजता से समझ सकें। स्कूटर, मोटरसाइकिल, बस ट्रेन, रोड, टीचर जैसे अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग शुद्ध हिंदी की तुलना में अधिक सरलता से जन सामान्य समझ लेता है।

**डिजिटल युग**
न्यूज पोर्टल, यूट्यूब चैनल हिंग्लिश का प्रयोग करते हैं। वहीं राजभाषा नीति शुद्ध हिंदी पर जोर देती है। दोनों के बीच संतुलन बन रहा है।

**क्षेत्रीय असंतुलन**
अहिंदी भाषी राज्यों में राजभाषा का विरोध होता है, पर हिंदी न्यूज चैनलों की TRP वहाँ भी बढ़ रही है। पत्रकारिता पुल का काम कर रही है।

**निष्कर्ष**
राजभाषा ने हिंदी पत्रकारिता को संवैधानिक ताकत और संसाधन दिए। बदले में हिंदी पत्रकारिता ने राजभाषा को सरकारी दफ्तरों से निकालकर करोड़ों लोगों की चेतना तक पहुँचाया।

प्रतिष्ठित कवि, साहित्यकार राजभाषाविद डॉ.इन्द्र सेंगर ने भी अपनी कृति "भारतीयता की सुगंध" में इसी अंतर्संबंध को रेखांकित किया है कि भाषा जब पत्रकारिता के जरिए जन-जन तक पहुँचती है, तभी वह सही मायने में राष्ट्रभाषा बनती है। राजभाषा हिंदी कार्यशालाओं के आयोजन इस मिशन को सफल बनाने में सराहनीय भूमिका निभा रहे हैं।

## राजभाषा हिंदी कार्यशालाएं

इस विषय पर कुछ कहने से पूर्व हमें कार्यशाला के बारे में जानना भी आवश्यक है। कार्यशाला शब्द अंग्रेजी के वर्कशॉप का हिंदी अनुवाद है। जहां पर वाहनों की सर्विस मरम्मत आदि कार्य होते हैं, उसे वर्कशॉप कहा जाता है। वर्कशॉप का प्रयोजन अब आप भलीभांति समझ गए होंगे। यदि हमारा वाहन अपेक्षा अनुसार पर्याप्त दूरी तय कर लेता है और उसमें छोटे-मोटे अन्य मरम्मत संबंधी कार्यों की भी आवश्यकता होती है तो हम उसे एक वर्कशॉप में ले जाते हैं, जहां पर मैकेनिक द्वारा उसकी सर्विस एवं मरम्मत संतोषजनक रूप में की जाती है। इसके बाद हमारा वाहन फिर से राजमार्ग पर दौड़ने के लिए तैयार हो जाता है।

उपर्युक्त वर्कशॉप (कार्यशाला) की भूमिका में जो वहां के संदर्भ में अपेक्षित होता है, ठीक वही भूमिका कार्यालयों में कार्मिकों को राजभाषा हिंदी संबंधी विभिन्न मुद्दों पर व्यापक प्रकाश डालते हुए उससे संबंधित कठिनाइयों का समाधान प्रस्तुत करने, राजभाषा हिंदी के प्रयोग में व्यावहारिक समस्याएं सहायक साहित्य की जानकारी, प्रेरक वातावरण तैयार करके कार्मिकों को हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित करके और राजभाषा हिंदी की कार्यालय नीति, हिंदी प्रशिक्षण को ही कार्यशाला के रूप में विवेचित किया जा सकता है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजभाषा हिंदी कार्यशालाओं के लिए अनेक विषयों का निर्धारण किया जा सकता है। उनमें से कुछ का विवरण इस प्रकार है :-

राजभाषा हिंदी और भारत का संविधान, भारत सरकार की राजभाषा नीति के मूल स्तंभ, संघ सरकार की राजभाषा नीति, भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रोन्नयन के लिए पुरस्कार योजनाएं, भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रोन्नयन के लिए प्रोत्साहन योजनाएं , भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रोन्नयन के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था, राजभाषा हिंदी की विकास यात्रा, हिंदीतर भाषी साहित्यकारों का योगदान, हिंदी के विकास का इतिहास, हिंदी में अज्ञात विदेशी शब्द, सामाजिक संस्कृति की पोशक हिंदी और सांप्रदायिक सौहार्द्र, राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंकों की विकास यात्रा, राजभाषा हिंदी के प्रभावी प्रयोग के लिए सरकार द्वारा संस्थापित संस्थाएं, तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा निर्मित तकनीकी शब्दावली, तकनीकी शब्दावली की कोष निर्माण शैली, राजभाषा विकास का वार्षिक कार्यक्रम, राजभाषा संबंधित निरीक्षण प्रश्नावली, संसदीय राजभाषा समिति की प्रश्नावली, सरकारी कामकाज में दैनिक उपयोग में आने वाली प्रशासनिक शब्दावली, नियम 10 (4) के अंतर्गत व्यक्तिश: आदेश जारी करना, सरकारी कामकाज और कंप्यूटर का प्रयोग, राजभाषा धारा 3(3) 1963 की विस्तृत व्यवस्था एवं अनुपालन, राजभाषा संकल्प 1968 की विस्तृत व्यवस्था एवं अनुपालन आदि प्रमुख है।

इनके अतिरिक्त अनेक विषयों को चुना जा सकता है जो तैनात हिंदी अधिकारियों और आमंत्रित व्याख्याता द्वारा तय किए गए हो। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के सदस्य सचिवों से संपर्क करके और भी नए विषय ज्ञात किए जा सकते हैं। इनमें तनिक भी संदेह नहीं की राजभाषा हिंदी की विकास यात्रा का राजमार्ग अत्यंत सुदृढ़ है।

## कार्यशाला प्रबंधन

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति जी के आदेशानुसार प्रत्येक कार्यालय में वर्ष में कम से कम एक बार सभी कार्मिकों को हिंदी कार्यशाला के माध्यम से सरकारी कामकाज को हिंदी में सफलतापूर्वक करने के लिए अवश्य ही प्रशिक्षित किया जाय। कार्मिकों की संख्या यदि ज्यादा है तो उन्हें त्रैमासिक अथवा मासिक रूप से कार्यशालाओं का आयोजन किया जाय। हिंदी कार्यशाला के प्रबंधन में निम्न प्रकार से चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाने से हिंदी कार्यशालाओं का प्रबंध अत्यंत सुव्यवस्थित और आसान हो जाता है :-

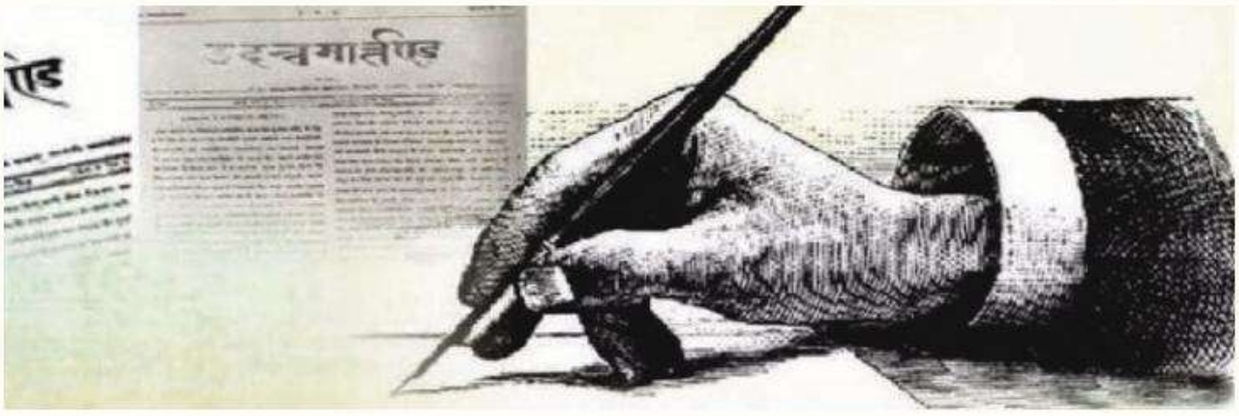

प्रभावी प्रयोग के लिए सरकार द्वारा संस्थापित संस्थाएं, तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा निर्मित तकनीकी शब्दावली, तकनीकी शब्दावली की कोष निर्माण शैली, राजभाषा विकास का वार्षिक कार्यक्रम, राजभाषा संबंधित निरीक्षण प्रश्नावली, संसदीय राजभाषा समिति की प्रश्नावली, सरकारी कामकाज में दैनिक उपयोग में आने वाली प्रशासनिक शब्दावली, नियम 10 (4) के अंतर्गत व्यक्तिशः आदेश जारी करना, सरकारी कामकाज और कंप्यूटर का प्रयोग, राजभाषा धारा 3(3) 1963 की विस्तृत व्यवस्था एवं अनुपालन, राजभाषा संकल्प 1968 की विस्तृत व्यवस्था एवं अनुपालन आदि प्रमुख है।

इनके अतिरिक्त अनेक विषयों को चुना जा सकता है जो तैनात हिंदी अधिकारियों और आमंत्रित व्याख्याता द्वारा तय किए गए हो। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के सदस्य सचिवों से संपर्क करके और भी नए विषय ज्ञात किए जा सकते हैं। इनमें तनिक भी संदेह नहीं की राजभाषा हिंदी की विकास यात्रा का राजमार्ग अत्यंत सुदृढ़ है।

**कार्यशाला प्रबंधन**

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति जी के आदेशानुसार प्रत्येक कार्यालय में वर्ष में कम से कम एक बार सभी कार्मिकों को हिंदी कार्यशाला के माध्यम से सरकारी कामकाज को हिंदी में सफलतापूर्वक करने के लिए अवश्य ही प्रशिक्षित किया जाय। कार्मिकों की संख्या यदि ज्यादा है तो उन्हें त्रैमासिक अथवा मासिक रूप से कार्यशालाओं का आयोजन किया जाय। हिंदी कार्यशाला के प्रबंधन में निम्न प्रकार से चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाने से हिंदी कार्यशालाओं का प्रबंध अत्यंत सुव्यवस्थित और आसान हो जाता है :-

(क) विषय का चयन
(ख) विद्वान वक्ता का चयन
(ग) प्रशिक्षण के लिए कार्मिकों की सूची
(घ) मानदेय / वाहन की जानकारी
(च) समय से पूर्व करवाई (छ)अनुमानित व्यय का आकलन एवं अनुमोदन
(ज) सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन
(झ) कार्यशाला परीक्षा एवं पुरस्कार

सभी हिंदी अधिकारी अपने कार्यालय के परिवेश को ध्यान में रखकर कार्यशाला के आयोजन की रूपरेखा बना सकते हैं। कार्यालय द्वारा हिंदी के शीर्ष में जितने बजट का प्रावधान रखा गया है अपनी कार्यशालाओं और अन्य हिंदी कार्यक्रमों को इस सीमा में रहकर ही आयोजित करें। यदि आप अपने कार्यालय में नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करके अपनी भूमिका और उत्तरदायित्व का निर्वाह करेंगे तो वह अधिक सार्थक सिद्ध होगा।

इस प्रकार पत्रकारिता और हिंदी कार्यशालाएं राजभाषा के समुचित विकास और सरकारी कामकाज में उसके अधिक से अधिक प्रयोग में अपनी सराहनीय भूमिका निभा सकते हैं।

**संतोष कुमार शर्मा**
सदस्य, हिन्दी सलाहकार समिति

# हिन्दी भाषा और गुजरात

भारत का भाषाई परिदृश्य दुनिया में सबसे समृद्ध है, जहाँ कई क्षेत्रीय भाषाएँ सह-अस्तित्व में हैं, एक-दूसरे को ओवरलैप करती हैं और एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं। इस भाषाई बहुलता के बीच, गुजरात हिन्दी भाषा के प्रचार और संवर्द्धन में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभरा है । हालाँकि गुजराती एक विशिष्ट इंडो-आर्यन भाषा है, जिसका अपना साहित्य, व्याकरण और परंपराएँ हैं, गुजरात के नेताओं, विद्वानों, संस्थानों और प्रेस ने हिन्दी को भारत की भाषा के रूप में उसकी वर्तमान स्थिति तक पहुँचाने में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है।

भक्तिकालीन संतों से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं तक, प्रकाशकों से लेकर भाषाई विद्वानों तक, गुजरात ने निरंतर हिन्दी का पोषण किया है। भारत में क्षेत्रीय भाषाओं के बीच सांस्कृतिक और भाषाई अंतर्संबंध ने ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रीय भाषाई पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न भाषाई समुदायों में, गुजराती विद्वानों ने हिन्दी भाषा के विकास और संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह शोधपत्र गुजराती बुद्धिजीवियों, कवियों, लेखकों, व्याकरणविदों और अनुवादकों के बहुमुखी योगदान का अन्वेषण करता है जिन्होंने साहित्य, शिक्षा, पत्रकारिता और भाषाई सुधार के क्षेत्र में हिन्दी को समृद्ध किया है। यह आलोचनात्मक विश्लेषण करता है कि कैसे उनकी द्विभाषी विशेषज्ञता और सांस्कृतिक संवेदनशीलता ने हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के बीच एक गहन संबंध को बढ़ावा दिया और हिन्दी को एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में बढ़ावा दिया।

भारत में सदियों से कई भाषाएँ एक-दूसरे को प्रभावित करते हुए सह-अस्तित्व में हैं। देश की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक, हिन्दी में जबरदस्त विकास और मानकीकरण हुआ है, जिसका कुछ श्रेय गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों के विद्वानों को भी जाता है। इनमें गुजराती विद्वानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिन्दी का एक क्षेत्रीय बोली से भारत की राजभाषा के रूप में विकास न तो आकस्मिक है और न ही एकाकी। यह विभिन्न क्षेत्रों के बीच सुविचारित प्रयासों, सहयोग और सांस्कृतिक तालमेल की कहानी है। एक अलग और जीवंत भाषाई पहचान होने के बावजूद, गुजरात इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण भागीदार रहा है ।

हालाँकि गुजराती भाषाई रूप से हिन्दी से भिन्न है, फिर भी दोनों भाषाएँ भारतीय-आर्य मूल साझा करती हैं और लिपि, शब्दावली और साहित्यिक रूपों में ऐतिहासिक समानताएँ प्रदर्शित करती हैं। हिन्दी में गुजराती विद्वानों के योगदान को केवल अनुवाद या अनुकूलन के रूप में ही नहीं, बल्कि इसके साहित्यिक, शैक्षणिक और राजनीतिक चरित्र को सक्रिय रूप देने वाले योगदान के रूप में भी देखा जा सकता है।

औपनिवेशिक काल के दौरान, विशेष रूप से 19वीं और 20वीं शताब्दी के आरंभ में, गुजरात सामाजिक-सांस्कृतिक पुनर्जागरण का केंद्र बन गया। इस क्षेत्र के विद्वान, अपनी भाषाई विरासत में गहराई से निहित होने के साथ-साथ, राष्ट्रवादी और शैक्षिक कारणों से भी हिन्दी से जुड़े रहे। कई गुजराती संस्थानों ने हिन्दी को बढ़ावा दिया और शिक्षित अभिजात वर्ग के बीच द्विभाषिकता एक आदर्श बन गई।

महात्मा गांधी, यद्यपि स्वयं भाषाविद् नहीं थे, ने हिन्दी को एक एकीकृत भाषा के रूप में प्रचारित किया और दक्षिण में हिन्दी के प्रसार के लिए दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना की। काका कालेलकर ने अपने निबंधों और दार्शनिक लेखन से हिन्दी साहित्य को समृद्ध किया। उमाशंकर जोशी ने गुजराती और हिन्दी के बीच कृतियों का अनुवाद किया और साहित्यिक परंपराओं को जोड़ा। मनसुखलाल झावेरी ने गुजराती श्रोताओं को हिन्दी की उत्कृष्ट कृतियों से परिचित कराया, और नर्मदाशंकर दवे ने भाषाई एकीकरण की प्रारंभिक नींव रखी।

हिन्दी पर गुजराती विद्वत्ता का प्रभाव मध्यकाल तक जाता है, विशेष रूप से जैन बहुश्रुत हेमचंद्र (1088-1172 ई.) के समय में। हेमचंद्र एक प्रखर बुद्धिजीवी थे जिनके व्याकरण, शब्दकोश और काव्यशास्त्र संबंधी कार्यों ने न केवल गुजराती के निर्माण को आकार दिया, बल्कि हिन्दी के भाषाई विकास के लिए आधारभूत सिद्धांत भी स्थापित किए। उनकी महान कृति, सिद्ध-हेम- शब्दानुशासन, एक विश्वकोशीय व्याकरण था जिसने संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश रूपों को व्यवस्थित किया। अपभ्रंश, जो आधुनिक भारतीय-आर्य भाषाओं से पहले का एक भाषाई चरण था, हिन्दी और गुजराती दोनों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। हेमचंद्र के व्याकरणिक ढाँचे ने ध्वन्यात्मक नियमों, रूपात्मक वर्गीकरणों और वाक्य-रचनाओं को रेखांकित किया, जिन्होंने प्रारंभिक हिन्दी भाषाई चिंतन को प्रभावित किया। जिस जैन विद्वान परंपरा का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, उसने बहुभाषी शिक्षा की संस्कृति को बढ़ावा दिया, जहाँ संस्कृत, प्राकृत और उभरती हुई स्थानीय भाषाओं का एक साथ अध्ययन किया जाता था। इस बहुस्तरीय भाषाई दृष्टिकोण ने सदियों बाद हिन्दी विद्वानों को अपनी भाषा को संहिताबद्ध करने का एक खाका प्रदान किया।

भक्ति आंदोलन (14वीं-17वीं शताब्दी) एक आध्यात्मिक लहर थी जो भाषाई, जातिगत और क्षेत्रीय सीमाओं से परे थी। संतों ने स्थानीय भाषाओं में रचनाएँ कीं, जिससे भक्ति जन-जन तक पहुँची।

गुजरात में, नरसिंह मेहता (1414-1481) जैसे संतों ने गुजराती में भजन और पद्य लिखे जो कबीर, तुलसीदास और सूरदास द्वारा हिन्दी में रचित समान रचनाओं से मेल खाते थे। नरसिंह मेहता के भजनों ने बाद में हिन्दी भक्ति काव्य को प्रेरित किया और उन्हें हिन्दी गीत परंपराओं में रूपांतरित किया गया। गुजरात में मजबूत वैष्णव संप्रदाय ने भी राम और कृष्ण भक्ति को फैलाने में मदद की, जो अवधारणाएं हिन्दी भक्ति कविता पर हावी थीं। भक्ति विचारों के इस पारस्परिक संसर्ग ने हिन्दी और गुजराती के लिए एक दूसरे को प्रभावित करने हेतु एक साझा सांस्कृतिक आधार तैयार किया । नरसिंह मेहता को गुजराती का आदि कवि माना जाता है, उन्होंने गहन आध्यात्मिक गूंज वाले भक्ति गीत और भजन रचे। उनका प्रसिद्ध भजन, वैष्णव जन तो, भाषाई सीमाओं से परे था; बाद में महात्मा गांधी ने इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए नैतिक प्रेरणा के गीत के रूप में अपनाया। इसके हिन्दी अनुवादों और रूपांतरणों ने गुजराती भक्ति सौंदर्यशास्त्र को हिन्दी सांस्कृतिक चेतना की मुख्यधारा में ला दिया।

सुदामा चरित्र और दशम स्कंध जैसे अपने पौराणिक आख्यानों के साथ इस सांस्कृतिक आदान- प्रदान को और आगे बढ़ाया । ये ग्रंथ, मूलतः गुजराती में होने के बावजूद, अनुवादों और मौखिक परंपराओं के माध्यम से हिन्दी में आए। यहाँ तक कि हिन्दी और राजस्थानी परंपराओं से जुड़ी प्रतिष्ठित भक्ति कवि मीराबाई ने भी गुजराती में कई भजन रचे, जिन्हें बाद में हिन्दी संकलनों में शामिल किया गया। भक्ति साहित्य के इस प्रवाह ने दोनों भाषाओं के बीच एक साझा आध्यात्मिक शब्दावली का निर्माण किया। बीसवीं सदी में, गुजरात के एक भारतविद् और साहित्यिक आलोचक, रसिकलाल पारिख (1897- 1982) ने संस्कृत, गुजराती और हिन्दी परंपराओं के बीच सेतु का काम किया। संस्कृत काव्यशास्त्र और कथात्मक ढाँचों पर उनके लेखन ने अंतर-भाषाई दृष्टिकोणों का परिचय देकर हिन्दी साहित्यिक आलोचना को समृद्ध किया। फूलचंद गुप्त (जन्म 1958) जैसे अनुवादकों ने गुजराती उपन्यासों, नाटकों और कविताओं को हिन्दी पाठकों तक पहुँचाया—रघुवीर चौधरी की, लगनी; और इच्छावर उपरवास; जैसी रचनाएँ हिन्दी के साहित्यिक संग्रह का हिस्सा बन गईं, जिससे इसके विषय और शैलीगत दायरे का विस्तार हुआ।

गुजराती विद्वानों ने प्रमुख हिन्दी कृतियों का गुजराती में और हिन्दी कृतियों का गुजराती में अनुवाद किया। प्रेमचंद के उपन्यास, कबीर के दोहे और तुलसीदास की रामचरितमानस गुजराती श्रोताओं के लिए सुलभ हुई, जबकि गुजराती भक्ति रचनाओं ने हिन्दी कवियों को प्रेरित किया। इस पारस्परिक आदान-प्रदान ने पारस्परिक साहित्यिक सम्मान को बढ़ाया और हिन्दी शब्दावली और शैली को समृद्ध किया।

गांधीजी के गुजरात विद्यापीठ (1920) ने अपने पाठ्यक्रम में हिन्दी पर ज़ोर दिया। आनंदशंकर ध्रुव और हरिवल्लभ भयानी जैसे विद्वानों ने हिन्दी व्याकरण का अध्ययन विकसित किया, जिससे आने वाली पीढ़ियों के छात्र प्रभावी ढंग से हिन्दी सीख सके। द्विभाषी शब्दकोशों और पाठकों ने गुजरात में हिन्दी साक्षरता का प्रसार किया।

नवजीवन प्रेस जैसे गुजराती प्रेस ने हिन्दी रचनाएँ प्रकाशित कीं और राष्ट्रवादी साहित्य का प्रसार किया। द्विभाषी पत्रिकाओं ने हिन्दी और गुजराती में संवाद को बढ़ावा दिया, जिससे हिन्दी पश्चिमी भारत में सुधार और जनसंचार की भाषा बन गई। नवजीवन प्रेस ने नवजीवन और हरिजन जैसे हिन्दी समाचार पत्र और पत्रिकाएँ प्रकाशित कीं । इन प्रकाशनों की राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच थी और इन्होंने हिन्दी को सुधारवादी विचारों के माध्यम के रूप में स्थापित किया । हरिवल्लभ भयानी जैसे भाषाविदों ने हिन्दी और गुजराती की भारतीय-आर्य जड़ों का पता लगाया और ध्वन्यात्मक तथा वाक्यगत विकास को स्पष्ट किया। इन अध्ययनों ने गुजराती भाषियों के लिए हिन्दी शिक्षा की संरचना में मदद की और हिन्दी के विकास की समझ को गहरा किया।

समकालीन गुजराती विद्वान अनुवाद और आलोचना के माध्यम से हिन्दी को समृद्ध बना रहे हैं। फूलचंद गुप्त द्वारा गुजराती दलित साहित्य, उपन्यासों और कविताओं के हिन्दी अनुवादों ने हिन्दी पाठकों को नई सशक्त आवाज़ों और विषयों से परिचित कराया है। गुजरात में प्रशिक्षित आलोचक अक्सर हिन्दी साहित्य का विश्लेषण विशिष्ट गुजराती दृष्टिकोण से करते हैं, जिससे हिन्दी साहित्यिक विमर्श की समृद्धि में योगदान मिलता है। के.एम. मुंशी, हालांकि मुख्य रूप से अपने गुजराती उपन्यासों के लिए जाने जाते थे, उन्होंने भारतीय विद्या भवन के माध्यम से हिन्दी का प्रचार किया, हिन्दी शैक्षणिक सामग्री का निर्माण किया और दोनों भाषाओं के बीच सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा दिया।

महात्मा गांधी का मानना था कि भारत को एक ऐसी संपर्क भाषा की आवश्यकता है जिसे प्रत्येक नागरिक आसानी से सीख सके। उन्होंने हिंदुस्तानी (हिन्दी और उर्दू का मिश्रण) को आम जनता की भाषा के रूप में बढ़ावा दिया । गांधीजी ने आम लोगों तक पहुंचने के लिए हिन्दी में भाषण दिए और सरल हिन्दी में पत्र, पर्चे और लेख लिखे।

सरदार पटेल और मोरारजी देसाई जैसे नेताओं ने हिन्दी को प्रशासन और एकता की भाषा के रूप में समर्थन दिया। उनकी वकालत ने सरकार और राष्ट्रीय विमर्श में हिन्दी की भूमिका को संस्थागत बनाने में मदद की। भारत के लौह पुरुष; ने स्वतंत्रता के बाद हिन्दी को प्रशासन की आधिकारिक भाषा के रूप में समर्थन दिया। पटेल के हिन्दी में दिए गए भाषणों ने सरकारी प्रयोग में इस भाषा को वैधता प्रदान की । मोरारजी देसाई ने संसद में हिन्दी का प्रयोग किया । प्रधानमंत्री (1977-1979) के रूप में, गुजराती नेता मोरारजी देसाई ने सरकारी संचार में हिन्दी के उपयोग पर ज़ोर दिया । उनकी इस वकालत ने नीति और शासन में हिन्दी की भूमिका को मज़बूत किया ।

स्वतंत्रता के बाद के दौर में गुजराती विद्वानों ने अकादमिक पहलों के माध्यम से हिन्दी को बढ़ावा दिया। भोलाभाई पटेल (1934-2012), जिन्होंने दशकों तक गुजरात विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, ने द्विभाषी विद्वता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में, गुजरात के हिन्दी विभाग अनुवाद परियोजनाओं, संगोष्ठियों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के केंद्र बन गए।

रघुवीर चौधरी (जन्म 1938), एक प्रख्यात गुजराती उपन्यासकार और आलोचक, ने हिन्दी में उच्च उपाधियाँ प्राप्त कीं और बाद में गुजरात विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग का नेतृत्व किया। उनके शैक्षणिक कार्यों और लेखन ने गुजराती साहित्यिक संवेदनाओं को हिन्दी विद्वत्ता में लाया, साथ ही गुजराती छात्रों के बीच हिन्दी अध्ययन को भी बढ़ावा दिया। गुजरात साहित्य परिषद और भारतीय विद्या भवन (के.एम. मुंशी द्वारा स्थापित) जैसी संस्थाओं ने सम्मेलनों, संकलनों और शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से हिन्दी का सक्रिय प्रचार-प्रसार किया। 19वीं शताब्दी में, गुजरात में एक सामाजिक-सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ। नर्मदाशंकर लालशंकर दवे (नर्मद) (1833-1886) जैसे सुधारकों ने औपनिवेशिक शासन के अधीन उपमहाद्वीप को एकीकृत करने के लिए एक आम भारतीय भाषा की आवश्यकता को पहचाना। नर्मद ने हिन्दी (या हिंदुस्तानी) को राष्ट्रीय संयोजक के रूप में स्थापित करने की वकालत की, गुजराती को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं, बल्कि उसे पूरक बनाने के लिए।

गुजराती पत्रिकाओं ने हिन्दी निबंध और कविताएं प्रकाशित करना शुरू कर दिया, जिससे हिन्दी को पश्चिमी भारत में पैर जमाने में मदद मिली। 19वीं सदी के अंत तक गुजरात में हिन्दी साक्षरता आम होती जा रही थी, जिससे गहन सांस्कृतिक आदान-प्रदान की नींव पड़ी।

गुजरात का हिन्दी के प्रति सबसे महत्वपूर्ण योगदान शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से आया। 1920 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की। इसकी स्थापना से:

- सभी विद्यार्थियों के लिए हिन्दी अनिवार्य कर दी गई।
- कई पाठ्यक्रम हिन्दी में पढ़ाए गए, जिससे इसकी स्थिति केवल बातचीत की भाषा के रूप में ही नहीं, बल्कि शिक्षा की भाषा के रूप में भी मजबूत हुई।
- हजारों हिन्दी शिक्षक पूरे भारत में काम करने गए।
- इन प्रयासों से गुजरातियों के लिए हिन्दी सुलभ हो गई और उन्हें हिन्दी साहित्य और भाषा विज्ञान में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया।

हिन्दी के लिए गुजरात का योगदान बहुआयामी और स्थायी है। हिन्दी के संवर्धन में गुजराती विद्वानों का योगदान अप्रतिम है। अनुवाद, शिक्षा, शोध और वकालत के माध्यम से, उन्होंने हिन्दी को समावेशिता और शक्ति की राष्ट्रीय भाषा के रूप में आकार देने में मदद की है। उनका कार्य दर्शाता है कि भाषाई सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय गौरव राष्ट्रीय पहचान के साथ कैसे सामंजस्य बिठा सकता है। ऐतिहासिक रूप से, गुजरात के संतों और कवियों ने आध्यात्मिक संबंध स्थापित किए, जिन्होंने हिन्दी और गुजराती परंपराओं को जोड़ा शैक्षिक दृष्टि से गुजरात विद्यापीठ जैसे संस्थानों ने हिन्दी को सीखने का अभिन्न अंग बना दिया। साहित्यिक दृष्टि से, गुजराती लेखकों, अनुवादकों और प्रकाशकों ने हिन्दी की पहुँच को मजबूत किया। राजनीतिक रूप से गांधी, पटेल और देसाई जैसे नेताओं ने हिन्दी को एकता और शासन की भाषा बनाया। संक्षेप में, गुजरात के निरंतर प्रयासों के बिना, भारत की एकीकृत भाषा के रूप में हिन्दी का उदय धीमा होता। गुजरात ने साबित कर दिया कि क्षेत्रीय गौरव और राष्ट्रीय एकता साथ-साथ चल सकते हैं-यह सबक भारत की भाषाई समरसता

के लिए आज भी प्रासंगिक है। हेमचंद्र के मध्यकालीन व्याकरण से लेकर फूलचंद गुप्त के आधुनिक अनुवादों तक, गुजराती विद्वानों ने हिन्दी को गहराई से आकार दिया है और उसे समृद्ध बनाया है। उनका कार्य व्याकरण, साहित्य, अनुवाद, आलोचना और शिक्षणशास्त्र तक फैला हुआ है, जिससे हिन्दी एक समृद्ध और समावेशी भाषा के रूप में विकसित हुई है। वे सांस्कृतिक राजदूत रहे हैं, जिन्होंने गुजराती भक्ति, दार्शनिक और साहित्यिक परंपराओं को हिन्दी जगत में पहुँचाया है, साथ ही हिन्दी के प्रभावों को वापस गुजरात में भी लाया है। यह पार-परागण भारत की भाषाई विविधता का सर्वोत्तम उदाहरण है—बिना आत्मसात किए पारस्परिक संवर्धन, बिना मिटाए सहयोग। आज हिन्दी गुजराती विद्वता की अमिट छाप रखती है, एक ऐसी विरासत जो इन दो महान भाषाओं के बीच के बंधनों को और गहरा करती जा रही है।

**अनुराग शर्मा**
मुख्य प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक ,प्रशासनिक कार्यालय शिलांग मेघालय

# हिन्दी पत्रिकाओं की भूमिका और महत्व

## प्रस्तावना

किसी भी भाषा की जीवंतता उसके साहित्य और संचार माध्यमों पर निर्भर करती है। हिन्दी भाषा के संदर्भ में, पत्रिकाओं ने एक "पुल" का कार्य किया है जिसने कठिन साहित्यिक शब्दों को जनमानस की सरल भाषा से जोड़ा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज के डिजिटल युग तक, हिन्दी पत्रिकाओं ने न केवल सूचनाएँ पहुँचाईं, बल्कि हिन्दी को विश्व पटल पर एक सशक्त पहचान भी दिलाई।

## ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और मानक हिन्दी का विकास

हिन्दी पत्रिकाओं का इतिहास "उदन्त मार्तण्ड" (1826) से शुरू होता है। लेकिन भाषा के परिमार्जन और प्रचार में सबसे क्रांतिकारी दौर "द्विवेदी युग" था।

- **आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और "सरस्वती":** 1903 में जब द्विवेदी जी ने "सरस्वती" पत्रिका का संपादन संभाला, तब हिन्दी व्याकरण और वर्तनी में बहुत बिखराव था। उन्होंने लेखकों की भाषा को सुधारा और "खड़ी बोली" को काव्य और गद्य की मुख्य भाषा बनाया।
- साहित्यिक आंदोलन: पत्रिकाओं ने ही छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद जैसे आंदोलनों को जन्म दिया। यदि "इन्दु" या "हंस" जैसी पत्रिकाएँ न होतीं, तो प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद जैसे दिग्गजों के विचार घर-घर तक नहीं पहुँच पाते।

## स्वतंत्रता संग्राम में वैचारिक क्रांति

हिन्दी पत्रिकाओं ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारतीयों को एकजुट करने में रीढ़ की भूमिका निभाई।

**राष्ट्रवाद का प्रसार:** "प्रताप" (गणेश शंकर विद्यार्थी), "कर्मवीर" (माखनलाल चतुर्वेदी) और "आज" जैसी पत्रिकाओं ने अपनी धारदार लेखनी से ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी।

**लोकतंत्र की पाठशाला:** इन पत्रिकाओं ने आम जनता को राजनीति, अधिकारों और वैश्विक घटनाओं से अवगत कराया, जिससे हिन्दी केवल भावों की भाषा न रहकर "तर्क और न्याय" की भाषा बन गई।

## सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण

हिन्दी पत्रिकाओं का महत्व केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने समाज के हर वर्ग को छुआ है:

- **महिला सशक्तिकरण:** "चाँद, स्त्री दर्पण" और आधुनिक युग में "गृहशोभा" व "सरिता" जैसी पत्रिकाओं ने महिलाओं के मुद्दों, शिक्षा और अधिकारों पर खुलकर चर्चा की।
- **बाल साहित्य:** "चंदामामा" "नंदन" "पराग" और "चंपक" ने बच्चों में बचपन से ही हिन्दी पढ़ने की रुचि पैदा की। सरल कहानियों और चित्रों के माध्यम से नई पीढ़ी को अपनी मातृभाषा से जोड़े रखा।
- **विज्ञान और तकनीक:** "विज्ञान प्रगति" और "आविष्कार" जैसी पत्रिकाओं ने प्रमाणित किया कि हिन्दी में जटिल वैज्ञानिक विषयों को भी सरलता से समझाया जा सकता है।

## हिन्दी पत्रिकाओं का विविध स्वरूप (तालिका)

| युग/श्रेणी | प्रमुख पत्रिकाएँ | मुख्य योगदान |
|---|---|---|
| **पुनर्जागरण काल** | सरस्वती, कवि वचन सुधा | भाषा का मानकीकरण और सुधार। |
| **स्वतंत्रता पूर्व** | हंस, मतवाला, कर्मवीर | राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति। |
| **स्वतंत्रता पश्चात** | धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान | कला, संस्कृति और गंभीर पत्रकारिता। |
| **आधुनिक/विषयगत** | इंडिया टुडे (हिन्दी), आउटलुक | समसामयिक और राजनीतिक विश्लेषण। |

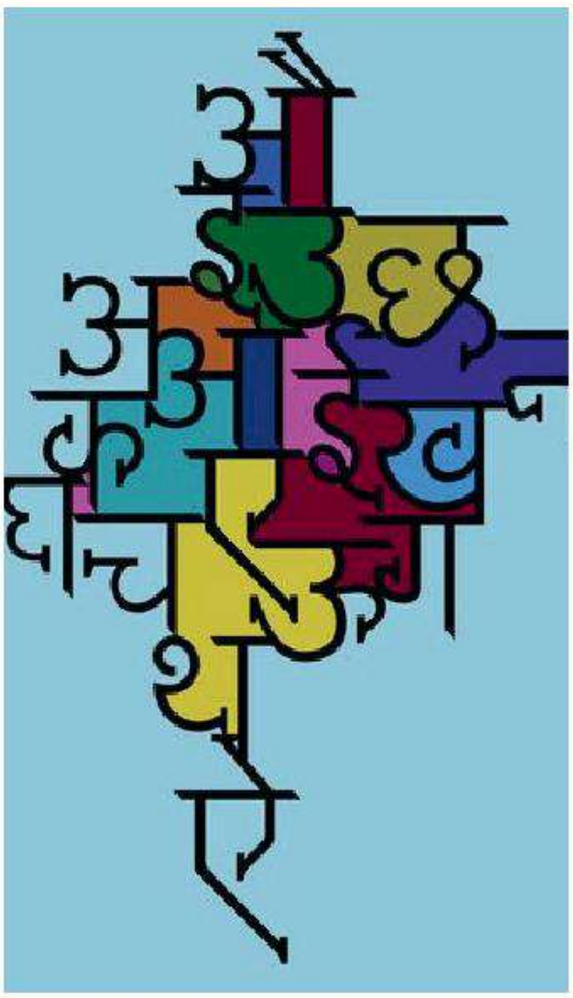

### वर्तमान चुनौतियाँ और डिजिटल युग

आज के दौर में जब इंटरनेट का बोलबाला है, पत्रिकाओं ने अपना स्वरूप बदला है। अब ई-पत्रिकाएँ और वेब-पोर्टल हिन्दी के प्रचार को वैश्विक बना रहे हैं।

- **वैश्विक पहुँच:** सात समंदर पार बैठे भारतीय भी 'हिन्दी समय', 'कविता कोश' या डिजिटल पत्रिकाओं के माध्यम से अपनी भाषा से जुड़े हैं।
- **नये रचनाकारों को मंच:** सोशल मीडिया और ब्लॉगिंग के दौर में भी पत्रिकाओं की संपादकीय शुद्धता का अपना महत्व है, जो भाषा की गरिमा को बचाए रखती है।

उपसंहार के रूप में यह कहा जा सकता है कि हिन्दी पत्रिकाओं ने एक 'मशाल' की तरह कार्य किया है। उन्होंने न केवल हिन्दी को एक मानक रूप दिया, बल्कि इसे ज्ञान, विज्ञान, मनोरंजन और विरोध की भाषा बनाया। आज यदि हिन्दी विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है, तो इसका एक बड़ा श्रेय उन निस्वार्थ संपादकों और पत्रिकाओं को जाता है जिन्होंने आर्थिक तंगी के बावजूद हिन्दी की सेवा को सर्वोपरि रखा।

**सुमित कुमार गुप्ता**
राजभाषा (हुडको)

# तिरुवनंतपुरम क्षे. का. में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग एवं प्रसार

भारत सरकार द्वारा हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने के पश्चात सभी केंद्रीय संस्थानों का यह दायित्व बनता है कि वे अपने प्रशासनिक एवं शासकीय कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को निरंतर प्रोत्साहित करें। इसी दिशा में हडको का तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय राजभाषा हिन्दी के प्रभावी कार्यान्वयन, प्रयोग तथा प्रचार-प्रसार को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सक्रिय भूमिका निभा रहा है। कार्यालय में कामकाजी हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएँ, कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। हिन्दी पखवाड़ा, प्रतियोगिताएँ, कार्यशालाएँ तथा प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। इन प्रयासों से न केवल राजभाषा नीति के लक्ष्यों की पूर्ति हो रही है, बल्कि कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी के प्रति जागरूकता और स्वीकार्यता भी निरंतर बढ़ रही है।

## प्रशासनिक कार्यों में हिन्दी का प्रयोग

हडको तिरुवनंतपुरम कार्यालय में सभी प्रकार के पत्राचार, फाइलों का संधारण, सूचना पट्ट, नाम पट्ट, आदेश, कार्यालय ज्ञापन एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों में यथासंभव हिन्दी का प्रयोग किया जा रहा है। कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी राजभाषा अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत द्विभाषिक व्यवस्था का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन कर रहे हैं।

## राजभाषा कार्यान्वयन समिति की भूमिका

प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की जाती है। बैठक में राजभाषा हिन्दी के प्रगति कार्यों की समीक्षा की जाती है, पूर्व बैठकों में लिए गए निर्णयों की अनुपालन स्थिति पर चर्चा होती है तथा आगामी तिमाही के लिए कार्ययोजना निर्धारित की जाती है। साथ ही, हिन्दी में कार्य करने में आ रही कठिनाइयों पर विचार कर उनके समाधान हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए जाते हैं। पिछली तीन बैठकों का आयोजन निम्नलिखित तिथियों को किया गया :-

24 मार्च, 2025, 23 जून, 2025, 22 अगस्त, 2025 और 12 दिसंबर, 2025 ।

## प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएँ

हिन्दी टाइपिंग, प्रारूप लेखन, अनुवाद कार्य तथा कामकाजी हिन्दी से संबंधित विषयों पर समय- समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। इन प्रयासों से कर्मचारियों की भाषा दक्षता में वृद्धि हुई है तथा दैनिक कार्यों में हिन्दी के प्रयोग के प्रति उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। हडको तिरुवनंतपुरम कार्यालय बाहरी फैकल्टी की सहभागिता के साथ कार्यशालाओं के आयोजन हेतु नए संसाधन व्यक्तियों को शामिल करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है।

*हडको तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय की गृह पत्रिका 'संकल्प' का विमोचन माननीय श्री तोखन साहू, राज्य मंत्री (एम.ओ.एच.यू.ए.) एवं हडको सीएमडी के कर-कमलों द्वारा किया गया।*

## गृह पत्रिका 'संकल्प'

हडको क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुवनंतपुरम की गृह पत्रिका "संकल्प" का 11वाँ अंक प्रकाशित हुआ है, जो हम सभी के लिए अत्यंत गर्व और प्रसन्नता का विषय है। संकल्प पत्रिका केवल एक प्रकाशन मात्र नहीं, बल्कि हमारे क्षेत्रीय कार्यालय की कार्यसंस्कृति, विचारधारा और सामूहिक प्रतिबद्धता का सजीव प्रतिबिंब है। इसके माध्यम से अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भावनाएँ, रचनात्मकता, प्रतिभा, कार्यकुशलता तथा व्यक्तित्व सहज रूप में अभिव्यक्त होते हैं। हडको तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय की गृह पत्रिका 'संकल्प' की पाँच प्रतियाँ 15 अगस्त को मुख्यालय भेजी गईं, जिसका विमोचन माननीय श्री तोखन साहू, राज्य मंत्री एमओएचयूए एवं हडको सीएमडी के कर-कमलों द्वारा किया गया। राजभाषा हिन्दी के प्रयोग एवं प्रसार में गृह पत्रिकाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हम अपनी प्रतिभा और कार्यक्षमता को ईमानदारी, निष्ठा और पारदर्शिता के साथ निखारते हुए अपने दायित्वों का समर्पण भाव से निर्वहन करें। इस अंक में आपको इन सभी मूल्यों और प्रयासों की स्पष्ट झलक देखने को मिलेगी।

## पखवाड़ा आयोजन

क्षेत्रीय कार्यालय तिरुवनंतपुरम में 14.09.2025 से 29.09.2025 तक हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। हिन्दी पखवाड़ा हमें यह अवसर प्रदान करता है कि हम अपने राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को अधिक प्रोत्साहित करें तथा कार्यालयीन कार्यों में इसके उपयोग को बढ़ावा दें। यह न केवल हमारे संवैधानिक दायित्व की पूर्ति है, बल्कि आत्मगौरव की भी अभिव्यक्ति है। पखवाड़ा के दौरान विविध कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया । इन कार्यक्रमों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी से कार्यालय में हिन्दी के प्रति सकारात्मक एवं प्रेरक वातावरण का निर्माण होता है।

## डिजिटल माध्यमों में हिन्दी का उपयोग

हडको तिरुवनंतपुरम कार्यालय द्वारा वैबसाइट, ई-मेल पत्राचार, सोशल मीडिया एवं अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यथासंभव हिन्दी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। इससे डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत हिन्दी को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने में योगदान मिल रहा है।

## निरीक्षण एवं अनुपालन

समय-समय पर उच्च कार्यालयों एवं मंत्रालयों द्वारा किए गए राजभाषा निरीक्षणों के दौरान प्राप्त सुझावों एवं निदेशों का गंभीरता से अनुपालन किया जाता है तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 08 जनवरी 2025 को हडको क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुवनंतपुरम का राजभाषायी निरीक्षण किया गया। इससे संबंधित रिपोर्ट दिनांक 25.11.2025 को प्राप्त हुई। रिपोर्ट के अनुसार तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय में राजभाषा अनुपालन संतोषजनक रूप से हो रहा है। रिपोर्ट में उल्लिखित सभी मदों को स्वीकार करते हुए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को दिनांक 10.12.2025 को उत्तर पत्र भेज दिया गया।

*टीमवर्क की पहचान–नटाकास पुरस्कार 2024–25 के साथ तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय*

## टॉलिक में हडको क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुवनंतपुरम का योगदान

2015 से लेकर आज तक हडको क्षेत्रीय कार्यालय तिरुवनंतपुरम, नराकास (उपक्रम) के अंतर्गत सक्रिय रूप से कार्यरत है। त्रिवेंद्रम नराकास के अंतर्गत हडको क्षेत्रीय कार्यालय तिरुवनंतपुरम का सक्रिय योगदान रहा है। आरंभ से ही हडको ने संकल्प पत्रिका के प्रकाशन और विभिन्न राजभाषा कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसी कारण हडको को प्रत्येक वर्ष हिन्दी कार्यान्वयन के क्षेत्र में नरकास का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अपने गृह पत्रिका और राजभाषा प्रगामी प्रयोग-निष्पादन में हडको ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आने वाले समय में भी हडको क्षेत्रीय कार्यालय तिरुवनंतपुरम अपने कार्य को और अधिक प्रभावी एवं सार्थक बनाने के लिए संकल्पित है।

नराकास के तत्वावधान में आयोजित हिन्दी पखवाड़ा समारोह के अंतर्गत विविध प्रतियोगिताएँ, प्रशिक्षण कार्यक्रम, राजभाषा निरीक्षण आदि आयोजित किए गए। दिनांक 27 नवंबर 2025 को हडको क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुवनंतपुरम में नराकास (उपक्रम) द्वारा राजभाषा निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण नराकास के सदस्य सचिव डॉ. सुरेश कुमार आर. तथा श्रीमती गिरिजा कुमारी, सेवानिवृत्त रा.भा. अधिकारी (भविष्य निधि), के नेतृत्व में सम्पन्न हुआ। नराकास की 21वीं एवं 22 वीं बैठक में क्षेत्रीय प्रमुख की भागीदारी हुई। श्री निर्मल कुमार दुबे, उप निदेशक (कार्यान्वयन) एवं कार्यालय प्रमुख, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, कोच्चि द्वारा छमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान दुबे जी ने हडको तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई टिप्पणियों की स्थिति, भेजे गए पत्रों की शत-प्रतिशत अनुपालना तथा हिन्दी कार्यों में की गई प्रगति की सराहना की।

फलस्वरूप हमारे क्षेत्रीय कार्यालय को छोटे कार्यालयों की श्रेणी में उत्कृष्ट राजभाषा कार्य निष्पादन हेतु प्रथम पुरस्कार तथा उत्कृष्ट गृह पत्रिका की श्रेणी में 'संकल्प' को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। दिनांक 12.12.2025 को आयोजित समारोह में क्षेत्रीय प्रमुख द्वारा यह पुरस्कार श्रीमती डॉ. अनिता तंपी, नराकास अध्यक्ष एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड से प्राप्त किया गया।

*उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए प्रथम स्थान।*

## सतत सुधार एवं भविष्य की योजना

राजभाषा हिन्दी के अधिकतम प्रयोग को सुनिश्चित करने हेतु कार्यालय द्वारा निरंतर नए उपाय अपनाए जा रहे हैं तथा भविष्य में भी हिन्दी के प्रचार-प्रसार एवं प्रभावी कार्यान्वयन को और अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास जारी रहेगा। सभी अधिकारियों ने हिन्दी में किए गए कार्यों को शेयरपॉइंट में संबंधित फोल्डर में डाल दिया है। सभी ने टिप्पणी के क्षेत्र में 100% भरने का प्रयास किया है। भविष्य में हडको तिरुवनंतपुरम इस दिशा में और भी अधिक उल्लेखनीय प्रयास करेगा।

*उत्कृष्ट गृह पत्रिका के लिए द्वितीय स्थान।*

**हरिकृष्णन आर एस**
संयुक्त महाप्रबंधक (परि.) तिरुवनंतपुरम कार्यालय, हडको

# .एपीके फाइल का खतरा

इस लेख के माध्यम से मैं सबको .एपीके फाइल के खतरों से अवगत करवाना चाहता हूँ। एंड्रॉइड मोबाइल में जो भी ऐप इंस्टॉल होते हैं, वे मूल रूप से एक इंस्टॉलेशन पैकेज के रूप में आते हैं, जिसे .एपीके (एन्ड्रोइड पैकेज) फाइल कहा जाता है। आमतौर पर यह फाइल हमें सीधे गूगल प्ले स्टोर या आधिकारिक ऐप स्टोर के भीतर ही दिखाई नहीं देती, बल्कि ऐप डाउनलोड होने के दौरान पृष्ठभूमि में उपयोग होती है। समस्या तब शुरू होती है जब कोई .एपीके फाइल हमें प्ले स्टोर जैसे आधिकारिक माध्यम से नहीं, बल्कि किसी लिंक, मैसेज या ईमेल अटैचमेंट के रूप में सीधे भेजी जाती है। ऐसी फाइलें दिखने में किसी सरकारी योजना, बिजली बिल, शादी का निमंत्रण, बैंकिंग सेवा या ऑफर के नाम पर आती हैं, लेकिन इनके अंदर मालवेयर या स्पाइवेयर छिपा हो सकता है जो हमारे मोबाइल के डेटा और बैंकिंग जानकारी पर कब्जा कर सकता है।

अक्सर साइबर अपराधी व्हाट्सऐप, एसएमएस या सोशल मीडिया पर एक लिंक भेजते हैं और उस पर क्लिक करने पर मोबाइल में एक .एपीके फाइल डाउनलोड होने लगती है। उपयोगकर्ता से कहा जाता है कि "ये नया ऐप इंस्टॉल कीजिए भी आपको लाभ/ रिफंड/इनाम/सेवा मिलेगी", और जैसे ही व्यक्ति "इन्स्टॉल फ्रॉम अननॉन सोर्स" की अनुमति देकर इसे इंस्टॉल करता है, वही से धोखाधड़ी की शुरुआत हो जाती है।

### स्टॉल होने के बाद क्या हो सकता है ?

ऐसी फर्जी .एपीके फाइल इंस्टॉल होने के बाद आपके मोबाइल के एसएमएस, कॉन्टैक्ट, कॉल लॉग, स्क्रीन कंटेंट, कीबोर्ड इनपुट और यहाँ तक कि ओटीपी भी पढ़ सकती है । इसके माध्यम से ठग आपके इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट और विभिन्न फिनटेक ऐप्स में अनाधिकृत लेन-देन कर सकते हैं, जबकि आपको केवल सामान्य नोटिफिकेशन या कॉल का भ्रम रहता है। यदि ऐसा कोई संक्रमित .एपीके फोन में इंस्टॉल हो जाए, तो न केवल व्यक्तिगत वित्तीय नुकसान का खतरा बढ़ता है, बल्कि संस्थान के गोपनीय डेटा, ईमेल और आंतरिक सिस्टम तक अप्रत्यक्ष पहुंच का जोखिम भी पैदा हो सकता है।

### किन संकेतों से सतर्क होना चाहिए

- किसी अनजान नंबर या अनौपचारिक व्हाट्सऐप मैसेज से आए लिंक पर क्लिक करने की मांग।
- "इन्स्टॉल एनिवे" जैसे पॉप-अप बार-बार दिखाई देना।
- ऐप इंस्टॉल होते ही अचानक मोबाइल स्लो होना, बैटरी तेजी से खत्म होना, स्वतः एसएमएस भेजे जाना या इंटरनेट डेटा का असामान्य उपयोग।

## क्या करें क्या न करें – सुरक्षित रहने के सरल नियम

- हमेशा केवल आधिकारिक ऐप स्टोर (गूगल प्ले स्टोर आदि) से ही ऐप डाउनलोड करें, .एपीके फाइल मैन्युअली डाउनलोड न करें।
- किसी भी लिंक के बदले सीधे बैंक/संस्था की आधिकारिक वैबसाइट या ऐप खोलकर ही कार्य करें, लिंक पर भरोसा न करें।
- ऑफिस से जुड़े ऐप्स और ईमेल के लिए अलग, सुरक्षित मोबाइल या प्रोफाइल का प्रयोग करना बेहतर है।
- किसी भी सरकारी योजना, लॉटरी, इनाम, बिजली बिल, एचआर नोटिस या "तत्काल वेतन/रिफंड" के नाम पर भेजी गई .एपीके फाइल कभी डाउनलोड न करें।
- "सिर्फ एक बार ओटीपी शेयर कर दीजिए" या "सिक्योरिटी ऐप इंस्टॉल करिए" कहने वाले किसी भी व्यक्ति पर भरोसा न करें, चाहे वह खुद को बैंक/एनबीएफसी/कस्टमर केयर बताता हो।
- साइबर फ्रॉड का शिकार होने पर चुप न रहें; तुरंत हेल्पलाइन 1930 पर, स्थानीय साइबर क्राइम पोर्टल पर और अपनी संस्था की सूचना सुरक्षा टीम को रिपोर्ट करें।

एनबीएफसी के लिए साइबर सुरक्षा आज केवल आईटी विभाग का मुद्दा नहीं, बल्कि बिज़नेस निरंतरता और प्रतिष्ठा से जुड़ा एक सामूहिक दायित्व है। हर कर्मचारी यदि .एपीके जैसे छोटे तकनीकी शब्दों के पीछे छिपे बड़े जोखिम को समझ कर सतर्क रहेगा, तो संस्था की समग्र साइबर सुरक्षा मजबूत होगी और ग्राहकों का विश्वास और भी सुदृढ़ होगा।

**संदीप सूद**
संयुक्त महाप्रबंधक (आईटी), हडको

# राजभाषा सम्मेलनों का महत्व

किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की अपनी एक भाषा होती है, जो उसकी पहचान, संस्कृति और स्वाभिमान का प्रतीक होती है। भारत एक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश है, जहाँ विभिन्न भाषाएँ, बोलियाँ और सांस्कृतिक परंपराएँ एक साथ विकसित होती रही हैं। भारत जैसे विविधताओं वाले देश में, जहाँ **"कोस-कोस पर पानी बदले, चार कोस पर वाणी"** वहाँ एक ऐसी भाषा की आवश्यकता सदैव रही है जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम को एक सूत्र में पिरो सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 14 सितंबर 1949 को हिन्दी को भारत की 'राजभाषा' का दर्जा दिया गया। जो प्रशासन, शासन और राष्ट्रीय स्तर पर संवाद का माध्यम बन सके। राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन, प्रचार-प्रसार और विकास के लिए समय-समय पर राजभाषा सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है जो संवैधानिक संकल्प को जमीन पर उतारने का एक सशक्त माध्यम भी है। यह सम्मेलन केवल औपचारिक आयोजन, वार्षिक उत्सव नहीं होते, बल्कि भाषा नीति को दिशा देने, उसकी प्रगति का मूल्यांकन करने और आत्म-निरीक्षण, नियोजन तथा कार्यान्वयन का एक महत्वपूर्ण मंच होते हैं।

## संवैधानिक पृष्ठभूमि और महत्व

भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 351 विशेष रूप से सरकार को यह निर्देश देता है कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे। राजभाषा सम्मेलन इन संवैधानिक निर्देशों के पालन की एक अनिवार्य कड़ी है। इन सम्मेलनों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि केंद्र सरकार के कार्यालयों में कामकाज केवल अंग्रेजी तक सीमित न रहे, बल्कि जनमानस की भाषा में भी हो। यह लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि जनता की भाषा में किया गया शासन ही वास्तविक सुशासन कहलाता है। राजभाषा सम्मेलन भाषा के विकास और संवर्धन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी भाषा का विकास तभी संभव है जब उसका प्रयोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हो—जैसे प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और न्याय व्यवस्था। इन सम्मेलनों में विशेषज्ञ, विद्वान और अधिकारी मिलकर भाषा को समृद्ध बनाने के उपायों पर चर्चा करते हैं। नई शब्दावली का निर्माण, तकनीकी शब्दों का मानकीकरण और भाषा को आधुनिक संदर्भों के अनुरूप ढालना, ये सभी कार्य इन सम्मेलनों के माध्यम से आगे बढ़ाए जाते हैं।

राजभाषा सम्मेलन सरकारी कार्यों में भाषा के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करते हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारों के अनेक कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए नियम बनाए गए हैं, लेकिन इनका सही कार्यान्वयन एक चुनौती है। सम्मेलन इस बात की समीक्षा करते हैं कि विभिन्न विभागों में राजभाषा का उपयोग किस स्तर तक हो रहा है। इसके साथ ही यह सुझाव भी दिए जाते हैं कि किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है और किस प्रकार कर्मचारियों को प्रेरित किया जा सकता है।

इन सम्मेलनों के माध्यम से भाषा से संबंधित नीतियों और दिशा-निर्देशों का निर्माण होता है। राजभाषा नीति को समय के साथ बदलते सामाजिक और तकनीकी परिवेश के अनुसार अपडेट करना आवश्यक होता है। सम्मेलन इस प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाते हैं। उदाहरण के लिए, डिजिटल युग में ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन संचार और तकनीकी प्लेटफॉर्म पर हिन्दी के उपयोग को बढ़ाने के लिए विशेष नीतियाँ बनाई जाती हैं।

राजभाषा सम्मेलन भाषा के प्रति जागरूकता और सम्मान की भावना को बढ़ाते हैं। जब किसी भाषा को केवल औपचारिक रूप से अपनाया जाता है, तो उसका प्रभाव सीमित रहता है। लेकिन जब लोगों के भीतर उस भाषा के प्रति गर्व और आत्मीयता का भाव उत्पन्न होता है, तब उसका वास्तविक विकास होता है। सम्मेलन इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं,

क्योंकि इनमें भाषा के महत्व, उसके इतिहास और उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला जाता है।

राजभाषा सम्मेलनों के माध्यम से प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की व्यवस्था भी की जाती है। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। कई बार यह देखा जाता है कि लोग भाषा के प्रयोग से इसलिए बचते हैं क्योंकि उन्हें उसमें दक्षता नहीं होती। सम्मेलन इस समस्या को समझते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और मार्गदर्शन सत्रों का आयोजन करने पर बल देते हैं। इससे कर्मचारियों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अधिक प्रभावी ढंग से राजभाषा का उपयोग कर पाते हैं। प्रेरणा और प्रोत्साहन: जो कर्मचारी या विभाग हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उन्हें सम्मानित करना ताकि अन्य लोग भी प्रेरित हों। 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' और 'राजभाषा गौरव पुरस्कार' इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं।

यह सम्मेलन राजभाषा के प्रयोग में आने वाली समस्याओं के समाधान का मंच भी प्रदान करते हैं। प्रशासनिक कार्यों में भाषा के उपयोग के दौरान कई व्यावहारिक कठिनाइयाँ सामने आती हैं, जैसे अनुवाद की समस्या, तकनीकी शब्दों की कमी, या कर्मचारियों की अनिच्छा। सम्मेलन इन समस्याओं पर खुलकर चर्चा करने का अवसर देते हैं और उनके व्यावहारिक समाधान खोजे जाते हैं। राजभाषा सम्मेलन राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में एक साझा भाषा संवाद को सरल बनाती है और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को जोड़ती है। हिन्दी, राजभाषा के रूप में, इस भूमिका को निभाने में सक्षम है। सम्मेलन इस बात पर जोर देते हैं कि भाषा किसी पर थोपी न जाए, बल्कि उसे एक सेतु के रूप में विकसित किया जाए जो विभिन्न भाषाई समुदायों को जोड़ सके। इन सम्मेलनों का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वे भाषा और तकनीक के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। आज के डिजिटल युग में कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में हिन्दी का उपयोग बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। सम्मेलन इस दिशा में नई संभावनाओं और चुनौतियों पर विचार करते हैं और तकनीकी साधनों के माध्यम से राजभाषा को अधिक सशक्त बनाने की रणनीतियाँ तैयार करते हैं। राजभाषा सम्मेलन विभिन्न विभागों

और संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य भी करते हैं। कई बार अलग-अलग विभागों में भाषा नीति के कार्यान्वयन में असमानता देखने को मिलती है। सम्मेलन इन सभी को एक मंच पर लाकर अनुभवों का आदान-प्रदान करवाते हैं, जिससे एक समान और प्रभावी प्रणाली विकसित की जा सके। अंततः, राजभाषा सम्मेलन न केवल भाषा के प्रचार-प्रसार का माध्यम हैं, बल्कि वे प्रशासनिक दक्षता, सांस्कृतिक संरक्षण और राष्ट्रीय एकता के सशक्त साधन भी हैं। सम्मेलन यह सुनिश्चित करते हैं कि राजभाषा केवल कागज़ों तक सीमित न रहकर व्यवहार में भी उतरे और आम जनता तथा सरकारी तंत्र के बीच एक प्रभावी संवाद का माध्यम बने। राजभाषा सम्मेलन भाषा के विकास, उसके प्रभावी उपयोग और उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह सम्मेलन न केवल वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, बल्कि भविष्य के लिए भी एक सशक्त भाषा नीति की नींव रखते हैं। इसलिए, इनका महत्व केवल प्रशासनिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय दृष्टि से भी अत्यधिक है। सम्मेलनों को केवल भाषणों तक सीमित न रखकर कार्यशाला आधारित बनाना होगा। नई शिक्षा नीति 2020 के साथ राजभाषा के तालमेल को बिठाना होगा ताकि आने वाली पीढ़ी अपनी मातृभाषा और राजभाषा में शिक्षा ग्रहण कर सके।

**संतोष कुमार**
अनुसंधान अधिकारी,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार

# विकसित भारत 2047

विकसित भारत विश्व का सबसे तेजी से शहरीकरण की ओर अग्रसर देश है, जहां 2047 तक जनसंख्या 1.7 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। इस चुनौतीपूर्ण परिदृश्य में हडको, भारतीय रिज़र्व बैंक, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार और बैंकों की त्रिपक्षीय साझेदारी आगामी बजट 2026-27 तथा विकसित भारत 2047 विजन के माध्यम से अफोर्डेबल हाउसिंग और स्मार्ट सिटी विकास को गति प्रदान करेगी। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको) 1970 में स्थापित आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार का नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित एनबीएफसी-आईएफसी के रूप में यह पूरे भारत में आवासीय और शहरी अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। स्मार्ट सिटी मिशन के 100 शहरों, पीएमएवाई, अमृत 2.0, जल जीवन मिशन में केंद्रीय नोडल एजेंसी की भूमिका निभाता है। एनएचबी के साथ मिलकर सीएलएसएस सब्सिडी वितरित करता है, जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक की एसएलआर तथा रेपो दर नीतियां इसके लोन दरों को प्रभावित करती हैं। इस संगठन का फोकस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय समूह के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग, आईओटी-आधारित स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तथा पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स पर है। वर्तमान में इसका एयूएम 1 लाख करोड़ से अधिक है, जो 2030 तक 3 लाख करोड़ तक पहुंचने का लक्ष्य रखता है।

समय के साथ हडको ने सामाजिक आवास, आवासीय रियल एस्टेट, खुदरा वित्त (हडको निवास ब्रांड के तहत), जल आपूर्ति, सड़कें, परिवहन, बिजली, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसी शहरी अवसंरचना परियोजनाओं में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की। प्रमुख सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत, स्मार्ट सिटी मिशन, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 2024 में इसे नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया, जो इसकी क्षमता और विश्वसनीयता को दर्शाता है।

हडको ने अब तक लाखों ग्रामीण और शहरी आवास इकाइयों को वित्त पोषित किया है, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय समूह के लिए। पैन-इंडिया उपस्थिति के साथ यह राज्य सरकारों के साथ मजबूत साझेदारी रखता है।

## जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और स्मार्ट सिटी की राष्ट्रीय चुनौतियां

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, 2047 तक भारत की जनसंख्या 1.7 अरब हो जाएगी, जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक शहरी क्षेत्रों में निवास करेगी। वर्तमान 38 प्रतिशत शहरी आबादी 2036 तक 600 मिलियन (60 करोड़) तक पहुंच जाएगी, जिससे प्रतिवर्ष 60-80 करोड़ वर्ग मीटर अतिरिक्त शहरी स्थान की आवश्यकता होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों से देश में ₹27 लाख करोड़ से अधिक आउटस्टैंडिंग हाउसिंग लोन इस दबाव को प्रतिबिंबित करते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के 100 शहरों—उत्तर भारत में लखनऊ, आगरा; पश्चिम में सूरत, इंदौर; दक्षिण में पुणे, हैदराबाद; पूर्व में भुवनेश्वर, गंगटोक—में हडको ने 500 से अधिक प्रोजेक्ट्स फाइनेंस किए हैं। इनमें स्मार्ट ग्रिड, एकीकृत जल आपूर्ति, सीवरेज ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स तथा स्मार्ट मोबिलिटी सिस्टम शामिल हैं। टियर-2/3 शहरों जैसे जयपुर, नागपुर, पटना, कोयंबटूर में विस्तार से वार्षिक 10 लाख अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स की बिक्री संभव है। हालांकि, स्लम रिहैबिलिटेशन (1 करोड़ से अधिक प्रभावित), भूमि अधिग्रहण, जल संकट तथा असमान शहरी विकास प्रमुख चुनौतियां हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पीएमएवाई-शहरी के तहत 11.8 मिलियन घरों का लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर अभी अधूरा है, जबकि 2 करोड़ अस्वीकृत आवासों की कमी बनी हुई है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एनबीएफसी-आईएफसी के रूप में पीएमएवाई, अमृत, स्मार्ट सिटी जैसी योजनाओं में सक्रिय। जनसंख्या दबाव के दौर में इसका फोकस ईडब्ल्यूएस/एलआईजी हाउसिंग और सस्टेनेबल इंफ्रा पर है।

## जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण की चुनौतियां

2047 तक भारत की जनसंख्या 1.7 अरब पहुंचेगी, जिसमें 50% शहरी आबादी होगी। 2036 तक 600 मिलियन शहरी निवासी होंगे, जिससे सालाना 60-80 करोड़ वर्ग मीटर स्थान की जरूरत पड़ेगी। टियर-2/3 शहरों में मांग तेज, अफोर्डेबल यूनिट्स की कमी प्रमुख समस्या होगी, इससे 2 करोड़ अस्वीकृत घरों का लक्ष्य कठिन, लेकिन अवसर भी रियल एस्टेट 2047 तक 10 ट्रिलियन डॉलर का, प्रॉपर्टी प्राइस 5-10% सालाना बढ़ेंगी। हडको स्लम रिहैब और प्रीफैब कंस्ट्रक्शन से अंतर भर सकता है। विकसित भारत @2047 में 8%+जीडीपी वृद्धि के लिए शहरीकरण आधारभूत है। हडको एयूएम को 75% शहरी इंफ्रा पर ले जाएगा, 70-80 लाख करोड़ निवेश जुटाएगा। स्मार्ट सिटीज, जल जीवन मिशन और ग्रीन बिल्डिंग्स पर फोकस, 2030 तक 3 लाख करोड़ एयूएम लक्ष्य (25% सीएजीआर) रखा गया है।

## विकसित भारत 2047 में संस्थागत भूमिकाएं और रणनीतियां

विकसित भारत @2047 विजन राष्ट्र को 8 प्रतिशत से अधिक जीडीपी वृद्धि दर, प्रति व्यक्ति आय में दोगुनी वृद्धि तथा शून्य गरीबी वाला विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखता है, जिसमें शहरीकरण केंद्रीय है। हडको अपना एयूएम 2026 तक 1.6 लाख करोड़ और 2030 तक 3 लाख करोड़ (25 प्रतिशत सीएजीआर) तक ले जाएगा, जिसमें 75 प्रतिशत शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित होगा। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की नीतियां (पीएमएवाई-2.0, स्मार्ट सिटी 2.0), भारतीय रिज़र्व बैंक का एचएफसी रेगुलेशन तथा एनएचबी/बैंकों का रिफाइनेंस एकीकृत साझेदारी बनाएंगे। उदाहरणस्वरूप, लखनऊ स्मार्ट सिटी में आइओटी-आधारित जल प्रबंधन, वाराणसी में एआई ट्रैफिक प्लानिंग, सूरत में ग्रीन बिल्डिंग्स तथा भुवनेश्वर में वेस्ट-टू-एनर्जी प्रोजेक्ट्स फाइनेंस हो रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों (गंगटोक) में पहाड़ी इलाकों हेतु विशेष इंफ्रा तथा मध्य भारत (इंदौर) में औद्योगिक हाउसिंग पर फोकस है। सीएलएसएस सब्सिडी योजना से ई डब्ल्यू एस/एल आई जी को 6.5% ब्याज छूट (अधिकतम ₹6 लाख लाभ), एम आई जी -I/II को क्रमशः 4% तथा 3% (₹9-12 लाख तक) प्रदान की जाती है। जनसंख्या दबाव से प्रीफैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन, आईजीबीसी प्रमाणित ग्रीन बिल्डिंग्स तथा ईवी चार्जिंग स्टेशन्स जैसे सस्टेनेबल मॉडल्स को बढ़ावा मिलेगा। स्मार्ट सिटी मिशन के पैनल ऑफ फाइनेंशियर्स में हडको 70-80 लाख करोड़ निवेश जुटाने में योगदान देगा।

## आगामी बजट 2026-27: राष्ट्रीय अपेक्षाएं और प्रभाव

फरवरी 2026 में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत को प्राथमिकता देगा। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को 96,777 करोड़ रुपये से अधिक आवंटन, स्मार्ट सिटी 2.0 को 50,000 करोड़ तथा पीएमएवाई-सीएलएसएस का पुनरुद्धार अपेक्षित है। प्रमुख प्रस्तावों में होम लोन डिडक्शन सीमा ₹2.5 लाख तक बढ़ोतरी, नो-कॉस्ट ईएमआई पोर्टेबिलिटी, स्टैंडर्डाइज्ड लोन डिस्क्लोजर तथा रियल एस्टेट को इंडस्ट्री स्टेटस प्रदान करना शामिल है। हडको को इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड पर टैक्स छूट, 50,000 करोड़ रुपये रिफाइनेंस फंड तथा PSU कैपिटल इन्फ्यूजन मिलेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक लोन-टू-माइलस्टोन लिंकिंग (कंस्ट्रक्शन चरणों पर लोन रिलीज) लागू करने का निर्देश देगा। इससे हडको का लोन डिस्बर्सल 20 प्रतिशत से अधिक, एनआईएम 3 प्रतिशत से ऊपर तथा आरओए 2.1 प्रतिशत बनेगा। उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, तेलंगाना जैसे राज्यों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स से स्टॉक मार्केट पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

## गृह ऋण योजनाओं, स्मार्ट सिटी और हडको का राष्ट्रीय संबंध

यीएलएसएस (पीएमएवाई): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना में हडको तथा एनएचबी सीएनए हैं। एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक पीएलआई के तहत लोन प्रदान करते हैं, जबकि हडको सब्सिडी प्रत्यक्ष रूप से खाते में क्रेडिट करता है। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी को 20 वर्षीय लोन पर 6.5% छूट—उदाहरणस्वरूप, आगरा स्मार्ट सिटी में 3000 ईडब्ल्यूएस घर तथा हैदराबाद में एमआईजी प्रोजेक्ट्स। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एचएफसी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। भारतीय रिज़र्व बैंक की नीतियों से प्रेरित, हडको सहायक के रूप में बैंकों तथा एचएफसी को लंबी अवधि का फंड उपलब्ध कराता है। अमृत 2.0 के तहत नागपुर जल आपूर्ति तथा पटना स्मार्ट मोबिलिटी प्रोजेक्ट्स इसके उदाहरण हैं। राज्य सरकारों की गारंटी से जोखिम न्यून होता है। हडको निवास (खुदरा गृह ऋण) भारतीय रिज़र्व बैंक - अनुमोदित 8-10 प्रतिशत ब्याज दरों पर स्मार्ट सिटी निवासियों हेतु डिजाइन किया गया है। जनसंख्या वृद्धि से डिमांड 25 प्रतिशत सीएजीआर पर है—जयपुर में अफोर्डेबल हाउसिंग, कोयंबटूर में औद्योगिक आवास तथा पूरे भारत में 25 शाखाओं के माध्यम से सेवा दी जा रही है।

## राष्ट्रीय हाउसिंग और स्मार्ट सिटी के अवसर

2047 तक भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र 10 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा, जिसमें प्रॉपर्टी मूल्य 5-10 प्रतिशत सालाना बढ़ेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन से 1.5 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार सृजन होगा। उत्तर भारत में लखनऊ के स्लम रिहैबिलिटेशन, पश्चिम में सूरत की ईवी इंफ्रा, पूर्व में भुवनेश्वर का वेस्ट मैनेजमेंट तथा दक्षिण में पुणे का जल जीवन मिशन एकीकृत रूप से विकसित होंगे। हडको-आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार-बैंक त्रिकोण से 1 करोड़ स्लम प्रभावितों को लाभ मिलेगा। हडको का लोन बुक 1 लाख करोड़ से अधिक तथा इक्विटी बेस ₹12,000 करोड़ से ऊपर लक्ष्य रखता है। सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स जैसे वेस्ट मैनेजमेंट, ईवी चार्जिंग तथा ग्रीन हाउसिंग से रिटर्न ऑन इक्विटी 12-15 प्रतिशत रहेगा।

## भविष्य की राष्ट्रीय रणनीति और संभावनाएं

आगामी जनसंख्या वृद्धि को स्मार्ट सिटी, गृह ऋण योजनाओं तथा बजटीय समर्थन से अवसर में परिवर्तित करते हुए हडको विकसित भारत 2047 का राष्ट्रीय इंजन बनेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक की वित्तीय स्थिरता, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की नीतिगत दिशा, एनएचबी-बैंकों का रिफाइनेंस तथा हडको की विशेषज्ञता की एकीकृत साझेदारी पूरे भारत को आवास-संपन्न, स्मार्ट तथा सस्टेनेबल राष्ट्र में बदल देगी। इससे न केवल सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा, बल्कि आर्थिक विकास भी गति पकड़ेगा।

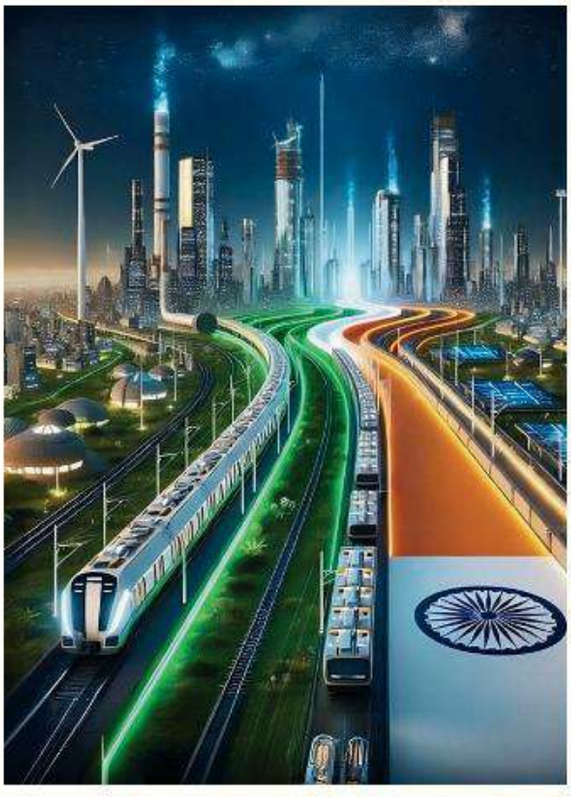

**विकसित भारत @2047:**

राष्ट्रीय विजन विकसित भारत @2047 भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का महत्वाकांक्षी विजन है, जिसमें 8% से अधिक जीडीपी वृद्धि दर, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, बुनियादी ढांचे का सशक्तिकरण और सभी के लिए समावेशी विकास शामिल है। आवास और शहरीकरण इस विजन का मूल आधार हैं, क्योंकि 2047 तक भारत की 50% से अधिक आबादी शहरी क्षेत्रों में होगी। हडको इस विजन में केंद्रीय भूमिका निभा सकता है। स्मार्ट सिटीज, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट और अफोर्डेबल हाउसिंग पर फोकस करते हुए यह स्थायी संपत्ति निर्माण को बढ़ावा देगा। विकसित भारत के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में हडको की एनबीएफसी-आईएफसी स्थिति इसे बॉन्ड जारी करने और लंबी अवधि के फंड जुटाने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा, कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग सेवाएं प्रदान कर यह क्षमता निर्माण में योगदान देगा। विजन 2047 में हाउसिंग को 'आवश्यक आवश्यकता' के रूप में देखा गया है, जहां हडको पीएमएवाई-2.0 जैसे विस्तारित मिशनों के माध्यम से 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक होगा। शहरीकरण की चुनौतियों जैसे स्लम पुनर्वास, जल प्रबंधन और ग्रीन बिल्डिंग्स में इसकी विशेषज्ञता उपयोगी सिद्ध होगी। बजट में पीएमएवाई के लिए अतिरिक्त 50,000 करोड़ रुपये का प्रावधान, स्मार्ट सिटी 2.0 और अमृत 2.0 के विस्तार की उम्मीद है। हडको को इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स पर टैक्स छूट और रिफाइनेंसिंग सुविधाएं मिल सकती हैं। इसके अलावा, ग्रीन हाउसिंग और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विशेष फंड हडको की परियोजनाओं को गति प्रदान करेंगे। पीएसयू प्रदर्शन पर फोकस करते हुए बजट में हडको जैसे नवरत्नों के लिए कैपिटल इन्फ्यूजन या डिविडेंड नीतियों में बदलाव संभव है। स्टॉक मार्केट के संदर्भ में हडको के शेयरों को सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, खासकर यदि बजट में शहरी विकास को 'मिशन मोड' में रखा जाए।

**हाउसिंग क्षेत्र: चुनौतियां और अवसर**

भारत में हाउसिंग क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन 2 करोड़ अस्वीकृत आवासों की कमी बनी हुई है। शहरीकरण से मांग बढ़ रही है, पर किफायती आवास की कमी, उच्च ब्याज दरें और भूमि अधिग्रहण प्रमुख चुनौतियां हैं।

हडको सामाजिक हाउसिंग पर फोकस करता है, जहां ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए सब्सिडी वाले लोन उपलब्ध कराता है। हडको निवास के तहत खुदरा वित्त बढ़ा रहा है। अवसरों में पीएमएवाई का ब्याज सब्वेंशन, क्लीनिक्स और क्रेडिट गारंटी स्कीम शामिल हैं। विकसित भारत 2047 तक सस्टेनेबल हाउसिंग मॉडल्स जैसे प्रीफैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा मिलेगा।

शहरी अवसंरचना में हडको जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पाइप्ड वाटर कनेक्शन फाइनेंस कर रहा है। स्वच्छ भारत के तहत वेस्ट मैनेजमेंट परियोजनाएं चल रही हैं। हडको की प्रमुख योजनाओं में भागीदारी पीएमएवाई के तहत हडको ने 17 लाख से अधिक ग्रामीण घरों को वित्त पोषित किया। अमृत मिशन में जल आपूर्ति परियोजनाओं को फंडिंग दी स्मार्ट सिटी मिशन में 100 शहरों के विकास में योगदान दिया तथा विकसित भारत 2047 के संदर्भ में हडको डिजिटल टूल्स और एवाई-आधारित प्लानिंग को अपनाएगा। ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से स्थानीय बॉडीज को क्षमता प्रदान करेगा। हडको का इक्विटी बेस 12,000 करोड़ से अधिक है, जिसमें सरकार की 75% हिस्सेदारी। 2025 तक मजबूत लोन बुक और लाभप्रदता दर्ज की। आगामी बजट से फंडिंग बढ़ने पर लोन डिस्बर्सल 20% सालाना बढ़ सकता है। स्टॉक मार्केट में हडको पीएसयू सेक्टर का मजबूत प्लेयर है। 2047 विजन तक यह 1 लाख करोड़ लोन बुक लक्ष्य हासिल कर सकता है। केरल और क्षेत्रीय संदर्भ केरल जैसे राज्यों में हडको तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड जैसे क्षेत्रों में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स चला रहा। स्थानीय

जरूरतों जैसे तटीय अवसंरचना और बाढ़ प्रतिरोधी घरों पर फोकस। उपयोगकर्ता के तिरुअनंतपुरम स्थान को ध्यान में रखते हुए, लुलु मॉल क्षेत्र में अफोर्डेबल हाउसिंग संभावित है।

हडको का रणनीतिक महत्व आगामी बजट और विकसित भारत 2047 में हाउसिंग क्रांति का नेतृत्व करेगा। सामाजिक न्याय के साथ लाभप्रदता सुनिश्चित कर यह भारत को आवास संपन्न राष्ट्र बनाएगा। भारत में आगामी जनसंख्या वृद्धि शहरीकरण को तेज करेगी, जिससे हाउसिंग मांग दोगुनी हो जाएगी। हडको इस चुनौती का सामना करते हुए विकसित भारत 2047 और बजट 2026-27 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत की जनसंख्या 2047 तक 1.7 अरब तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें 50% से अधिक शहरी क्षेत्रों में होगी। वर्तमान 38% शहरी आबादी 2036 तक 600 मिलियन (40%) हो जाएगी, जिससे सालाना 60-80 करोड़ वर्ग मीटर शहरी स्थान की जरूरत पड़ेगी। इस वृद्धि से अफोर्डेबल हाउसिंग की मांग बढ़ेगी; 2047 तक वार्षिक 10 लाख यूनिट्स की बिक्री संभव एवं टियर-2/3 शहरों में मांग तेज, जहां आय वृद्धि और बुनियादी ढांचे का विकास होगा।

हडको जैसे संस्थान ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए फाइनेंसिंग बढ़ाकर इस अंतर को भरेंगे। विकसित भारत 2047 में हडको की दिशा विकसित भारत 2047 में हडको का फोकस शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 75% एयूएम तक ले जाना है। 70-80 लाख करोड़ के निवेश की जरूरत को पूरा करने हेतु यह बॉन्ड, क्रेडिट एन्हांसमेंट और कंसल्टेंसी प्रदान करेगा। जनसंख्या दबाव से स्मार्ट सिटीज, जल जीवन मिशन और अर्बन मोबिलिटी फंड पर जोर। हडको का एयूएम 2026 तक 1.6 लाख करोड़ और 2030 तक 3 लाख करोड़ लक्ष्य रखेगा, 25% सीएजीआर के साथ सस्टेनेबल हाउसिंग मॉडल्स जैसे प्रीफैब्रिकेटेड और ग्रीन बिल्डिंग्स अपनाकर यह 14- 20% जीडीपी योगदान वाले रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूत करेगा। 2026 में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को 96,777 करोड़ से अधिक आवंटन की उम्मीद, पीएमएवाई-2.0 के लिए सीएलएसएस विस्तार और अफोर्डेबल हाउसिंग कैप को 45 लाख तक बढ़ाना है। हडको को इंफ्रा बॉन्ड टैक्स छूट और 50,000 करोड़ फंड मिल सकता है। जनसंख्या वृद्धि को देखते हडको पीएमएवाई-शहरी के 11.8 मिलियन संचालित घरों को पूरा करने में सहायता करेगा। रियल एस्टेट को इंडस्ट्री स्टेटस देकर फंडिंग आसान होगी। 2047 तक रियल एस्टेट 10 ट्रिलियन डॉलर का होगा, प्रॉपर्टी प्राइस 5-10% सालाना बढ़ेंगी। हडको स्लम रिहैब, लैंड एक्विजिशन और स्टेट फंडिंग से लाभान्वित होगा। जनसंख्या वृद्धि से जॉब क्रिएशन (1.5 मिलियन डायरेक्ट) और जीडीपी बूस्ट होगा। हडको आरओए 2.1% और स्प्रेड 2% बनाए रखेगा। भारत तेजी से शहरीकरण की ओर अग्रसर है, जहां आगामी जनसंख्या वृद्धि हाउसिंग मांग को अभूतपूर्व स्तर पर ले जाएगी। हडको इस परिदृश्य में विकसित भारत 2047 विजन और बजट 2026-27 के माध्यम से केंद्रीय भूमिका निभाएगा, अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देकर जनसंख्या वृद्धि से हडको पीएमएवाई-2.0 के 2 करोड़ घरों को फाइनेंस करेगा, एआई-आधारित प्लानिंग और ट्रेनिंग से क्षमता बढ़ाएगा। सस्टेनेबल मॉडल्स अपनाकर 14-20% जीडीपी योगदान वाले सेक्टर को मजबूत करेगा। सस्टेनेबल हाउसिंग मॉडल्स जैसे प्रीफैब्रिकेटेड और ग्रीन बिल्डिंग्स अपनाकर यह 14-20% जीडीपी योगदान वाले रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूत करेगा। आगामी बजट 2026-27 की अपेक्षाएं - बजट 2026 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को 96,777 करोड़ से अधिक आवंटन की उम्मीद, पीएमएवाई-2.0 के लिए सीएलएसएस विस्तार और अफोर्डेबल हाउसिंग कैप को 45 लाख तक बढ़ाना। हडको को इंफ्रा बॉन्ड टैक्स छूट और 50,000 करोड़ फंड मिल सकता है। जनसंख्या वृद्धि को देखते हडको पीएमएवाई-शहरी के 11.8 मिलियन

संचालित घरों को पूरा करने में सहायता करेगा। रियल एस्टेट को इंडस्ट्री स्टेटस देकर फंडिंग आसान होगी। तेजी से बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण स्मार्ट सिटी मिशन तथा अफोर्डेबल हाउसिंग को नई गति दे रहा है। हडको, भारतीय रिज़र्व बैंक, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार और बैंकों की त्रिपक्षीय साझेदारी आगामी बजट 2026-27 तथा विकसित भारत 2047 विजन के माध्यम से इन चुनौतियों को अवसरों में बदल देगी, जिससे सस्टेनेबल शहरी विकास सुनिश्चित होगा। स्मार्ट सिटी मिशन में 100 शहरों के जल आपूर्ति, सीवरेज, मोबिलिटी प्रोजेक्ट्स के लिए प्रमुख फाइनेंसर तथा पीएमएवाई, अमृत में सीएनए (सेंट्रल नोडल एजेंसी)। एनएचबी के साथ सीएलएसएस सब्सिडी वितरण और भारतीय रिज़र्व बैंक की एसएलआर/रेपो दर नीतियों से इसका लोन पोर्टफोलियो मजबूत होता है। जनसंख्या दबाव के दौर में हडको का फोकस ईडब्ल्यूएस/एलआईजी हाउसिंग, आईओटी-आधारित स्मार्ट इंफ्रा और पीपीपी मॉडल्स पर है। विकसित भारत 2047 में एकीकृत भूमिकाएं और रणनीतियां विकसित भारत @2047 का विजन 8%+जीडीपी वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने और शून्य गरीबी पर केंद्रित है, जहां शहरीकरण आधारभूत है। हडको अपना एयूएम 2026 तक 1.6 लाख करोड़ और 2030 तक 3 लाख करोड़ (25% सीएजीआर) तक ले जाएगा, जिसमें 75% शहरी इंफ्रा होगा। स्मार्ट सिटी 2.0 में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की नीतियां, भारतीय रिज़र्व बैंक का एचएफसी रेगुलेशन और एनएचबी/बैंकों का रिफाइनेंस एकीकृत होगा। उदाहरणस्वरूप, हडको आइटोटी सेंसर-आधारित जल प्रबंधन और एआई प्लानिंग प्रोजेक्ट्स फाइनेंस करेगा।

सीएलएसएस सब्सिडी से ईडब्ल्यूएस/एलआईजी को 6.5% ब्याज छूट (₹6 लाख तक लाभ), एमआईजी को 4%/3% (₹9-12 लाख तक) मिलेगी। जनसंख्या वृद्धि से प्रीफैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन, ग्रीन बिल्डिंग्स (आईजीबीसी सर्टिफाइड) और ईवी चार्जिंग स्टेशन्स पर जोर बढ़ेगा, जहां हडको कंसल्टेंसी भी प्रदान करेगा। स्मार्ट सिटी मिशन के

पैनल ऑफ फाइनेंशियर्स में हडको की विशेषज्ञता 70-80 लाख करोड़ निवेश जुटाने में सहायक होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक - आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार-एनएचबी-बैंक-हडको की एकीकृत साझेदारी भारत को आवास-संपन्न, स्मार्ट राष्ट्र में बदल देगी, सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हुए तेज जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण स्मार्ट सिटी मिशन तथा अफोर्डेबल हाउसिंग को राष्ट्रीय प्राथमिकता बना रहा है। हडको, भारतीय रिज़र्व बैंक, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार और बैंकों की एकीकृत साझेदारी आगामी बजट 2026-27 तथा विकसित भारत 2047 विजन के माध्यम से पूरे देश में सस्टेनेबल शहरी विकास सुनिश्चित करेगी। स्मार्ट सिटी मिशन के 100 शहरों (भुवनेश्वर से वाराणसी तक), पीएमएवाई, अमृत 2.0 में सीएनए की भूमिका निभाता है। एनएचबी के साथ सीएलएसएस सब्सिडी वितरण और भारतीय रिज़र्व बैंक की एसएलआर/रेपो दर नीतियां इसके लोन पोर्टफोलियो को मजबूत बनाती हैं। पूरे भारत में ईडब्ल्यूएस / एलआईजी हाउसिंग, आईओआई-आधारित स्मार्ट इंफ्रा और PPP मॉडल्स पर फोकस है। हाउसिंग, स्मार्ट सिटी और क्षेत्रीय अवसर 2047 तक रियल एस्टेट 10 ट्रिलियन डॉलर का होगा, प्रॉपर्टी मूल्य 5-10% सालाना बढ़ेंगे। केरल संदर्भ में तिरुअनंतपुरम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में हडको बाढ़-प्रतिरोधी घर, ईवी इंफ्रा फाइनेंस करेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक स्थिरता, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार सब्सिडी और हडको विशेषज्ञता से वेस्ट मैनेजमेंट, जल जीवन मिशन एकीकृत। हडको का लोन बुक 1 लाख करोड़+ लक्ष्य, इक्विटी बेस ₹12,000 करोड़+भविष्य की रणनीतिक दिशा जनसंख्या वृद्धि को स्मार्ट सिटी, गृह ऋण और बजटीय समर्थन से अवसर बनाकर हडको विकसित भारत 2047 का इंजन बनेगा।

**रजनीश कुमार यादव**
सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा), भारतीय स्टेट बैंक
स्थानीय प्रधान कार्यालय तिरुवनंतपुरम

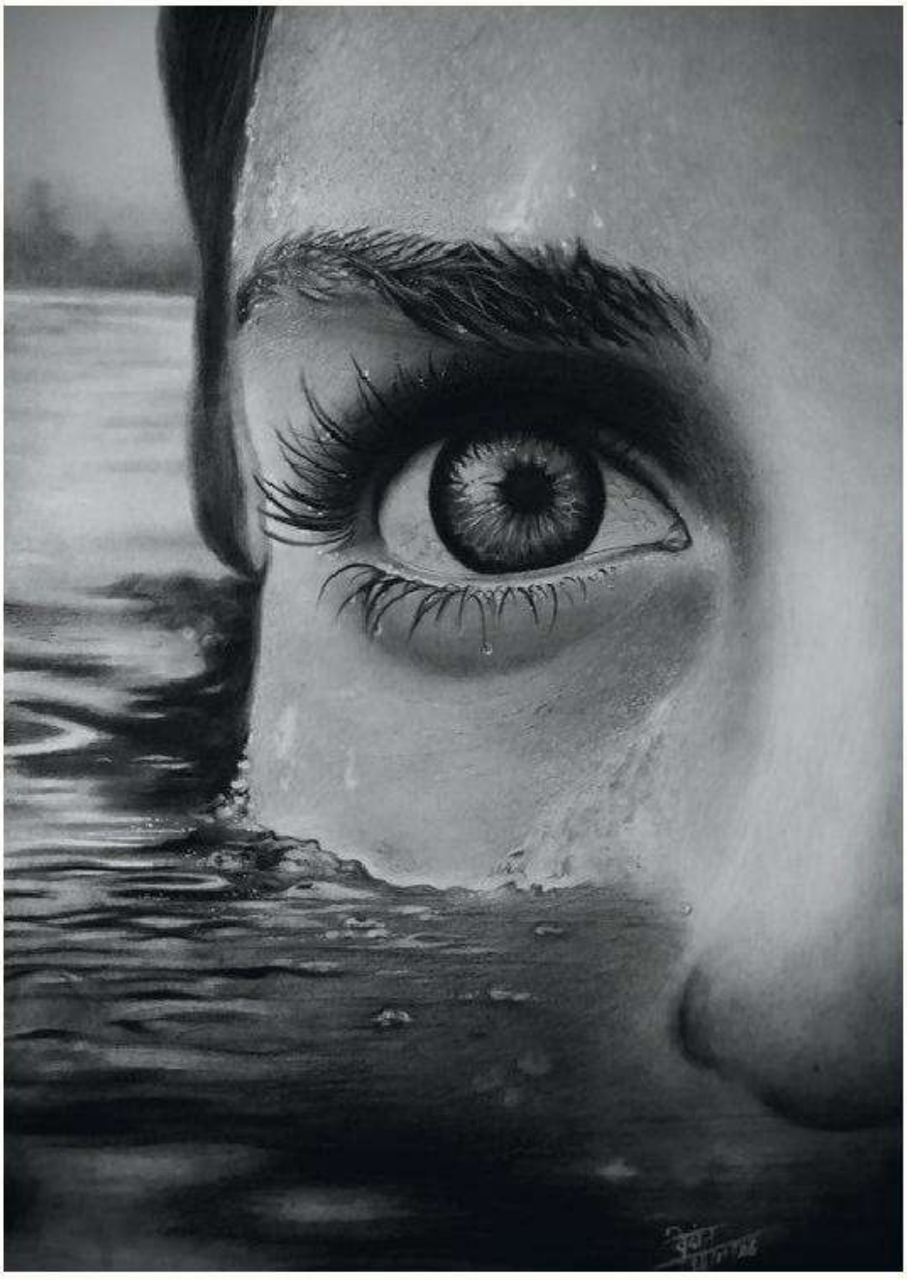

यह चित्र उस जागरूकता और धैर्य का प्रतीक है जो कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहना सिखाता है। पानी जीवन की चुनौतियों और भावनाओं को दर्शाता है, जबकि पानी के ऊपर दिखती आँख चेतना और उम्मीद का संकेत देती है। यह याद दिलाती है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन या गहरी क्यों न हों, इंसान के भीतर देखने, समझने और टिके रहने की शक्ति हमेशा बनी रहती है।

**डॉ वेदांत देवगिरिकर पुत्र श्री संतोष देवगिरिकर**
संयुक्त महाप्रबंधक (आई टी), हुडको

यह एक सुंदर और भावनात्मक पेंटिंग है, जिसमें पारंपरिक भारतीय कला शैली की झलक दिखाई देती है। यह पेंटिंग कैनवास पर एक्रिलिक कलर्स से तैयार की गई है, जिससे रंगों की चमक और फिनिश और भी आकर्षक दिखाई देती है। पेंटिंग में चमकीले रंगों (नीला, लाल, पीला, नारंगी) का उपयोग किया गया है, जो इसे जीवंत और आकर्षक बनाते हैं।पूरी रचना में प्रेम, शांति और भक्ति की भावना स्पष्ट रूप से झलकती है। इसमें भगवान कृष्ण और राधा का कलात्मक चित्रण किया गया है। कृष्ण जी नीले रंग में दर्शाए गए हैं, जो उनकी दिव्यता और शांत स्वभाव का प्रतीक है। उनके सिर पर मोर पंख बना हुआ है, जो उनकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है. कृष्ण जी के हाथ में बांसुरी है, जो संगीत, प्रेम और आकर्षण का प्रतीक है और राधा जी को लाल और नारंगी रंगों में दर्शाया गया है, जो प्रेम, समर्पण और भावनाओं को व्यक्त करता है। दोनों के चेहरे सरल रेखाओं में बनाए गए हैं, जिनमें आँखें बंद हैं—यह आंतरिक प्रेम और आध्यात्मिक जुड़ाव को दर्शाता है। नीचे एक गाय भी दिखाई गई है, जो पवित्रता और कृष्ण जी के गोपाल स्वरूप को दर्शाती है। यह पेंटिंग भारतीय संस्कृति, भक्ति और राधा-कृष्ण के शाश्वत प्रेम का एक सुंदर और आधुनिक कलात्मक रूप प्रस्तुत करती है।

**रुचिका जैन, पुत्री सीए नीना जैन**

महाप्रबंधक (वित्त), हडको

# यूनिकोड : सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नई क्रान्ति

यूनिकोड एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, जो हमारे द्वारा की-बोर्ड से टाइप किए गये प्रत्येक अक्षर को एक विशेष कोड या नम्बर प्रदान करता है। हम इंटरनेट पर जो भी लेख हिन्दी में लिखा हुआ देखते हैं अथवा इंटरनेट पर जो भी सामग्री हिन्दी में उपलब्ध है वह सब यूनिकोड के माध्यम से ही लिखे और टाइप किए जाते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर में अथवा किसी भी भाषा में यूनिकोड का प्रयोग किया जा सकता है।

यूनिकोड को दुनिया भर के कम्प्यूटरों में प्रयोग किया जा रहा है। यूनिकोड में टाइप की गई पाठ्य सामग्री या विषयवस्तु को कहीं भी ले जाने पर उसका स्वरूप नहीं बदलता है, वह पूरी दुनिया में कहीं भी पढ़ी जा सकती है। इसके लिए प्रत्येक सिस्टम में यूनिकोड सक्रिय (एक्टिवेट) किया जाना आवश्यक है। यूनिकोड से टाइप करने की सुविधा विश्व की अधिकांश भाषाओं में उपलब्ध है। भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में जो 22 भारतीय भाषाएँ शामिल की गई हैं, लगभग उन सभी में यूनिकोड के माध्यम से टाइप करने की व्यवस्था और सुविधा उपलब्ध है।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यूनिकोड एक टेक्नोलॉजी मानक है। यूनिकोड मानक में विश्वस्तर पर प्रचलित सभी लिपियों के वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के लिए यूनिक कोड प्रदान किया गया है।

यूनिकोड (यूनिकोड) प्रत्येक अक्षर के लिए एक विशेष संख्या प्रदान करता है, चाहे कोई भी कम्प्यूटर प्लेटफॉर्म, प्रोग्राम अथवा कोई भी भाषा हो। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यूनिकोड के आगमन से हिन्दी टाइपिंग न जानने वाले भी हिन्दी में टाइप कर सकते हैं। आप यह जो लेख पढ़ रहे हैं यह भी यूनिकोड के माध्यम से (फोनेटिक की-बोर्ड के माध्यम से) टाइप किया गया है।

यूनिकोड : तकनीकी परिचय
यूनिकोड अंग्रेजी के दो शब्दों, यूनीवर्सल (जागतिक) एवं कोड (कूट संख्या) से गठित एक नया शब्द है। अतः यूनिकोड का मतलब एक 'विशेष कूट संख्या' से है। यूनिकोड शब्द कंप्यूटर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रचलित है। इसे यूनीवर्सल कोड भी कहते हैं।

कंप्यूटर कार्यक्रम के अंतर्गत यूनिकोड प्रत्येक वर्ण के लिए एक विशेष अंक प्रदान करता है, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे कोई भी भाषा हो। यूनिकोड को व्यापक रूप से विश्वव्यापी सूचना आदान-प्रदान के मानक के रूप में स्वीकार किया जा चुका है।

यह 16 बिट (2 बाइट) का कोड है। इसे ही यूनिकोड मानक माना गया है। यूनिकोड 16-बिट एनकोडिंग का प्रयोग करता है जो कि 65536 कोड-प्वाइंट (वर्ण) उपलब्ध कराता है। 16 बिट यूनिकोड में 65536 वर्णों (कैरेक्टरों) की उपलब्धता होने के कारण यह कोड विश्व की लगभग सभी लेखनीबद्ध भाषाओं के लिए सभी कैरेक्टरों को एनकोड करने की क्षमता रखता है। यूनिकोड मानक कैरेक्टर के बारे में सूचना और उनका उपयोग बताते हैं। उन सभी कंप्यूटर उपभोक्ताओं के लिए जो बहुभाषी टेक्स्ट (पाठ) पर काम करते हैं, व्यापारियों, भाषाविदों, अनुसंधान-कर्ताओं, वैज्ञानिकों, गणितज्ञों और तकनीशियनों के लिए यूनिकोड मानक बहुत लाभप्रद है। यूनिकोड मानक (स्टैन्डर्ड) प्रत्येक कैरेक्टर को एक विलक्षण संख्यात्मक मान और नाम देता है। यह अंतरराष्ट्रीय मानक है। इससे हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर पर अंग्रेजी की तरह ही सरलता से और शतप्रतिशत शुद्धता से कार्य किया जा सकता है।

आंतरिक तौर पर कंप्यूटर केवल द्विआधारी (बाइनरी) कूट अंकों (0 और 1) को ही समझता है। इसलिए हम जो भी वर्ण टाइप करते हैं वह अंततः 0 और 1 में ही परिवर्तित किए जाते हैं, तभी कंप्यूटर उन्हें समझ पाता है। किस भाषा के किस शब्द के लिए कौन-सा अंक प्रयुक्त होगा इसका निर्धारण करने के नियम विभिन्न कैरेक्टर-सैट (करेक्टर सेट) या संकेत-लिपि प्रणाली (इनकोडिंग सिस्टम) द्वारा निर्धारित होते हैं। ये प्रत्येक वर्ण के लिए एक अंक निर्धारित करके वर्ण संग्रहित करते हैं। यूनिकोड का आविष्कार होने से पहले, ऐसे अंक देने के लिए सैकड़ों विभिन्न संकेत-लिपि प्रणालियां थीं।

किसी एक संकेत लिपि में पर्याप्त वर्ण नहीं है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ को अकेले ही, अपनी सभी भाषाओं के वर्णों को संग्रहीत करने के लिए विभिन्न संकेत लिपियों की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि अंग्रेजी जैसी भाषा के लिए भी सभी वर्णों, विरामचिन्हों और सामान्य प्रयोग के तकनीकी प्रतीकों हेतु एक ही संकेत-लिपि पर्याप्त नहीं थी।

इन संकेत लिपियों में आपस में तालमेल भी नहीं है। इसीलिए दो संकेत-लिपियां दो विभिन्न वर्णों के लिए, एक ही अंक प्रयोग कर सकती हैं, अथवा समान वर्ण के लिए विभिन्न अंकों का प्रयोग कर सकती हैं। किसी भी कंप्यूटर को विभिन्न संकेत लिपियों की आवश्यकता होती है; फिर भी जब दो भिन्न संकेत लिपियों अथवा प्लेटफॉर्मों के बीच डाटा भेजा जाता है तो उस डाटा के हमेशा खराब होने का जोखिम रहता है।

## कंप्यूटर पर यूनिकोड समर्थित की-बोर्ड

कंप्यूटरों में हिन्दी में कार्य करने के लिए निम्नलिखित 3 की-बोर्ड के विकल्प उपलब्ध हैं:-

(क) इंस्क्रिप्ट की-बोर्ड – राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली द्वारा केंद्र सरकार के अधिकारियों को इसी की-बोर्ड पर हिन्दी टाइपिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। केंद्र सरकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आजकल इसी की-बोर्ड ले-आउट पर परीक्षा पास करना होता है । इसे सीखने के लिए विधिवत् प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है।

वस्तुतः में डी.ओ.इ.फोनेटिक ले-आउट को इन्स्क्रप्ट ले-आउट कहते हैं। इस ले-आउट का मानकीकरण भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग डीओई (डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनिक्स) द्वारा किया गया तथा "ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैंडर्ड्स" (बीआईएस) द्वारा इसे राष्ट्रीय मानक घोषित किया गया। इस ले-आउट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह सभी भारतीय भाषाओं के वर्णों के लिए प्रयुक्त कुंजियों में समरूपता रखता है अर्थात् कुंजीपटल की कुंजी 'K' सभी भारतीय भाषाओं के लिए वर्ण 'क' की कुंजी रहेगी।

कंप्यूटरों में हिन्दी में कार्य करने के लिए निम्नलिखित 3 की-बोर्ड के विकल्प उपलब्ध हैं:-

(क) इंस्क्रिप्ट की-बोर्ड – राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली द्वारा केंद्र सरकार के अधिकारियों को इसी की-बोर्ड पर हिन्दी टाइपिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। केंद्र सरकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आजकल इसी की-बोर्ड ले-आउट पर परीक्षा पास करना होता है । इसे सीखने के लिए विधिवत् प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है।

वस्तुतः में डी.ओ.इ.फोनेटिक ले-आउट को इन्स्क्रप्ट ले-आउट कहते हैं। इस ले-आउट का मानकीकरण भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग डीओई द्वारा किया गया तथा "ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैंडर्ड्स" (बीआईएस) द्वारा इसे राष्ट्रीय मानक घोषित किया गया। इस ले-आउट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह सभी भारतीय भाषाओं के वर्णों के लिए प्रयुक्त कुंजियों में समरूपता रखता है अर्थात् कुंजीपटल की कुंजी 'K' सभी भारतीय भाषाओं के लिए वर्ण 'क' की कुंजी रहेगी।

इंस्क्रिप्ट टंकण शैली का सिद्धांत इस प्रकार से है : The way you pronounce, the way you type अर्थात् "जिस तरह से आप पाठ का उच्चारण करते हैं, उसी तरह से (उसी वर्णक्रम में) आप टाइप करते हैं"।

इन्स्क्रिप्ट टंकण भी एक टच टाइपिंग प्रणाली है। इसके ध्वन्यात्मक (वर्णक्रम) गुण के कारण एक व्यक्ति जो कि किसी एक लिपि में इन्स्क्रिप्ट टाइपिंग जानता हो वह सभी भारतीय लिपियों में, बिना उस लिपि के ज्ञान के भी श्रुतलेखन द्वारा टाइप कर सकता है। उदाहरण - तेलुगु में राम लिखना हो या हिन्दी में, दोनों दशाओं में समान कुंजियाँ दबाने से काम बन जाता है अर्थात् यदि आप देवनागरी में टाइप करना जानते हैं तो तेलुगु में भी लिख सकते हैं।

इन्स्क्रिप्ट टंकण शैली के तहत हिन्दी टाइपिंग करने के लिए टंकणकर्ता को अंग्रेजी भाषा की जानकारी का होना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। एकदम अंग्रेजी का ज्ञान न रखने वाले भी इस शैली से बखूबी टंकण कार्य कर सकते हैं, परंतु टंकणकर्ता को हिन्दी पढ़ना आना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जो शब्द टाइप किया जाएगा वह उस उस शब्द के उच्चारण के वर्णक्रम में ही कुंजियाँ प्रयोग कर टाइप कर सकेगा।

यह सभी प्रमुख प्रचालन तंत्रों (ओएस) में अंतर्निर्मित (इनबिल्ट) आता है इसलिए किसी अलग टाइपिंग टूल को इंस्टाल करने की आवश्यकता नहीं। वे सभी नवीन उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर पर पहले से हिन्दी के लिए किसी भी प्रकार की टाइपिंग नहीं जानते, उन्हें इन्स्क्रिप्ट ही सीखना चाहिए। इन्स्क्रिप्ट का कुंजीपटल विन्यास विशेष शोध द्वारा विशिष्ट क्रम में बनाया गया है, जिससे इसे याद करना अत्यंत सरल है।
मात्र एक हफ्ते के अभ्यास से ही इन्स्क्रिप्ट में लिखना शुरू किया जा सकता है। इन्स्क्रिप्ट में आमतौर पर एक वर्ण के लिए एक कुंजी होने से टाइपिंग की अशुद्धियाँ कम होती हैं। इन्स्क्रिप्ट ले-आउट में भारतीय लिपियों के सभी यूनिकोड मानांकित चिन्हों को शामिल किया गया है। टच स्क्रीन डिवाइसों जैसे टैबलेट, पीसी, तथा मोबाइल फोन आदि के लिए भी इन्स्क्रिप्ट-की-बोर्ड पूर्णतया उपयुक्त है।

(ख) रेमिंग्टन की-बोर्ड – रेमिंग्टन गेल की-बोर्ड हमारे पुराने मैनुअल की-बोर्ड (पुराने टाइपराइटर के की-बोर्ड ले-आउट जैसे कि कृति देव 016 या कृति देव 010 के की-बोर्ड) की तरह काम करता है। इसमें कृति देव में टाइपिंग जानने वाले भी यूनिकोड पर काम कर सकते हैं, क्योंकि इसका ले-आउट भी लगभग कृति देव की तरह ही है। इसे कृति देव में टाइपिंग जानने वाले बहुत आसानी से प्रयोग कर सकते हैं और यूनिकोड में टाइप कर सकते हैं। उन्हें परेशान होने की बिलकुल भी आवश्यकता नहीं है। इसे भी सीखने के लिए विधिवत् प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो लोग कृति देव में टाइप करना जानते हैं, उन्हें इसे सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके साथ ही ऑनलाइन फॉन्ट कन्वर्टर की सहायता से कृति देव फोंट्स को मंगल फोंट्स या अन्य यूनिकोड समर्थित फोंट्स में परिवर्तित भी किया जा सकता है।

वास्तव में टाइप राइटर ले-आउट को ही प्राय: रेमिंग्टन टाईप राइटर के नाम से जाना जाता है। इसका ले-आउट हिन्दी टाईप-राईटर (टाइपिंग मशीन) पर आधारित है। यह काफी पुराना और बहु-प्रचलित ले-आउट है। यह ले-आउट उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्होंने कम्प्यूटर पर आने से पूर्व ही इस ले-आउट पर टाइपिंग सीखी है या पहले से ही इस पर टाइपिंग करने के आदी हैं।

रेमिंग्टन टंकण शैली से यहाँ अभिप्राय यह है कि हिन्दी शब्द को टंकित करने के लिए टंकणकर्ता किस क्रम में कुंजियों का उपयोग करता है। रेमिंग्टन की टंकण शैली का सिद्धांत इस प्रकार से है (The way you see, the way you type) अर्थात् "जिस तरह से आपको पाठ दिखता है, उसी तरह से (उसी वर्णक्रम में) आप टाइप करते हैं"।

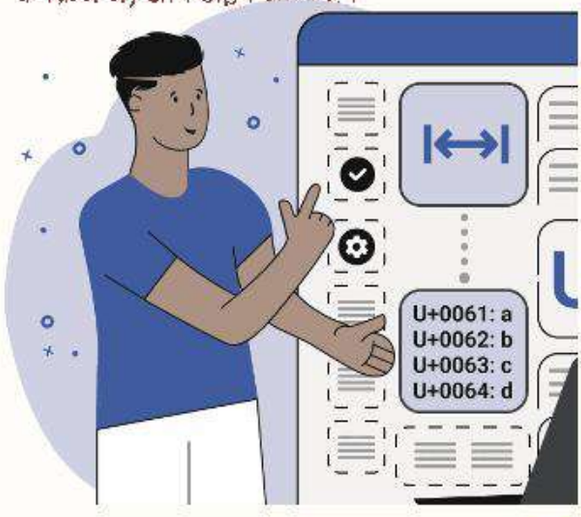

रेमिंग्टन एक टच टाइपिंग प्रणाली है। टच टाइपिंग एक टंकण विधि है, जिसमें की-बोर्ड को बिना देखे केवल हाथों से छूकर टाइप किया जाता है। यह हिन्दी टाइपिंग की सबसे पुरानी विधि है। यह उन प्रयोगकर्ताओं के लिए एकदम सही और उपयोगी है जिन्होंने पहले से हिन्दी टाइपराइटर पर हिन्दी टाइपिंग सीखी है तथा इसके अभ्यस्त हैं। यह विधि अब काफी हद तक समयातीत (आउट-डेटेड) हो चुकी है तथा नए सिरे से हिन्दी टाइपिंग सीखने वालों के लिए उपयोगी नहीं है। आजकल इसका प्रयोग मुख्य रूप से नॉन-यूनिकोड ग्राफिक्स तथा डीटीपी (डेस्कटॉप पब्लिशिंग) प्रोग्रामों में किया जाता है।

रेमिंग्टन टंकण शैली के तहत हिन्दी टाइपिंग करने के लिए टंकणकर्ता को अंग्रेजी भाषा की जानकारी का होना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। एकदम अंग्रेजी का ज्ञान न रखने वाले भी इस शैली से बखूबी टंकण कार्य कर सकते हैं।

(ग) फोनेटिक की-बोर्ड - यह सर्वाधिक प्रचलित की-बोर्ड है। इसके माध्यम से हम अंग्रेजी के की-बोर्ड ले-आउट (हमारा सामान्य की-बोर्ड जो हर डेस्कटॉप और लैपटाप में होता है) की सहायता से टाइप करके हिन्दी में टाइप कर सकते हैं। अर्थात् आप टाइप तो अंग्रेजी (रोमन लिपि) में ही करेंगे लेकिन आपको आउटपुट हिन्दी (देवनागरी लिपि) में मिलेगा।

इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यह की-बोर्ड केवल लिपि में परिवर्तन करता है। यह रोमन लिपि को देवनागरी लिपि में परिवर्तित करता है। इस प्रक्रिया को लिप्यंतरण (ट्रांसलिटरेशन) कहते हैं। यह की-बोर्ड अनुवाद (ट्रांसलेशन) नहीं करता है।

इसमें टाइपिंग सीखने के लिए किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अंग्रेजी के की-बोर्ड का प्रयोग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इसका बहुत आसानी से प्रयोग कर सकता है। यह सर्वाधिक प्रचलित और अत्यंत लोकप्रिय की-बोर्ड है। इसमें टाइप करने कि प्रक्रिया को नीचे उल्लिखित उदाहरण से बहुत अच्छी तरह से समझ जा सकता है :
उदाहरण : Rahul ek kitab padh raha hai. Wah upanyas samrat munshi premchand kaa prasiddha upanyas 'Godan' padh raha hai. (यह रोमन लिपि में लिखा गया है)।
फोनेटिक लिप्यंतरण : राहुल एक किताब पढ़ रहा है। वह उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास 'गोदान' पढ़ रहा है। (यह देवनागरी लिपि में लिखा गया है)।

फोनेटिक इंग्लिश ले-आउट को रोमनाइज्ड ले-आउट कहते हैं। इसका ध्वन्यात्मक लिप्यंतरण आधारित की-बोर्ड ले-आउट कंप्यूटर का वास्तविक की-बोर्ड ले-आउट आउट है। ध्वन्यात्मक लिप्यंतरण (फोनेटिक ट्रॉसलिट्रेशन) मशीनी लिप्यंतरण की एक विधि है। यह एक लिप्यंतरण विधि है, जिससे कि हिन्दी आदि भारतीय लिपियों को आपस में तथा रोमन में बदला जाता है। इसकी कोई मानक लिप्यंतरण स्कीम नहीं होती। अलग-अलग टूल में अलग अलग स्कीम का प्रयोग होता है।

फोनेटिक इंग्लिश (रोमनाइज्ड) आधारित टंकण शैली में प्रयोक्ता हिन्दी (अथवा कोई इंडिक) टेक्स्ट को रोमन लिपि में टाइप करता है तथा यह रियल टाइम में समकक्ष देवनागरी (अथवा इंडिक लिपि) में ध्वन्यात्मक रूप से परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार का स्वचालित परिवर्तन ध्वन्यात्मक टेक्स्ट एडिटर, वर्ड प्रोसेसर तथा सॉफ्टवेयर प्लगइन के द्वारा किया जाता है। परन्तु सर्वश्रेष्ठ तरीका फोनेटिक आइ.एम.ई. का प्रयोग है, जिसकी सहायता से टेक्स्ट किसी भी एप्लिकेशन में सीधे ही लिखा जा सकता है।

लेकिन इस टंकण शैली में कार्य करने के लिए प्रयोगकर्ता को अंग्रेजी का अच्छा-खासा ज्ञान होना आवश्यक है। यह कंप्यूटर के उन प्रयोगकर्ताओं के लिए बेहतर है, जो पहले से ही अंग्रेजी की टाइपिंग जानते हैं और हिन्दी में टाइप करना चाहते हैं।

यूनिकोड की आवश्यकता क्यों है?
यूनिकोड मानक सार्विक करैक्टर इनकोडिंग मानक है जिसका प्रयोग कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए टेक्स्ट के निरूपण के लिए किया जाता है। कंप्यूटर पर एकरूपता के लिए एकमात्र विकल्प कैरेक्टर इनकोडिंग के लिए यूनिकोड है।

इससे हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर पर अंग्रेजी की तरह ही सरलता से 100% कार्य किया जा सकता है, कंप्यूटर पर हिन्दी में सभी कार्य जैसे – वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग, ई-मेल, वेबसाइट निर्माण आदि किए जा सकते हैं। हिन्दी में बनी फाइलों का आसानी से आदान-प्रदान कर सकते हैं।

कुछ समय पूर्व यह समस्या थी कि किसी वेबसाइट पर हिन्दी में उपलब्ध सामग्री को पढ़ने के लिए कम्प्यूटर में उस वेबसाइट से संबंधित फॉन्ट को डाउनलोड करना होता था इसके बाद ही हम उस वेबसाइट पर उपलब्ध सामग्री को पढ़ पाते थे। फिर भी उसमें बहुत सारी कमियाँ होती थीं। लेकिन यूनिकोड के आने से आपको कोई फॉन्ट डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप किसी भी वेबसाइट पर हिन्दी में उपलब्ध सामग्री को आराम से पढ़ सकते हैं। गूगल, फायर फॉक्स, बिंग अथवा किसी भी अन्य सर्च इंजन पर हिन्दी में टाइप करके कुछ भी हिन्दी में सर्च कर सकते हैं।

हमारे दैनिक जीवन में हिन्दी भाषा के प्रयोग में यूनिकोड का महत्व तथा लाभ

- एक ही दस्तावेज में अनेकों भाषाओं के टेक्स्ट लिखे जा सकते है। उदाहरण के लिए यदि आप हिन्दी में कोई दस्तावेज़ टाइप कर रह रहे हैं और बीच में ही अंग्रेजी (रोमन लिपि) में कुछ टाइप करना हो तो उसी दस्तावेज़ में तुरंत अंग्रेजी में टाइप करना शुरू कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि एक ही दस्तावेज़ में तुरंत हिन्दी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिन्दी में टाइप करना शुरू कर सकते हैं।
- किसी सॉफ्टवेयर-उत्पाद का एक ही संस्करण पूरे विश्व में चलाया जा सकता है। क्षेत्रीय बाजारों के लिए अलग से संस्करण निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
- आप बिना हिन्दी टाइपिंग सीखे हिन्दी में टाइप कर सकते हैं।
- आप किसी भी सर्च इंजन जैस गूगल, मोजाइला फायरफॉक्स इत्यादि में हिन्दी में टाइप करके कुछ भी सर्च कर सकते हैं। कृति देव जैसे फोंट्स में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है
- आप हिन्दी में ई-मेल भेज सकते हैं।
- कम्प्यूटर में विभिन्न फाइलों और फोल्डरों के नाम अंग्रेजी की तरह हिन्दी में बहुत आसानी से रख सकते हैं। अर्थात अपनी फाइलों और फोल्डर का नामकरण हिन्दी में कर सकते हैं।
- फेसबुक, व्हाट्स अप, यूट्यूब, इत्यादि सोशल मीडिया पर हिन्दी में चैटिंग कर सकते हैं, अपने कमेंट्स हिन्दी में लिख सकते हैं।
- अंग्रेजी की तरह ही हिन्दी में भी बहुत आसानी से अपना स्वयं का वेबसाइट या ब्लॉग बना सकते हैं।
- एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में हिन्दी में टाइप कर सकते हैं।
- फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब जैसे सोशल नेटवर्किंग साइटों पर आसानी से हिन्दी में लिख सकते हैं।
- यूनिकोड में टाइप की गई या लिखी हुई किसी भी पाठ्य सामग्री को आसानी से अन्य भाषाओं में अनुवादित (ट्रांसलेट) किया जा सकता है।
- इससे विभिन्न तरह के अस्की फ़ॉन्ट्स से छुटकारा मिलता है।
- कार्यालियों के सभी कार्य आसानी से हिन्दी में किए जा सकते हैं। इससे हार्ड फ़ाइलों के साथ-साथ ई-ऑफिस प्लेटफ़ॉर्म पर भी हिन्दी में आसानी से सभी कार्य किए जा सकते हैं।
- हिन्दी में बनी फ़ाइलों का आसानी से आदान-प्रदान कर सकते हैं।
- हिन्दी की-वर्ड को गूगल या किसी अन्य सर्च इंजन में आसानी से सर्च कर सकते हैं।

**भारत में केंद्र सरकार के कार्यालयों में ई-ऑफिस में कार्य करने के लिए यूनिकोड का महत्व :**

केंद्र सरकार के लगभग सभी कार्यालयों में अब ई-ऑफिस प्रणाली लागू कर दिया गया है। ई-ऑफिस प्रणाली में हिन्दी में किया जाने वाला सभी कार्य यूनिकोड के माध्यम से ही किया जाता है। भारत सरकार द्वारा यूनिकोड को अपने सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया है, भारत सरकार की सभी वेबसाइटों पर यूनिकोड का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ तक कि नई भर्तियों के लिए अभ्यर्थियों को यूनिकोड फॉन्ट (इन्स्क्रिप या रेमिंग्टन की-बोर्ड के माध्यम से टाइप करना) में टाइपिंग टेस्ट भी अनिवार्य कर दिया गया है। अर्थात् यदि आप केंद्र सरकार की नौकरी (अवर श्रेणी लिपिक, कर सहायक इत्यादि, क्लर्क, टाइपिस्ट इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो यूनिकोड टाइपिंग अवश्य सीखें।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एनकोडिंग की एकरूपता को ध्यान में रखते हुए सभी केंद्रीय कार्यालय को कंप्यूटरों में यूनिकोड एनकोडिंग प्रणाली अथवा यूनिकोड समर्थित ओपन टाइप फोंट का ही प्रयोग करने का निदेश दिया है। परंतु, कंप्यूटर परिचालन से संबंधित छोटी-छोटी जानकारी के अभाव में कई केंद्रीय कार्यालय इस नि:शुल्क सुविधा की जगह विभिन्न प्रकार के फोंट और बहुभाषी सॉफ्टवेयरों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे सूचना हस्तांतरण में तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस कारण हिन्दी की फाइलों को, अंग्रेजी की तरह आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर, आदान-प्रदान (ट्रांसफर) नहीं कर पाते हैं। हिन्दी पाठ (टेक्स्ट) को दूसरे सॉफ्टवेयर में जोड़ने (पेस्ट) में भी समस्या आती है। अत: भारत सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय एवं अधीनस्थ कार्यालय/उपक्रम/सरकारी कार्यालय को यह निदेश दिया गया है कि केवल यूनिकोड समर्थित फोंट एवं यूनिकोड एनकोडिंग के अनुरूप सॉफ्टवेयर का ही प्रयोग करें। मुझे पूरा विश्वास है कि इस लेख को पढ़ने के बाद यूनिकोड के अनुप्रयोग के संबंध में आप लोगों को सारगर्भित जानकारी मिल गई होगी। सन् 2000 के बाद जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं उनमें यूनिकोड के माध्यम से हिन्दी में टाइप करने की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है अतः आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इस सुविधा का लाभ उठाएं और अपना अधिक से अधिक कार्य हमारी राजभाषा हिन्दी में ही करना सुनिश्चित करें।

**भूपेन्द्र पाण्डेय**
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
मुख्य आयुक्त का कार्यालय, सीजीएसटी, नागपुर

# आत्मनिर्भर भारत का मार्ग

## प्रस्तावना

सहकार, जिसका शाब्दिक अर्थ है 'एक साथ मिलकर काम करना', मानव सभ्यता के आरंभ से ही प्रगति का एक मूलभूत सिद्धांत रहा है। यह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक दर्शन है जो व्यक्तिवादी आकांक्षाओं को सामूहिक कल्याण के साथ जोड़ता है। जब हम 'सहकार से समृद्धि' की बात करते हैं, तो हमारा अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जहाँ आपसी सहयोग, साझा प्रयासों और सामूहिक उत्तरदायित्व के माध्यम से न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी चहुँमुखी विकास और खुशहाली सुनिश्चित की जाती है। भारत जैसे विविधताओं से भरे विशाल देश में, जहाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है, सहकारिता का सिद्धांत विशेष रूप से प्रासंगिक हो जाता है। यह छोटे किसानों, कारीगरों, श्रमिकों और वंचित वर्गों को संगठित कर उन्हें सशक्त बनाने का एक अचूक माध्यम है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों की आत्मनिर्भरता का आधार है – सहकारिता। "सहकार से समृद्धि" न केवल एक नारा है, बल्कि यह उस सोच और व्यवस्था का परिचायक है, जिसके माध्यम से सामूहिक प्रयासों से सामाजिक और आर्थिक विकास को गति दी जा सकती है। सहकारिता एक ऐसी प्रणाली है जो समानता, सहभागिता और साझा लाभ की अवधारणाओं पर आधारित होती है।

## 1. सहकारिता का अर्थ और महत्त्व

'सहकार' का अर्थ है—साथ मिलकर कार्य करना। सहकारी संस्थाएं अपने सदस्यों द्वारा संचालित होती हैं और इनका मुख्य उद्देश्य लाभ नहीं, बल्कि सेवा होता है। इस व्यवस्था में सभी सदस्यों का योगदान होता है और निर्णय भी लोकतांत्रिक तरीके से लिए जाते हैं। ग्रामीण भारत में सहकारी समितियों ने कृषि उत्पादन, विपणन, खाद्यान्न भंडारण, दुग्ध उत्पादन और ऋण वितरण जैसे कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं।

## 2. सहकारी आंदोलन का इतिहास

भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत 1904 के कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट से हुई थी। स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता

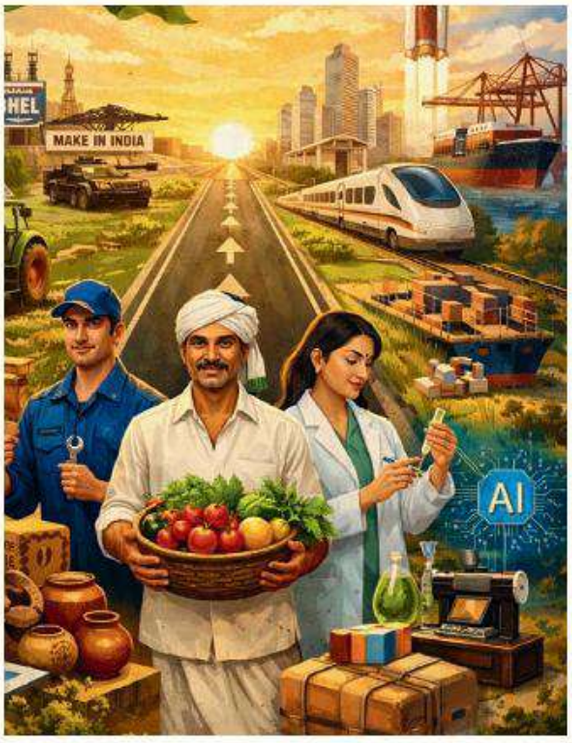


को ग्रामीण विकास का आधार बनाया गया। अमूल डेयरी, इफको, कृभको जैसी सहकारी संस्थाएं इस आंदोलन की सफलता की मिसालें हैं। 1991 के उदारीकरण के बाद भले ही निजीकरण का रुख बढ़ा, पर सहकारिता का सामाजिक महत्व बरकरार रहा।

## 3. "सहकार से समृद्धि" – नीति और दर्शन

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2021 में अलग सहकारिता मंत्रालय की स्थापना एक ऐतिहासिक कदम था। इसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को मजबूत, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और आधुनिक बनाना है। इस नीति के तहत छोटे किसानों, श्रमिकों और ग्रामीण जनता को संगठित करके विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है।

## 4. सहकारिता के माध्यम से प्राप्त समृद्धि के आयाम

सहकारिता केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बहुआयामी समृद्धि लाती है जो समाज के हर पहलू को छूती है:

**आर्थिक समृद्धि:** सहकारिता ने ग्रामीण आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए। इसने रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को कम किया है और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। सहकारी समितियां किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करती हैं और उन्हें बाजार की अनिश्चितताओं से बचाती हैं।

**सामाजिक समृद्धि:** सहकारिता लोगों में सामुदायिक भावना, विश्वास और भाईचारा बढ़ाती है। यह सामाजिक एकजुटता को मजबूत करती है और लोकतांत्रिक मूल्यों को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देती है, क्योंकि सदस्यों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाता है। महिला सहकारी समितियां विशेष रूप से महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाती हैं, जिससे वे निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक सक्रिय रूप से भाग ले सकें।

**वित्तीय समावेशन:** सहकारी बैंक और ऋण समितियाँ उन लोगों तक वित्तीय सेवाएँ पहुँचाती हैं जो पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली की पहुँच से दूर हैं, जिससे वित्तीय समावेशन बढ़ता है और साहूकारों के शोषण से मुक्ति मिलती है।

**स्थिरता और समावेशी विकास:** सहकारिता एक समावेशी विकास मॉडल प्रदान करती है जहाँ लाभ का वितरण न्यायसंगत होता है। यह सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायक है, क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देती है और स्थानीय संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करती है।

## 5. सरकार द्वारा सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्य और पहलें:

हाल के वर्षों में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं। जुलाई 2021 में एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय था, जिसने सहकारिता को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में लाने का मार्ग प्रशस्त किया। इस मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य सहकारिता आंदोलन को नई गति देना, इसे आधुनिक बनाना और जमीनी स्तर तक इसकी पहुँच सुनिश्चित करना है।

सरकार की प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

- **सहकारिता मंत्रालय का गठन:** यह सहकारिता के लिए एक समर्पित संस्थागत ढाँचा प्रदान करता है, जो नीतियों के निर्माण, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और क्षेत्र के समग्र विकास के लिए जिम्मेदार है। यह "सहकार से समृद्धि" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है।

- **पीएसीएस का सशक्तिकरण:** सरकार ने 63,000 से अधिक प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए एक केंद्रीय योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य पीएसीएस की दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाना है, उन्हें डिजिटल बनाना है

ताकि वे किसानों को बेहतर सेवाएँ प्रदान कर सकें और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचा सकें। इन्हें बहुउद्देश्यीय सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहाँ किसान न केवल ऋण ले सकेंगे, बल्कि खाद-बीज खरीद सकेंगे, कृषि उपकरण किराए पर ले सकेंगे और अन्य ग्रामीण सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे।

- **डिजिटलीकरण:** पीएसीएस को कोर बैंकिंग प्रणाली और एकीकृत सॉफ्टवेयर से जोड़ा जा रहा है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। एनएएफएससीओबी के अनुसार, वर्ष 2025 तक सभी पीएसीएस डिजिटल हो जाएंगी।

- **सहकारी बैंकों की मजबूती:** शॉर्ट टर्म और लांग टर्म क्रेडिट की व्यवस्था, पुनर्पूंजीकरण, प्रशिक्षण, ऑडिट सुधार, और विलय के जरिए सहकारी बैंकों को प्रतिस्पर्धी बनाया जा रहा है।

- **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सुदृढ़ बनाना:** एनसीडीसी सहकारिता क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय और विकासात्मक संस्था है। सरकार ने एनसीडीसी की भूमिका को विस्तारित किया है ताकि यह विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान कर सके। इसकी योजनाएँ कृषि प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन और ग्रामीण औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देती हैं।

- **नया राष्ट्रीय सहकारिता नीति दस्तावेज़ (मसौदा):** यह नीति सहकारिता आंदोलन के लिए एक व्यापक, भविष्योन्मुखी और विकासोन्मुखी ढाँचा प्रदान करेगी। यह सहकारिता को आधुनिक चुनौतियों का सामना करने और नए अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगी, जिससे यह 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित हो सके।

- **बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022:** इस विधेयक का उद्देश्य बहु-राज्य सहकारी समितियों में शासन, प्रबंधन और चुनाव प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। यह सहकारी क्षेत्र में विश्वास को मजबूत करेगा और सदस्यों के अधिकारों को सुरक्षित रखेगा।

- **सहकारी क्षेत्र में वित्तीय समावेशन और सहायता:** सरकार ने सहकारी बैंकों को भी मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं ताकि वे वित्तीय समावेशन में अपनी भूमिका निभा सकें। कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) जैसी योजनाओं का लाभ सहकारी समितियों तक भी पहुँचाया जा रहा है ताकि वे कृषि अवसंरचना में निवेश कर सकें।

- **निर्यात को बढ़ावा:** सहकारी समितियों को निर्यात गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच मिल सके।
- **सहकार से समृद्धि योजना:** यह योजना सहकारी समितियों को कृषि उत्पादों की खरीद, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और विपणन में समर्थ बनाती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं और किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाना है।
- ये पहलें दिखाती हैं कि सरकार 'सहकार से समृद्धि' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितनी गंभीर और प्रतिबद्ध है। ये कदम सहकारिता को एक जीवंत, पारदर्शी और आत्मनिर्भर आंदोलन बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं।

### 6. सरकार द्वारा सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्य और पहलें:

आज, भारत विश्व के सबसे बड़े सहकारी आंदोलनों में से एक है, जिसमें लाखों सहकारी समितियाँ और करोड़ों सदस्य शामिल हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों ही

क्षेत्रों में सहकारिता ने अपना एक मजबूत स्थान बनाया है।

कृषि सहकारिता: यह भारतीय सहकारिता की रीढ़ है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) ग्रामीण स्तर पर किसानों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करती हैं।

सरकार इन पीएसीएस के कंप्यूटरीकरण और उन्हें बहु-सेवा केंद्र (जैसे खाद-बीज की दुकान, सामान्य सेवा केंद्र) बनाने पर विशेष जोर दे रही है ताकि वे अधिक प्रभावी और कुशल बन सकें। किसान उत्पादक संगठन (एफपीओएस), जिन्हें सहकारी सिद्धांतों पर गठित किया जा रहा है, किसानों को बेहतर मोलभाव की शक्ति, तकनीकी जानकारी और बाजार तक सीधी पहुँच प्रदान कर रहे हैं। इफको और कृभको जैसे उर्वरक सहकारिताएँ देश के उर्वरक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, जिससे किसानों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध होते हैं।

**दुग्ध सहकारिता:** भारत की श्वेत क्रांति सहकारिता की एक उत्कृष्ट मिसाल है। अमूल, जो गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ के तहत संचालित होता है, लाखों ग्रामीण दूध उत्पादकों को संगठित कर उन्हें वैश्विक पहचान दिला चुका है। यह मॉडल ग्रामीण आय में वृद्धि, महिला सशक्तिकरण और पोषण सुरक्षा का एक सशक्त उदाहरण है। देश भर में ऐसी हजारों दुग्ध सहकारी समितियाँ हैं जो करोड़ों परिवारों की आजीविका का आधार हैं।

**आवास सहकारिता:** शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आवास सहकारी समितियाँ सदस्यों को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराती हैं, विशेषकर मध्यम वर्ग के लिए।

**उपभोक्ता सहकारिता:** ये समितियाँ उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराकर बिचौलियों की भूमिका को कम करती हैं और मूल्य स्थिरता बनाए रखने में मदद करती हैं।

**वित्तीय सहकारिता:** शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंक छोटे व्यवसायों, किसानों और व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को ऋण सुविधाएँ प्रदान कर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं, जहाँ वाणिज्यिक बैंकों की पहुँच सीमित होती है।

**अन्य क्षेत्र:** मत्स्य सहकारिता, हथकरघा सहकारिता, श्रम सहकारिता, और स्वयं सहायता समूह भी सहकारिता के माध्यम से अपने सदस्यों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बना रहे हैं।

### 7. राज्य स्तरीय उदाहरण

**गुजरात** - अमूल मॉडल अमूल डेयरी सहकारिता का विश्वप्रसिद्ध उदाहरण है। यह 36 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादकों का संगठन है और ₹60,000 करोड़ से अधिक का वार्षिक टर्नओवर है।
**महाराष्ट्र** - चीनी मिलें राज्य की सहकारी चीनी मिलों ने किसानों को आय व रोजगार उपलब्ध कराया है। हालांकि प्रबंधन सुधार की आवश्यकता बनी हुई है।
**उत्तर प्रदेश** - पीएसीएस और दुग्ध सहकारिता राज्य सरकार ने पीएसीएस को फर्टिलाइजर वितरण, बीज बिक्री और किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा है। दुग्ध सहकारी समितियां भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल दे रही हैं।

### 8. सहकारी बैंकों और वित्तीय समावेशन में योगदान

- सहकारी बैंकों ने 17% से अधिक कृषि ऋण वितरण किया है।
- ये बैंक सीमांत किसानों, छोटे व्यापारियों और एसएचजी को सुलभ ऋण देते हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1.5 लाख सहकारी बैंक शाखाएं हैं।

### 9. महिला और युवा सशक्तिकरण में भूमिका

महिला स्व-सहायता समूह को सहकारी संरचना से जोड़कर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।

- नबार्ड के सहयोग से प्रशिक्षण, क्रेडिट लिंकेज और विपणन की सुविधा दी गई है।
- युवा उद्यमियों को भी सहकारी आधार पर स्टार्टअप्स शुरू करने में मदद दी जा रही है।

### 10. आंकड़ों के साथ मूल्यांकन

- भारत में 8.5 लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं।
- 30 करोड़ से अधिक लोग सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए हैं।
- ₹1.5 लाख करोड़+ का सहकारी ऋण वितरण वर्ष 2023-24 में हुआ।
- अमूल में 36 लाख दुग्ध उत्पादक जुड़े हैं।
- लगभग 1.5 लाख पीएसीएस देश भर में कार्यरत हैं।

### 11. प्रमुख चुनौतियाँ और भविष्य की राह

'सहकार से समृद्धि' के लक्ष्य को प्राप्त करने में कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जिन्हें दूर करना आवश्यक है:

**पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की कमी:** कई सहकारी समितियों में:

- वित्तीय लेखा-जोखा अद्यतन नहीं रहता।
- नियमित ऑडिट नहीं होते, या अगर होते हैं तो केवल औपचारिकता के रूप में।
- लाभांश और ऋण वितरण में पक्षपात होता है।

इससे न केवल सदस्यों का विश्वास कम होता है, बल्कि सरकारी और वित्तीय संस्थानों का सहयोग भी बाधित होता है।

**सीमित पूंजी और वित्तीय सुदृढ़ता की कमी**: कई सहकारी संस्थाएं सीमित पूंजी पर आधारित होती हैं, जिसकी वजह से:

- वे उच्च स्तरीय निवेश या विस्तार नहीं कर पातीं।
- आर्थिक संकट की स्थिति में उनकी संचालन क्षमता प्रभावित होती है।
- उधारी बढ़ने पर संस्थाएं दिवालिया होने की कगार पर पहुंच जाती हैं।
- सहकारी बैंकों में एनपीए की दर भी चिंता का विषय बनी हुई है।

कई छोटी सहकारी समितियों के पास पर्याप्त पूँजी और आधुनिक तकनीक तक पहुँच नहीं होती, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होती है।

**डिजिटल साक्षरता और तकनीकी इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी:** आज के युग में तकनीकी दक्षता आवश्यक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांश सहकारी समितियां:

- आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर से वंचित हैं।
- ऑनलाइन लेखांकन, रियल टाइम डेटा, और डिजिटल ट्रांजैक्शन जैसे टूल्स का उपयोग नहीं कर पा रही हैं।
- कर्मचारी तकनीकी रूप से प्रशिक्षित नहीं हैं।

इससे पारदर्शिता, जवाबदेही और स्केलेबिलिटी में बाधा आती है।

**प्रोफेशनल प्रबंधन की अनुपस्थिति:** सहकारी संस्थाएं अधिकतर सदस्य-चालित होती हैं, जिनमें व्यावसायिक कौशल की कमी होती है। इसके कारण:

- संस्थाएं आधुनिक प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पातीं।
- तकनीकी नवाचार और मार्केटिंग में पिछड़ जाती हैं।
- संसाधनों का सही प्रबंधन नहीं हो पाता।

विशेषकर पीएसीएस और दुग्ध सहकारी समितियों को तकनीकी ज्ञान और प्रोफेशनल लीडरशिप की आवश्यकता है।

**जागरूकता और शिक्षा की कमी:** सहकारी समितियों के सदस्यों को:

- उनकी भूमिका, अधिकार और उत्तरदायित्व की पूरी जानकारी नहीं होती।
- उन्हें कानूनी और वित्तीय मामलों की जानकारी सीमित होती है।

इस ज्ञान की कमी के कारण वे बेहतर निर्णय नहीं ले पाते और भ्रामक नेतृत्व या अनियमितताओं का शिकार बनते हैं।

**कानून और नीतियों में विविधता:** भारत में सहकारिता एक राज्य सूची का विषय है। अतः हर राज्य का सहकारी कानून अलग होता है। इससे:

- एकीकृत नीतियों और सुधारों को लागू करना कठिन हो जाता है।
- संस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धात्मक असमानता बनती है।
- सहकारिता मंत्रालय की कई योजनाएं सीमाओं में बंध जाती हैं।

**महिला और युवा भागीदारी की न्यूनता:** हालांकि सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन:

- महिलाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी सहकारी संस्थाओं में अब भी सीमित है।
- निर्णय प्रक्रिया में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है।

इससे सहकारी समितियों का समावेशी स्वरूप बाधित होता है।

**सदस्यता में निष्क्रियता और असमानता:** बहुत से सदस्य केवल नाम के लिए पंजीकृत होते हैं लेकिन संस्थाओं की गतिविधियों में भाग नहीं लेते।

- निर्णयों में कुछ ही सदस्यों का वर्चस्व होता है।
- इससे लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास होता है।

इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार को अपने प्रयासों को और तेज करना होगा। पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना, डिजिटल प्रौद्योगिकियों का पूर्ण उपयोग करना, युवाओं और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना और पारदर्शिता व जवाबदेही के कड़े नियम लागू करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सहकारी समितियों को बाजार की बदलती जरूरतों के अनुसार खुद को अनुकूलित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अंतर-सहकारी सहयोग को बढ़ावा देना भी आवश्यक है ताकि सहकारी समितियां एक दूसरे के अनुभवों से सीख सकें और मिलकर बड़े पैमाने पर काम कर सकें।

## 12. समाधान और सुधार की दिशा

- पेशेवर नेतृत्व और प्रशिक्षण की व्यवस्था
- आईटी आधारित निगरानी तंत्र का विकास
- ई-गवर्नेंस और पारदर्शिता
- महिला व युवा प्रतिनिधित्व में वृद्धि
- पीएसीएस को मल्टी-सर्विस सेंटर्स में परिवर्तित करना

## निष्कर्ष

अंततः,'सहकार से समृद्धि' केवल एक नारा नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक सशक्त मार्ग है। यह भारत की आत्मा में निहित 'एकजुटता में शक्ति' के सिद्धांत का प्रतिबिंब है। सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय के गठन और अन्य

महत्वपूर्ण पहलों ने इस आंदोलन को एक नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की है। यह स्पष्ट है कि जब लोग मिलकर काम करते हैं, तो वे ऐसी ऊंचाइयों को छू सकते हैं जो अकेले संभव नहीं होतीं।

सहकारिता का मॉडल न केवल आर्थिक विकास को गति देता है, बल्कि सामाजिक समरसता, लोकतांत्रिक मूल्यों और समावेशी विकास को भी बढ़ावा देता है। एक समृद्ध, सशक्त और न्यायसंगत समाज के निर्माण के लिए सहकारिता की भूमिका को और मजबूत करना अनिवार्य है। हमें विश्वास है कि सरकार के निरंतर समर्थन और जनता की सक्रिय भागीदारी से, भारत निश्चित रूप से 'सहकार से समृद्धि' के अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा और एक नए, समृद्ध भारत का निर्माण करेगा।

**डॉ. दीपक कुमार**
एफआरएम, एफआरआर
मुख्य प्रबंधक (अनुसंधान), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

# सुख का रहस्य

सुख का रहस्य मूलतः संतोष, कर्म, और सकारात्मक दृष्टिकोण में छिपा है; अपनी इच्छाओं को प्रबंधित करना, वर्तमान में जीना, दूसरों की भलाई चाहना, कड़ी मेहनत करना और जो आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ होना ही सच्चा सुख देता है, जो बाहरी चीज़ों में नहीं, बल्कि मन की आंतरिक स्थिति में होता है।

इसी प्रकार यदि हम अपने कार्यक्षेत्र में अपने कार्यालयी कार्य को पूरी लगन से समयबद्ध तरीके से पूर्ण करते हैं तो जो आत्मसंतुष्टि हमें इस कार्य को करने के बाद मिलती है वह हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाती है। मैं, हडको के राजभाषा विभाग में कार्यरत हूँ मुझे इस विभाग में कार्य करने में गर्व है कि हम मिलकर भारत की राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए कार्य कर रहे हैं, कहते हैं ना कि हम हिन्दुस्तानी हैं और हमारी भाषा हिन्दी है। हडको में हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु कई प्रोत्साहन योजनाएं लागू हैं जिसमें हडको के सभी कार्मिक भाग ले सकते हैं और पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं, जिनका विवरण इन्ट्रानेट पर विस्तारपूर्वक उपलब्ध है। इसी प्रकार समय-समय पर तथा हिन्दी पखवाड़े के दौरान कई ऐसी प्रतियोगिताएं, कार्यशालाएं, कवि सम्मेलन तथा संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है जिससे हिन्दी के ज्ञान में वृद्धि होती है और हम कार्यालय में हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। इस प्रकार अपने कार्यक्षेत्र में लगन एवं उत्साहपूर्वक कार्य करने में मुझे बहुत सुख की अनुभूति होती है।

इसके अतिरिक्त सुख के निम्न प्रमुख सूत्र हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने तथा दूसरों के जीवन में सुख की अनुभूति कर सकते है:

- संतोष : जो आपके पास है, उसमें खुश रहना और जो नहीं है, उसकी चिंता न करना। संतोष का महत्व जीवन में मानसिक शांति, खुशी और स्थिरता पाने में है; यह हमें अनावश्यक इच्छाओं और लालच से बचाता है, जिससे तनाव कम होता है और हम वर्तमान में जीना सीखते हैं, जिससे जीवन के हर पल का आनंद ले पाते हैं और यही सच्चा धन है जो हमें आंतरिक सुख देता है। संतोष हमें सकारात्मक दृष्टिकोण देता है, दूसरों से तुलना से बचाता है, और एक स्वस्थ व सार्थक जीवन जीने में मदद करता है, क्योंकि यह बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि मन की स्थिति से जुड़ा है.

- सकारात्मक दृष्टिकोण: जीवन के प्रति अपना नज़रिया बदलना और हर छोटी चीज़ में खुशी खोजना। खुशी का अर्थ है जीवन के प्रति सकारात्मक भावना रखना और नकारात्मक भावनाओं की तुलना में सकारात्मक भावनाओं का अधिक होना। मित्रों और परिवार के साथ मजबूत संबंध बनाना आपको अधिक खुश रहने में मदद कर सकता है। अपनी पसंद की चीजें करना और जीवन का उद्देश्य खोजना आपकी खुशी को बढ़ा सकता है।

- कर्म : कड़ी मेहनत और अपने कर्मों पर विश्वास करना, क्योंकि कर्म ही सुख का निर्माण करते हैं। जो व्यक्ति अपनी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से किसी काम को करता है, वही सबसे बड़ा सुखी होता है। मनुष्य को केवल अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए क्योंकि उसकी मेहनत और त्याग ही सबसे बड़ा सुख है। जो अपने आत्मसम्मान को खो देता है, वह सबसे बड़ा दुखी होता है

- वर्तमान में जीना : बीती बातों या भविष्य की चिंता में न उलझकर आज में जीना। वर्तमान क्षण ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, यह आपके तनाव को कम करता है और आपको अधिक खुश बनाता है । प्रत्येक क्षण एक उपहार है और योजनाएँ अक्सर आपकी इच्छा या अपेक्षा के अनुसार नहीं होतीं। भविष्य के लिए बहुत अधिक योजनाएँ न बनाएँ और अतीत के बारे में बहुत अधिक न सोचें। इस पल में जो हो रहा है, उसे नज़र अंदाज़ न करें।

- दूसरों के प्रति प्रेम : दूसरों की भलाई और सुख की परवाह करना, जिससे मन स्नेह से भर जाता है। प्यार का सही मतलब सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक गहरा रिश्ता है जिसमें स्नेह, सम्मान, विश्वास, समझदारी, त्याग, और निस्वार्थ समर्थन शामिल है, जहाँ आप दूसरे व्यक्ति के सुख-दुख में साथ निभाते हैं, उन्हें बढ़ने में मदद करते हैं और उनके साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं। यह एक ऐसा जुड़ाव है जो व्यक्ति को अर्थ देता है और जीवन को रंगीन बनाता है।

- आंतरिक खुशी : सुख बाहर से नहीं, बल्कि अपने मन के भीतर से आता है, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जीवन का वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं या परिस्थितियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, संतोष और दूसरों की मदद करने में है, जिसमें एक निरोगी काया, प्रियजनों का साथ, और नेक कर्मों से मिलने वाली संतुष्टि शामिल है, जो मन को परम आनंद की स्थिति तक ले जाती है।

कृतज्ञता : जो कुछ भी आपके पास है, उसके लिए आभारी होना। कृतज्ञता या आभार, किसी दूसरे की दयालुता के प्रति प्राप्तकर्ता द्वारा की गई सराहना (या इसी तरह की सकारात्मक प्रतिक्रिया) की भावना है। यह दयालुता किसी अन्य व्यक्ति के प्रति उपहार, सहायता, उपकार या उदारता का कोई अन्य रूप हो सकती है।

**कबीर के अनुसार असली सुख**

ईश्वर प्रेम: सच्चा सुख तो परमेश्वर के प्रेम में है, जो निरंतर बढ़ता है और हर कार्य में ईश्वर का अनुभव कराता है।

संतोष: वह व्यक्ति सुखी है जो अपने पास जो है, उससे संतुष्ट रहता है और बाहरी दिखावे या इच्छाओं से प्रभावित नहीं होता।

ज्ञान: जो अज्ञानता (सांसारिक मोह) से जागकर ज्ञान प्राप्त करता है और ईश्वर के प्रति समर्पित होता है, वही सच्चा सुखी है, भले ही उसे दुनिया दुखी समझे।

संक्षेप में, कबीर बाहरी दुनिया के सुख को भ्रम मानते हैं और कहते हैं कि असली खुशी संतोष, आत्म-ज्ञान और ईश्वर-भक्ति में है, न कि भौतिक सुख-सुविधाओं में।

कवि संसार को सुखिया इसलिए मानता है क्योंकि संसार के लोग जीवन का आनंद लेने और अधिक से अधिक सुख-सुविधाओं के सामान एकत्र करने में व्यस्त हैं। वे पेट भर खाने में संतोष करने की जगह अधिक खाने से दुःखी हैं अर्थात् वे स्वयं अपने दुःखों के लिए सामान जुटा रहे हैं जिन्हें वे सुख का साधन मानते हैं।

संक्षेप में, सुख पाने के लिए आपको दुनिया को बदलने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपने मन और नजरिए को बदलने की ज़रूरत है।

**पूर्णिमा कोहलीवाल**
सहायक महाप्रबंधक (सचि.-रा.भा.)
राजभाषा अनुभाग, हुडको

# अंतरराष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 जून 2024 को 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारी वर्ष (आईवाईसी2025) घोषित किया, जिसे "सहकारी एक बेहतर दुनिया बनाते हैं" थीम के तहत मनाया जाएगा। यह थीम सहकारी संस्थाओं के स्थायी वैश्विक प्रभाव को उजागर करती है और यह दर्शाती है कि सहकारी मॉडल विभिन्न वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण समाधान है। इसके अतिरिक्त, यह 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजीएस) के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने में सहकारी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। अपने प्रस्ताव में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस वर्ष को मनाने के तरीकों की सिफारिश की और सभी सदस्य देशों, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और संबंधित हितधारकों को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि सामाजिक और आर्थिक विकास में सहकारी संस्थाओं के योगदान को बढ़ावा दिया जा सके। इसने तैयारी के लिए राष्ट्रीय समितियों की स्थापना पर विचार करने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के अवर महासचिव ली जुनहुआ ने कहा, "महासभा द्वारा लिया गया निर्णय समय से पहले नहीं हो सकता था।

सतत विकास में सहकारी संस्थाओं का नवाचारपूर्ण योगदान सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति को तेज करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।" "दूसरा अंतरराष्ट्रीय सहकारी वर्ष सभी हितधारकों के लिए सहकारी संस्थाओं का समर्थन और विस्तार करने के लिए एक अवसर होगा, जिससे उनकी बेहतर दुनिया में योगदान को मजबूत किया जा सके।" आईवाईसी 2025 का सॉफ्ट लॉन्च 9 जुलाई 2024 को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में यूएन उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच के दौरान होगा। यह हाइब्रिड कार्यक्रम सहकारी संस्थाओं के प्रचार और उन्नयन के लिए समिति द्वारा मंगोलिया के स्थायी मिशन के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। आयोजक आईवाईसी 2025 का अनावरण करेंगे। यह कार्यक्रम, जिसमें थीम, कार्यक्रम रोडमैप और संचार सामग्री शामिल होगी, अंतरराष्ट्रीय सहकारी दिवस को भी चिन्हित करेगा, जिसे हर साल जुलाई के पहले शनिवार को वैश्विक रूप से मनाया जाता है । इस वर्ष यह 05 जुलाई 2025 को मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष भी घोषित किया गया है।

**अंतरराष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 के मुख्य उद्देश्य :**

1. सरकारों को सहकारी संस्थाओं के लिए अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए।
2. सहकारी संस्थाओं को जन जागरूकता बढ़ानी चाहिए, नए नेताओं को विकसित करना चाहिए और सहयोग का लाभ उठाना चाहिए।
3. संस्थानों और विकास एजेंसियों को शिक्षा, क्षमता निर्माण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाकर सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देना चाहिए।
4. जनता को सहकारी पहचान को समझना चाहिए और सहकारी पहलों का समर्थन करना चाहिए।

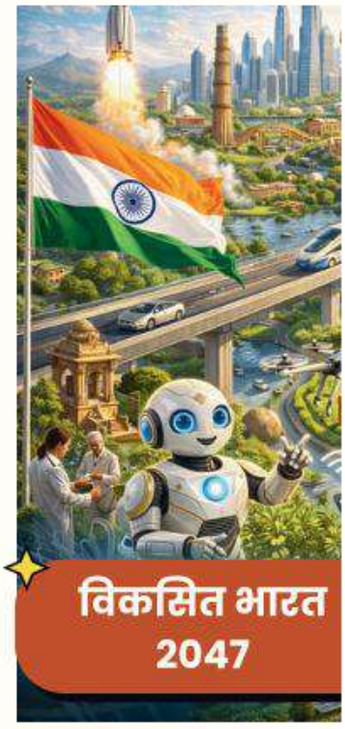

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में पहला अंतरराष्ट्रीय सहकारी वर्ष घोषित किया और सहकारी संस्थाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान को उजागर करने का आह्वान किया, विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और सामाजिक एकीकरण पर उनके प्रभाव को समाज की प्राथमिकता के रूप मे स्थान दिया गया। दुनिया भर की सहकारी संस्थाओं ने "सहकारी उद्यम एक बेहतर दुनिया बनाते हैं" थीम के तहत उद्घाटन समारोह मनाया ताकि दुनिया भर में सहकारी संस्थाओं की वृद्धि और स्थापना को प्रोत्साहित किया जा सके।

**"सहकारी संस्थान एक बेहतर दुनिया बनाते हैं" यह स्लोगन वस्तुतः क्या अर्थ रखता है :**

सहकारी आंदोलन का उद्देश्य किसानों, मजदूरों, कारीगरों, छोटे व्यापारियों और विभिन्न स्तरों पर उत्पादक गतिविधियों में लगे आम जनता को बिचौलियों के शोषण से मुक्त करना, पारस्परिक सहयोग पर आधारित उनके सामूहिक आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और उनके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को सुनिश्चित करना है। उन्हें उनके श्रम और उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करना। इसके साथ ही, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराना और इसके माध्यम से एक शोषण मुक्त, आत्मनिर्भर और मजबूत आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना ताकि राज्य की सर्वांगीण प्रगति सुनिश्चित की जा सके।

विकास तब तक अर्थहीन साबित हुआ है जब तक वह समाज के निचले स्तर तक नहीं पहुंचता और सहकारी एक ऐसा माध्यम है जो आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को कम और समाप्त कर सकता है। राष्ट्र के नागरिकों के कल्याण के बिना कुछ लोगों का विकास समाज की एक अवांछनीय स्थिति माना जाता है, चाहे वह राजनेता हों, सुधारक हों या गतिशील अर्थशास्त्री। भारतीय अर्थव्यवस्था के torch bearer होने के नाते हमें एक ऐसी दुनिया का सपना देखना और सराहना करना चाहिए जिसमें आर्थिक और सामाजिक समानता हो। सहकारी रूप में उद्योग और व्यापार हमेशा सरकारों और समाजों द्वारा सामना की जाने वाली सबसे विशिष्ट समस्याओं के समाधान प्रदान करते रहे हैं।

**सात सिद्धान्त जिन पर सहकारिता की नींव रखी गयी है :**

ये सिद्धांत, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, दुनिया भर में सहकारी संगठनों के संचालन और शासन का मार्गदर्शन करते हैं। इनमें शामिल हैं:

1. **स्वैच्छिक और खुली सदस्यता:**

सहकारी संस्थाएं उन सभी व्यक्तियों के लिए खुली होती हैं जो उनकी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं और सदस्यता की जिम्मेदारियों को स्वीकार करने के इच्छुक हैं, बिना किसी लिंग, सामाजिक, नस्लीय, राजनीतिक या धार्मिक भेदभाव के।

2. **लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण:**

सहकारी संस्थाएं लोकतांत्रिक संगठन होती हैं जो उनके सदस्यों द्वारा नियंत्रित होती हैं, जो नीतियों को निर्धारित करने और निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। प्रत्येक सदस्य को आमतौर पर एक वोट मिलता है, चाहे उनका आर्थिक योगदान कुछ भी हो।

3. **सदस्यों की आर्थिक भागीदारी:**

सदस्य अपने सहकारी संस्थान की पूंजी में समान रूप से योगदान करते हैं और लोकतांत्रिक रूप से उसका नियंत्रण करते हैं। उस पूंजी का कम से कम एक हिस्सा आमतौर पर सहकारी संस्थान की सामूहिक संपत्ति होता है।

4. **स्वायत्तता और स्वतंत्रता:**

सहकारी संस्थाएं स्वायत्त, आत्म-सहायता संगठन होती हैं जो उनके सदस्यों द्वारा नियंत्रित होती हैं। यदि वे अन्य संगठनों के साथ समझौते करती हैं या बाहरी स्रोतों से पूंजी जुटाती हैं, तो वे ऐसे शर्तों पर ऐसा करती हैं जो उनके सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक नियंत्रण सुनिश्चित करती हैं और उनकी सहकारी स्वायत्तता बनाए रखती हैं।

5. **शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना:**

सहकारी संस्थाएं अपने सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, प्रबंधकों और कर्मचारियों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करती हैं ताकि वे अपने सहकारी संस्थानों के विकास में प्रभावी रूप से योगदान दे सकें। वे आम जनता – विशेष रूप से युवाओं और विचार नेताओं – को सहयोग की प्रकृति और लाभों के बारे में भी जानकारी देती हैं।

6. **सहकारी संस्थाओं के बीच सहयोग**

सहकारी संस्थाएं अपने सदस्यों की सेवा सबसे प्रभावी रूप से करती हैं और स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संरचनाओं के माध्यम से मिलकर काम करके सहकारी आंदोलन को मजबूत करती हैं।

7. **समुदाय के प्रति चिंता**

सहकारी संस्थाएं अपने समुदायों के सतत विकास के लिए अपने सदस्यों द्वारा अनुमोदित नीतियों के माध्यम से काम करती हैं।

**सहकारी संस्थाएं कुछ मूल्यों की नींव पर बनी होती हैं जिनमें शामिल हैं:**

1. आत्म-सहायता और आत्म-जिम्मेदारी: सदस्य अपनी स्थिति को सुधारने के लिए पहल करते हैं और अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं।
2. समानता और न्याय: सभी सदस्यों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाता है और उन्हें समान अवसर मिलते हैं।
3. एकता: सदस्य एक-दूसरे का समर्थन करते हैं और सामान्य भलाई के लिए मिलकर काम करते हैं।
4. ईमानदारी, खुलापन, सामाजिक जिम्मेदारी और दूसरों की देखभाल: ये नैतिक मूल्य सहकारी संस्थाओं की अपने सदस्यों और व्यापक समुदाय के साथ बातचीत का मार्गदर्शन करते हैं।

**सहकारी संस्थाओं के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्तंभ**

1. टीमिंग: सभी हितधारकों (सदस्य, बोर्ड, प्रबंधन और कर्मचारी) के बीच प्रभावी सहयोग और टीमवर्क उत्तरदायी।
2. सशक्तिकरण: व्यक्तियों को सशक्त बनाना जबकि उनके कार्यों और निर्णयों के लिए उन्हें उत्तरदायी ठहराना।
3. लोकतंत्र: सहकारी संस्थाओं के संचालन के सभी पहलुओं में लोकतांत्रिक सिद्धांतों और प्रथाओं का पालन सुनिश्चित करना।
4. रणनीतिक नेतृत्व: सहकारी संस्थाओं के भविष्य के लिए स्पष्ट दिशा, उद्देश्य और दृष्टि प्रदान करना।

**भारत में सहकारी आंदोलन (इतिहास और बाद के विकास)**

औपचारिक सहकारी संरचनाओं के कानून द्वारा अस्तित्व में आने से पहले भी, भारत के कई हिस्सों में सहयोग और सहकारी गतिविधियों की अवधारणा का अभ्यास प्रचलित था। ग्राम समुदायों द्वारा सामूहिक रूप से स्थायी संपत्तियाँ जैसे ग्राम तालाब या ग्राम वन (देवराई या वनराई) बनाना आम बात थी। इसी प्रकार, कटाई के बाद खाद्यान्नों को समूह के जरूरतमंद सदस्यों को अगली कटाई से पहले उधार देने के लिए संसाधनों को एकत्र करना, नियमित अंतराल पर नकद में छोटे योगदान एकत्र करना और उन्हें समूह के सदस्यों को उधार देना (जैसे चिट फंड), बांध बनाकर जल संचयन करना और जल का समान वितरण सुनिश्चित करना, साथ ही साझेदारी में खेती करना और श्रम व बैल शक्ति के अनुपात में उपज का वितरण करना, सहयोग के समान उदाहरण थे।

इन विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए और सहकारी समितियों को कानूनी आधार प्रदान करने के लिए, सरकार ने एडवर्ड लॉ कमेटी का गठन किया जिसमें श्री निकोलसन एक सदस्य थे। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर सहकारी समितियों विधेयक 25 मार्च 1904 को अधिनियमित किया गया। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सहकारी ऋण समितियों अधिनियम केवल ऋण सहकारी समितियों तक सीमित था।

1911 तक, 5,300 समितियाँ अस्तित्व में थीं जिनके सदस्य 3 लाख से अधिक थे। 1904 अधिनियम के तहत पहले 5-6 वर्षों में पंजीकृत कुछ सहकारी समितियाँ थीं: राजाहौली ग्राम बैंक, जोरहाट, सहकारी टाउन बैंक और चारिगांव ग्राम बैंक, जोरहाट, असम (1904) आदि।

सहकारी समितियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण, 1912 का सहकारी समितियों अधिनियम आवश्यक हो गया और इसके तहत गैर-ऋण सेवाओं के लिए समितियाँ संगठित की जा सकती थीं।

इस अधिनियम ने सहकारी संघों की भी व्यवस्था की। इस अधिनियम के साथ, शहरी सहकारी बैंक केंद्रीय सहकारी बैंक में परिवर्तित हो गए जिनके सदस्य प्राथमिक सहकारी समितियाँ और व्यक्ति थे।

इसी प्रकार, गैर-ऋण गतिविधियाँ जैसे खरीद और बिक्री संघ, विपणन समितियाँ, हथकरघा बुनकरों और अन्य कारीगरों की सहकारी समितियाँ भी संगठित की गईं।

1914 में मैक्लैगन समिति का गठन हुआ। बैंकिंग संकट और प्रथम विश्व युद्ध ने सहकारी समितियों की वृद्धि को प्रभावित किया। यद्यपि सदस्य जमा में वृद्धि हुई, युद्ध ने नकदी फसलों के निर्यात और कीमतों को प्रभावित किया जिससे प्राथमिक कृषि समितियों के ऋणों की बकाया राशि बढ़ गई। स्थिति का आकलन करने के लिए अक्टूबर 1914 में सरकार ने सर एडवर्ड मैक्लैगन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। इसने प्रत्येक प्रांत में तीन-स्तरीय संरचना की सिफारिश की: प्राथमिक समितियाँ, मध्य स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक और शीर्ष पर प्रांतीय सहकारी बैंक, जो अल्पकालिक और मध्यमकालिक वित्त प्रदान करें। इन संस्थाओं की सहकारी प्रकृति सुनिश्चित करने और रजिस्ट्रार व उसके कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया गया।

1919 में सुधार अधिनियम पारित होने के साथ, सहयोग विषय को प्रांतों को सौंप दिया गया। 1925 का बॉम्बे सहकारी समितियाँ अधिनियम, पहला प्रांतीय अधिनियम था, जिसमें एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत शामिल किया गया।

**स्वतंत्रता पूर्व विकास:** 1946 में सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रेरणा और श्री मोरारजी देसाई व श्री त्रिभुवनदास पटेल के नेतृत्व में गुजरात के खेड़ा जिले के दुग्ध उत्पादकों ने पंद्रह दिन की हड़ताल की। उनके दूध आपूर्ति से इनकार ने बॉम्बे सरकार को पोलसन नामक निजी डेयरी को दिए गए एकाधिकार आदेश को वापस लेने पर मजबूर कर दिया। अक्टूबर 1946 में दो प्राथमिक ग्राम दुग्ध उत्पादक समितियाँ पंजीकृत की गईं। इसके बाद 14 दिसंबर 1946 को खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ, जिसे अमूल के नाम से जाना जाता है, पंजीकृत हुआ।

**स्वतंत्रता के बाद विकास:** 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, सहकारी विकास को बढ़ावा मिला और योजना आयोग द्वारा तैयार की गई विभिन्न योजनाओं में सहकारी समितियों को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) में भारत में सहकारी आंदोलन की दृष्टि और आर्थिक व राजनीतिक विकास के लिए सहकारी समितियों व पंचायतों को प्राथमिक संगठन के रूप में अपनाने का औचित्य विस्तार से बताया गया। योजना में

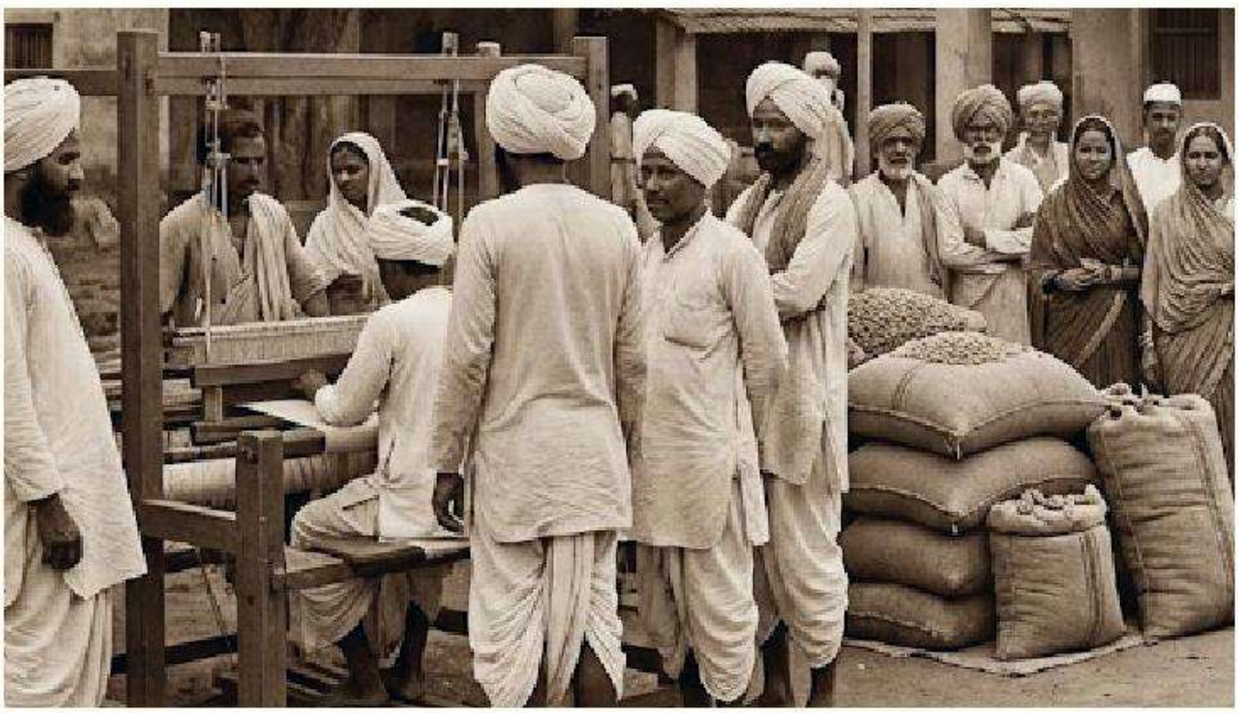

सामुदायिक विकास के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए सहकारी संगठन विधि को अपनाने पर जोर दिया गया। इसमें शहरी सहकारी बैंक, श्रमिकों के औद्योगिक सहकारी, उपभोक्ता सहकारी, आवास सहकारी, सहकारी प्रशिक्षण व शिक्षा के माध्यम से ज्ञान का प्रसार और प्रत्येक सरकारी विभाग द्वारा सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की नीति अपनाने की सिफारिश की गई।

**द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956)** का उद्देश्य सहकारी समितियों को आर्थिक गतिविधियों के संगठन का मुख्य आधार बनाना था। योजना में अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति (एआईआरसीएस) की सिफारिशों के आधार पर सहकारी विकास कार्यक्रम तैयार किए गए। तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961) में कृषि, लघु सिंचाई, लघु उद्योग, प्रसंस्करण, विपणन, वितरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, आवास, निर्माण और स्थानीय समुदायों के लिए आवश्यक सुविधाओं के प्रावधान जैसे आर्थिक जीवन के क्षेत्रों में सहकारी संगठन को मुख्य आधार बनाया गया। यहां तक कि मध्यम और बड़े उद्योग भी सहकारी प्रारूप में स्थापित किए जा सकते हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-1974) ने सहकारी अल्पकालिक और मध्यकालिक संरचना को व्यवहार्य बनाने के लिए सहकारी समितियों के पुनर्गठन को उच्च प्राथमिकता दी। इसमें प्रबंधन सब्सिडी, शेयर पूंजी योगदान और केंद्रीय सहकारी बैंकों के पुनर्वास के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए। साथ ही, छोटे किसानों के पक्ष में नीतियों को उन्मुख करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। पंचम पंचवर्षीय योजना (1974-1979) ने बकाया ऋणों के उच्च स्तर को नोट किया। सहकारी विकास के लिए अनुशंसित रणनीति में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करने और सहकारी समितियों को वंचित वर्गों की ओर उन्मुख करने पर विशेष ध्यान देने की सिफारिश की गई। षष्ठम पंचवर्षीय योजना (1979-1985) ने ग्रामीण गरीबों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सहकारी प्रयासों को अधिक व्यवस्थित रूप से निर्देशित करने के महत्व पर जोर दिया। योजना में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को मजबूत और व्यवहार्य बहुउद्देश्यीय इकाइयों में पुनर्गठित करने के उपायों की सिफारिश की गई।

सप्तम पंचवर्षीय योजना (1985-1990) ने यह इंगित किया कि यद्यपि ऋण में सर्वांगीण प्रगति हुई है, ऋणों की वसूली में कमी और बकाया की उच्च मात्रा चिंता का विषय है। योजना में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को बहुउद्देश्यीय व्यवहार्य इकाइयों के रूप में विकसित करने, नीतियों और प्रक्रियाओं को पुनः समायोजित करने, विशेष रूप से कमजोर वर्गों को ऋण और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष कार्यक्रम, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई।

**मॉडल सहकारी अधिनियम, 1990 और विकसित भारत 2047 के लिए सहकारी आंदोलन की प्रासंगिकता :**

**मॉडल सहकारी अधिनियम, 1990:** 1990 में, योजना आयोग द्वारा चौधरी ब्रह्म प्रकाश की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी, जिसका उद्देश्य सहकारी आंदोलन की व्यापक स्थिति की त्वरित समीक्षा करना, भविष्य की दिशा सुझाना और एक मॉडल सहकारी अधिनियम को अंतिम रूप देना था। समिति ने 1991 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। चूंकि सहयोग एक राज्य विषय है और प्रत्येक राज्य की अपनी सहकारी विधायिका है जो राज्य तक सीमित सदस्यता वाली सहकारी समितियों को कवर करती है, समिति की रिपोर्ट के साथ एक मसौदा मॉडल सहकारी कानून सभी राज्य सरकारों को उनके विचार और राज्य स्तर पर अपनाने के लिए भेजा गया।

समानांतर सहकारी विधायिका: नवम योजना (1997-2002) से शुरू होकर, योजनाओं में सहकारी समितियों का कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया। चूंकि सहयोग एक राज्य विषय है और मौजूदा राज्य सहकारी अधिनियमों को मॉडल सहकारी अधिनियम की तर्ज पर संशोधित करने में कठिनाइयों को देखते हुए, सहकारी कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज के एक वर्ग ने आत्मनिर्भर सहकारी समितियों के लिए समानांतर सहकारी विधायिका लागू करने की पहल की।

**बहु-राज्य सहकारी समितियाँअधिनियम, 2002**: बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (एमएससीएस) अधिनियम, जो 1984 में लागू हुआ था, को 2002 में मॉडल सहकारी अधिनियम की भावना के अनुरूप संशोधित किया गया। राज्य कानूनों के विपरीत, जो पहले के कानूनों के साथ समानांतर विधायिका के रूप में सह-अस्तित्व में रहे, एमएससीएस अधिनियम, 2002 ने 1984 के पूर्व अधिनियम को प्रतिस्थापित कर दिया।

**राष्ट्रीय सहकारी नीति (2002):** 2002 में, भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय सहकारी नीति की घोषणा की। इस नीति का उद्देश्य देश में सहकारी समितियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है। यह नीति सहकारी समितियों को आवश्यक समर्थन, प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करने का वादा करती है ताकि वे स्वायत्त, आत्मनिर्भर और लोकतांत्रिक रूप से प्रबंधित संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकें, जो अपने सदस्यों के प्रति उत्तरदायी हों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दें।

**सहकारी ऋण संस्थानों के पुनरुद्धार पर कार्यबल:** ग्रामीण सहकारी ऋण प्रणाली को पुनः स्वस्थ करने, तीन वर्षों में ग्रामीण ऋण को दोगुना करने और छोटे एवं सीमांत किसानों को संस्थागत ऋण के दायरे में लाने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने अगस्त 2004 में एक कार्यबल का गठन किया ताकि ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थानों के पुनरुद्धार के लिए कार्य योजना और आवश्यक कानूनी उपाय सुझाए जा सकें। प्रो. ए. वैद्यनाथन की अध्यक्षता में कार्यबल ने सिफारिश की कि यदि वित्तीय पुनर्गठन प्रणाली की कमजोरियों के मूल कारणों को संबोधित नहीं करता है, तो यह इसके सतत पुनरुद्धार का परिणाम नहीं देगा और इसके लिए कानूनी उपाय आवश्यक होंगे।

**विकसित भारत 2047 के उद्देश्य, जिनके लिए सहकारी आंदोलन ही एकमात्र आश्वासन है:** जैसा कि हम सभी जानते हैं, विकसित भारत का प्राथमिक लक्ष्य 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करना है। लेकिन इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए सरकार ने एक रोडमैप तैयार किया है जिसमें सहकारी आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है। रणनीति के स्तर पर सहकारी समितियाँ सामाजिक कल्याण योजनाओं के विस्तार, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, सतत विकास को प्रोत्साहित करने और

जीवन की सुगमता बढ़ाने जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं।

विकसित भारत के निम्नलिखित मील के पत्थर की प्राप्ति के लिए सहकारी आंदोलन का समर्थन आवश्यक है:

**शून्य गरीबी:** शून्य गरीबी का लक्ष्य एक विकसित भारत 2047 में बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें वंचितों को सशक्त बनाना और समावेशी विकास को बढ़ावा देना शामिल है।

**किसान कल्याण:**सरकार इस उद्देश्य के लिए कृषि समितियों या किसान समितियों के विकास पर जोर दे सकती है। सभी के लिए आवास: सहकारी आंदोलन यहां भी कुछ हद तक योगदान दे सकता है। गुणवत्तापूर्ण देखभाल और दवाओं की सुलभता:हमेशा सहकारी दवाओं को सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराना समाज के लिए सहकारी समितियों द्वारा एक महान मूल्यवर्धन रहा है। सरकार को सभी संभावित विकल्पों का पता लगाने पर विचार करना चाहिए।

**राहुल शर्मा**
वरिष्ठ प्रबन्धक (वित्त विभाग)
यूको बैंक, अंचल कार्यालय, जयपुर

# सहकार से स्वावलंबन

विश्व इतिहास में पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025 को 'अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष' घोषित किया है। यह निर्णय मानवता के समक्ष मौजूद वैश्विक चुनौतियों के समाधान में सहकारिता की अपरिहार्य भूमिका को स्वीकार करता है। इसी क्रम में भारत सरकार का 'सहकार से समृद्धि' का दृष्टिकोण एक जीवंत क्रांति का प्रतीक बन गया है, जो आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक समावेश और ग्रामीण पुनर्जागरण के स्वप्न को साकार करने की दिशा में अग्रसर है। भारत में सहकारिता की जड़ें उन्नीसवीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलनों में समाई हुई हैं। वर्ष 1904 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित 'सहकारी साख समिति अधिनियम' ने इस आंदोलन को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया। सहकारिता को "भारत के समाजवादी ढाँचे की आत्मा" कहा जाता है। भारत के स्वतन्त्रता से लेकर आज तक सहकारिता कृषि ऋण वितरण, डेयरी विकास और ग्रामीण स्वावलंबन के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना हुआ है। अमूल जैसे सहकारी संगठनों ने 'श्वेत क्रांति' का नेतृत्व कर देश को विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाया, वहीं नाफेड और इफ्को जैसी संस्थाओं ने किसानों को बाजार से सीधा जोड़कर उनकी आय में क्रांतिकारी वृद्धि की। महात्मा गांधी ने सहकारिता को ग्राम स्वराज और स्वावलंबन का आधार माना, इसे सामूहिक शक्ति और सामाजिक न्याय का साधन बताया। उनके दर्शन में सहकारी समितियाँ ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने और शोषण से मुक्त करने का उपकरण थीं। गांधी जी द्वारा प्रेरित खादी और ग्रामोद्योग आंदोलन ने सहकारी सिद्धांतों के माध्यम से ग्रामीण कारीगरों को संगठित कर आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की। भारत सरकार का 'सहकार से समृद्धि' दृष्टिकोण गांधी जी के इस दर्शन को आधुनिक संदर्भ में साकार करता है, जो आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक समावेश और ग्रामीण पुनर्जागरण की दिशा में अग्रसर है।

वर्ष 2021 में भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए स्वतंत्रता के बाद पहली बार अलग 'सहकारिता मंत्रालय' की स्थापना की। यह कदम सहकारी आंदोलन को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में लाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक बना। इस मंत्रालय ने 'राष्ट्रीय सहकारी नीति' का मसौदा तैयार किया, जिसमें तीन मूलभूत स्तंभों – स्वायत्तता, पारदर्शिता और तकनीकी उन्नयन – पर विशेष बल दिया गया। सहकारी समितियों को अब निर्णय प्रक्रिया में अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है, जबकि डिजिटल निगरानी प्रणालियों के माध्यम से वित्तीय अनियमितताओं पर नियंत्रण स्थापित किया गया है। सरकार की महत्वाकांक्षी 'डिजिटल सहकारिता मिशन' ने ग्रामीण भारत में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया है। आज देश के 65,000 सहकारी बैंक यूपीआई प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन की संख्या में 300% वृद्धि हुई है। नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस के माध्यम से देश की 8 लाख सहकारी समितियों के डेटा का एकीकरण किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक समिति के सदस्य संख्या, वित्तीय लेनदेन और उत्पादन आँकड़ों का वास्तविक समय में अवलोकन किया जा सकता है। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में स्थित एक छोटी सी कृषि सहकारी समिति अब अपने उत्पादों की बिक्री ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से करती है, जबकि केरल की मत्स्य सहकारी समितियाँ मोबाइल ऐप के माध्यम से समुद्री मौसम की जानकारी प्राप्त कर सकती हैं।

केंद्र सरकार की '10,000 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)' योजना सहकारिता के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो रही है। इन संगठनों के माध्यम से छोटे और सीमांत किसान सामूहिक रूप से उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन की गतिविधियाँ संचालित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 'शाहदोल टमाटर उत्पादक संघ' ने 200 किसानों को एकजुट कर स्थानीय बाजार में अपनी सौदेबाजी की ताकत बढ़ाई है। इससे उनकी आय में 40% की वृद्धि हुई है। सरकार ने प्रत्येक एफपीओ को ₹15 लाख तक की प्रारंभिक सहायता राशि प्रदान की है, साथ ही विपणन और भंडारण सुविधाओं के विकास के लिए ₹2,000 करोड़ का विशेष कोष आवंटित किया है। 'ऑपरेशन फ्लड 2.0' के तहत देश की डेयरी सहकारी समितियों को अत्याधुनिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। गुजरात के आणंद स्थित अमूल डेयरी के मॉडल को अब पूरे देश में पुनर्जीवित किया जा रहा है। हरियाणा के रोहतक जिले में 'दूध संगम डेयरी' ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पशु स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली स्थापित की है, जो गायों के स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन का वास्तविक समय में विश्लेषण करती है। देश की 1.90 लाख डेयरी सहकारी समितियाँ अब प्रतिदिन 50 करोड़ लीटर दूध का संग्रहण करती हैं, जो विश्व के कुल दुग्ध उत्पादन का 23% है।

सहकारिता आंदोलन में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी इसकी सबसे प्रेरणादायक उपलब्धि है। केरल के कुडुम्बश्री समूह, जिसमें 45 लाख महिलाएँ संगठित हैं, ने सहकारिता के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक क्रांति का मॉडल प्रस्तुत किया है। राजस्थान के बूंदी जिले में 'माँ बमलेश्वरी महिला स्वयं सहायता समूह' ने पारंपरिक कढ़ाई कला को पुनर्जीवित कर अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बनाई है। सरकार की 'सहकार्य सक्षम' योजना के तहत महिला नेतृत्व वाली समितियों को प्राथमिकता दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले पाँच वर्षों में महिला सदस्यता में 58% की वृद्धि हुई है। सहकारिता का सबसे गौरवशाली पक्ष है – सामाजिक समावेश। सरकार की 'सहकार भारती' पहल के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में 'आदिवासी महुआ उत्पादक संघ' ने स्थानीय जनजातियों को महुआ फूलों के व्यावसायिक उपयोग का प्रशिक्षण दिया है। इससे उनकी आय में 200% तक की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में 'वनधन विकास समिति' ने वनवासियों को वनोपज के प्रसंस्करण में प्रशिक्षित कर उन्हें बाजार से सीधा जोड़ा है। युवाओं को सहकारिता से जोड़ने के लिए सरकार ने 'सहकार्य प्रयास' योजना प्रारंभ की है। इसके तहत सहकारी स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकीय संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में 'यूथ कोऑपरेटिव इनोवेशन हब' ने 120 युवा उद्यमियों को ड्रोन प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि सेवाएँ प्रदान करने का मंच दिया है। इसी तरह, पंजाब के लुधियाना में 'एग्रीटेक कोऑपरेटिव' ने किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य एप विकसित किया है, जो 10 भाषाओं में कृषि सलाह उपलब्ध कराता है।

'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी)' योजना के अंतर्गत सहकारी उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के चंदेरी साड़ी उत्पादक सहकारी समिति ने यूरोपीय बाजार में अपने उत्पादों की बिक्री शुरू की है। इसी तरह, नागालैंड की 'नागा मिर्च उत्पादक संघ' ने जापान और दक्षिण कोरिया के साथ निर्यात समझौते किए हैं। सरकार ने 'सहकार निर्यात प्रोत्साहन योजना' के तहत 500 सहकारी समितियों को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने में सहायता प्रदान की है। भारत की सहकारिता क्रांति 'वसुधैव कुटुम्बकम' की प्राचीन भावना को साकार करती है। केरल की 'मारुवंबथी किसान सहकारी समिति' इसका जीवंत उदाहरण है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम और ईसाई किसान सामूहिक रूप से जैविक सब्जी उत्पादन करते हैं। उनके उत्पादों पर "सहकार से समृद्धि" का लेबल विभिन्न धर्मों के प्रतीकों के साथ अंकित होता है। यह मॉडल अब पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र में मधुमक्खी पालन सहकारिताओं द्वारा अपनाया जा रहा है, जहाँ विभिन्न समुदायों के सदस्य मिलकर शहद उत्पादन कर रहे हैं।

सहकारिता का भारतीय मॉडल आज विश्व के लिए एक आदर्श बन गया है। गांधी जी ने भी सहकारिता को सामूहिक स्वावलंबन और सर्वोदय का आधार माना, जो ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने और शोषण से मुक्त करने का साधन था। उनके खादी और ग्रामोद्योग आंदोलन ने सहकारी समितियों के माध्यम से कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाया। अखिल भारतीय चरखा संघ और ग्रामोद्योग संघ ने सहकारी सिद्धांतों को अपनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। आज, 'सहकार से समृद्धि' गांधी जी के दर्शन को डिजिटल युग में लागू करता है। 'डिजिटल सहकारिता मिशन' और नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस सहकारी समितियों को तकनीकी रूप से सशक्त बना रहे हैं। गांधी जी का सामाजिक समावेश का सिद्धांत कुडुम्बश्री और 'सहकार भारती' जैसी पहलों में जीवंत है, जो वंचित समुदायों को सशक्त बनाती हैं। जब बांग्लादेश के सुंदरवन क्षेत्र में मत्स्य पालन सहकारी समितियाँ भारतीय मॉडल का अध्ययन करती हैं, जब अफ्रीकी देश केन्या के डेयरी किसान अमूल के सहकारी ढाँचे से प्रेरणा लेते हैं, तब भारत की सहकारी भावना वैश्विक पटल पर अपनी छाप छोड़ती है। वर्तमान सरकार की नीतियाँ इस आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान कर रही हैं। 'सहकार से समृद्धि' का दृष्टिकोण अब 'सहकार्य से स्वावलंबन' में परिवर्तित हो रहा है, जहाँ प्रत्येक नागरिक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बन रहा है। सहकारिता की यह यात्रा गाँव के खेत से लेकर वैश्विक बाजार तक जारी है, जो भारत को एक समृद्ध, समावेशी और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। भविष्य में जब इतिहासकार भारत की आर्थिक कहानी लिखेंगे, तो सहकारिता आंदोलन का अध्याय उसकी सबसे प्रेरणादायक गाथा होगी – जहाँ सामूहिक प्रयासों ने व्यक्तिगत सपनों को पंख दिए, जहाँ साझा संसाधनों ने सामूहिक समृद्धि का मार्ग दिखाया, और जहाँ "सबका साथ, सबका विकास" के मंत्र ने राष्ट्र को नई दिशा प्रदान की। यही सहकारिता की सच्ची विरासत है, जिस पर भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव टिकी हुई है।

**अभ्यानंद शर्मा**
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी,
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, कोलकाता

# भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल

इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) ऐसे वाहन हैं जो पेट्रोल और डीजल की जगह बिजली से चलते हैं,और ये पर्यावरण के अनुकूल, कम रखरखाव वाले तथा आर्थिक रूप से लाभकारी विकल्प प्रदान करते हैं।

## इलेक्ट्रिक वाहन क्या हैं?

इलेक्ट्रिक वाहन एक ऑटोमोटिव वाहन होता है जो आगे बढ़ने के लिए एक या अधिक इलेक्ट्रिक मोटर पर निर्भर करता है, और इसमें आंतरिक दहन इंजन का प्रयोग नहीं होता।

## ईवी के मुख्य प्रकार :

- बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन : पूरी तरह से बिजली से चलते हैं, लिथियमआयन बैटरी संचालित, एक बार चार्ज पर 80 से 300 + मील तक दूरी तय कर सकते हैं।
- प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन : ये बिजली और गैस दोनों से चलते हैं, पहले इलेक्ट्रिक मोड में 20-55 मील तक चल सकते हैं।

- ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन : हाइड्रोजन फ्यूल सेल से बिजली उत्पन्न कर चलते हैं, तेजी से रिफिलिंग और 300-400 मील की दूरी तय करने में सक्षम।

## भारत में ईवी के लाभ

- कम परिचालन लागत: पेट्रोल/डीजल की तुलना में ईवी की लागत कम होती है।
- पर्यावरणीय लाभ: शून्य टेलपाइप उत्सर्जन, स्वच्छ हवा और कम कार्बन फुटप्रिंट
- कम मेंटेनेंस: अपने सरल डिज़ाइन के कारण टूट-फूट कम होती है।
- स्मार्ट तकनीक: तेज़ त्वरण, मौन ड्राइव, एडवांस टेक्नोलॉजी और हाई-टेक फ़ीचर्स।
- चार्जिंग सुविधा: घर पर 4 घंटे में चार्ज संभावित, सार्वजनिक चार्जिंग नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है

## भारत में ईवी की स्थिति और मार्केट

भारत में ई-कारों की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। नवंबर 2025 में ई-कार सेगमेंट में 62% की जबरदस्त उछाल देखने को मिली। इसमें सबसे बड़ा हाथ टाटा पंच ईवी भारत में ई-कारों में भारतीय

कंपनियों का ही बोल बाला है। टेस्ला महँगी होने की वजह से लोग कम खरीद रहें हैं।

सरकार की कई योजनाएं और सब्सिडी जैसे पीएम ईड्राईव योजना, ईवी खरीद पर आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। ईवी दोपहिया, तिपहिया, चार-पहिया और ई-बसों पर सब्सिडी उपलब्ध है।

## चार्जिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर

राष्ट्रीय स्तर की पहल के तहत सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की संख्या 12,146 तक पहुँच चुकी है, और नए चार्जिंग नेटवर्क तेजी से विकसित हो रहे हैं।

बैटरी स्वैपिंग मॉडल और "बेट्री-एस-ए-सर्विस" जैसी योजनाओं के माध्यम से सुविधा बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।

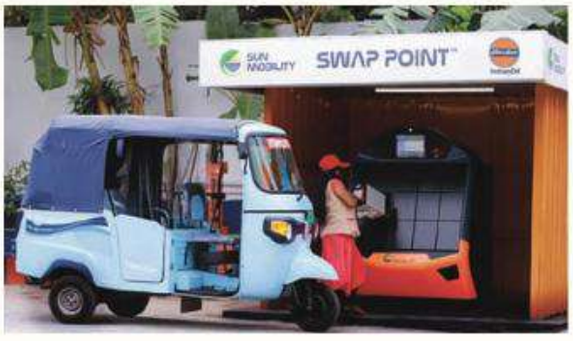


## चुनौतियां

- उच्च प्रारंभिक लागत और बैटरी रिप्लेसमेंट महंगा होना।
- चार्जिंग नेटवर्क की सीमाएं, विशेषकर अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में।
- प्रशिक्षित कार्यबल की कमी और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता।
- लंबी दूरी यात्रा के लिए चार्जिंग समय और रेंज सीमित होना

## भविष्य

भारत 2030 तक विश्व के चौथे सबसे बड़े ईवी निर्माता देश बनने का लक्ष्य रखता है, और स्थानीय उत्पादन क्षमता 0.2 मिलियन (2024) से बढ़कर 2.5 मिलियन ई-4 व्हीलर तक पहुँचने की संभावना है।

राज्य जैसे उत्तर प्रदेश और दिल्ली ईवी अपनाने में अग्रणी हैं, विशेषकर ई-रिक्शा और दोपहिया बाजार

में आज भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल तेजी से अपनाए जा रहे हैं, और सरकारी नीतियां, सब्सिडी, चार्जिंग नेटवर्क तथा टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स का सहयोग इसे एक स्थायी और किफायती विकल्प बना रहे हैं। हम अपने बजट और आवश्यकताओं के अनुसार दोपहिया, तिपहिया या चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहन चुन सकते हैं।

भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाना है और देश को प्रदूषण और बीमारियों से मुक्त बनाना है।

**अरविन्द कुमार नारंग**
वरिष्ठ प्रबन्धक (आई टी) ऋण लेखा और रिटेल फाइनेंस विभाग, हुडको

# स्वीकृति

जीवन का केंद्रीय बिन्दु स्वीकृति है। स्वीकृति, अंत ही आरंभ है और आरंभ ही अंत सा आभास देती है. सुख-दुःख, उदासी-गम, जाने या अनजाने हर परिप्रेक्ष्य में अपना अस्तित्व रखती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिणाम स्वीकृति है। जन्म से सम्पूर्ण जीवन तक स्वीकृति के संग व्यक्ति का जीवन चलता है। स्वयं, परिवार, समाज और देश के अदृश्य बंधन के आँचल में पलता है....बढ़ता है... और चहुं ओर भविष्य बनाने की दौड़ में शामिल होता है। उम्र के हर पड़ाव पर मानसिक, व्यवहारिक, सामाजिक व अन्य तथ्यों के सही या गलत, द्वंद्व या विद्वन्द्व के परिणाम पता हो, तब भी अनवरत पक्षीय स्वीकृति साथ चलती है। निराशा में आशा की किरण ढूंढ लेना, नकारात्मकता के दूसरे पहलू में सकारात्मकता का दृष्टिकोण देख लेना जोकि सरल या जोखिम भरा भी हो सकता है तब केवल जीत की स्वीकृति दृष्टिपटल होती है और इसी हौसलें का दामन पकड़ कर कदम-दर-कदम आगे बढ़ते चले जाना स्वीकृति है। व्यवहार की बात करें तो भिन्न-भिन्न प्रवृति के स्वभाव में भिन्न-भिन्न परिस्थितियों को आंक कर, नाप कर या छलिया सा व्यवहारते, विचारते और समझौते करते है। क्यों? और किसके साथ बदल-बदल कर कब और कैसा आचरण करना है. यह सब संस्कार की स्वीकृति हो सकती है, आदतन की स्वीकृति हो सकती है या स्व प्रवृति की स्वीकृति हो सकती है और कभी-कभी कृत्रिम स्वीकृति भी हो सकती है। सुखद शब्द है स्वीकृति। इसे अपने पक्ष में रखना ही जीवन मूल्य है। दुःख, कष्ट, पीड़ा और अवसाद की संवेदनशील परिस्थितियों के भंवर में ही नहीं फंसे रहने और बाहर निकलने की गति की स्वीकृति का दम रखने के प्रयास से समस्याएँ समाधान में बदल जाती है। खुद से संतुलन बना कर आंतरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिकता के घेरे में स्वीकृति बार-बार बदलनी पड़ती है तो बदलिए, यह बदलाव भी प्रकृति की सुंदर स्वीकृति है।

बाहरी प्रभावों की स्वीकृति के इंतजार में रहने से स्वयं का उत्थान धूमिल हो ही जाता है। जो अच्छा नहीं लगता या हित में नहीं उसे अस्वीकृत कर देते है, यह अस्वीकृति ही दूसरे पहलू से ना कर देने की स्वीकृति है, ना को अपनाने की स्वीकृति है। उन्नत, उज्ज्वल, हंसी-खुशी की स्थिति में अकर्मण्यता एवं नीरसता की स्वीकृति भविष्य के लिए पीड़ादायक स्थितियाँ उत्पन्न कर देती है। सजग, सचेत, प्रसन्न और अनुशासित मनः स्थिति की स्वीकृति अनमोल पूंजी है जिसे सहेज कर स्वयं द्वारा ही रखा जा सकता है।

स्वीकृति ही है कि हम मानवीय संवेदनाओं की बोली सी लगाने लग गए है। आज की शिक्षा को दोष देते हैं लेकिन हम ही शिक्षा की आड़ में नोनिहालों को अलग दुनिया बनाने को लालायित करते है फिर रोते है संस्कार कहाँ चले गए..... हमारी ही स्वीकृति है .... चारों ओर भागते हुए नजर आ रहे हैं ..... एक दूसरे को समय न दे पाने की स्वीकृति है कि आपस में या बड़ों की सुनना और सम्मान करना हम ना तो खुद सीख पा रहे हैं और ना ही सीखा पा रहे हैं। सीखो और सीखो ... सवाल पर सवाल करों लेकिन चुप मत रहों और सामंजस्यी ना बनों, इसी स्वीकृति का ज्ञान हम बहुत बिखेर चुके हैं। जिसके चलते अब केवल आवाजें, चिल्लाहट और झुंझलाहट सुन पा रहे हैं। उपाय नहीं है यही स्वीकृति है। तकनीक और ए आई की दुनिया है, फोन जरूरी है लेकिन मानवता धूमिल है। दिल और दिमाग में हँगामा और उथल-पथल का प्रचंड उत्पात भीतर तक को झकझोर देता है। हर एक चीज में पर्फेक्ट बनने की आतुरता और स्वीकृति से किसी एक विषय वस्तु पर ध्यान केन्द्रित नहीं हो पाने से परिणाम... लक्ष्य विहीन जीवन की स्वीकृति...

जीवन का केंद्रीय बिन्दु स्वीकृति है। स्वीकृति, अंत ही आरंभ है और आरंभ ही अंत सा आभास देती है. सुख-दुःख, उदासी-गम, जाने या अनजाने हर परिप्रेक्ष्य में अपना अस्तित्व रखती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिणाम स्वीकृति है। जन्म से सम्पूर्ण जीवन तक स्वीकृति के संग व्यक्ति का जीवन चलता है। स्वयं, परिवार, समाज और देश के अदृश्य बंधन के आँचल में पलता है....बढ़ता है... और चहुं ओर भविष्य बनाने की दौड़ में शामिल होता है. उम्र के हर पड़ाव पर मानसिक, व्यवहारिक, सामाजिक व अन्य तथ्यों के सही या गलत, द्वंद्व या विद्वन्द्व के परिणाम पता हो, तब भी अनवरत पक्षीय स्वीकृति साथ चलती है। निराशा में आशा की किरण ढूंढ लेना, नकारात्मकता के दूसरे पहलू में सकारात्मकता का दृष्टिकोण देख लेना जोकि सरल या जोखिम भरा भी हो सकता है तब केवल जीत की स्वीकृति दृष्टिपटल होती होती है और इसी हौंसले का दामन पकड़ कर कदम-दर-कदम आगे बढ़ते चले जाना स्वीकृति है। व्यवहार की बात करें तो भिन्न-भिन्न प्रवृति के स्वभाव में भिन्न-भिन्न परिस्थितियों को आंक कर, नाप कर या छलिया सा व्यवहारते, विचारते और समझौते करते है. क्यों? और किसके साथ बदल-बदल कर कब और कैसा आचरण करना है। यह सब संस्कार की स्वीकृति हो सकती है, आदत की स्वीकृति हो सकती है या स्व प्रवृत्ति की स्वीकृति हो सकती है और कभी-कभी कृत्रिम स्वीकृति भी हो सकती है। सुखद शब्द है स्वीकृति। इसे अपने पक्ष में रखना ही जीवन मूल्य है। दुःख, कष्ट, पीड़ा और अवसाद की संवेदनशील परिस्थितियों के भंवर में ही नहीं फंसे रहने और बाहर निकलने की गति की स्वीकृति का दम रखने के प्रयास से समस्याएँ समाधान में बदल जाती है।

खुद से संतुलन बना कर आंतरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिकता के घेरे में स्वीकृति बार-बार बदलनी पड़ती है तो बदलिए, यह बदलाव भी प्रकृति की सुंदर स्वीकृति है।

बाहरी प्रभावों की स्वीकृति के इंतजार में रहने से स्वयं का उत्थान धूमिल हो ही जाता है। जो अच्छा नहीं लगता या हित में नहीं उसे अस्वीकृत कर देते है, यह अस्वीकृति ही दूसरे पहलू से ना कर देने की स्वीकृति है, ना को अपनाने की स्वीकृति है। उन्नत, उज्ज्वल, हंसी-खुशी की स्थिति में अकर्मण्यता एवं नीरसता की स्वीकृति भविष्य के लिए पीड़ादायक स्थितियाँ उत्पन्न कर देती है। सजग, सचेत, प्रसन्न और अनुशासित मनः स्थिति की स्वीकृति अनमोल पूंजी है जिसे सहेज कर स्वयं द्वारा ही रखा जा सकता है।

स्वीकृति ही है कि हम मानवीय संवेदनाओं की बोली सी लगाने लग गए हैं। आज की शिक्षा को दोष देते हैं लेकिन हम ही शिक्षा की आड़ में नौनिहालों को अलग दुनिया बनाने को लालायित करते हैं फिर रोते हैं संस्कार कहाँ चले गए..... हमारी ही स्वीकृति है .... चारों ओर भागते हुए नजर आ रहे हैं ..... एक दूसरे को समय न दे पाने की स्वीकृति है कि आपस में या बड़ों की सुनना और सम्मान करना हम ना तो खुद सीख पा रहे हैं और ना ही सीखा पा रहे हैं। सीखो और सीखो ... सवाल पर सवाल करो लेकिन चुप मत रहो और सामंजस्यी ना बनो, इसी स्वीकृति का ज्ञान हम बहुत बिखेर चुके हैं। जिसके चलते अब केवल आवाजें, चिल्लाहट और झुंझलाहट सुन पा रहे हैं. उपाय नहीं है यही स्वीकृति है। तकनीक और ए आई की दुनिया है, फोन जरूरी है लेकिन मानवता धूमिल है. दिल और दिमाग में हँगामा और उथल-पथल का प्रचंड उत्पात भीतर तक को झकझोर देता है। हर एक चीज में पर्फेक्ट बनने की आतुरता और स्वीकृति से किसी एक विषय वस्तु पर ध्यान केन्द्रित नहीं हो पाने से परिणाम... लक्ष्य विहीन जीवन की स्वीकृति... जीतना ही एकमात्र विकल्प नहीं होना चाहिए। हार जाने और हार से लड़ने की स्वीकृति भी होनी चाहिए। बार-बार हारो मत. केवल जीतने की ही स्वीकृति, हर बार जीतना है... शाबाश बढ़ो... आगे बढ़ो... हर कदम जीतो... लेकिन हारो मत। बिना विचारे क्या ही वातावरण परोस रहे हैं परिवार और समाज को... एक ही हार के बाद भयावह परिणाम रोज नई ताजा कहानियों के साथ सुनने और देखने को मिलती है जो इतिहास बन जाने की स्वीकृति है।

स्वार्थ के चलते हित-अहित के परिणामों को अनदेखा कर विश्लेषण के लिए हम मस्तिष्क में विचारों की छलनी से अपने पक्ष की क्रियाएं एवं अनुभूतियाँ छानते रहते हैं और अच्छा-अच्छा बटोरने लगते हैं जो कि पता नहीं कब काम में आएगा, या आएगा भी कि नहीं। किसी के कष्ट और पीड़ा में सहभागी बन जाने की आंतरिक स्वीकृति से पूरित हो जाना बहुत संतोष देता है। दूसरों के हित की बात करने....हित कर देने... मात्र से मस्तिष्क की कोशिकाएं रूई की भांति हल्की और शांत हो जाती है। किसी को आंतरिक स्वीकृति अच्छी लगे या बुरी, जब परिणाम किसी के लिए भी सुखद हो और हितकारी हो तब प्रकृति की एक-एक कोशिका मुस्कुराती नजर आती है और एक नई ऊर्जा और चेतना का संचार होने का एहसास देती है, ऐसी अनुभूति से विमुख नहीं होना ही स्वीकृति है।

प्रवृत्ति भले ही किसी की भली नहीं हो। तब शायद परिणाम भी स्व-हित के नहीं रहें अपितु कष्टप्रद रहे और ना ही स्व का लाभ हो किन्तु परहित के लिए शुभ कर्म करने की उत्प्रेरणा की मानसिक स्वीकृति हृदय को अपार आनंदित कर सुखद अनुभूति देकर चेतना को परिशोधित करती है। अच्छे विचार, अच्छे समझौते, अच्छी आदतें, अच्छे व्यवहार व अच्छे शब्द या बुरे विचार, बुरे समझौते, बुरी आदतें, बुरा व्यवहार या बुरे शब्द ब्रह्माण्ड में विचरण करते हैं और कई गुना से अधिक बनकर उसी अनुरूप हमारे इर्द-गिर्द घूम कर वापस हमारे पास ही अवश्य आते हैं। यही स्वीकृति है यही छाया प्रतिरूप है। कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रहता. प्रकृति को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या कार्मिक रूप से हम जैसा देते हैं वही वापस लौट कर आता ही है..... फिर हम चाहें या नहीं चाहें यही स्वीकृति चक्र है।

स्वयं के प्रति एक वचन हम खुद से देते हैं कि हम अच्छे हैं लेकिन कितने अच्छे हैं, यह खुद से ज्यादा कोई बता ही नहीं सकता, आत्ममंथन जरूरी है। भुलावे या मृग छाया के आवरण से हट कर आध्यात्मिक व अन्तर्मन की स्वीकृति के माध्यम से हमें किसके लिए और कितनी स्वीकृति की आवश्यकता है, यह संज्ञान में सदैव रखें तो अच्छा है। पक्षपात रहित सब संवेदनाएँ नपी-तुली स्थिति में क्रियाशील हो जाती है. रात-दिन, सफ़ेद- काला सब जरूरी है इन्हें अनदेखा किया ही नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि सफ़ेद और उजाला ही अच्छा है काला और रात अच्छी नहीं लगती, भले ही आपको काला और रात अच्छी नहीं लगे लेकिन इनको स्वीकारना तो पड़ेगा कि इनका महत्व भी कम नहीं। प्रकृति और प्रकृति का प्रत्येक जीवन पंच तत्वों से परिपूर्ण है, जीवन में अनुशासन, संस्कार और नियमों की स्वीकृति एक अच्छा मित्र है।

**डॉ. प्रकाश जैन**
वरिष्ठ प्रबन्धक (प्रशासन)
जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय, हुडको

# हडको द्वारा रणथंभौर ट्रिप

रणथंभौर की यात्रा सिर्फ़ एक वाइल्डलाइफ़ ट्रिप नहीं है - यह राजस्थान की असली प्रकृति, प्राचीन इतिहास और शांत आध्यात्मिकता के दिल में एक भावपूर्ण यात्रा है। सवाई माधोपुर ज़िले में बसा रणथंभौर नेशनल पार्क भारत के सबसे मशहूर वाइल्डलाइफ़ सैंक्चुअरी में से एक है, जो अपने शानदार रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जैसे ही आप रणथंभौर में कदम रखते हैं, वहाँ का नज़ारा कहानियाँ सुनाता है। सूखे पतझड़ वाले जंगल, चट्टानी पहाड़ियाँ, शांत झीलें और खुले घास के मैदान मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो शक्तिशाली और शांतिपूर्ण दोनों लगता है। घने जंगलों के उलट, रणथंभौर का खुला इलाका पर्यटकों को वन्यजीवों को उनके सबसे नाटकीय और प्राकृतिक रूप में देखने का मौका देता है।

### रणथंभौर - जंगल सफारी का अनुभव

यात्रा का मुख्य आकर्षण, बेशक, सफारी का अनुभव है। जैसे-जैसे जिप्सी जंगल के रास्तों पर धीरे-धीरे आगे बढ़ती है, हर आवाज़ तेज़ सुनाई देती है - पक्षियों की आवाज़, पत्तों की सरसराहट और हिरणों की दूर से आने वाली चेतावनी की आवाज़ें। रास्ते में आराम से चलते हुए या पानी के पास आराम करते हुए बाघ को देखना एक ऐसा पल होता है जो हमेशा के लिए यादों में बस जाता है। बाघों के अलावा, रणथंभौर में तेंदुए, स्लॉथ भालू, सांभर हिरण, नीलगाय, मगरमच्छ और सैकड़ों तरह के पक्षी पाए जाते हैं।

### त्रिनेत्र गणेश मंदिर

इस यात्रा में एक गहरी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक परत जोड़ता है रणथंभौर किला, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। एक पहाड़ी की चोटी पर शान से खड़ा यह किला सदियों की लड़ाइयों और भक्ति का गवाह रहा है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर राजस्थान के 10वीं सदी के रणथंभौर किले के अंदर स्थित एक प्रसिद्ध, प्राचीन मंदिर है। यह दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहाँ गणेश जी का पूरा परिवार (रिद्धि, सिद्धि, शुभ, लाभ) मौजूद है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, खासकर तीन आँखों वाली (त्रिनेत्र) मूर्ति के लिए। हज़ारों लोग भगवान गणेश को शादी के कार्ड भेजने आते हैं, और गणेश चतुर्थी के दौरान यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर जैसे मंदिर, जो भारत के सबसे पुराने गणेश मंदिरों में से एक है, ऐसे भक्तों को आकर्षित करते हैं जो वन्यजीवों की खोज को आध्यात्मिक खोज के साथ जोड़ते हैं। यहीं पर प्रकृति, आस्था और इतिहास एक साथ मिल जाते हैं।

### घूमने के लिए :

**स्थान:** रणथंभौर किले के अंदर, सवाई माधोपुर से लगभग 12 किमी दूर।
**पहुँच:** किले के अंदर लगभग 1-2 किमी पैदल चलना पड़ता है, जिसमें लगभग 200-250 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं।

**महत्व:** भगवान गणेश के पूरे परिवार: रिद्धि, सिद्धि और बेटों शुभ और लाभ के लिए जाना जाता है।
**इतिहास:** 1300 ईस्वी में राजा हमीर ने एक चमत्कारी सपने के बाद बनवाया था, मंदिर की जड़ें 13वीं सदी से जुड़ी हैं।
**आरती:** रोज़ाना पाँच आरती की जाती हैं।
**सबसे अच्छा समय:** नवंबर से फरवरी का समय सबसे अच्छा है, और बुधवार का दिन खास महत्व रखता है।

यह मंदिर एक प्रमुख टूरिस्ट आकर्षण भी है, जहाँ अक्सर रणथंभौर नेशनल पार्क में सफारी के हिस्से के रूप में लोग आते हैं। यह इलाका अपने शांत माहौल और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है।

## रणथंभौर किला

यह यात्रा यात्रियों को राजस्थान के देहाती आकर्षण से भी परिचित कराती है - स्थानीय गाँव, गर्मजोशी भरा मेहमाननवाज़ी, पारंपरिक भोजन और रंगीन संस्कृति। रणथंभौर में सूर्योदय और सूर्यास्त आसमान को सोने और गहरे लाल रंग की छटा से रंग देते हैं, जो पर्यटकों को प्रकृति की शाश्वत लय की याद दिलाते हैं।

संक्षेप में, रणथंभौर यात्रा सिर्फ़ घूमने-फिरने से कहीं ज़्यादा है। यह सह-अस्तित्व की याद दिलाता है - इंसानों और वन्यजीवों के बीच, अतीत और वर्तमान के बीच, रोमांच और अंदरूनी शांति के बीच। चाहे आप प्रकृति प्रेमी, फ़ोटोग्राफ़र, तीर्थयात्री या जिज्ञासु यात्री के रूप में जाएँ, रणथंभौर आपको विनम्र, प्रेरित और भारत की जंगली भावना से गहराई से जुड़ा हुआ महसूस कराता है।

## रणथंभौर चंबल सफारी

रणथंभौर चंबल सफारी रणथंभौर के पास चंबल नदी पर एक अनोखी नाव यात्रा का मौका देती है, जिसमें घड़ियाल, मार्श मगरमच्छ और गंगा डॉल्फ़िन जैसे पानी के जीवों पर ध्यान दिया जाता है, साथ ही कई तरह के पक्षी भी दिखते हैं। ये सफारी कुछ घंटों की होती हैं और अक्सर इसमें ग्रामीण इलाकों का अनुभव या नदी के किनारे खाना शामिल होता है, जो रणथंभौर नेशनल पार्क की मशहूर टाइगर सफारी को पूरा करता है। वन्यजीव: मुख्य रूप से घड़ियाल (लंबी थूथन वाले मछली खाने वाले मगरमच्छ), मार्श मगरमच्छ, कछुए और कई तरह के पक्षी (बगुले, सारस, आदि)। आपको नदी के किनारे रिवर डॉल्फ़िन, नीलगाय, साही, जंगली सूअर और यहाँ तक कि तेंदुए या भालू भी दिख सकते हैं।

**सफारी का अनुभव:** शांत चंबल नदी पर नाव की सवारी (शेयर या प्राइवेट), जिसमें गाइड जानकारी देते हैं।
**अवधि:** आमतौर पर 3-4 घंटे, कुछ पैकेज पूरे दिन के लिए भी होते हैं।
**नज़ारा:** टाइगर पर फोकस वाले पार्क की तुलना में एक अलग, शांत नज़ारा मिलता है, जिसमें नदी की शानदार सुंदरता होती है।
**गतिविधियाँ:** कुछ टूर पिकनिक लंच, पारंपरिक राजस्थानी खाना, या सांस्कृतिक अनुभव के लिए गाँव का दौरा भी करवाते हैं।
**मुख्य आकर्षण:** घड़ियाल देखना, चंबल घड़ियालों के संरक्षण के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए उन्हें देखना एक बड़ा आकर्षण है।
**पक्षी देखना:** दुर्लभ पक्षियों को देखने के लिए बेहतरीन जगह।

**लॉजिस्टिक्स:**

**स्थान:** रणथंभौर नेशनल पार्क से लगभग एक घंटे की ड्राइव पर, अक्सर पाली घाट से शुरू होती है।
**बुकिंग:** होटलों, ट्रैवल एजेंटों या सीधे जगह पर बुक किया जा सकता है।
**ज़रूरी चीज़ें:** दूरबीन और कैमरे की सलाह दी जाती है; सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट ज़रूरी हैं। चंबल नदी वन्यजीवों, घड़ियालों और पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है।

## हडको कार्यालय द्वारा आयोजित रणथंभौर यात्रा : एक यादगार अनुभव

हडको कार्यालय द्वारा आयोजित रणथंभौर यात्रा न केवल एक मनोरंजक भ्रमण रही, बल्कि यह टीम-बॉन्डिंग, प्रकृति से जुड़ाव और मानसिक तरोताज़गी का भी अद्भुत अवसर बनी। इस यात्रा का आयोजन अत्यंत सुव्यवस्थित एवं विचारपूर्ण ढंग से किया गया, जिसके लिए प्रबंधन टीम प्रशंसा की पात्र है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगल, ऐतिहासिक किला और वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने का अनुभव सभी के लिए रोमांचक रहा। सफारी के दौरान बाघ, हिरण, मोर आदि को देखकर सभी सदस्यों में उत्साह और जिज्ञासा देखने को मिली। इस यात्रा ने हमें दैनिक कार्यालयीन दिनचर्या से हटकर प्रकृति के करीब जाने और तनावमुक्त वातावरण में समय बिताने का अवसर प्रदान किया। इसके साथ ही, इस ट्रिप ने सहकर्मियों के बीच आपसी संवाद, सहयोग और सौहार्द को भी मजबूत किया। यात्रा के दौरान हुए समूह गतिविधियों और अनौपचारिक बातचीत ने टीम भावना को और सुदृढ़ किया। कुल मिलाकर, रणथंभौर यात्रा एक अत्यंत सफल, प्रेरणादायक अविस्मरणीय अनुभव रही, जिसके लिए हम कार्यालय प्रबंधन के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

**सुनीता,**
वरि. प्रबंधक (आईटी)
राजभाषा अनुभाग, हडको

# ईआरपी ऋण प्रबंधन प्रणाली

बैंक एवं सरकारी वित्तीय संस्थानों में ऋण प्रबंधन केवल एक व्यावसायिक गतिविधि नहीं, बल्कि सार्वजनिक धन, सामाजिक दायित्व और वित्तीय अनुशासन से जुड़ा विषय है। ऐसे में ई.आर.पी आधारित ऋण प्रबंधन प्रणाली संस्थानों को पारदर्शी, उत्तरदायी और कुशल बनाता है। डिजिटल युग में संगठनों की कार्यप्रणाली तेजी से स्वचालित और डेटा- आधारित हो रही है। विशेषकर बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थानों में ऋण प्रबंधन एक अत्यंत जटिल, संवेदनशील और विनियामक अनुपालन से जुड़ी प्रक्रिया है। ऐसे में एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के अंतर्गत विकसित ऋण प्रबंधन प्रणाली ऋण जीवनचक्र के कुशल, पारदर्शी और सुरक्षित प्रबंधन का एक प्रभावी समाधान प्रदान करता है।

## ऋण प्रबंधन प्रणाली क्या है ?

ऋण प्रबंधन प्रणाली ई.आर.पी का एक समर्पित मॉड्यूल है, जो ऋण के प्रस्ताव से लेकर पूर्ण वसूली या समापन तक की संपूर्ण प्रक्रिया को एकीकृत रूप से प्रबंधित करता है। यह प्रणाली ऋण स्वीकृति, वितरण, ब्याज गणना, पुनर्भुगतान अनुसूची, लेखांकन प्रविष्टियाँ, एनपीए वर्गीकरण, रिपोर्टिंग एवं नियामकीय अनुपालन को स्वचालित करती है।

## ऋण प्रबंधन प्रणाली के प्रमुख घटक

### 1. ऋण स्वीकृति एवं अनुबंध प्रबंधन

ऋण प्रबंधन प्रणाली में ऋण प्रस्ताव, स्वीकृत शर्तें, ब्याज दर, अवधि, पुनर्भुगतान संरचना एवं अनुबंध विवरण संरक्षित रहते हैं, जिससे मैनुअल त्रुटियों की संभावना कम होती है।

### 2. ऋण वितरण प्रबंधन

प्रणाली निर्धारित तिथियों पर आंशिक या पूर्ण वितरण को ट्रैक करती है तथा उसे सामान्य सामान्य लेखा खाता से स्वचालित रूप से जोड़ती है।

### 3. ब्याज एवं किस्त गणना

ऋण प्रबंधन प्रणाली सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, फ्लोटिंग या फिक्स्ड दर, प्रभावी ब्याज दर जैसे विभिन्न मानकों के आधार पर ब्याज की गणना करता है।

### 4. पुनर्भुगतान एवं वसूली प्रबंधन

ईएमआई /किस्त अनुसूची, समय पर भुगतान, आंशिक भुगतान, दंडात्मक ब्याज और ओवरड्यू की गणना प्रणाली द्वारा स्वतः की जाती है।

### 5. एनपीए एवं परिसंपत्ति वर्गीकरण

आरबीआई / नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार स्टैंडर्ड, सब-स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट्स का वर्गीकरण ऋण प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से किया जाता है।

### 6. लेखांकन एवं वित्तीय एकीकरण

ऋण प्रबंधन प्रणाली का एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के फाइनेंस मॉड्यूल से एकीकरण ब्याज आय, ब्याज प्राप्य, प्रावधान और राइट-ऑफ जैसी प्रविष्टियों को स्वचालित करता है।

### 7. रिपोर्टिंग एवं प्रबंधन सूचना प्रणाली

प्रणाली विभिन्न प्रबंधन रिपोर्ट, नियामकीय रिटर्न, ऑडिट ट्रेल और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रदान करती है, जिससे निर्णय-निर्माण सशक्त होता है।

## हडको के दृष्टिकोण से ई.आर.पी आधारित ऋण प्रबंधन प्रणाली

### 1. प्रस्तावना

हडको जैसी सरकारी वित्तीय संस्थाएँ देश की आर्थिक संरचना की रीढ़ होती हैं। इनके माध्यम से न केवल वाणिज्यिक ऋण बल्कि विकासात्मक, सामाजिक एवं कल्याणकारी ऋण योजनाओं का संचालन किया जाता है। ऐसे में ऋण प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही, नियामकीय अनुपालन और वित्तीय अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। ई.आर.पी ऋण प्रबंधन प्रणाली इन सभी आवश्यकताओं को एकीकृत डिजिटल मंच पर साकार करता है।

### 2. नीति-आधारित ऋण स्वीकृति एवं विवेकाधीन निर्णयों में कमी:

पारंपरिक प्रणाली में ऋण स्वीकृति प्रायः मैनुअल एवं व्यक्ति-निर्भर होती थी। ऋण प्रबंधन प्रणाली में

- पूर्व निर्धारित पात्रता मानदंड
- स्वचालित चेकलिस्ट
- प्रणाली आधारित अनुमोदन कार्यप्रवाह

लागू होते हैं, जिससे विवेकाधीन निर्णयों में कमी आती है और नीति आधारित को बढ़ावा मिलता है।

### 3. शाखा से मुख्यालय तक एकरूपता

हडको की शाखाएँ देशभर में फैली हैं। ऋण प्रबंधन प्रणाली –

- सभी शाखाओं में एक समान प्रक्रिया
- रीयल-टाइम डेटा उपलब्धता
- केंद्रीकृत निगरानी

सुनिश्चित करता है, जिससे क्षेत्रीय असमानताओं और प्रक्रियागत भिन्नताओं का अंत होता है।

### 4. विकासात्मक एवं सामाजिक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन

सरकार द्वारा संचालित ऋण योजनाएँ जैसे–

- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण
- सब्सिडी आधारित ऋण
- स्वरोजगार एवं एमएसएमई योजनाएँ

ऋण प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से बेहतर ढंग से ट्रैक की जा सकती हैं। इससे–

- लक्षित लाभार्थी की पहचान
- सब्सिडी समायोजन
- योजना-वार प्रदर्शन विश्लेषण

संभव होता है।

### 5. एनपीए नियंत्रण एवं वित्तीय स्थिरता

एनपीए सरकारी वित्तीय संस्था की सबसे बड़ी चुनौती है।

ऋण प्रबंधन प्रणाली –

- प्रारंभिक चेतावनी संकेत
- ओवरड्यू ट्रैकिंग
- स्वचालित एनपीए वर्गीकरण

के माध्यम से समय रहते हस्तक्षेप को संभव बनाता है। इससे हडको की वित्तीय सेहत सुदृढ़ होती है

### 6. पारदर्शिता, ऑडिट और उत्तरदायित्व

हडको में सीएजी ऑडिट, आंतरिक ऑडिट, सतर्कता जांच, संसद/विधानसभा प्रश्न सामान्य प्रक्रियाएँ हैं। ऋण प्रबंधन प्रणाली में –

- प्रत्येक प्रविष्टि का ऑडिट ट्रेल
- तारीख-वार और उपयोगकर्ता-वार लॉग
- दस्तावेज़ संलग्नता

उपलब्ध रहती है, जिससे उत्तरदायित्व तय करना सरल हो जाता है।

### 7. निर्णय-निर्माण में सहायता (पॉलीसी एवं प्रबंधन सूचना प्रणाली)

शीर्ष प्रबंधन के लिए ऋण प्रबंधन प्रणाली –

- सेक्टर-वार ऋण वितरण
- वसूली प्रदर्शन
- योजना-वार प्रभाव

जैसी रिपोर्ट्स उपलब्ध कराता है। इससे नीति-निर्धारण डेटा-आधारित बनता है।

### 8. डिजिटल शासन (ई-गवर्नेंस) की दिशा में योगदान

ई.आर.पी आधारित ऋण प्रबंधन प्रणाली

- कागज़ रहित कार्यप्रणाली
- प्रणाली आधारित नियंत्रण
- समयबद्ध सेवा वितरण

को बढ़ावा देता है, जो डिजिटल इंडिया और सुशासन के लक्ष्यों के अनुरूप है।

### निष्कर्ष

वर्तमान बैंकिंग एवं सार्वजनिक वित्तीय परिदृश्य में ऋण प्रबंधन केवल लेन-देन की प्रक्रिया नहीं रह गया है, बल्कि यह वित्तीय स्थिरता, सार्वजनिक विश्वास और संस्थागत विश्वसनीयता का मूल आधार बन चुका है। बैंक और सरकारी संस्थाएँ जिन संसाधनों का प्रबंधन करती हैं, वे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जनता की संचित पूँजी से जुड़े होते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की अक्षमता, अनियमितता या अपारदर्शिता का प्रभाव केवल संस्था तक सीमित न रहकर व्यापक आर्थिक व्यवस्था पर पड़ता है। ई.आर.पी आधारित ऋण प्रबंधन प्रणाली बैंक और सरकारी संस्थाओं के लिए केवल एक तकनीकी समाधान नहीं, बल्कि–

- **सुशासन का उपकरण,**
- **वित्तीय अनुशासन का आधार**
- **नियामकीय अनुपालन की रीढ़**

बैंकिंग सुधारों, डिजिटल इंडिया और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में ऋण प्रबंधन प्रणाली की भूमिका आने वाले वर्षों में और भी निर्णायक होगी। बदलते वित्तीय परिवेश और बढ़ती नियामकीय अपेक्षाओं के बीच ईआरपी आधारित एलएमएस को अपनाना अब एक विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता बन चुका है।

**संजीव कुमार सैनी**
वरि. प्रबंधक (वित्त),
एलएआरएफ विभाग, हुडको

# युवाओं का स्वास्थ्य और राष्ट्र का भविष्य

भारत एक युवा राष्ट्र है। देश की कुल जनसंख्या का बड़ा भाग युवाओं का है। यही युवा वर्ग देश के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की सबसे बड़ी शक्ति है। किन्तु वर्तमान समय में युवाओं की जीवनशैली में आए तीव्र परिवर्तन ने उनके स्वास्थ्य और चरित्र के समक्ष गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। व्यसन की प्रवृत्ति, जंकफूड का बढ़ता चलन और मोबाइल फोन का अनियंत्रित उपयोग युवाओं के जीवन को भीतर से कमजोर कर रहा है। यह विषय केवल व्यक्तिगत चिंता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सरोकार का विषय बन चुका है।

**1. युवाओं में व्यसन : एक गहराता संकट**

व्यसन का अर्थ केवल शराब या तंबाकू तक सीमित नहीं रह गया है। आज नशीले पदार्थ, गुटखा, सिगरेट, ड्रग्स, ऑनलाइन गेमिंग और यहां तक कि डिजिटल प्लेटफॉर्म भी व्यसन का रूप ले चुके हैं। युवा वर्ग तनाव, प्रतिस्पर्धा और असफलता से बचने के लिए अक्सर गलत रास्तों की ओर मुड़ जाता है।

व्यसन के कारणों में मित्रों का दबाव, पारिवारिक संवाद की कमी, गलत संगति, सोशल मीडिया व फिल्मों का प्रभाव तथा आसानी से उपलब्धता प्रमुख हैं। इसके दुष्परिणाम अत्यंत घातक हैं—शारीरिक रोग, मानसिक अवसाद, आर्थिक नुकसान, पारिवारिक कलह और सामाजिक पतन।

**2. जंकफूड : स्वाद का जाल**

कहावत है 'जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा पिए पानी वैसी होवे वाणी' तेज रफ्तार जीवनशैली ने युवाओं को घर के पौष्टिक भोजन से दूर कर दिया है। पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक्स जैसे जंकफूड आज युवाओं की दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। ये खाद्य पदार्थ स्वाद में तो आकर्षक होते हैं, लेकिन इनमें पोषण का अभाव होता है।

जंक फूड में कोलेस्ट्रॉल अधिक होता है और एकाग्रता कम हो जाती है। ये कम पौष्टिक होते हैं और इनसे ऊर्जा भी कम मिलती है। जंक फूड खाने से शरीर में वसा जमा हो जाती है और हम आलसी हो जाते हैं। इससे मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप आदि जैसी

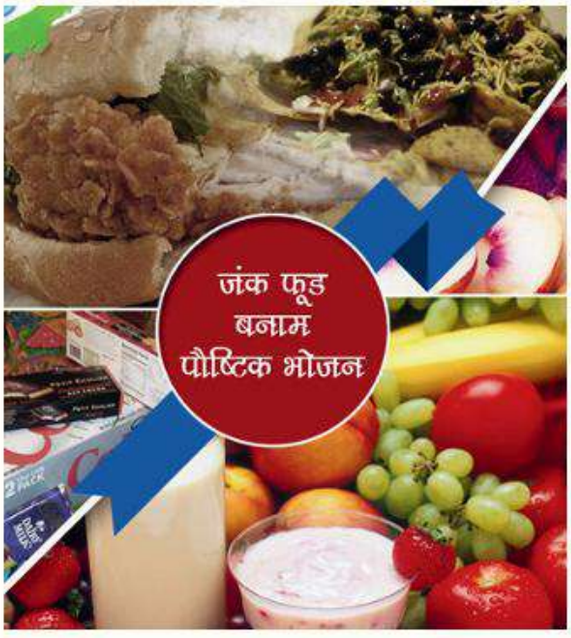


कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जंक फूड के अत्यधिक सेवन से मानसिक विकार, संतुलन बिगड़ने की समस्या भी हो सकती है। बचपन में जंक फूड का सेवन करने से अति सक्रियता, आक्रामकता आदि जैसी व्यवहार संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। जंक फूड के अत्यधिक सेवन से दांतों में कैविटी भी हो सकती है।

### 3. मोबाइल फोन : सुविधा से लत तक

मोबाइल फोन आधुनिक जीवन की आवश्यकता बन चुका है। शिक्षा, सूचना और संचार के क्षेत्र में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। लेकिन जब इसका उपयोग अनियंत्रित हो जाए, तब यही सुविधा अभिशाप बन जाती है।

आधुनिक तकनीक का युवा पीढ़ी को कई लाभ हुए तो कुछ दुष्प्रभाव भी देखने को मिले हैं। मोबाइल से लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, विकास की गति को भी पंख लगे, लेकिन आज मोबाइल का जीवन में दखल इतना बढ़ गया है कि अब इससे बचने का रास्ता खोजा जाने लगा है। मोबाइल ने लोगों को पास लाने की बजाए अब दूरियां बनाना शुरू कर दिया है। छोटे-छोटे बच्चों से लेकर जवान व वृद्ध भी आज एंड्रायड मोबाइल में खोए दिखाई देते हैं। इन मासूम बच्चों का बचपन भी आज मोबाइल में हीं खो कर रह गया है। बच्चों को अभिभावकों ने मोबाइल देना शुरू किया । अब हालात ये हो गए हैं कि आज का युवा 5 से 10 घंटे मोबाइल में व्यतीत कर रहा है। इससे युवाओं को भविष्य मोबाइल में डूबता जा रहा है। मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से आँखों की रोशनी कमजोर होना, नींद की कमी, सिरदर्द, गर्दन दर्द, चिड़चिड़ापन और मानसिक तनाव जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। सोशल मीडिया की आभासी दुनिया युवाओं को वास्तविक सामाजिक संबंधों से दूर कर रही है। मोबाइल आने से पूर्व परिवार के सदस्य सामूहिक बातें तो कर लिया करते थे,लेकिन जब से मोबाइल आया है तब से एक परिवार के सभी सदस्य मोबाइल में व्यस्त रहने से एक-दूसरे बातें तक नहीं कर पाते हैं।

### 4. मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव

जब व्यसन, जंकफूड और मोबाइल लत एक साथ युवाओं के जीवन में प्रवेश करते हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव और भी गंभीर हो जाता है। नींद की कमी, असंतुलित आहार और नशा—तीनों मिलकर युवाओं को तनाव, अवसाद और आत्मविश्वास की कमी की ओर ले जाते हैं।

आज कई युवा अवसाद, चिड़चिड़ापन और अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जिसका सीधा संबंध असंतुलित जीवनशैली से है।

मोबाइल, सिगरेट और जंक फूड का यह त्रिकोण तनाव से राहत देने के बजाय इसे कई गुना बढ़ा देता है। यह युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से अपाहिज बना रहा है। स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित आहार, शारीरिक गतिविधि और डिजिटल डिटॉक्स अनिवार्य है।

### 5. समाधान : स्वस्थ जीवनशैली की ओर

मोबाइल डिटॉक्स: स्क्रीन टाइम कम करें (दिन में 1.5-2 घंटे से कम), अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद करें, और रात में फोन का उपयोग न करें।

- स्वस्थ आहार: जंक फूड की जगह घर का बना खाना खाएं, फल और सब्जियों का सेवन बढ़ाएं।
- शारीरिक गतिविधियां: योग, मेडिटेशन, खेल, या वॉक जैसी शारीरिक गतिविधियों में समय बिताएं।
- सामाजिक संपर्क: सोशल मीडिया के बजाय वास्तविक दोस्तों और परिवार के साथ समय व्यतीत करें।
- समय प्रबंधन: दिनचर्या में रचनात्मक कार्यों (पेंटिंग, पढ़ना, बागवानी) को शामिल करें।

- पोषण में बदलाव: जंक फूड की जगह पौष्टिक भोजन के विकल्प उपलब्ध कराएं। युवाओं के साथ मिलकर स्वस्थ नाश्ता तैयार करें।
- संवाद और समय: युवाओं के साथ संवाद बढ़ाएं, उनके साथ खेलें, बात करें और उनकी भावनाओं को समझें।
- बाहरी गतिविधियाँ: युवाओं को शारीरिक खेल (जैसे क्रिकेट, साइकिलिंग, तैराकी) के लिए प्रोत्साहित करें।
- अभिभावकीय नियंत्रण: तकनीकी उपकरणों में 'पैरेंटल कंट्रोल' ऐप्स का उपयोग करें, ताकि अवांछित सामग्री से युवाओं को बचाया जा सके।

अभिभावकों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें युवाओं को अनुशासन के साथ स्नेह देना चाहिए, जिसके लिए निम्नलिखित उपाय हैं :-

- मोबाइल-मुक्त क्षेत्र और समय: घर में कुछ स्थान जैसे डाइनिंग टेबल और बेडरूम को 'नो मोबाइल जोन' बनाएं।
- स्वयं रोल मॉडल बनें: युवा अनुकरण करते हैं। यदि आप खुद फोन में व्यस्त रहेंगे, तो युवा भी वही करेंगे। उनके सामने फोन का इस्तेमाल कम करें।
- स्क्रीन टाइम पर नियंत्रण: युवाओं के लिए स्क्रीन समय (जैसे दिन में 1-2 घंटे) निश्चित करें और सोने से एक घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दें।

**उपसंहार**

युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। यदि युवा स्वस्थ, संयमित और जागरूक होंगे, तभी राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा।

व्यसन, जंक फूड और मोबाइल का अत्यधिक उपयोग एक 'आधुनिक महामारी' है, जो धीरे-धीरे हमारे स्वास्थ्य को खोखला कर रही है। यह न केवल शारीरिक, बल्कि मानसिक और सामाजिक संबंधों को भी नुकसान पहुँचा रही है। इस समस्या से बचने के लिए आत्म-अनुशासन (Self-discipline) की आवश्यकता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि तकनीक और सुविधा साधन हैं, साध्य नहीं। इन लतों से छुटकारा पाने के लिए संतुलित जीवन शैली, पौष्टिक भोजन, शारीरिक सक्रियता और डिजिटल डिटॉक्स अपनाना ही एकमात्र समाधान है। यह एक सामूहिक प्रयास की मांग करता है जहाँ परिवार और समाज बच्चों में स्वस्थ आदतों को बढ़ावा दें।

**अजय कुमार शर्मा**
प्रबंधक (सचि.-रा.भा.)
राजभाषा अनुभाग, हुडको

# राजभाषायी निरीक्षण

## गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय

श्री प्रशांत कुँवर, क्षेत्रीय प्रमुख, गुवाहाटी की अध्यक्षता में डॉ. रेखा चंदोला, राजभाषा अधिकारी, हडको, मुख्यालय की उपस्थिति में दिनांक 20 फरवरी, 2026 को गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय का अगरतला, त्रिपुरा से ऑनलाइन निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रमुख / समिति अध्यक्ष महोदय ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में सभागार में ऑनलाइन उपस्थित सभी सदस्यों तथा डॉ. रेखा चंदोला, राजभाषा अधिकारी का राजभाषायी निरीक्षणकर्ता के रूप में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद दिया। तत्पश्चात, हिन्दी नोडल अधिकारी को आगे की कार्रवाई करने का निदेश दिया। निरीक्षण के दौरान गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय के कार्मिकों के साथ राजभाषा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान किया गया। तदनुसार, हिन्दी नोडल अधिकारी ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम, नवीनतम जांच बिंदुओं पर चर्चा करते हुए निर्धारित लक्ष्य के बारे में विस्तार से बताया।

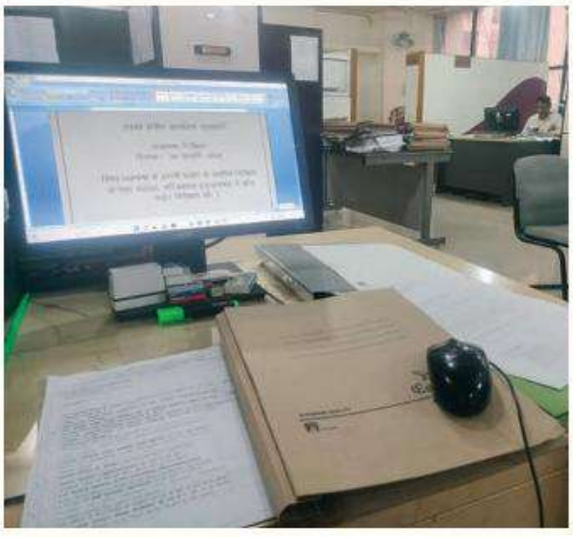



उक्त दोनों दिशा निदेशों (वार्षिक कार्यक्रम एवं जांच बिंदुओं) को सभी सदस्यों ने ध्यान से सुना और समिति अध्यक्ष महोदय ने भी इनका अनुपालन करने पर जोर दिया। इसके उत्तर में सभी सदस्यों ने अपनी - अपनी ओर से बिना कोई ढिलाई बरते, इनके पूर्ण अनुपालन का आश्वासन दिया। निरीक्षणकर्ता ने अध्यक्ष महोदय के हस्ताक्षर से जारी जाँच बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की तथा अनिवार्य रूप से उनके क्रियान्वयन तथा प्रत्येक तिमाही बैठक में एक कार्यशाला के आयोजन करवाने पर जोर दिया ताकि राजभाषा संबंधी सभी नियमों का पालन हो सकें।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय के हस्ताक्षर से मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालियों को जारी जांच बिन्दु निम्न प्रकार से हैं :-

| क्र. सं. | जाँच बिन्दु | अनुपालन का दायित्व |
|---|---|---|
| 1 | राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी 14 कागजात जैसे सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, संकल्प, करार, अनुज्ञा-पत्र अनुज्ञप्तियाँ तथा निविदा सूचनाएं, संसद के समक्ष रखे जाने वाले प्रतिवेदन तथा अन्य कागजात आदि अनिवार्यतः द्विभाषी रूप में एक साथ जारी किए जाएं। | दस्तावेज पर हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी |
| 2 | हिन्दी में प्राप्त पत्रों तथा हिन्दी में हस्ताक्षरित पत्रों, आवेदनों, अभ्यावेदनों आदि के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में दिए जाएं। | हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी |
| 3 | 'क' और 'ख' क्षेत्रों से पत्राचार केवल हिन्दी में ही किया जाए। | हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी |
| 4 | हडको वेबसाइट अनिवार्य रूप से द्विभाषी हो। इसे समय-समय पर अद्यतन किया जाए तथा होम पेज हिन्दी में खुलता हो। | कार्य. निदेशक (आईटी) |
| 5 | केवल द्विभाषी रूप में कार्य करने में सक्षम कम्प्यूटरों तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद की जाए। | कार्य.निदेशक (आईटी)/ कार्य.निदेशक (प्रशासन) |
| 6 | हडको कारोबार से संबंधित सभी ई-मेल हिन्दी में और ई-ऑफिस में सभी नोटिंग हिन्दी में की जाएं। | सभी हडको कार्मिक |
| 7 | हडको की सभी मोहरें, निमंत्रण पत्र, नामपट्ट, जन सूचना बोर्ड, साइनबोर्ड, बैनरों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों, विचार गोष्ठियों, विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के बैनरों, पत्र-शीर्ष, लिफाफों पर लिखे विवरण तथा अन्य लेखन सामग्री एवं रजिस्टरों/फाइलों के प्रारूप व शीर्षक द्विभाषी रूप में ही बनाए/मुद्रित कराए जाएं। 'ख' और 'ग' क्षेत्र में स्थित हडको क्षेत्रीय कार्यालयों के नामपट्ट और साइन बोर्ड त्रिभाषी अर्थात क्षेत्रीय भाषा, हिन्दी एवं अंग्रेजी में बनाए जाएं। | कार्य.निदेशक (प्रशा.)/ हस्ताक्षरकर्ता/ क्षेत्रीय प्रमुख |
| 8 | अनुभागों में प्रयोग किए जाने वाले सभी आवेदन प्रपत्र, फार्म, कोड, मैनुअल तथा प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य द्विभाषी रूप में उपलब्ध हो/प्रयोग में लाए जाएं। | सभी विभागाध्यक्ष/ हडको कार्मिक |
| 9 | सभी सेवा पुस्तिकाओं/रजिस्टरों/ई-ऑफिस में प्रविष्टियाँ केवल हिन्दी में की जाएं। | कार्य. निदेशक (एचआर) |
| 10 | 'क' और 'ख' क्षेत्रों को भेजे जाने वाले लिफाफों पर पते हिन्दी में ही लिखे जाएं। | प्रेषण अनुभाग |
| 11 | सभी प्रशिक्षण सामग्री द्विभाषी रूप में तैयार की जाए। | कार्य.निदेशक (प्रशिक्षण)-एचएसएमआई |
| 12 | व्यक्तिशः आदेश प्राप्त सभी कार्मिकों द्वारा अपने कार्यालयी कार्य 100% हिन्दी में ही किए जाएं तथा इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। | सभी संबंधित कार्मिक विभागाध्यक्ष/क्षेत्रीय प्रमुख |
| 13 | राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रत्येक तिमाही बैठक एवं कार्यशाला समान अंतराल पर आयोजित की जाएं। | प्रभारी राजभाषा/ क्षेत्रीय प्रमुख |
| 14 | कार्यालय द्वारा अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित विज्ञापन अनिवार्य रूप से हिन्दी भाषा में ही प्रकाशित करवाए जाएं। | कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन विभाग, मुख्यालय |
| 15 | अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्नपत्र के अतिरिक्त सभी सेवाकालीन, विभागीय तथा पदोन्नति परीक्षाओं के प्रश्नपत्र हिन्दी और अंग्रेजी में तैयार करवाएं। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर हिन्दी में देने की अनुमति दी जाए। | कार्य. निदेशक (एचआर) |

## कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय

श्री देबेश चक्रवर्ती, क्षेत्रीय प्रमुख, कोलकाता की अध्यक्षता में डॉ. रेखा चंदोला, राजभाषा अधिकारी, हडको, मुख्यालय ने दिनांक 21 फरवरी, 2026 को कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय का निरीक्षण किया।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रमुख / समिति अध्यक्ष महोदय ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में सभागार में उपस्थित सभी सदस्यों तथा डॉ. रेखा चंदोला, राजभाषा अधिकारी का राजभाषायी निरीक्षणकर्ता के रूप में उपस्थिति हेतु धन्यवाद दिया। क्षेत्रीय प्रमुख ने कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राजभाषा के क्षेत्र में प्राप्त की जा रही उपलब्धियों पर जानकारी दी। तत्पश्चात राजभाषा अधिकारी, मुख्यालय ने तिमाही प्रगति रिपोर्ट तथा संसदीय राजभाषा प्रश्नावली को भरने पर चर्चा की। कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय के सभी अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया कि राजभाषा अधिकारी द्वारा सुझाए गए प्रत्येक बिंदु पर कार्य किया जाएगा। क्षेत्रीय प्रमुख ने राजभाषा अधिकारी के समक्ष निकट भविष्य में संबंधित नराकास के तत्वावधान में हडको मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता के समन्वय द्वारा एक विशाल राजभाषा सम्मेलन के आयोजन का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव की राजभाषा अधिकारी ने सराहना करते हुए अपना पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया।

अंत में हिन्दी नोडल अधिकारी ने सभी का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए निरीक्षण कार्यक्रम समाप्ति की औपचारिक घोषणा की।

**डॉ.रेखा चंदोला**
वरिष्ठ प्रबंधक (रा.भा.) हडको

# हडको का सफरनामा

भारत में जब भी देश के बुनियादी ढांचे की नींव बिछाने एवं भारत के विकास में मजबूती से सहयोग प्रदान करने वाले संस्थानों की चर्चा होगी, इसमें कोई दुराही बात नहीं हैं, कि हडको हमेशा ही उस चर्चा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा और आखिर हो भी क्यों ना ? भारत के इतिहास में ऐसे कितने ही संस्थान होंगे जो पिछले 56 वर्षों से लगातार अपने कर्तव्य का निर्वहन इतने सटीक रूप से किए जा रहे है कि आज तक कभी भी उन्हें घाटे का सामना न करना पड़ा हो। आइए, आज आपको हडको के परिचालन के बारे में बताते है तथा भारत के विकास में हडको के योगदान से अवगत कराते है।

हडको की स्थापना 25 अप्रैल, 1970 को हुई थी। यह भारत सरकार का सर्वप्रथम 'आवास वित्तीय संस्थान' है। हडको ने केंद्र सरकार के 'आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय' के अंतर्गत आवासीय एवं शहरी विकास योजनाओं को काग़ज़िय दस्तावेज़ो तथा कथनों से हकीक़त में तब्दील करने वाले सर्वोच्च संस्थान के रूप में जन्म लिया था। चाहे '2 मिलियन हाउसिंग प्रोग्राम' हो या 'हाउसिंग फॉर ऑल मिशन', ग्रामीण विकास हो या शहरी विकास, हडको ने हर जगह अपनी छाप छोड़ी है।

कहते हैं कि, जन के विकास की सरल सी पहचान, खाने को रोटी, तन पर कपड़े, और सर छिपाने को हो एक मकान। इसलिए सन् 1970 में जब हडको की स्थापना की गई, हडको को देश के विकास हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना के निर्माण तथा देश में आवासों की कमी को दूर करने के लिए आवास निर्माण योजनाओं का वित्तपोषण करने का कार्यभार दिया गया। तब से अब तक, वर्ष पर वर्ष और दशक पर दशक बीतते चले गए, परंतु हडको डटा रहा। आज हम 2026 में हैं। हडको को देश की सेवा में लगे हुए 5 दशकों से ज्यादा समय हो गया है। समय बदल गया है, चुनौतियाँ बदल गई है और तरीके भी बदल गए है पर लक्ष्य अभी भी वही है - 'श्रेष्ठ भारत का निर्माण'। आज हडको में मुख्य रूप से तीन व्यवसायिक विभाग है - परिचालन, हडको एच.एस.एम.आई (ह्यूमन सेटलमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट) तथा हडको कंसल्टेंसी विंग । भारत के विकास के प्रमुख पहियों में से सबसे महत्वपूर्ण - 'राष्ट्रीय अवसंरचना' का वित्तपोषण करना, जो कि हडको परिचालन का प्रमुख उद्देश्य है, हडको के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय के परिचालन विभाग तथा 20 क्षेत्रीय और 11 विकास कार्यालियों द्वारा संभाला जाता है। पिछले कुछ वर्षों से देश में अवसंरचना वित्तपोषण में हडको का योगदान और भी अहम हो गया है। यदि हम वित्तीय वर्ष 2025-26 तक की बात करे तो हडको ने 31.12.2025 तक देश भर के विभिन्न संस्थानों को अवसंरचना निर्माण हेतु कुल राशि ₹1,55,631.00 करोड़ का ऋण प्रदान किया है जो कि वित्तीय वर्ष 2024-25 कि तुलना में ₹ 31,290.29 करोड़ (यानी कि 25.16%) ज्यादा है। इसी प्रकार पिछले 5 वर्षों में हडको के परिचालन एवं उससे हुई आय का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण कुछ इस प्रकार दिखेगा –

| वित्तीय वर्ष | 2025-26 (31.12.2025 तक) | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अवसंरचना वित्तपोषण हेतु प्रदान कि गई ऋण राशि | 1,55,631.00 | 1,24,340. 71 | 91,365.05 | 79,236.97 | 76,989.92 | 74,291.89 |
| ऋण राशि पर अर्जित ब्याज | 9,540.86 | 10,200.33 | 7,653.21 | 6,983.44 | 6,888.05 | 7,172.62 |

**HUDCO: Growth of Overall Operations**

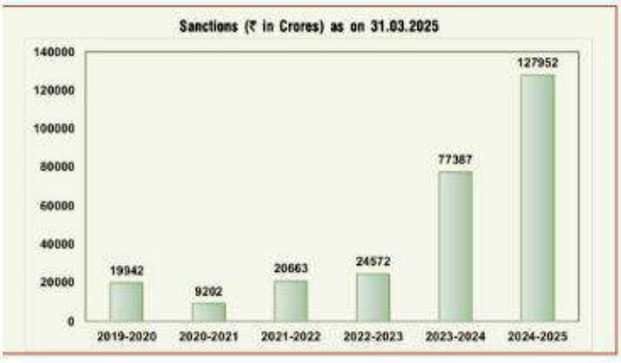

हडको परिचालन आज जिस मुकाम पर है और जिन बुलंदियों को छू रहा है, उसकी नींव कई वर्षों से बिछाई गई है एवं मज़बूत की गई है और उसी का परिणाम है ₹1,55,631.00 करोड़ का लोन बुक तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले 9 महीनों में ही ₹9,540.86 करोड़ की ब्याज की कमाई। केवल यही नहीं, पिछले तीन वर्षों में हडको की कार्यशैली में बहुत से बदलाव लाए गए है और हडको को दो बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं - पहली की हडको के काम की सराहना करते हुए उसे सरकार द्वारा एक मिनिरत्न संस्थान से बढ़कर एक नवरत्न संस्थान की उपाधि दी गई और दूसरी की हडको को भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-अवसंरचना वित्तपोषण कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया और इसी के साथ हडको के लिए कुछ ऐसे रास्ते खुले जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में हडको की काया पलट कर दी और हडको की पहुंच और लोन बुक लगभग दोगुने स्तर पर पहुंचा दिया। कुछ न कुछ ऋण वित्त जरूर प्रदान किया है। साथ ही साथ यह भी समझना जरूरी है कि हडको के लोन बुक का अहम हिस्सा इन अवसंरचना क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के लिए और ऊर्जा विकास के लिए प्रदान किया गया है। हडको के वर्तमान वरिष्ठ प्रबंधन के नेतृत्व में हडको के परिचालन में आई बढ़ोतरी के लिए हडको को विख्यात ख्याति प्राप्त हुई।

फलस्वरूप, दिसंबर 2025 में आयोजित 5वीं पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड्स में हडको को 'सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले पीएसयू' तथा 'ट्रांसफॉर्मेशन में उत्कृष्ट नेतृत्व' के खिताबों से नवाज़ा गया। इससे पहले, हडको को नवंबर 2025 में 17वें गृह शिखर सम्मेलन 2025 में जलवायु के प्रति लचीली दुनिया के लिए कार्य करने हेतु नवाचार के दौरान अपने हॉल कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट के लिए गृह रेटिंग सर्टिफिकेट और मूल्यवान योगदानकर्ता पुरस्कार से भी नवाज़ा गया। हडको ने हिन्दी भाषा को आगे बढ़ाने में लगातार अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हैं। फलस्वरूप, सितंबर 2025 में हिन्दी दिवस के दौरान हडको को माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी के हाथों से कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही साथ अप्रैल 2025 में हडको सीएमडी, श्री संजय कुलश्रेष्ठ जी, को नई दिल्ली में आयोजित पीएसयू परिवर्तन सम्मेलन 2025 में पीएसयू क्षेत्र को आगे बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए प्रतिष्ठित पीएसयू समर्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिर्फ़ यही नहीं, हडको ने समाज की सेवा में भी कोई कसर नहीं छोड़ी हैं। चाहे वो मरीज़ो के लिए अस्पतालों को एम्बुलेंस प्रदान करना हो या स्कूलों में फर्नीचर लगवाना, या फिर देश के इतिहास का संरक्षण करना, हडको तब से इन कार्यों में सशक्त रहा है जब देश में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए कोई महत्वपूर्ण नियम-कानून भी नहीं हुआ करते थे।

2024- 25 में हडको ने विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक कार्यों में कुल ₹52.72 करोड़ खर्च किए। इसके अंतर्गत बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर देश के नौजवानों के कौशल विकास के लिए, पेय जल प्रदान करने से लेकर ग्राम विकास तक सभी मुमकिन क्षेत्रों में योगदान प्रदान किया गया है। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत निरंतर प्रयास के लिए हडको को फरवरी 2025 में 11वे पीएसयू अवार्ड्स में प्रतिष्ठित सीएसआर लीडरशिप अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। यह सम्मान हडको की दूरदर्शिता और सामाजिक प्रभाव के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। इसी तरह, पिछले एक वर्ष के मेरे कार्यकाल में मैने न जाने हडको के कितने अफसरों को सेवानिवृत्त होते देखा है और उनसे उनके हडको की अनगिनत कहानियां सुनी है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि, 'श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत, कौन बने प्रगति का कारक ? प्रगति की क्या हो परिभाषा? कैसे पूरी हो हर अभिलाषा ? हम यूहीं बने रहे तरक्की के कारक, अवसंरचना वित्तपोषण के स्तंभ-ए-स्मारक, यूंही बना रहे, हमारा महत्वपूर्ण योगदान, आने वाले समय में मिलकर रचे, भारत की विजय गाथा महान।'

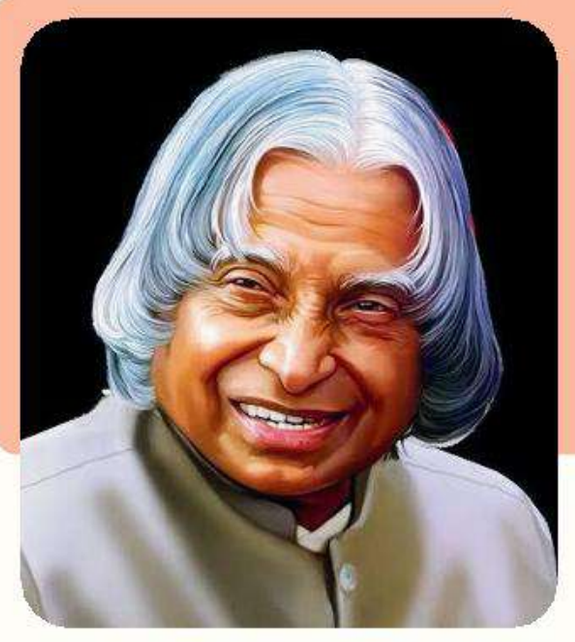

*किसी भी राष्ट्र का वास्तविक विकास उसके नागरिकों के जीवन स्तर में दिखाई देता है। जब हर परिवार को सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक आवास उपलब्ध होता है, तब वह केवल एक भौतिक सुविधा नहीं रह जाता, बल्कि आत्मविश्वास, शिक्षा और स्वास्थ्य के द्वार खोलता है। हमें ऐसे भारत का निर्माण करना है जहाँ हर व्यक्ति को अपने सपनों को साकार करने के लिए एक सशक्त आधार मिले, और वह आधार एक सुदृढ़ एवं सुलभ आवास व्यवस्था ही है।"*

***— डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम***

**ऋषभ चौधरी**
प्रशिक्षु अधिकारी (वित्त)हडको

# उत्तर-पूर्वी भारत में कृषि और बागवानी

भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य-अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम अपने प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध कृषि विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं। असम की विश्वविख्यात चाय, त्रिपुरा का रसीला अनानास, मेघालय के संतरे और मसाले, नागालैंड की मिर्च, मिजोरम की बांस आधारित खेती, मणिपुर का काला चावल, अरुणाचल के किवी और बागवानी फसलें तथा सिक्किम की जैविक खेती इस क्षेत्र की पहचान हैं। पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेती, हरियाली से ढकी घाटियाँ और पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ यहाँ की संस्कृति से गहराई से जुड़ी हैं। उत्तर-पूर्व भारत वास्तव में कृषि, बागवानी और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत संगम है।

## उत्तर-पूर्वी राज्य: कृषि का ऐतिहासिक परिदृश्य

उत्तर-पूर्वी राज्यों में कृषि का ऐतिहासिक विकास उसकी भौगोलिक बनावट, जलवायु, वन संसाधनों और सामाजिक-सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा गहराई से जुड़ा हुआ है। उत्तर-पूर्वी राज्यों की कृषि पद्धति प्राचीन काल से ही आदिवासी जीवनशैली का अभिन्न अंग रही है। प्रारंभिक काल में उत्तर-पूर्वी राज्यों की अधिकांश जनसंख्या जनजातीय थी, जो झूम खेती पर निर्भर थी। इस पद्धति में जंगल के एक हिस्से को साफ कर कुछ वर्षों तक खेती की जाती थी, जिसमें मुख्यतः धान, मक्का, तिल और सब्जियाँ उगाई जाती थीं। समय के साथ जनसंख्या वृद्धि और वन संरक्षण की आवश्यकता के कारण लोग झूम खेती से स्थायी खेती की ओर अग्रसर हुए। आधुनिक कृषि तकनीकों, सरकारी नीतियों तथा हस्तक्षेपों, भारत की अनुकूल जलवायू और उपजाऊ मृदा से समतल एवं घाटी क्षेत्रों में स्थायी धान की खेती तथा प्रमुख फसलें जैसे अनानास, कटहल, रबर, बांस, चाय, कॉफी, मसालें, गोंद, इत्यादि का विस्तार हुआ।

1. प्राकृतिक रबर उत्पादन में केरल के बाद उत्तर-पूर्वी राज्यों का दूसरा स्थान

## प्राकृतिक रबर उत्पादन का ऐतिहासिक परिदृश्य

उत्तर-पूर्वी राज्यों में प्राकृतिक रबर उत्पादन का ऐतिहासिक विकास राज्य की कृषि और आर्थिक संरचना में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है। स्वतंत्रता के बाद उत्तर-पूर्वी राज्यों में कृषि भूमि सीमित होने और झूम खेती से उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याओं को देखते हुए, वैकल्पिक एवं स्थायी कृषि पद्धतियों की आवश्यकता महसूस हुई। इसी पृष्ठभूमि में प्राकृतिक रबर की खेती को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास शुरू हुए।

वर्ष 1960 के दशक में उत्तर-पूर्वी राज्यों में रबर की खेती की संभावनाओं का वैज्ञानिक रूप से मूल्यांकन किया गया। राज्य की जलवायु, उच्च वर्षा, आर्द्रता और लाल-लेटेराइट मिट्टी को रबर खेती के लिए उपयुक्त पाया गया। इसके बाद 1970 के दशक में "भारतीय रबर बोर्ड" के सहयोग से प्रयोगात्मक स्तर पर रबर रोपण की शुरुआत हुई। प्रारंभ में यह कार्य सरकारी भूमि और वन क्षेत्रों में किया गया।

1980 के दशक में उत्तर-पूर्वी राज्य सरकारों ने झूम खेती को कम करने और आदिवासी किसानों को स्थायी आजीविका उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रबर बागानों का विस्तार किया। आदिवासी परिवारों को संगठित कर रबर सहकारी समितियों का गठन किया गया, जिससे उन्हें प्रशिक्षण, पौधे और विपणन की सुविधा मिली।

1990 के दशक के बाद प्राकृतिक रबर उत्पादन में तेज़ी आई और उत्तर-पूर्वी राज्य, विशेषकर त्रिपुरा केरल के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक रबर उत्पादक राज्य बन गया। रबर ने न केवल राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया, बल्कि रोजगार सृजन, निर्यात और ग्रामीण विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1963 में सामान्य सी शुरुआत से, आज राज्य का वार्षिक रबर उत्पादन बढ़कर 102,989 मीट्रिक टन हो गया, जो कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन को दर्शाता है। यह वृद्धि राज्य के नेतृत्व वाली पहलों और छोटे किसानों की सक्रिय भागीदारी दोनों के कारण संभव हुई है, और अब रबर के बागान 85,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसके अतिरिक्त, रबर के बागान मृदा संरक्षण और कार्बन पृथक्करण के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता में भी योगदान करते हैं।

## सामाजिक आर्थिक प्रभाव

रबर क्षेत्र ग्रामीण आजीविका का अभिन्न अंग है, विशेषकर आदिवासी बहुल जिलों में। रबर की खेती आय का एक विश्वसनीय और नियमित स्रोत प्रदान करती है, जिससे पारंपरिक फसलों में होने वाले जलवायु और बाजार के उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशीलता कम हो जाती है। इसने लेटेक्स प्रसंस्करण और विनिर्माण जैसे सहायक उद्योगों को भी बढ़ावा दिया है, जिससे रोजगार और उद्यमशीलता के अवसर उत्पन्न हुए हैं। उत्तर-पूर्वी राज्यों में प्राकृतिक रबर उत्पादन ने सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा पर गहरा और सकारात्मक प्रभाव डाला है। रबर की खेती विशेष रूप से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विकसित की गई, जिससे लोगों को स्थायी आजीविका का एक विश्वसनीय साधन मिला। पहले जहाँ अधिकांश आदिवासी परिवार झूम खेती पर निर्भर थे, वहीं रबर बागानों के विस्तार से उन्हें नियमित आय और स्थिर जीवन-यापन का अवसर प्राप्त हुआ।

सामाजिक स्तर पर रबर उत्पादन ने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं तक लोगों की पहुँच को बेहतर बनाया। नियमित आय के कारण परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेजने और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम हुए। सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से समुदायों में सामूहिक सहभागिता और संगठनात्मक क्षमता का विकास हुआ। पर्यावरणीय रूप से भी रबर बागानों ने झूम खेती को कम करने में मदद की, जिससे वनों की कटाई पर नियंत्रण हुआ और भूमि संरक्षण को बढ़ावा मिला। साथ ही, रबर वृक्षों ने हरित आवरण बढ़ाने में भी योगदान दिया।

## नीतिगत पहल

उत्तर-पूर्वी राज्यों में प्राकृतिक रबर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकारों के द्वारा समय-समय पर अनेक सी नीतिगत पहलें शुरू की गई हैं, जिनका उद्देश्य कृषि विविधीकरण, आदिवासी कल्याण और स्थायी विकास को सुनिश्चित करना है। हाल के वर्षों में इन राज्यों की सरकारों ने रबर आधारित उद्योगों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) सहित सरकारी नीतियाँ शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य मूल्यवर्धन, प्रौद्योगिकी अपनाने और निर्यात उन्मुखीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इन पहलों का उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देना और उत्तर-पूर्वी राज्यों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत करके किसानों की आय को दोगुना करना है।

## I. चाय बागान एवं पारंपरिक चाय उद्योग

### चाय बागानों की विरासत

वर्तमान में उत्तर-पूर्वी राज्यों में सबसे अधिक चाय बागान हैं, जिसकी विरासत इन राज्यों के इतिहास, अर्थव्यवस्था और संस्कृति से गहराई से जुड़ी हुई है। उत्तर-पूर्वी राज्यों में चाय उद्योग की शुरुआत औपनिवेशिक काल में हुई। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेज़ों ने यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों—उपजाऊ लाल मिट्टी, पर्याप्त वर्षा और अनुकूल जलवायु को चाय की खेती के लिए उपयुक्त पाया।

उत्तर-पूर्वी राज्यों में पहले चाय बागान की स्थापना लगभग 1837 में असम में हुई। स्वतंत्रता के बाद उत्तर-पूर्वी राज्य सरकारों और सहकारी संस्थाओं ने इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए। विशेष रूप से आदिवासी समुदायों की भागीदारी ने चाय उद्योग को सामाजिक आधार प्रदान किया।

उत्तर-पूर्वी राज्यों की चाय अपनी हल्की सुगंध, मध्यम स्वाद और उच्च गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। यहाँ मुख्यतः ऑर्थोडॉक्स और सीटीसी चाय का उत्पादन किया जाता है। समय के साथ छोटे चाय उत्पादकों की संख्या भी बढ़ी है, जिन्होंने आधुनिक तकनीकों और जैविक खेती को अपनाकर चाय उत्पादन को नया आयाम दिया है। चाय बागान केवल आर्थिक गतिविधि तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये उत्तर-पूर्वी राज्यों की सांस्कृतिक पहचान का भी अभिन्न अंग है, जो बागानों में काम करने वाले श्रमिकों के त्योहार, लोकगीत, नृत्य, आपसी सहयोग, पारंपरिक मूल्यों और जीवनशैली की विशिष्ट सामाजिक संस्कृति को दर्शाते हैं।

## सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

उत्तर-पूर्वी राज्यों में चाय बागानों का सामाजिक-आर्थिक महत्व इन राज्यों के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाय उद्योग न केवल आजीविका का साधन है, बल्कि यह समाजिक संरचना और आर्थिक स्थिरता को भी प्रभावित करता है। उत्तर-पूर्वी राज्यों में चाय बागान हज़ारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करते हैं, विशेषकर महिलाओं और आदिवासी समुदायों को। इसके अतिरिक्त, परिवहन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन से जुड़े लोगों को भी रोजगार मिलता है। छोटे चाय उत्पादकों के बढ़ते योगदान ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया है। चाय उत्पादन से होने वाली आय इन राज्यों के राजस्व में भी योगदान देती है।

सामाजिक रूप से चाय बागानों ने उत्तर-पूर्वी राज्यों के ग्रामीण समाज को संगठित करने में मदद की है। बागानों के आसपास बसे श्रमिक समुदायों में सामूहिक जीवन, आपसी सहयोग और सामाजिक एकता देखने को मिलती है। चाय बागानों में काम करने वाले अधिकांश श्रमिक आदिवासी समुदायों से आते हैं, जिससे उन्हें स्थायी रोजगार और सामाजिक पहचान मिली है। शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी सुविधाएँ धीरे-धीरे इन क्षेत्रों में विकसित हुई हैं, जिससे जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

हालाँकि, चाय बागानों से जुड़ी कुछ सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ भी हैं। कम मज़दूरी, श्रम अधिकारों की सीमित जानकारी और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी जैसी समस्याएँ अब भी बनी हुई हैं। कई क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर का अभाव श्रमिकों के विकास में बाधा बनता है। इन समस्याओं के समाधान में सरकारी योजनाओं, सहकारी समितियों और गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण है।

कुल मिलाकर, उत्तर-पूर्वी राज्यों में चाय बागानों का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव व्यापक और बहुआयामी है। यदि उचित नीतियाँ और सतत विकास के उपाय अपनाए जाएँ, तो यह क्षेत्र न केवल श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बना सकता है, बल्कि राज्यों की अर्थव्यवस्था को भी दीर्घकालिक सुदृढ़ता प्रदान कर सकता है।

## नीतिगत पहल और भविष्य की संभावनाएँ

अपनी समृद्ध विरासत के बावजूद, चाय क्षेत्र को कम उत्पादकता, श्रम की कमी और बाजार की अस्थिरता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैविक चाय की खेती को बढ़ावा देने, प्रसंस्करण सुविधाओं को उन्नत करने और ब्रांडिंग को बढ़ाने के लिए हाल ही में किए गए प्रयासों से लाभ मिलना शुरू हुआ है, जिससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाजार तक पहुंच का विस्तार हुआ है। उत्तर-पूर्वी राज्यों में चाय बागानों के लिए सरकारों और संबंधित संस्थाओं द्वारा कई नीतिगत पहलों और भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र का सतत विकास सुनिश्चित हो सके और स्थानीय समुदायों को अधिक लाभ मिले।

कुल मिलाकर, उत्तर-पूर्वी राज्यों में चाय बागानों के लिए नीति पहल और भविष्य की योजनाएँ कृषि विस्तार, मूल्य वर्धन, बाजार पहुँच, श्रमिकों का कल्याण और विश्व स्तर पर पहचान बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। यदि इन पहलों को उचित प्रकार से लागू किया जाए, तो चाय उद्योग उत्तर-पूर्वी राज्यों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है।

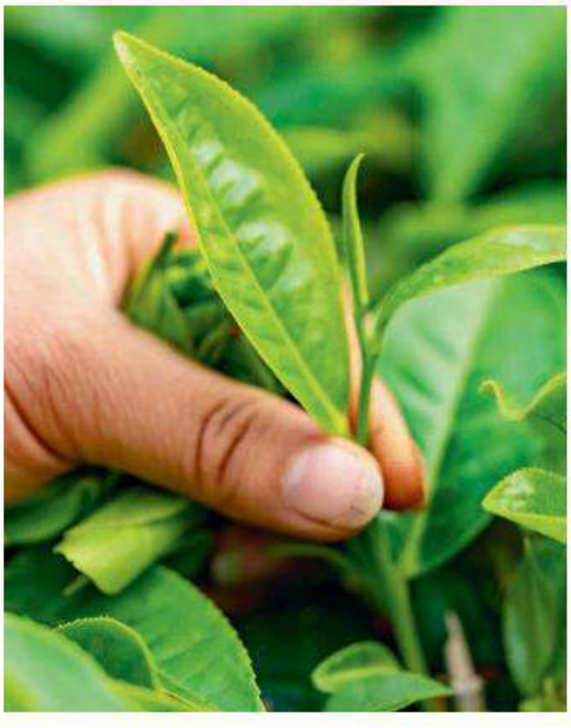

## 2. भारत का सबसे बड़ा बांस उत्पादक

उत्तर-पूर्वी राज्यों का "हरा सोना" कहे जाने वाला बांस, इन राज्यों, विशेषकर त्रिपुरा का सबसे प्रचुर और बहुमुखी प्राकृतिक संसाधन है। त्रिपुरा भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक है और अगरबत्ती उद्योग में उपयोग होने वाली बांस की छड़ियों की राष्ट्रीय मांग का लगभग 60% पूरा करता है। राज्य में बांस की 21 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और यह 3,246 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, जो विभिन्न पारंपरिक और आधुनिक उद्योगों का आधार है।

राज्य सरकार ने बांस उत्पादन को व्यवस्थित करने और उद्योगिकरण बढ़ाने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत बांस के सतत उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन पर जोर दिया जा रहा है। यह कदम न केवल उत्पादकता बढ़ाता है, बल्कि बांस आधारित उद्योगों में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन भी कम हो रहा है।

बांस की खेती, निष्कर्षण और प्रसंस्करण में लगे 60,000 से अधिक परिवारों को आर्थिक सहायता और स्थायी रोजगार प्रदान करती है। कारीगर बांस से हस्तशिल्प, फर्नीचर और निर्माण सामग्री तैयार कर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचते हैं, जिससे राज्यों की आय, ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय के सकल घरेलू उत्पान में वृद्धि होती है, साथ ही यह महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है। इसके अतिरिक्त, बांस पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है। यह मिट्टी के कटाव को रोकता है, पर्यावरण को संतुलित रखता है और सतत् संसाधन होने के कारण जंगलों पर दबाव कम करता है।

### 3. जैविक मसालों एवं फलों का उत्पादन

उत्तर-पूर्वी राज्यों की कृषि-पारिस्थितिक परिस्थितियाँ विभिन्न प्रकार के जैविक मसालों और फलों, विशेष रूप से अनानास और कटहल की खेती के लिए अनुकूल हैं। बाज़ार की मांग और सरकारी समर्थन दोनों के सहयोग से जैविक खेती को बढ़ावा मिला है, जिससे राज्य उच्च मूल्य वाले बागवानी उत्पादों के उभरते केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। उत्तर-पूर्वी राज्यों में जैविक मसालों और फलों का उत्पादन राज्य की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ की मिट्टी, जलवायु और प्राकृतिक संसाधन जैविक खेती के लिए अत्यंत अनुकूल हैं, जिससे बिना रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के उच्च गुणवत्ता वाले मसाले और फल उगाए जा सकते हैं।

उत्तर-पूर्वी राज्यों में मुख्य जैविक मसालों में हल्दी, अदरक, मिर्च, काली मिर्च और धनिया शामिल हैं। ये मसाले न केवल इन राज्यों की घरेलू मांग पूरी करते हैं, बल्कि इनका राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी निर्यात किया जाता है। जैविक मसाले किसान के लिए अधिक आय और स्थायी कृषि का माध्यम बनते हैं, साथ ही जैविक खेती से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और रासायनिक प्रदूषण कम होता है जो कि पर्यावरण के लिए सतत् और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का मार्ग भी प्रस्तुत करता है।

### 4. जनजातीय विकास एवं ग्रामीण आजीविका में योगदान

उत्तर-पूर्वी राज्यों की आबादी का एक महत्वपूर्ण भाग स्वदेशी समुदायों से बना है, जिनके लिए कृषि और बागान आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र में हैं। रबर, चाय, बांस और फलों की खेती ने वैकल्पिक आजीविका प्रदान की है, जिससे झूम खेती पर निर्भरता कम हुई है और खाद्य सुरक्षा में वृद्धि हुई है।

कौशल विकास कार्यक्रम, सूक्ष्म ऋण योजनाएँ और सहकारी मॉडल जैसे लक्षित हस्तक्षेपों ने आदिवासी किसानों को वाणिज्यिक कृषि में भाग लेने के लिए सशक्त बनाया है। इस तरह के समावेशन से न केवल आय स्तर में सुधार हुआ है, बल्कि आदिवासी समुदायों के भीतर शिक्षा, स्वास्थ्य और लैंगिक समानता को भी बढ़ावा मिला है। कृषि और बागवानी से जुड़ा पूरा मूल्य श्रृंखला—बीज उत्पादन, खेती, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन—ग्रामीणों और जनजातीय कारीगरों के लिए स्थायी रोजगार उत्पन्न करता है। महिला समूह और स्वयं सहायता संस्थाएं भी इन गतिविधियों में सक्रिय हैं, जिससे महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समावेश बढ़ता है।

वृक्षारोपण कृषि, विशेष रूप से बांस और रबर की खेती, वैकल्पिक आय प्रदान करके और प्राकृतिक वनों पर दबाव कम करके सतत वन प्रबंधन का समर्थन करती है। यह दृष्टिकोण स्थानीय लोगों को उनके निवास स्थल से विस्थापित होने से बचाती है तथा यह संरक्षण और जलवायु अनुकूलन के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है।

**पूजा**

राजभाषा, हुडको

# कंप्यूटर का इतिहास

— गणना यंत्र से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक की अद्भुत यात्रा —

## भूमिका

आज का युग कंप्यूटर का युग है। जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जहाँ कंप्यूटर का उपयोग न होता हो। चिकित्सा से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक, शिक्षा से लेकर मनोरंजन तक, हर जगह कंप्यूटर की उपस्थिति अनिवार्य हो गई है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि यह अद्भुत मशीन कहाँ से आई? कैसे एक साधारण गणना यंत्र आज के शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में परिवर्तित हुआ? यह लेख कंप्यूटर के विकास की उस रोचक यात्रा को प्रस्तुत करता है जो हजारों वर्षों में फैली हुई है।

## गणना यंत्रों का आरंभिक दौर (3000 ई.पू. - 1900 ई.)

मानव की गणना करने की आवश्यकता उतनी ही पुरानी है जितनी स्वयं सभ्यता। प्राचीन काल में व्यापारी अपने लेन-देन का हिसाब रखने के लिए पत्थरों और मोतियों का उपयोग करते थे। लगभग 3000 ईसा पूर्व चीन में अबेकस का आविष्कार हुआ, जिसे विश्व का पहला गणना यंत्र माना जाता है। यह लकड़ी के फ्रेम में तारों पर मोतियों को खिसकाकर काम करता था। 17वीं शताब्दी में यांत्रिक कैलकुलेटरों का युग शुरू हुआ। 1642 में फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज़ पास्कल ने पास्कलाइन बनाया जो पहिए और गियर की व्यवस्था से जोड़-घटाव कर सकता था। इसके बाद 1673 में गॉटफ्राइड लाइबनिट्ज़ ने एक ऐसी मशीन बनाई जो गुणा-भाग भी कर सकती थी।

लेकिन कंप्यूटर के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान चार्ल्स बैबेज का है, जिन्हें 'कंप्यूटर का जनक' कहा जाता है। 1837 में उन्होंने एनालिटिकल इंजन की परिकल्पना की, जो पहला प्रोग्राम योग्य कंप्यूटर था। यद्यपि उनके जीवनकाल में यह पूरा नहीं बन सका, परंतु इसमें आधुनिक कंप्यूटर के सभी मूलभूत तत्व - अंकगणितीय इकाई, नियंत्रण इकाई, स्मृति और इनपुट-आउटपुट - मौजूद थे। एडा लवलेस ने इस मशीन के लिए पहला एल्गोरिदम लिखा और इस प्रकार विश्व की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर बनीं।

## इलेक्ट्रॉनिक युग का आगमन (1940-1960)

20वीं सदी के मध्य में द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान कंप्यूटर तकनीक में अभूतपूर्व प्रगति हुई। 1946 में पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर का निर्माण हुआ। यह पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो वैक्यूम ट्यूबों पर आधारित था।

ईएनआईएसी एक विशालकाय मशीन थी - इसका वजन 30 टन था, इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगे थे, यह 1800 वर्ग फुट जगह घेरती थी और 150 किलोवाट बिजली खपत करती थी। इसकी गति यद्यपि आज के मानकों से बहुत धीमी थी, परंतु उस समय के यांत्रिक कैलकुलेटरों से हजारों गुना तेज थी। यह प्रति सेकंड 5000 जोड़ या 357 गुणा कर सकती थी।

1951 में यूएनआईवीएसी । बाजार में आया जो पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। इसी दौरान जॉन वॉन न्यूमैन ने 'संचित प्रोग्राम' की अवधारणा दी, जिसके अनुसार प्रोग्राम और डेटा दोनों को एक ही स्मृति में रखा जा सकता है। यह आधुनिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर की नींव बनी।

## कंप्यूटर की पाँच पीढ़ियाँ: तुलनात्मक अध्ययन

कंप्यूटर के विकास को पाँच पीढ़ियों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक पीढ़ी में तकनीकी सुधार के साथ-साथ आकार, गति, क्षमता और मूल्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। निम्नलिखित तालिका में इन पीढ़ियों की तुलना प्रस्तुत है:

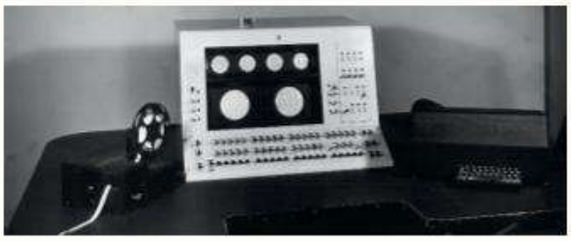

| पीढ़ी | समय अवधि | मुख्य तकनीक | गति | आकार व लागत | उदाहरण |
|---|---|---|---|---|---|
| पहली (1940-56) | 1940-1956 | वैक्यूम ट्यूब | मिलीसेकंड | विशाल, बहुत महंगे | ENIAC, UNIVAC |
| दूसरी (1956-63) | 1956-1963 | ट्रांजिस्टर | माइक्रोसेकंड | छोटे, कम महंगे | IBM 1401 |
| तीसरी (1964-71) | 1964-1971 | एकीकृत सर्किट (IC) | नैनोसेकंड | और छोटे, सस्ते | IBM 360 |
| चौथी (1971-अब) | 1971-वर्तमान | माइक्रोप्रोसेसर | पिकोसेकंड | पोर्टेबल, सस्ते | PC, लैपटॉप |
| पाँचवीं (भविष्य) | वर्तमान-भविष्य | AI, क्वांटम | असीमित | अति सूक्ष्म | AI सिस्टम |

## माइक्रोप्रोसेसर क्रांति और व्यक्तिगत कंप्यूटर का उदय

1971 में इनटेल कंपनी ने इनटेल 4004 माइक्रोप्रोसेसर बनाया, जिसमें एक छोटी सी चिप पर 2,300 ट्रांजिस्टर थे। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। धीरे-धीरे माइक्रोप्रोसेसर अधिक शक्तिशाली होते गए - इनटेल 8008, 8080, और फिर 1978 में इनटेल 8086 आया जिसने x86 आर्किटेक्चर की नींव रखी।

1975 में एलटेयर 8800 पहला व्यक्तिगत कंप्यूटर बाजार में आया। बिल गेट्स और पॉल एलन ने इसके लिए बेसिक प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की और माईक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। 1976 में स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज़्नियाक ने एप्पल I बनाया, और 1977 में एप्पल II ने व्यक्तिगत कंप्यूटर को घरों में लोकप्रिय बना दिया।

1981 में आईबीएम ने अपना पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया जो एक मानक बन गया। इसमें माईक्रोसॉफ्ट का एमएस-डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था। 1984 में एप्पल ने मेसिनटोस पेश किया जिसमें पहली बार ग्राफिकल यूजर इंटरफेस (जीयूआई) और माउस का सफल उपयोग हुआ। यह कंप्यूटर को आम लोगों के लिए सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम था।

## तकनीकी प्रगति: दशक-दर-दशक तुलना

पिछले 50 वर्षों में कंप्यूटर तकनीक में जो प्रगति हुई है, वह अविश्वसनीय है। निम्नलिखित तुलना इस प्रगति को स्पष्ट करती है:

| विशेषता | 1970 का दशक | 2000 का दशक | 2020 का दशक |
|---|---|---|---|
| **प्रोसेसर गति** | 2-4 MHz | 2-3 GHz | 5+ GHz (मल्टी-कोर) |
| **RAM** | 4-64 KB | 512 MB - 2 GB | 16-128 GB |
| **स्टोरेज** | फ्लॉपी डिस्क (160 KB) | HDD (80-500 GB) | SSD (1-4 TB) |
| **औसत मूल्य** | $2000-5000 | $500-1500 | $300-1000 |
| **आकार** | डेस्कटॉप (बड़ा) | लैपटॉप (पोर्टेबल) | अल्ट्रा-पतला, टैबलेट |
| **इंटरनेट** | नहीं | ब्रॉडबैंड (1-10 Mbps) | फाइबर (100+ Mbps) |

## इंटरनेट युग और डिजिटल क्रांति

1990 के दशक में टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) का आविष्कार किया, जिसने इंटरनेट को सबके लिए सुलभ बना दिया। पहले वेब ब्राउज़र, वेबसाइटें और सर्च इंजन आए। याहू, गूगल, एमाजोन जैसी कंपनियों ने डिजिटल दुनिया को नया आकार दिया।

2000 के दशक में सोशल मीडिया का उदय हुआ। औ फेसबुक (2004), यूट्यूब (2005), ट्वीटर (2006) ने संचार को पूरी तरह बदल दिया। स्मार्टफोन की क्रांति ने कंप्यूटिंग को जेब में ला दिया - 2007 में आईफोन और 2008 में एन्ड्राइड ने मोबाइल कंप्यूटिंग को नई ऊंचाई दी।

क्लाउड कंप्यूटिंग ने डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग को इंटरनेट पर स्थानांतरित कर दिया। गूगल ड्राईव, ड्रोपबॉक्स, आईक्लाउड जैसी सेवाओं ने फ़ाइलों को कहीं से भी एक्सेस करना संभव बनाया। एमाजोन वेब सर्विसिज, माईक्रोसॉफ्ट एज्यूरे ने व्यवसायों के लिए शक्तिशाली कंप्यूटिंग संसाधन उपलब्ध कराए।

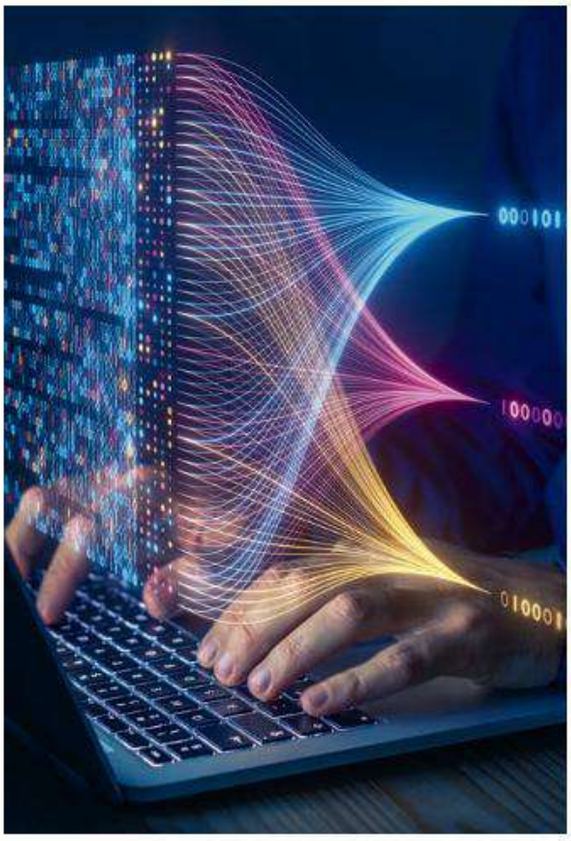


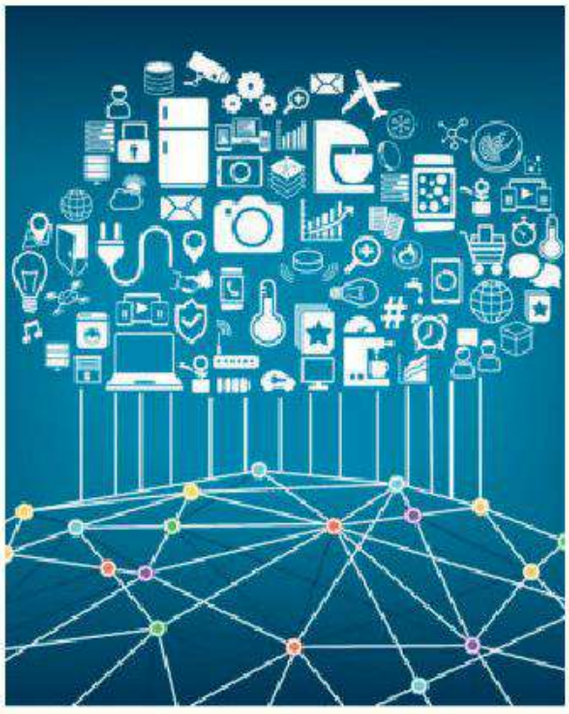

## कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग

21वीं सदी के दूसरे दशक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग में अभूतपूर्व प्रगति हुई। कंप्यूटर अब देख सकते हैं (कंप्यूटर विजन), सुन और समझ सकते हैं (नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग), और स्वयं सीख सकते हैं (डीप लर्निंग)।

2023 में चेटजीपीटी जैसे लार्ज लैंगवेज़ मॉडल्स ने दिखाया कि एआई मानव जैसे संवाद कर सकता है, कोड लिख सकता है, और जटिल समस्याओं को हल कर सकता है। यह एक नया युग है जहाँ कंप्यूटर केवल गणना करने वाली मशीन नहीं, बल्कि बुद्धिमान सहायक बन गए हैं।

क्वांटम कंप्यूटिंग भविष्य की तकनीक है जो पारंपरिक कंप्यूटरों से लाखों गुना तेज होने का वादा करती है। गूगल, आईबीएस जैसी कंपनियाँ क्वांटम कंप्यूटर बना रही हैं जो क्रिप्टोग्राफी, दवा खोज और जलवायु मॉडलिंग में क्रांति ला सकते हैं।

## भारत का योगदान और आईटी क्षेत्र में उत्थान

भारत में कंप्यूटर की यात्रा 1956 में शुरू हुई जब कोलकाता के इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में पहला कंप्यूटर एचईसी-2एम स्थापित किया गया। 1960-70 के दशक में टीआईएफआर, आईआईटी और अन्य संस्थानों में कंप्यूटर अनुसंधान शुरू हुआ।

1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत का आईटी उद्योग तेजी से बढ़ा। टीसीएस, इनफोसिस, विपरो जैसी कंपनियों ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठा हासिल की। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे भारत के 'सिलिकॉन वैली' बन गए। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा आईटी सेवा निर्यातक है और लाखों लोगों को रोजगार देता है।

भारत सरकार के 'डिजिटल इंडिया' अभियान ने कंप्यूटर और इंटरनेट को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाने का कार्य किया। आधार, यूपीआई, डिजिटल पेमेंट ने भारत को दुनिया में डिजिटल क्रांति का नेतृत्व करने वाला देश बनाया है।

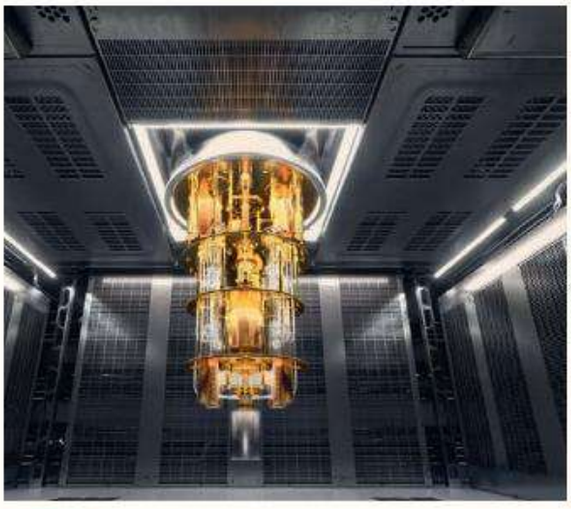

## उपसंहार

कंप्यूटर का इतिहास मानव की जिज्ञासा, नवाचार और दृढ़ संकल्प की गाथा है। अबेकस के मोतियों से लेकर आज के क्वांटम कंप्यूटर तक, यह यात्रा हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और दूरदर्शी लोगों के प्रयासों का परिणाम है। पिछले 50 वर्षों में कंप्यूटर की प्रोसेसिंग शक्ति में लाखों गुना वृद्धि हुई है, जबकि उनका आकार हजारों गुना कम हुआ है और कीमत सैकड़ों गुना कम हुई है। यह मूर के नियम का साक्षात उदाहरण है, जिसके अनुसार प्रोसेसर की क्षमता हर दो वर्ष में दोगुनी हो जाती है।

आज कंप्यूटर केवल गणना करने की मशीन नहीं रहे, बल्कि वे हमारे जीवन के अभिन्न अंग बन गए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, मनोरंजन, संचार - हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रभाव है। भविष्य में एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, और न्यूरोमॉर्फिक चिप्स और भी बड़े बदलाव लाएंगे।

यह इतिहास हमें सिखाता है कि तकनीकी प्रगति एक निरंतर प्रक्रिया है। हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी की उपलब्धियों पर खड़ी होती है और नई ऊंचाइयों को छूती है। कंप्यूटर की यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है - यह तो केवल आरंभ है।

**अमन गेरा**
कम्प्यूटर इंजीनियर (परियोजना), हुडको

# हिन्दी भाषा: हमारी सांस्कृतिक पहचान

हिन्दी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा है। यह करोड़ों लोगों के विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। भारत जैसे बहुभाषी देश में हिन्दी एक सेतु की भूमिका निभाती है, जो विभिन्न प्रदेशों, संस्कृतियों और परंपराओं को आपस में जोड़ती है।

## हिन्दी भाषा : हमारी पहचान और गौरव

हिन्दी का इतिहास अत्यंत समृद्ध और गौरवशाली है। इसकी जड़ें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में मिलती हैं। समय के साथ-साथ हिन्दी ने अनेक भाषाओं से शब्द ग्रहण किए और स्वयं को अधिक सरल, सहज और व्यापक बनाया। यही कारण है कि आज हिन्दी जन-जन की भाषा बन चुकी है। संत कबीर, तुलसीदास, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा और निराला जैसे महान साहित्यकारों ने हिन्दी साहित्य को अमूल्य रचनाओं से समृद्ध किया।

हिन्दी भाषा भारत की आत्मा है। यह केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और इतिहास की वाहक है। हिन्दी भारत की राजभाषा होने के साथ-साथ विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है।

हिन्दी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से मानी जाती है। समय के साथ-साथ इसमें अवधी, ब्रज, भोजपुरी, उर्दू और अन्य भाषाओं का प्रभाव भी देखने को मिलता है। यही कारण है कि हिन्दी सरल, मधुर और भावनाओं से भरपूर भाषा है। हिन्दी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सरलता और भावपूर्णता है। यह कठिन विचारों को भी सहज शब्दों में व्यक्त करने की क्षमता रखती

है। हिन्दी में कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध –हर विधा में उत्कृष्ट साहित्य रचा गया है। इसके साथ ही हिन्दी सिनेमा, गीत-संगीत और मीडिया के माध्यम से भी हिन्दी ने वैश्विक पहचान बनाई है।

## हिन्दी साहित्य

**हिन्दी** साहित्य अत्यंत समृद्ध है। कबीर, तुलसीदास, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा और हरिवंश राय बच्चन जैसे महान लेखकों ने हिन्दी को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया। उनकी रचनाएँ आज भी समाज को दिशा दिखाती हैं।

आज के डिजिटल युग में हिन्दी का महत्व और भी बढ़ गया है। सोशल मीडिया, ब्लॉग, समाचार पोर्टल और मोबाइल ऐप्स पर हिन्दी का व्यापक प्रयोग हो रहा है। यह दर्शाता है कि हिन्दी केवल अतीत की भाषा नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य की भी सशक्त भाषा है। आज के आधुनिक युग में हिन्दी डिजिटल माध्यमों, फिल्मों, समाचारों और सोशल मीडिया में तेजी से फैल रही है। यह साबित करता है कि हिन्दी समय के साथ चलने वाली जीवंत भाषा है।

### हिंदी भाषा का महत्व

1. हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है।
2. हिंदी भाषा बहुत सरल और सहज है।

### हिंदी भाषा

हिन्दी विश्व की एक प्रमुख भाषा है एवं भारत की राजभाषा है। केन्द्रीय स्तर पर भारत में दूसरी आधिकारिक भाषा अंग्रेज़ी है। हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है क्योंकि भारत के संविधान में किसी भी भाषा को ऐसा दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी भाषा का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 17 एवं 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343 से 351 में है।

मुख्य बिन्दु - भाषा का अर्थ एवं परिभाषा, बोली, विभाषा और भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और राज्यभाषा, 'हिन्दी' शब्द की व्युत्पत्ति तथा उसके विविध अर्थ, 'हिन्दी' शब्द का प्रयोग, भाषा के रूप में 'हिन्दी' के विविध अर्थ, 'हिन्दी भाषा' का उद्भव/उत्पत्ति और विकास, भाषा के अर्थ में 'हिन्दी' शब्द का प्रयोग व विकास, हिन्दी भाषा के विविध रूप, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का इतिहास, हिन्दी भाषा के साहित्य का विभाजन या वर्गीकरण आदि।

हमें हिन्दी भाषा पर गर्व करना चाहिए और इसके संरक्षण व संवर्धन के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। दैनिक जीवन में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग, हिन्दी साहित्य का अध्ययन और नई पीढ़ी को हिन्दी के महत्व से परिचित कराना हमारी जिम्मेदारी है। अंततः, हिन्दी हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारी भावनाओं की सच्ची अभिव्यक्ति है। इसे अपनाकर और सम्मान देकर हम अपनी जड़ों से जुड़े रह सकते हैं और एक सशक्त सांस्कृतिक भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं।

**निष्कर्ष:** हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए और दैनिक जीवन में अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग करना चाहिए। हिन्दी का सम्मान करना, वास्तव में अपनी संस्कृति का सम्मान करना है।

हिन्दी भाषा हमारी पहचान, हमारी जड़ें और हमारा गौरव है। इसका संरक्षण और प्रचार करना हम सभी का कर्तव्य है।

**आशुतोष सिंह**
इंजीनियर, आई.टी. विभाग, हुडको

# पुरातन से अद्यतन - भारतीय डाक

प्राचीन काल में राजा चन्द्रवर्धन के समय में डाक पहुंचाने हेतु पक्षियों का प्रयोग किया जाता था। यह प्रथा कबूतर से शुरू की गई। पत्र को मोड़कर और कबूतर के पंजों में बांधकर पत्रों का आदान प्रदान किया जाता था। जहाँ पत्र भेजा जाना होता था उस दिशा में मूंह करके कबूतर को छोड़ दिया जाता था। जैसे ही कबूतर वहाँ पहुंचता था वहां पर उसके पंजों से वह संदेश निकाल लिया जाता था और उसको वापिस उसी दिशा में छोड़ दिया जाता था। इस प्रक्रिया से प्राचीन काल में भी डाक का आदान प्रदान किया जाता था।

मध्य काल में राजा द्वारा पत्र को लिखवाया जाता था और राजा ऐसे विश्वनीय व्यक्ति को चुनता था जो वफादार हो। उसके हाथ में वह पत्र देकर हाथ में एक छड़ी दे दी जाती थी जिस पर मोटा घुंघरू बांध दिया जाता था। वह व्यक्ति उस पत्र को लेकर भागता था। जब वह व्यक्ति उस कस्बे में पहुंचता था तब जो भी उस कस्बे का व्यक्ति उसे मिलता था वह पत्र उस व्यक्ति को दे देता था। वह दूसरा व्यक्ति पत्र को लेकर दूसरे राज्य में पत्र को पहुंचा देता था। इसी प्रकार राजा के पत्रों का अदान प्रदान की प्रथा चलती थी।

ऐसे पत्र व्यवहार की प्रथा चलते चलते 1 अक्टूबर, 1954 में डाक घर पोस्ट ऑफिस की स्थापना हुई। अंग्रेजों के शासन काल में इस तरीके से भारतीय डाक देश के कौने कौने के गांवों और शहरों तक इसकी सुविधा उपलब्ध हो गई। भारतीय डाक सेवा में निम्न प्रकार से अपनी सुविधा प्रदान प्रदान कर रहा है :-

- स्पीड पोस्ट करने के लिए हमें नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता है। वहां पर अपने पत्र का वजन करवाने के उपरांत कितना स्पीड पोस्ट में खर्चा आयेगा, बता दिया जाता है। स्पीड पोस्ट करने के लिए डाक घर के अधिकारी को सौंप दिया जाता है। वह अधिकारी स्पीड पोस्ट कर देता है। डाक घर अधिकारी द्वारा एक स्लिप दी जाती है जिस पर स्पीड पोस्ट का नम्बर होता है, न मिलने पर उस स्पीड पोस्ट के नम्बर द्वारा उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं कि पत्र की प्राप्ति हुई की नहीं।

- साधारण डाक की सुविधा भी केवल निकटतम पोस्ट ऑफिस में जाकर ही की जाती है। इस सुविधा में भी पत्र का वजन किया जाता है। वजन के हिसाब से उतने ही पैसे की डाक टिकट दे दी जाती है। टिकट को पत्र के लिफाफे पर चिपका दिया जाता है फिर उसे पोस्ट के बॉक्स में डाल दिया जाता है। बॉक्स की निकासी का समय निश्चित होता है। बॉक्स अन्दर जो भी पत्र होते हैं उन्हें निकाला जाता है फिर क्षेत्रवार पिन कोड के आधार पर अलग अलग कर लिया जाता है। इसके बाद अलग- अलग पोस्टमैन जो डाक बांटते हैं उनके हवाले उन पत्रों को सौंप दिया जाता है जो एक एक डाक को उनमें लिखे पतों पर वितरित कर देते हैं।

- रजिस्ट्री पत्र की सुविधा भी हमें पोस्ट ऑफिस में जाकर प्राप्त करनी होती है। पहले पत्र का वजन किया जाता है फिर उस पर डाक टिकट एवं लिफाफे पर मुहर लगाकर पोस्ट आफिस के अधिकारी को सौंप दी जाती है। इसका सबसे ज्यादा फायदा है कि अन्य (दो) सुविधाओं से पहले हमारा पत्र पहुंच जाता है। इसी तरीके के अनुसार इस सुविधा में पैसे भी ज्यादा लगते हैं साथ ही हमारा पत्र निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है।

भारतीय डाक केवल हमारे पत्रों तक सीमित नहीं है। भारतीय डाक हमें और कई प्रकार की सुविधाएं जैसे डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक सेवा, मनी आर्डर और बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान करती है। यह सेवाएं मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सुरक्षित व बचत का बहुत अच्छा साधन है।

डाक कर्मचारी कठिन परिस्थितियों में ईमानदारी से अपना काम करते हैं और अन्य आफिसों में भी पोस्ट आफिस का काम पोस्ट विभाग के तरीके से ही करके पोस्ट आफिस तक जितने पत्र होते हैं, पहुंचाते हैं। उसी प्रकार हडको के बिल भी आफिस में आ जाते हैं जिसका समय रहते बिल का भुगतान भी कर दिया जाता है।

अंत में, कहा जा सकता है कि भारतीय डाक ने देश को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है जिससे कि हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है।

**कृष्ण कुमार**
एनटीएस, हडको

# हडको गतिविधियां

ANNUAL SPORTS DAY'2026

राष्ट्रीय एकता दिवस
के अवसर पर आपको सादर आमंत्रित करता है
समय: सुबह 10:30 बजे
दिनांक: 31.10.2025

राष्ट्रीय सामान्य बैठक

# राजभाषा गतिविधियां

## शैशव के सपनों में

अख़बार की पहने टोपी
तेज़ बरसात में बच्चा
बड़ी तन्मयता के साथ
चला रहा था कब से
कागज़ की नाव

गलकर डूब जाने की
सबकी आशंका के बीच
बढ़ रहा था सिर्फ़
उसके अटल अटूट
विश्वास का हाथ

बिना बैठे कर रहा था
कश्ती की सवारी
कहीं गये बग़ैर
बहुत आगे जाने की
थी उसकी तैयारी

दरअसल बड़े कठिन
समय और मौसम में
बचपने के लिए ही
बेहतर होता अख़बार

ताकि शैशव के सर्वथा
जागृत सपनों में
शब्द रहें सुरक्षित
बनकर सच का आधार।

## करना चाहता आगाह

वह बचे भरोसे की तरह
मिलता अकसर रात का सफ़र
पूरा होने के बहुत पहले
अगली सुबह का अख़बार लिये

किसी नुक्कड़ या चौराहे पर
कभी भीड़ भरे बस पड़ाव
या फिर स्टेशन के बाहर
किसी चाय दुकान के आगे

घनी तीरगी को जहाँ तहाँ
चुनौती दे रही रोशनी में
उसका होना करता सुनिश्चित
कि चाहे कैसी भी सूरत
शब्द और विचार सुरक्षित

बहुत देर और दूर तक
ध्वनित होता उसका स्वर --

पढ़िये आज की ताज़ा ख़बर'
जैसे वही अकेला शख़्स
जिसे नियत समय से पहले
तारीख़ बदलने का हक़

शाम जिनकी शुरु होती
रात के पहले पहर में आकर
और जो लम्बी दिनचर्या में
नींद की परवाह किये बग़ैर
लौट रहे होते बहुत देर से घर

उनसे आत्मीयता से मिलकर
कहना चाहता वह भी तो
उन्हीं के बीच का अपना
रात के सफ़र पर निकला
सधे शब्दों की रोशनी बाँटने

जीवन्त हलचल के बीच भी
जो पड़े रहते अलसाये उनींदे
अनोखी आहट के बावजूद
उठकर खोलते नहीं जड़ता से
जूझते दरवाज़े की सिटकिनी

उनकी अधखुली आँखों के
आईने में बड़े सपने की तरह
साफ़ दिखता सच का पन्ना
ख़ुद ही पढ़ा जाता हुआ

जैसे वह याद दिलाकर पाठ
किसी भी काल अकाल में
बड़ी विसंगतियों के बीच
सदा सजग रहने को लेकर
करना चाहता आगाह।

## *यदि शब्दों की ढाल न रही*

गंतव्य की ओर लक्ष्य कर
झटपट निकल जाता वह
किसी तरह के मौसम
कैसी भी परिस्थिति में

अख़बार को समय की
सर्वाधिक ज़रूरत की तरह
क़ायदे से सँभाले
बढ़ता अकसर पैदल
कभी कभार दोपहिये पर

जैसे चिट्ठियाँ हो मुख़्तलिफ़
समाचार विचार के साथ
प्रतीक्षारत घरों तक
शीघ्र पहुँचने को आतुर

जैसे सन्देश हों अनिवार्य
हर जगह हर तरह के
जिन्हें जान समझ कर
खोजना हल आज
और कल के प्रश्नों के

जैसे उनके मिलने में
हुआ अधिक विलम्ब
तो हो जायेगा अनर्थ
कितने ही सच छूटते
छिटकते खो देंगे अर्थ

जैसे जटिल होते समय में
सधे शब्दों की ढाल न रही
संवेदित सोच के साथ
जुड़े न रहें सुलझे विचार

और मुँहउजाले के साथ
भरकर दृष्टि में चमक
बड़ी अनोखी दस्तक की
हार्दिक अगवानी के लिए
बढ़ नहीं पाये क़दम

तो आश्चर्यचकित होकर
लौट जायेगा डाकिया

चुपचाप समेट बाँधकर
ख़त के हिस्से की सुबह।

*शरद रंजन शरद*

# नराकास दिल्ली उपक्रम-2 के तत्वावधान में आयोजित राजभाषा तकनीकी कार्यशाला एवं राजभाषा ओलंपियाड प्रतियोगिता

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

CIN : L74899DL1970GOI005276
कोर-7-ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003
टेलीफोन: 91-11-24649610, फैक्स:91-1124625308, वेबसाइट: www.hudco.org.in

*Printed at:* **VIBA Press Pvt. Ltd.,** 9810049515